

उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर Migrating To A Brighter Future

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2016 - 2017



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles

Convenience of Banking

Digitally Served with Smile



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles





इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

निदेशक मंडल Board of Directors



श्री टी. सी. ए. रंगनाथन
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
Shri. T C A Ranganathan
Non-Executive Chairman



श्री आर. सुब्रमण्यकुमार
एमडी व सीईओ (05.05.2017 से प्रभावी)
Shri. R. Subramaniakumar
MD & CEO (with effect from 05.05.2017)



श्री के. स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक
Shri. K. Swaminathan
Executive Director



सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यु
सरकारी नामिती निदेशक
Ms. Annie George Mathew
Government Nominee Director



श्री निर्मल चंद
भा.रि.बै. नामिती निदेशक
Shri. Nirmal Chand
RBI Nominee Director



श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
शेयरधारक निदेशक
Shri. Niranjan Kumar Agarwal
Shareholder Director



श्री संजय रूंगटा
शेयरधारक निदेशक
Shri. Sanjay Rungta
Shareholder Director



श्री के. रघु
सनदी लेखाकार प्रवर्ग के तहत अंशकालिक गैर-आधिकारिक
निदेशक
Shri. K Raghu
Part-time Non-official director under
Chartered Accountant Category



श्री विष्णुकुमार बंसल
अपर निदेशक
Shri. Vishnukumar Bansal
Additional Director



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

ANNUAL REPORT 2016-17

निदेशकगण (31.03.2017 को)

BOARD OF DIRECTORS (as on 31.03.2017)

श्री टीसीए रंगनाथन

गैर कार्यकारी अध्यक्ष

Shri. T C A Ranganathan

Non-Executive Chairman

श्री आर सुब्रमण्यकुमार

एमडी व सीईओ के अतिरिक्त प्रभार सहित कार्यपालक निदेशक (05.05.2017 से एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त)

Shri. R. Subramaniakumar

Executive Director with Additional Charge of MD & CEO (appointed as MD & CEO with effect from 05.05.2017)

श्री के स्वामिनाथन

कार्यपालक निदेशक

Shri. K. Swaminathan

Executive Director

सुश्री एनी जार्ज मैथ्यू

भारत सरकार के नामिती निदेशक

Ms. Annie George Mathew

Government Nominee Director

श्री निर्मल चंद

भा. रि. बैंक के नामिती निदेशक

Shri. Nirmal Chand

RBI Nominee Director

श्री के रघु

सनदी लेखाकार प्रवर्ग में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक

Shri. K. Raghu

Part-time Non-Official director under Chartered Accountant Category

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल

शेयरधारक निदेशक

Shri. Niranjan Kumar Agarwal

Shareholder Director

श्री संजय रूंगटा

शेयरधारक निदेशक

Shri. Sanjay Rungta

Shareholder Director

श्री विष्णुकुमार बंसल

अपर निदेशक

Shri. Vishnukumar Bansal

Additional Director

श्री एस उमापति

महा प्रबंधक व बोर्ड सचिव

Shri S. Umaphathi

General Manager & Board Secretary

लेखा परीक्षक

AUDITORS

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

Registrar & Share Transfer Agent

1. मेसर्स वर्धमान एंड कं चेन्नै

1. M/s. Vardhaman & Co
Chennai

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि
(यूनिट - आइओबी) सुब्रमणियन बिल्डिंग,
पांचवी मंजिल, नं 1 क्लब हाउस रोड
चेन्नै-600 002

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-IOB) Subramanian Building
V Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002

2. मेसर्स एएसए एंड
एसोसिएट्स एलएलपी चेन्नै

2. M/s. ASA & Associates LLP
Chennai

टेलिफोन: 044-28460390 (6 लाइन)
044-28460395

Tel: 044-28460390 (Six Lines)
044-28460395

3. मेसर्स ए वी देवन एंड कं चेन्नै

3. M/s. A V Deven & Co
Chennai

फैक्स 044-28460129

Fax 044-28460129

4. मेसर्स आर. हरिभक्ति एंड
कपनी एलएलपी मुंबई

4. M/s. Haribhakti & Co.
LLP, Mumbai.

ई मेल : cameo@cameoindia.com

E mail: cameo@cameoindia.com

5. मेसर्स तलाती एंड तलाती
अहमदाबाद

5. M/s. Talati & Talati,
Ahmedabad



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

ANNUAL REPORT 2016-17

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
एक झलक में	3	At a Glance	3
प्रबंध निदेशक व सी ई ओ की डेस्क से	4	From the Managing Director & CEO's Desk	4
शेयरधारकों को सूचना	10	Notice to Shareholder	10
निदेशकों की रिपोर्ट	30	Directors' Report	31
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	34	Management Discussion and Analysis	35
वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	60	Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2016-17	61
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	91	Auditors' Certificate on Corporate Governance	91
वार्षिक लेखे	92	Annual Accounts	92
नकदी प्रवाह विवरण	170	Cash Flow Statement	170
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	234	Independent Auditors' Report	235
प्रॉक्सी फॉर्म	238	Proxy Form	239
(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिन्दी रूपांतरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जाएगा)		(In this Annual Report, in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)	

वित्तीय कैलेंडर

Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	For the Financial Year 1st April, 2016 to 31st March 2017
लेखा बंदी की तारीखें : 21.06.2017 (बुधवार) से 28.06.2017 (बुधवार)	Book Closure Dates : 21.06.2017 (Wednesday) to 28.06.2017 (Wednesday)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण : 31.05.2017 (बुधवार) 03.06.2017 (शनिवार)	Posting of Annual Report : 31.05.2017 (Wednesday) to 03.06.2017 (Saturday)
प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 23.06.2017 (शुक्रवार) सायं 5.00	Last date for Receipt of Proxy Forms : 23.06.2017 (Friday), 5.00 p.m.
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख : 28.06.2017 (बुधवार) सुबह 10.00	Date of AGM : 28.06.2017 (Wednesday), 10.00 a.m.
लाभांश की घोषणा : नहीं	Declaration of Dividend : Nil



एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-17	मार्च-16	मार्च -15	मार्च-14	मार्च-13
कुल कारोबार	368,118	397,241	425,090	409,057	366,501
वैश्विक जमाएं	211,343	224,514	246,049	227,976	202,135
घरेलू जमाएँ	205,154	218,556	239,819	219,731	195,457
घरेलू सकल अग्रिम	142,651	155,429	162,838	161,992	144,894
वैश्विक निवल अग्रिम	141,174	160,861	171,756	175,888	160,364
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	67,401	67,615	63,635	58,090	51,056
कृषि ऋण	29,348	30,237	29,236	26,254	23,393
निवल निवेश	71,486	79,189	79,298	70,237	61,417
ब्याज आय	19,719	23,517	23,938	22,684	20,677
गैर ब्याज आय	3,373	2,528	2,138	2,169	1,973
परिचालनात्मक व्यय	4,912	5,026	4,200	3,749	3,408
सकल लाभ	3,650	2,885	3,322	3,997	3,817
निवल लाभ / निवल हानि	-3,417	-2,897	-454	602	567
इक्विटी शेयर पूंजी	2,454.73	1,807.27	1,235.35	1,235.35	924.10
सकल एनपीए (%)	22.39	17.40	8.33	4.98	4.02
निवल एनपीए (%)	13.99	11.89	5.68	3.20	2.50
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)	10.50	9.66	10.11	10.78	लागू नहीं

At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-17	Mar-16	Mar-15	Mar-14	Mar-13
Total Business	368,119	397,241	425,090	409,057	366,501
Global Deposits	211,343	224,514	246,049	227,976	202,135
Domestic Deposits	205,154	218,556	239,819	219,731	195,457
Domestic Gross Advances	142,651	155,429	162,838	161,992	144,894
Global Net Advances	141,174	160,861	171,756	175,888	160,364
Priority Sector Advances	67,401	67,615	63,635	58,090	51,056
Agricultural Credit	29,348	30,237	29,236	26,254	23,393
Net Investments	71,486	79,189	79,298	70,237	61,417
Interest Income	19,719	23,517	23,938	22,684	20,677
Non Interest Income	3,373	2,528	2,139	2,169	1,973
Operating Expenses	4,912	5,025	4,200	3,749	3,408
Gross Profit	3,650	2,885	3,322	3,997	3,817
Net Profit/Net Loss	-3,417	-2,897	-454	602	567
Equity Share Capital	2,454.73	1,807.27	1,235.35	1,235.35	924.10
Gross NPA (%)	22.39	17.40	8.33	4.98	4.02
Net NPA (%)	13.99	11.89	5.68	3.20	2.50
Capital Adequacy Ratio (%)	10.50	9.66	10.11	10.78	NA



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै

INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र

Letter from Managing Director & Chief Executive Officer



श्री आर सुब्रमण्यकुमार, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri.R. Subramaniakumar, Managing Director & Chief Executive Officer

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वर्ष 2016-17 का वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक के वित्तीय संकेतकों और कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।

आर्थिक परिदृश्य

आइएमएफ ने वर्ष 2016 के 3.1% के मुकाबले वर्ष 2017 में 3.5% के उच्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान लगाया है। चीन ने 2017 की पहली तिमाही में 6.9% की मजबूत ग्रोथ हासिल की है जबकि अमेरिका में 2017 की पहली तिमाही में विकास की वार्षिक दर 0.7% के साथ धीमी रही है। चीन में घरेलू मांग पहली तिमाही में मजबूत थी जबकि अमेरिका में निजी खपत विकास में कम पड़ गई। यूरो ज़ोन में औद्योगिक उत्पादन संवृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक तौर पर एक जैसी रही जबकि बेरोज़गारी दर का ट्रेंड भी निम्न रहा।

भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष 2017-18 में 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन एवं उद्योगों को ऋण संवृद्धि कमजोर रहने का अनुमान है और यदि जीडीपी ग्रोथ में 7% से काफी ऊपर आना है तो निजी निवेश में तेजी दिखनी चाहिए। हालांकि वित्तीय वर्ष में 5% की वृद्धि के साथ आइआइपी डाटा की नई श्रृंखला (2011-12 आधार वर्ष) 2016-17 में औद्योगिक आउटपुट में वापसी को दर्शा रही है। आइआइपी में बढ़त के संकेत उत्साहवर्धक हैं क्योंकि यह दर्शाते हैं कि खपत मांग पर आधारित मेन्युफैक्चरिंग गतिविधि मजबूत है।

भारत में बैंकिंग उद्योग

बैंकिंग प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती रुपए 7 लाख करोड़ तक की दूषित आस्तियों से डील करना है। तनावग्रस्त आस्तियां जिनमें खराब ऋण, पुनर्संचित ऋण एवं अग्रिम आते हैं व जिनकी सर्विसिंग अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, वे कुल ऋण का करीब 17% पहुंच गई हैं। बैंकों के लिए सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत 2012-13 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 8.4 प्रतिशत पहुंच गया। सकल बैंक ऋण संवृद्धि 2013-14 के 14 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2016-17 में 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। मौद्रिक छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में सरकार की कोशिशों और सरकारी-निजी साझीदारी की मदद और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल की शुरुआत जैसे घरेलू सुधारों को लागू करने से निवेश मांग में हल्की तेजी की संभावना है। सरकार बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता की दिक्कतों का समाधान करने के लिए नए सिरे से फोकस करती दिख रही है। सरकार ने अध्यादेश के

Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2016-17. I would like to share with you the performance highlights and financial indicators of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

Economic Scenario

The IMF has forecast a higher Global Gross Domestic Product (GDP) growth at 3.5% in 2017, compared with 3.1% in 2016. China recorded a stronger growth of 6.9% in Q1 2017, while US recorded a slower annualized rate of growth of 0.7% in Q1 2017. China's domestic demand was strong in the first quarter, while private consumption growth decelerated in the US. In the Euro Zone, industrial production growth remained broad-based across the major economies, while unemployment rate continued to trend lower.

India's GDP is expected to grow at around 7.2% in FY18. Industrial production and credit growth to industry remain weak in India and a pick-up in private investment would need to be seen for GDP growth to come in significantly above 7%. However, the new series (2011-12 base year) of IIP data with 5% increase in the financial year demonstrates a rebound of industrial output in 2016-17. These signs of an upturn in IIP are encouraging, as it is indicative of stronger manufacturing activity based on consumption demand.

Banking Industry in India

The biggest economic challenge facing the banking system is dealing with toxic assets to the tune of ₹ 7 lakh crore. Stressed assets, which include bad loans, restructured debt and advances to companies that can't meet servicing requirements, have risen to about 17% of total loans. Gross non-performing assets as a percentage of gross advances rose from 3.2 per cent in 2012-13 to 8.4 per cent in 2015-16 for banks. Gross bank credit growth dropped sharply from 14 per cent in 2013-14 to 7.4 per cent in 2016-17. Investment demand is expected to pick up slightly, helped by monetary easing, government efforts towards infrastructure investments and public-private partnerships and the implementation of domestic reforms such as the introduction of the Goods and Services Tax (GST) Bill. The government is showing a renewed focus to address the asset quality problem in



जरिए आरबीआई को गैर निष्पादित आस्तियों के समाधान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए शक्तियां दी हैं। आरबीआई ने प्रस्तावों का समाधान स्वीकृत करने के लिए संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) में अपेक्षित एकमत की सीमा भी कम कर दी है। ये कदम एनपीए समाधान प्रणाली की प्रभाविता में सुधार लाते हैं और उधार के लिए सकारात्मक हैं।

आर्थिक आउटलुक

वैश्विक स्तर पर भारत तेजी से विकास हासिल करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा। 2017-2018 में वास्तविक जीडीपी 6.75% से 7.5% के बीच रहेगी। हालांकि, वैश्विक अनुमानों को लेकर अत्यधिक अनिश्चितता कई परिणामों की वजह से है जो घरेलू और वैश्विक कई मामलों में नीति में बड़े बदलावों पर आधारित हो सकते हैं जिनमें व्यापार और इमिग्रेशन शामिल है। कॉरपोरेट सेक्टर की डी-लीवरेजिंग, हानि बनाने वाली आस्तियों की पहचान व बैंकों के पुनः पूंजी निवेश जैसे बड़े ढांचागत बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थायी भविष्य विकास के लिए लॉन्च पैड का निर्माण करेंगे।

आइओबी के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र का आउटलुक

देश की जीडीपी की तुलना में बैंक उधार को ढाई से तीन गुना की दर से बढ़ना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से निवेश के प्रतिकूल माहौल और कई बड़े कॉरपोरेट हाउजेस के ओवर - लीवरेज होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि सकल सावधि पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) जो अर्थव्यवस्था में निवेश मांग को दर्शाता है उसके वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.3%, वित्तीय वर्ष 2017-18 में उछलकर 6.8% पहुंचने का अनुमान है व वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.8% की वृद्धि रह सकती है और ये वृद्धि का प्रमुख कारक होगा। यह सरकार द्वारा किए जा रहे प्रमुख सुधार के उपाय हैं, जैसे दिवालिया कानून और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) का लागू किया जाना, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर, स्टील कीमतों की एमआइपी, रुकी हुई परियोजनाओं का पुनरुद्धार इत्यादि। इससे उधार संवर्धन में पुनरुत्थान और बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

खुदरा ऋणों और एमएसएमई ऋणों को बढ़ाते हुए हमारा बैंक अपने तुलन पत्र को पुनोन्मुख करने की दिशा में प्रयासरत रहेगा और विवेकपूर्ण उद्यमि जोखिम प्रबन्धन तथा पूंजीगत आबंटन फ्रेमवर्क के दायरे में उच्च दर वाले कॉरपोरेटों को उधार देने पर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा जिस प्रकार हम विकास के अवसरों का लाभ उठाने पर फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ परिवेश में उभरी चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं।

➤ कारोबार एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन विशेषताएँ- 2016-17

- 31 मार्च 2016 को रुपए 2,24,514 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 को बैंक की कुल घरेलू जमाएं रु 2,11,343 करोड़ रहीं। लागत कम करने के उद्देश्य से थोक जमाओं में कमी करने की दिशा में बैंक द्वारा उठाये गए सोचे-समझे कदम की वजह से जमाओं में कमी आई है।
- सकल अग्रिम 31 मार्च 2016 को रु 1,72,727 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 को रु 1,56,776 करोड़ रहा। बैंक ने विशाल स्तर के उधार प्रदान करने में अधिक सावधानी बरतने का विवेकपूर्ण लिया।
- बैंक का परिचालनगत लाभ 26.52% से बढ़ गया जो कि परिचालनगत दक्षता में सुधार का एक अच्छा संकेत है। बैंक द्वारा प्रयासरत बहुविध परिवर्तन / बदलाव दक्षता और परिचालनगत लाभ में और भी सुधार लाएंगे।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जहां एच 1 हानि रु 2200 करोड़ रही, वहीं एच2 हानि रु 1200 करोड़ रही। वर्ष के द्वितीय अर्द्ध में ऐसी कटाती इस बात का संकेत है कि बैंक को टर्नअराउंड करने के लिए कई प्रकार के प्रयास अमल में हैं।

the banking sector. The government through an ordinance provided the RBI with powers to intervene in the resolution of non-performing assets. RBI lowered the threshold for consensus required among lenders in the Joint Lenders Forum (JLF) to approve resolution proposals. These recent measures are likely to improve the efficacy of NPL resolution mechanism and are a credit positive.

Economic Outlook

India will remain one of the fastest growing major economies globally. The real GDP growth will remain between 6.75% and 7.5% in 2017-2018. However, high uncertainty around our global forecasts are due to the wide range of outcomes that could arise from significant shifts in policy on a number of domestic and international issues, including trade and immigration. Deeper structural changes like de-leveraging the corporate sector, recognizing loss-making assets and recapitalizing banks would enable the Indian economy to set up a launch pad for stable future growth.

Outlook for Banking Sector vis-à-vis IOB

Bank credit should grow at two-and-a-half to three times the country's GDP, but that has not been the case in the past few years as the investment climate remained anaemic and many large corporate houses remained over-leveraged. However, the gross fixed capital formation (GFCF) which indicates investment demand in the economy is forecast to grow by 3.3% in FY17, jump to 6.8% in FY18 and FY19 with 8.8% growth and will be the major growth driver. This is due to the key reform measures undertaken by the Government such as the implementation of the Bankruptcy Law and the Goods and Services Tax (GST), higher infrastructure push, MIP on steel products, revival of stalled projects etc. This is expected to lead to revival in credit off take and improvement in asset quality of the banking sector.

Our Bank will continue to re-orient our balance sheet with an increasing share of retail loans and MSME and concentrate on lending to higher rated corporates within a prudent enterprise risk management and capital allocation framework as we focus on capitalizing on growth opportunities while at the same time taking steps to address challenges in the environment.

➤ Business and Financial Performance Highlights – 2016-17

- Total deposits stood at ₹. 2,11,343 crore as on 31st March 2017 as against ₹. 2,24,514 crore as on 31st March 2016 on account of the steps taken by the Bank towards reducing high cost deposits and bulk deposits with a view to reduce the cost of funds.
- Gross Advances stood at ₹.1,56,776 crore as on 31st March 2017 as against ₹.1,72,727 crore as on 31st March 2016 as the Bank took a conscious decision to be more cautious on large scale lending.
- Operating Profit of the Bank has increased by 26.52% which is a good sign of improvement in operational efficiency. The multiple changes / transformation being attempted by the Bank will further improve efficiency and Operating Profit.
- While H1 Loss for the FY 2016-17 was ₹ 2200 crore, H2 Loss was ₹ 1200 crore. Such a reduction in the second half of the year is an indicator of the multiple efforts underway to turnaround the Bank.



- 22.39% के अनुपात के साथ 31 मार्च 2017 तक सकल एनपीए रु 35,098 करोड़ रहा जबकि यह 17.40% के अनुपात के साथ 31.03.2016 को रु 30,049 करोड़ रहा। सकल एनपीए के ज्यादा होने के कारणों में से एक कारण है पिछले वर्ष की तुलना में उधार का 9.23% से घट जाना।
- 13.99% के अनुपात के साथ 31 मार्च 2017 तक निवल एनपीए रु 19,749 करोड़ रहा जबकि यह 11.89% के अनुपात के साथ 31.03.2016 को रु 19,213 करोड़ रहा। 31.03.2016 की तुलना में निवल एनपीए 31.03.2017 को दोनों क्षेत्रों यथा प्रतिशतता और पूर्णता में घटा है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रु 8,710 करोड़ की वसूली के साथ वसूली के क्षेत्र में खासा अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वसूली रु 5872 करोड़ रही।
- 31.03.2017 तक यानि विमुद्रीकरण की एक तिमाही के पश्चात भी बैंक का कासा अनुपात 36.09% बना रहा और यह अनुपात मार्च 2016 की तुलना में 7.37% अधिक रहा।
- 31.03.2016 तक बैंक का कोर रिटेल जहाँ 26.65% रहा वहीं वर्ष दर वर्ष वृद्धि के आधार पर यह 30.62% तक पहुंच गया।
- पिछले वर्ष के 47.39% के मुकाबले 31.03.2017 तक प्रावधानिक कवरेज अनुपात ने 53.63% तक की वृद्धि की।
- 31.03.2016 तक लागत-आय का अनुपात जहां 63.53% रहा वहीं 31.03.2017 तक यह बढ़कर 57.37% हो गया।
- 31.03.2016 तक एनआइएम का प्रतिशत जहां 1.94% रहा वहीं 31.03.2017 तक यह 2.03% हो गया।
- एक वर्ष के दौरान जमाओं पर प्रदत्त ब्याज रु 3224 करोड़ से घट गया और इस प्रकार 2016-17 की चौथी तिमाही के लिए सीओडी 5.88% कम हो गया।
- 22% के सकल एनपीए के बावजूद अग्रिमों पर आय वर्ष दर वर्ष के आधार पर 8.32% से घटकर 7.83% हो गई और राशि में रु 2609 की कमी आ गई और मुख्यतः यह एनपीए खातों के उन्नयन तथा प्रणाली आधारित राजस्व वसूली एवं वसूली को सुदृढ़ करने के ज़रिए राजस्व लीकेज को रोकने की वजह से हुई है।
- विदेशी शाखाओं ने टर्नअराउंड किया है और रु 44 करोड़ का वार्षिक लाभ अर्जित किया है।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार एवं कृषि उधार के अंतर्गत सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए।
- Gross NPA as at 31st March 2017 is at ₹. 35098 crore with ratio of 22.39% as against ₹. 30049 crore as on 31st March 2016 with ratio of 17.40%. One of the reasons for Gross NPA being relatively higher is the contraction of credit by 9.23% as compared to the previous year.
- Net NPA is ₹.19,749 crore with ratio of 13.99% on 31.03.2017 against ₹. 19,213 crore with ratio at 11.89% as on 31.03.2016. Net NPA as on 31.03.2017 has reduced both in terms of percentage and absolute terms as compared to 31.12.2016.
- On the Recovery front, the Bank has done fairly well by clocking recovery of around ₹ 8710 crore for FY 2016-17 as against ₹ 5872 crore for FY 2015-16.
- The Bank was able to retain CASA ratio at 36.09% as on 31.03.2017 even one quarter after demonetization and the ratio has increased over March 2016 by 7.37%.
- Core Retail of the Bank has shown y-o-y growth of 30.62% as against 26.65% as on 31.03.2016.
- Provision Coverage Ratio has improved to 53.63% as on 31.03.2017 from 47.39% a year back.
- Cost to Income Ratio has also improved to 57.37% as on 31.03.2017 as against 63.53% as on 31.03.2016.
- NIM stood at 2.03% as on 31.03.2017 as against 1.94% as on 31.03.2016.
- Interest paid on deposits has decreased by ₹. 3224 crore over 1 year bringing down COD to 5.88% for Q4 2016-17.
- Yield on Advances has reduced from 8.32% to 7.83% y-o-y and in quantum by ₹. 2609 crore despite having 22% Gross NPA and this is mainly due to arresting revenue leakage by strengthening system based revenue recovery and recovery and upgradation of NPA accounts.
- Overseas Branches have turned around and made an annual profit of ₹. 44 crore.
- All targets under Priority Sector lending and Agriculture lending have been achieved.

➤ टर्नअराउंड रणनीति

एक अनुभवी और दूरदर्शी बोर्ड के मार्गदर्शन से बैंक के बोर्ड ने एक टर्नअराउंड रणनीति तैयार की है जिसमें उत्पादकता एवं परिचालनात्मक प्रभाविता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है :

1. तकनीक सम्बन्धी मामले एवं लीवरेजिंग

- परिचालनगत व्यय को कम करने के लिए डिजिटल बदलाव व डिजिटल पहुंच में वृद्धि
- अल्पावधि में, बैंक ने आइटी प्लेटफॉर्म को स्थिर करने की योजना बनाई है और शाखाओं में डिलिवरी में सुधार करके यह काफी हद तक

➤ TURNAROUND STRATEGY

With the guidance and oversight of an experienced and professional Board, the Bank has finalized a Turnaround Strategy with special focus on the following areas to improve the operating efficiency and productivity of the Bank:

1. Technology issues and leveraging

- Digital Transformation and Digital Penetration to economize operational cost.
- In the short term, Bank has planned to stabilize the IT Platform and it has been achieved to a great



हासिल भी किया गया है। वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को मजबूत किया जा रहा है ताकि उपलब्धता में सुधार किया जा सके और योजना में मध्यम अवधि में सुधार का लक्ष्य है।

- फिनेकल कोर बैंकिंग के नवीनतम वर्शन में माइग्रेट करने वाला हमारा पहला बैंक है जिससे बैंक को परिचालन में आसानी का फायदा होगा। प्रक्रिया प्रभावित और उच्च उत्पादकता के लिए बैंक वर्कफ्लो ऑटोमेशन शुरू करने की भी योजना बना रहा है।

2. एनपीए समाधान एवं एनपीए प्रबन्धन

एनपीए प्रबन्धन के लिए फोकस क्षेत्र हैं:

- अवमानक आस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ हाल के स्लिपेजों पर उन्नयन हेतु विशेष ज़ोर।
- एनपीए खातों, एकल वित्तपोषित खातों, कंसोर्टियम खातों जहाँ हमारा बैंक अग्रणी बैंक है, पुराने एनपीए खाते जहाँ प्रावधान 100% है, एनपीए खाते जहाँ 2017-18 में माइग्रेसन प्रावधान की संभावना है उनकी सघन निगरानी।
- लोक अदालतों, वसूली शिविरों, वसूली अभियानों इत्यादि के जरिए वसूली करना।
- कार्यशील इकाइयों/ चालू गतिविधि वाले एनपीए खातों का समाधान या वसूली।
- सुधार के संकेतों वाले क्षेत्रों पर प्राथमिकता के साथ एनपीए पर फोकस करना।
- ऋण वसूली एजेंटों का अधिकतम उपयोग।
- शाखा टीम द्वारा एनपीए उधारकर्ता के पास पहुंचने के लिए "आउट रीच" कार्यक्रम।
- प्रत्येक क्षेत्र में 10 से 15 सदस्यों के साथ विशेष पूर्णकालिक वसूली टीम।
- प्रत्येक स्टाफ को चलते-फिरते अनुवर्तन एवं वसूली करने हेतु "एनपीए विवरण" सहित एन्ड्रॉयड ऐप की सुविधा प्रदान की गई।

3. उधार प्रबोधन व नए स्लिपेजों पर लगाम

- अनुवर्तन के लिए उधारकर्ताओं के संपर्क विवरण सहित नवीनतम अतिदेय स्थिति के साथ डैशबोर्ड सृजित किया गया है।
- अतिदेय खातों को एसएमएस का स्वतः संप्रेषण।

4. एचआर प्रबन्धन एवं एचआर विकास

- कर्मचारी शक्ति प्रबन्धन के जरिए उच्चतर उत्पादकता हासिल करने के लिए एचआर को एचआरडीडी (मानव संसाधन विकास विभाग) और एचआरएमडी (मानव संसाधन प्रबन्धन विभाग) में वर्गीकृत किया गया है।
- एचआरएमडी सभी नेमी एचआर मामलों को स्वतः समाधानों के साथ संभालता है।
- आइओबी युवा टीम की मेंटरिंग करने और विरासती योजना बनाने पर विशेष फोकस किया गया।

5. लीवरेज पूंजी व कारोबार संवृद्धि

- कॉर्पोरेट क्रेडिट व रीटेल उधार एवं एमएसएमई के बीच क्रेडिट पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करते हुए कारोबार का समेकन किया गया। मध्यम कॉर्पोरेट और वृहत् कॉर्पोरेट पर से ध्यान हटाए बिना रीटेल और एमएसएमई क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाते हुए, बैंक की

extent improving the delivery across the branches. The alternate delivery channels are being spruced up to improve the availability and the plan envisages improvement in the medium term.

- Our Bank is the first PSB to have migrated to latest version of Finacle Core Banking which is poised to leverage the ease of operations. Bank is also planning to introduce workflow automation for process efficiency and higher productivity.

2. NPA resolution and NPA Management

Focus areas for NPA Management are :

- Targetting Substandard assets with special thrust on recent slippages for upgradation
- Intense focussing on NPA accounts, Sole financed accounts, Consortium accounts where we are the Lead Bank, Chronic NPA accounts where provision is 100%, NPA accounts where migration provision is likely in 2017-18
- Effecting recovery through Lok Adalats, Recovery Camps, Recovery drives etc.
- Recovery cum resolution in NPA accounts with functional units / continuing activity
- Targetting NPAs on priority in sectors showing revival signs
- Optimal utilisation of Debt Recovery Agents
- "Out Reach" program to reach out to NPA borrowers by the branch team
- Special full time Recovery Teams with 10 to 15 members in each region
- Android app with "NPA details" to each staff for follow up and recovery on the move.

3. Credit monitoring and arresting fresh slippage

- Created dashboard with latest overdue status along with borrowers contact details for follow up.
- Trigger automatic SMS to overdue accounts

4. HR management and HR development

- For higher productivity through manpower management, HR has been bifurcated into HRDD (Human Resource Development Department) and HRMD (Human Resource Management Department)
- HRMD with automated solution handles all routine HR matters
- Special focus on succession planning and mentoring of the IOB young team

5. Leverage Capital & Business growth

- Business Consolidation by rebalancing the credit portfolio between Corporate Credit & Retail lending and MSME. Bank's turnaround strategy is focused on augmenting fee based income and improving credit growth with accelerated growth in retail and



टर्नअराउंड रणनीति शुल्क आधारित आय संवर्धित करने और उधार में वृद्धि लाने पर केन्द्रित है। रणनीति के तौर पर बैंक ने एमआइएस को सुदृढ़ करने तथा खाता खोलने के लिए लगने वाले समय में सुधार लाने के उद्देश्य से एर्णाकुलम व त्रिवेंद्रम में बैंक-ऑफिस की स्थापना की है। रीटेल उधार की उच्चतर प्रमात्रा को कैचर करने के उद्देश्य से देश भर की 50 शाखाओं में विशेषीकृत रीटेल मार्ट स्थापित किए हैं।

- शुल्क आधारित आय / ब्याज आय में वृद्धि लाने के लिए क्रेडिट कार्ड आधार को बढ़ाया गया।
- संसाधन के शुरुआती चरण में ही अच्छे उद्यमियों / उधारकर्ताओं के चयन हेतु नए एमएसएमई और रीटेल के लिए नए स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की गई है। क्लस्टर आधारित वित्तपोषण के लिए क्लस्टरों की पहचान के जरिए एमएसएमई क्षेत्र पर बल दिया जा रहा है। यह योजना गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में बैंक द्वारा पहले से ही लागू की जा चुकी है। क्षेत्रीय कार्यालयों के एमएसएमई नोडल अधिकारी प्रस्तावों के त्वरित निपटारों को सुनिश्चित करने तथा सीजीटीएमएसई कवर आदि के तहत अधिक से अधिक एमएसएमई अग्रिमों को कवर करने के लिए प्रबोधन कर रहे हैं।
- हल्की पूंजीगत आस्तियों में उधार के विस्तारण के जरिए आय को हासिल किया जा रहा है जैसे ए रेटेड उधारकर्ताओं को, शून्य जोखिम आधारित आस्तियां यथा आभूषण ऋण, तरल प्रतिभूतियों के प्रति ऋण, केंद्र सरकार के गारंटीकृत ऋण, रीटेल एवं एमएसएमई वर्गों को उधार प्रदान करना।
- उच्च लागत की एवं विशाल जमाओं को तजते हुए लाभप्रदता में बढ़ोतरी।
- संसाधन के अधिकाधिक उपयोग के जरिए प्रशासनिक लागतों और कर्मचारी लागत में कमी।
- जमाओं की लागत घटाने एवं कासा में वृद्धि लाने के लिए मध्यमावधि उपाय किए गए हैं और इस दिशा में अब तक के प्रयास सफल रहे हैं।
- हानि जनित शाखाओं की संख्या घटाते हुए तथा शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों को तर्कयुक्त बनाते हुए बैंक लागत कटौती पर पूरे दम खम से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

➤ विमुद्रीकरण :

विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था पर लंबे दौर में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है और इससे डिजिटाइज्ड अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

पुराने ₹ 500 / 1000 के नोटों की विधिक लेन-देन की प्रकृति को 9 नवंबर 2016 से वापस लिए जाने से उच्च मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण से बैंक की तरलता में सुधार आया है और इससे कासा में बढ़ोतरी हुई है और जमाओं की लागत में कमी आई है।

इसकी वजह से डिजिटल लेन-देन को अपनाने की संख्या बढ़ी है और अधिक संख्या में लेन-देन मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करके किए जा रहे हैं। बैंक के सभी डिजिटल उत्पादों में वृद्धि हुई है। डेबिट कार्ड लेन-देन 51% बढ़ गए। पीओएस आधारित लेन-देन 176% बढ़ गए। इंटरनेट गेटवे लेन-देन 60% तक और मोबाइल लेन-देन 23% तक बढ़ गए।

➤ आइओबी को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्तियां :-

- "ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज़ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ" विषय पर आयोजित 46वें स्काॅच समित के दौरान आइओबी के सीबीएस माइग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए स्काॅच ऑर्डर अवॉर्ड ऑफ मेरिट

MSME while not losing sight of Mid Corporate and Large Corporate. As part of the strategy, Bank has established Back Office at Ernakulam and Trivandrum to strengthen the MIS and improve turn around time for Account Opening. Specialised Retail Marts have been established in 50 branches across the country for capturing higher volume of retail credit.

- Increase credit card base for increase in fee based income/interest income
- Bank has introduced a New Scoring Model for the new MSME and Retail for selection of good entrepreneurs/borrowers at the initial stage of processing. Thrust is being given to MSME sector by identifying clusters for cluster based financing which has already been implemented by the Bank in the state of Gujarat and Tamilnadu. MSME nodal officers at Regional offices are monitoring to ensure quick disposal of proposals, and to cover more MSME advances under CGTMSE cover etc.,
- Generating Income by expanding credit in light capital assets such as lending to "A" rated borrowers, Zero Risk Weight assets – Jewel Loans, Loans against liquid securities, Central Government guaranteed loans, retail & MSME segments.
- Enhancing profitability by shedding high cost and bulk deposits
- Reduction in administrative costs and employee cost with resource optimisation
- Medium term measures have been taken to reduce cost of deposit and improve CASA and the journey so far has been successful in this direction.
- Bank is aggressively concentrating on cost reduction by reducing the number of loss incurring branches as well as rationalisation of branches and administrative offices.

➤ Demonetisation:

Demonetisation is expected in the long run to have a positive effect on the economy and will help foster a digitised economy.

The withdrawal of legal tender character of old ₹ 500/1000 notes from November 9, 2016 has resulted in improved liquidity for the Bank and led to increase in CASA and reduction in cost of deposits.

This has triggered higher adoption of digital transactions and more number of transactions are undertaken using mobile and internet based solutions. All digital products of the bank grew. Debit Card transactions increased by 51%. POS based transactions increased by 176%. Internet Gateway Transactions increased by 60% and Mobile Banking by 23%.

➤ Awards and Accolades won by IOB:

- The Skoch Order of Merit for the IOB's CBS Migration Project was awarded on 16.12.2016, and adjudged amongst the "Top 100 Projects in India for the year



16.12.2016 को प्रदान किया गया और "वर्ष 2016 के लिए भारत के शीर्ष 100 प्रोजेक्ट्स" में से एक चुना गया।

- 19.11.2016 को हैदराबाद में आयोजित टेक्नोलॉजी पीएसयू आइटी सभा में आइओबी को एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन की श्रेणी में टेक्नोलॉजी पीएसयू आइटी अवार्ड के विजेता होने की वजह से एक्सप्रेस इंटेलिजेंट पीएसयू अवार्ड प्रदान किया गया।
- आइओबी की गृह पत्रिका "वाणी" (राजभाषा) को मार्च 2017 में भारतीय रिज़र्व बैंक से वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

आभारोक्ति :

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों, भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ जिससे चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने में बैंक को मदद मिली है। निरंतर संरक्षण और हमें अपनी सेवा का अवसर देने व कारोबारी रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने सभी ग्राहकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने स्टाफ सदस्यों के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज करना चाहता हूँ और इस मौके पर प्रत्येक स्टाफ से अपील करता हूँ कि वे ऐसे समय में पूर्ण सहभागिता के साथ योगदान करें जब बैंक संस्था के टर्नअराउंड पर सघनता के साथ फोकस कर रहा है।

हमारे हितधारकों का बहुमूल्य सहयोग एवं बैंक के प्रति उनका विश्वास हमें वर्ष दर वर्ष कारोबार निष्पादन में सुधार लाने के लिए नए जोश के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा।

सादर,
भवदीय,

आर. सुब्रमण्यकुमार
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

2016" during the 46th Skoch Summit organized with the underlying theme of "Transformational Technologies and Sustainable Growth".

- The Express Intelligent PSU Awards was awarded to IOB for winning the Technology Sabha PSU IT Award under the category Enterprise Application and presented at the Technology Sabha PSU event held at Hyderabad on 19.11.2016 .
- IOB In-House magazine "VANI" (Official Language) has been given First prize from Reserve Bank of India for the year 2015-16 which was awarded in March 2017.

Acknowledgements:

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance which has helped the Bank to face challenging times. I thank all our customers for their continued patronage and the opportunity given to us to serve them and further our business relationship. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment of our staff members and take this opportunity to call upon each and every one of the staff to contribute with deep involvement as the Bank aggressively focuses on turnaround of the organisation.

We continue to rely on the valuable support and encouragement of all our stakeholders as we strive to effectively take forward the Turnaround Strategy of the Bank.

With warm regards,
Yours sincerely,

R Subramaniakumar
Managing Director & Chief Executive Officer



शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 17 वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 28 जून 2017 को सुबह 10.00 बजे सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारद गान सभा, 318, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी :

1. 31 मार्च 2017 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और के लेखे व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।

2. आगे और शेयरों को जारी करना।

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैंक) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरीयों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय हैं, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Wednesday, 28th June 2017 at 10.00 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 318 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018, to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To issue further shares to public:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Regulations) as amended upto 2008 and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949(B R Act), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज़/या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 130,11,23,460 की संख्या और रु. 1301,12,34,600/- की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.10000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी में **अधिनियम** की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूंजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("**एनआरआइ**"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("**क्यूआइबी**") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("**एफआइआइ**"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूंजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII ए के अनुसार संस्थागत स्थानन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 ("**सेबी विनियम**") के ज़रिए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़रिए और / या निजी स्थानन के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन अधिनियम, **आइसीडीआर विनियमन और भा.रि.बैं.**, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों,

preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued)of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 130,11,23,460 equity shares and aggregating to not more than Rs. 1301,12,34,600 as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the bank of Rs.10000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the **Act** or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above or to QIBs under Institutional Placement Programme as per Chapter VIII A of ICDR Regulations, as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 ("**SEBI Regulations**"), preferential issue and/ or private placement , with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, **ICDR Regulations** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all



अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग, (डीआईपीपी) वाणिज्य मंत्रालय और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरीयों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, इक्विटी शेयरों या किन्हीं भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की इक्विटी पूंजी में 52% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक स्थानन (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और/ या संस्थानन स्थानन कार्यक्रम (आइपीपी) के अनुसरण में जैसा कि आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIIIए में प्रदान किया गया है, किसी स्थानन दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान हैं, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनधिक की छूट पर आइसीडीआर

other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("LODR") the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/ or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutions placement (QIP) as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, and / or Institutional Investors pursuant to Institutional Placement Programme (IPP), as provided for under Chapter VIIIA of the ICDR Regulations through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations



विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा। "

"यह भी संकल्प किया गया कि किसी मंजूरी, हामी, स्वीकृति और / या भारत सरकार, सेबी, भारिबैं और स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी की शर्त पर, जो भी अपेक्षित हो और सभी अन्य आवश्यक मंजूरीयों, अनुमतियों, सहमतियों की शर्त पर और / या सम्बन्धित सांविधिक एवं अन्य उचित प्राधिकारियों की मंजूरी और उसमें ऐसे नियमों, शर्तों और आशोधनों की शर्त पर जो इनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किया गया हो जो ऐसी स्वीकृतियों, अनुमतियों, हामियों और मंजूरीयों को देते हुए प्रदान की गई हों जिस पर बोर्ड सहमत हुआ हो, एतद् द्वारा बोर्ड को हामी, प्राधिकार एवं मंजूरी प्रदान की जाती है वो प्रत्येक रुपए 10 की फेस मूल्य के इक्विटी शेयर ("इक्विटी शेयर") सेबी आइसीडीआर विनियम के अध्याय VIII ए के अनुसरण में योग्यताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को संस्थागत स्थानन कार्यक्रम ("**आइपीपी**") के जरिए ताजा इक्विटी शेयर इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित कर सके ताकि 'पब्लिक' (प्रतिभूति संविदाओं (विनियम) में परिभाषितानुसार) नियम, 1957 यथासंशोधित ("**एससीआरआर**") द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, ऐसे प्रस्तावों के पूर्ण होने के फौरन बाद लाभांश पात्रता के लिए परी पसू समेत जो भी लागू हो, ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन की तिथि तक बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"

"यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरीयों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियां का आबंटन यथासंशोधित विनियम की शर्त पर होगा तथा घोषित लाभांश, यदि कोई है तो, समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगी और अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/ या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमाम्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा

is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT subject to any approval, consent, permission and/or sanction of GOI, SEBI, RBI and the stock exchanges, as may be required and subject to all other necessary approvals, permissions, consents and/or sanctions of concerned statutory and other relevant authorities and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, permissions, consents and sanctions and which may be agreed to by the Board, consent, authority and approval is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot equity shares of face value of Rs.10 each (the "Equity Shares") by way of fresh issue of Equity Shares through an Institutional Placement Programme ("**IPP**") to Qualified Institutional Buyers in accordance with Chapter VIIIA of the SEBI ICDR Regulations, such that the total number of Equity Shares held by the 'public' (as defined in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 as amended ("**SCRR**")), immediately at the completion of such offerings does not exceed 25 percent of the total number of outstanding Equity Shares as at the date of allotment of such Securities, including pari passu clause for dividend entitlement, as may be applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities , shall be subject to the Regulations as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and such issue and allotment, if any, to NRIs, FIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them



उनके परामर्श से निर्गम(ि) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमाम्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर, परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने, जैसे मंडल उचित समझे, के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्यवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अधिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके ।"

3. आगे, **कर्मचारियों** को शेयर जारी करने पर विचार करना :

निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (**अधिनियम**), राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (**योजना**), सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (**एलओडीआर**), 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 (**विनियम**) और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियम) तथा विनियमों के **विनियम 4ए** तथा भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियम समेत) के प्रावधानों के अनुसार है। (**सेबी शेयर आधारित विनियम**) और **भा.रि.बै, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज** के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू

to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director(s)/ or to Committee of Directors constituted/ hereafter constitute to give effect to the aforesaid Resolutions."

3. To consider further issue of shares to **Employees**:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT subject to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**Act**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**Scheme**), Regulation 41 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**LODR**), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (**Regulations**) as amended upto 2008 and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (**Stock Exchanges**) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the **Regulations** and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("**SEBI Regulations**"), and subject to the approval, consent and sanction of **RBI, GOI, SEBI, Stock**



हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तों व संशोधनों जैसा कि ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे **कर्मचारियों**, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (कर्मचारियों), जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 12,27,00,000 तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (आगे से **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के रूप में संदर्भित) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को दर्ज किया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन (नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तों व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तों, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के निबंधन व शर्तों में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है, और साथ ही **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित **"एसबीईबी-ईएसपीएस 2017"** के अनुपालन में जारी शेयरों के संबंध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को)

Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank (**"The Employees"**), as may be decided by the Board, up to 12,27,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to **"SBEB-ESPS 2017"**), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the **"SBEB-ESPS 2017"**, on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the **"SBEB-ESPS 2017"** on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the **"SBEB-ESPS 2017"**, from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the **"SBEB-ESPS 2017"** in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the **"SBEB-ESPS 2017"** and to the shares to be issued pursuant to the proposed **"SBEB-ESPS 2017"** without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to



या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए जोकि भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

4. **भारत सरकार को अधिमानी** आधार पर शेयरों को जारी करने पर विचार करना निम्नलिखित संकल्पों पर **विशेष संकल्प के** रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 (विनियम) के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बै), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) / या इस संबंध में अपेक्षितानुसार अन्य कोई प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी, यदि कोई हों, और ऐसे अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारितानुसार निबंधन, शर्तों व संशोधनों के अधीन तथा जिनसे बैंक के निदेशक मंडल सहमत हों व बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण प्राधिकरणों के तहत समय-समय पर आरबीआई, सेबी अधिसूचनाओं / परिपत्रों व स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों मसलन सेबी (पूँजी निर्गमन व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2009 (आइसीडीआर विनियम), अबतक की तारीख व दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधितानुसार, यदि कोई हो, तथा स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति तथा इसे बैंक के निदेशकमंडल (जिन्हें आगे बोर्ड कहा जाएगा, जो इस संकल्प द्वारा दत्त अधिकारों समेत अपने अधिकारों के प्रयोग हेतु बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली समितियों को शामिल करने के लिए डीमड होगा) को नकद के लिए सेबी (आइसीडीआर) विनियम के विनियम 76 (1) के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर रु. 27.65 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 17.65 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 39,78,30,018 (उनतालीस करोड़ अठहत्तर लाख तीस हजार अट्ठारह) इक्विटी शेयरों जिनकी राशि रु. 1100 करोड़ (ग्यारह सौ करोड़) होगी, को सृजित, ऑफ़र, इश्यू व आबंटित करने के लिए सहमति को दर्ज किया जाता है।"

आगे संकल्प किया जाता है कि इश्यू कीमत निर्धारित करने की संबंधित तिथि 29 मई 2017 है

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों और मान्यता / मंजूरी देते समय **भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/** स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी

the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

4. To consider issue of shares on preferential basis to **Government of India**. To consider and if thought fit to pass the following resolution(s) as **Special Resolution(s)**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(ACT) and Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI ACT) and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 39,78,30,018 (Thirty Nine Crore Seventy Eight Lacs Thirty Thousand and Eighteen) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 27.65 per equity share (including premium of Rs. 17.65 per equity share) aggregating up to Rs.1100 crore (Rupees One Thousand One Hundred Crore only) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations on preferential basis to Government of India (President of India).

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 29th May, 2017.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for issue, allotment and listing thereof



संशोधन करे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और इक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
29.05.2017

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.05.2017

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO



नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 23 जून 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 23 जून 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना :

शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 21.06.2017 (बुधवार) से 28.06.2017 (बुधवार) (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

5. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

2009-2010 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरंट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है।

6. पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड (आइओबी-यूनित)

V वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म अर्थात् डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 23rd June, 2017, 5.00 p.m.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 23rd June, 2017, 5.00 p.m

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 21.06.2017 (Wednesday) to 28.06.2017 (Wednesday) (both days inclusive).

5. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ received dividend from 2009-2010 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 (Section 205C of The Companies Act, 1956).

6. CHANGE OF ADDRESS:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address to

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (unit – IOB)

Vth floor, Subramanian Building,

No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their



सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को दे दें।

7. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं। कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

8. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

9. रिमोट ई-वोटिंग

एलओडीआर विनियम एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए **सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बुधवार 21 जून 2017 अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

- वोटिंग की अवधि 25 जून 2017 को सुबह 9.00 बजे (आइएसटी) शुरू होगी और 27 जून 2017 को शाम 5.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागज़ीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 21 जून 2017 धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।
- ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।
- अब अपनी यूज़र आईडी प्रविष्ट करें

क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी

depository participant any change in their address.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

9. REMOTE E-VOTING

Pursuant to LODR Regulations and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd., (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Wednesday, 21.06.2017 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

- The voting period begins on 25th June 2017, at 9.00 a.m.(IST), and ends on 27th June 2017 at 5.00 p.m.(IST). During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 21st June 2017 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- Click on Shareholders.
- Now Enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,



- ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।
- (V) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लॉग इन पर क्लिक करें।
- (Vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आप www.evotingindia.com पर लॉग आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है।

- c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

यदि आप पहलीबार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें:

If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू)</p> <ul style="list-style-type: none"> सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें। यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	<p>लॉग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में या कंपनी में दर्ज है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iv) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg., If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लॉग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती है। यह ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- (X) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.



- (xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xii) वोटिंग पेज पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए "यस/ नो" का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- (xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो "रिजॉल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- (xv) संकल्प पर एक बार अपने वोट की "पुष्टि" करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xvi) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूजर आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।
- (xviii) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के जरिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉइड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमशः एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।
- (xix) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना होता है।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैम्प और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
 - लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
 - बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
 - यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्वू") और www.evotingindia.com
- (xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/ NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs")



www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर सकते हैं।

- जो लोग रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 28 जून 2017 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।
- बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि www.iob.in और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि <https://www.evotingindia.com> पर डाला जाना चाहिए और एनएसई/बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

10. 28.06.2017 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

चेन्नै
29.05.2017

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

- Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 28th June 2017 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.
- The Results of the e-voting shall be declared on or after the AGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. <https://www.evotingindia.com> within two days of the AGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

10. VOTING PROCESS ON 28th June 2017

After the agenda items have been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by the Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy(ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the Annual General Meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chennai
29.05.2017

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO



नोटिस की कार्यसूची मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरण:

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda item No. 2 of this Notice.

- 31 मार्च 2017 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.50% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.25% से ज़्यादा है। फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 52 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- एलओडीआर विनियम का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है।
- संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके। निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढ़ हो जाए।
- संकल्प से यह भी अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए। शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत उल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएँ।

क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि संबंधित तारीख के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो। 'संबंधित तारीख' का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेती है।

- 31.03.2017 को बैंक की प्रदत्त पूंजी का 79.56% भारत सरकार व 20.44% पब्लिक धारण करती है। सेबी आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII ए के अंतर्गत संस्थागत प्लेसमेंट प्रोग्राम (आइपीपी) के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को एक या अधिक चरणों में ईक्विटी शेयर सृजित, ऑफर, प्रस्तावित, निर्गम और आबंटित करने के लिए बैंक शेयरधारकों के समक्ष समर्थ बनाने वाले संकल्प का प्रस्ताव रख रहा है।
- प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य

- The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2017, as per Basel III is 10.50% and above the 10.25% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid – up equity capital of the Bank.
- Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

- As on 31.03.2017, the GOI holds 79.56% and the public holds 20.44% of the paid up capital of the Bank. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches to Institutional Investors under Institutional Placement Programme (IPP) under Chapter VIII A of SEBI ICDR Regulations.
- The detailed terms and conditions for the offer will be



नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और हामीदारों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अतः जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा।
9. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा।
10. आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।
11. उक्त इश्यू से संबंधित शेयरों की कीमत सेबी (आइसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII / VIII ए के अनुसार की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति मांगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प(णों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे चिंतित हैं।

इस नोटिस के एजेंडा मद 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरण :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूंजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है। उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/ भा. रि.बैं./ स्टॉक विनियमों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

- i. बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;
- ii. बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
11. Pricing of Shares relating to the said issue shall be done in accordance with Chapter VIII / VIII A of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a special resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Explanatory statement for the agenda item 3 of this notice:

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under "SBEB-ESPS 2017" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2017" or as may be decided by the Board or "Committee of Directors for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

- i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;
- ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;



iii. बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आंबटित करने के लिए अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है, इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 12.27 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

12,27,00,000 इक्विटी शेयरों को एसबीईबी-ईएसपीएस 2017 के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, एसबीईबी-ईएसपीएस 2017 के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

3. एस.बी.ई.बी.ई.एस.पी.एस 2017 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हकदार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

4. वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1), जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "SBEB – ESPS 2017":

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2017" or as may be decided by the Board or "Committee of Directors for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 12.27 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 12,27,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2017. However, the portion of shares offered, pursuant to the SBEB – ESPS 2017, to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SBEB – ESPS 2017

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE)



विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. विकल्प प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला

इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी विनियम के अनुसार निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा।

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for issue of Equity shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

8. एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे।

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE SBEB – ESPS 2017

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में जारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 12,27,00,000 इक्विटी शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले शेयर जारी पूंजी के 1% से अधिक नहीं होने चाहिए।

9. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 12,27,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूंकि नए शेयरों का एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under SBEB – ESPS 2017, no other benefits will be provided to eligible employees.

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

SBEB – ESPS 2017 will be implemented and administered directly by the Bank.

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा।

12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the SBEB – ESPS 2017, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:

चूंकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2017 by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.



14. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी, इस अर्थ की विवरणी

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

16. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।

चूँकि एस.बी.ई.बी-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत सिर्फ शेयर जारी किए जाते हैं, एसएआर या विकल्पों के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकल्पित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पड़ने पर पालन करेगा।

लॉक-इन अवधि:

एसबीईबी-ईएसपीएस 2017 के तहत जारी इक्विटी शेयरों को सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा। इस लिए बैंक को विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी। अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है। बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक नहीं है, बिना बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

इस नोटिस के एजेंडा मद 4 के लिए व्याख्यात्मक विवरण :

बैंक के निदेशक मंडल की समिति ने 29.05.2017 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक को बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया ताकि केंद्रीय सरकार को शेयरों के प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की जा सके।

पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल III अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि करने की लगातार आवश्यकता है। भारत सरकार

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBEB – ESPS 2017 by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the SBEB – ESPS 2017, the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.'

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

Lock in period:

The equity shares issued under SBEB-ESPS 2017 shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

Explanatory Statement for the agenda item 4 of this notice

The Committee of the Board of Directors of the Bank have, at their meeting held on 29.05.2017, authorised the Bank to approach the Shareholders to obtain shareholders' approval, alongwith other businesses to be transacted at the Annual General Meeting also to the proposed preferential issue of Shares to be made to the Central Government.

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital.



(जीओआई) ने सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर बैंक में अतिरिक्त इक्विटी पूंजी डालने का प्रस्ताव दिया है। जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं की वित्तीय पूर्ति करने में किया जाएगा।

ए. प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक द्वारा अंशदानित किया जाएगा और बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति इश्यू क्रय की मंशा नहीं रखेगा।

बी. दिनांक 28.05.2017 तक के लिए इश्यू से पहले और बाद का शेयरधारिता पैटर्न निम्नवत होगा :

क्रम सं.	वर्ग	28.05.2017 तक इश्यू के पहले		इश्यू के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता की प्रतिशतता
अ	प्रवर्तकों की धारिता भारत सरकार	1953043242	79.56	2350873260	82.41
आ	गैर प्रवर्तकों की धारिता				
	जनता	501685686	20.44	501685686	17.59
	कुल योग	2454728928	100.00	2852558946	100.00

सी. सेबी (आईसीडीआर) विनियम में सूचित निर्धारित समय के अंदर ही इश्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए बैंक प्रयासरत है।

डी. भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 16 मार्च 2017 के अपने पत्र में भारत सरकार के पक्ष में बैंक में अधिमानीय इक्विटी के तौर पर रु 1100 करोड़ की सीमा तक पूंजी निधि डालने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था। चूंकि यह इश्यू सिर्फ भारत सरकार को जो बैंक की प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक है उसे किया जाना प्रस्तावित है इसलिए नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इश्यू से पहले और बाद में भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नवत होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता
इश्यू से पहले (28.05.2017 तक)	1953043242	79.56
इश्यू के बाद	2350873260	82.41

इ. बैंक का इक्विटी शेयर 6 माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध है व तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान व सेबी आईसीडीआर (विनियमन) 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) व (जी) के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

एफ. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इश्यू को जारी किया गया है, को वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

Government of India (GOI) proposes to infuse additional equity capital into the Bank as part of its commitment to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

a) The proposed offer of equity shares will be subscribed by GOI – the Promoter of the Bank and none of the Directors or Key Management Personnel of the Bank intend to subscribe to the Issue.

b) Shareholding Pattern before and after the Issue as on 28.05.2017 will be as follows:

Sl. No.	Category	Before the Issue as on 28.05.2017		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share holding	No. of shares held	Percentage of share holding
A.	Promoter's Holding:				
	GOI	1953043242	79.56	2350873260	82.41
B.	Non Promoter Holding:				
	Public	501685686	20.44	501685686	17.59
	Grand Total	2454728928	100.00	2852558946	100.00

c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in (ICDR) Regulations.

d) GOI vide their letter dated 16.03.2017 has communicated its decision to infuse capital funds to the extent of Rs.1100 crore as preferential equity in the Bank in favour of GOI. As the issue is proposed to be made only to GOI, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the GOI would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 28.05.2017)	1953043242	79.56
Post Issue	2350873260	82.41

e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

f) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.



जी. स्टॉक एक्सचेंजों, के साथ हुए सूची करार में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक लगातार अनुपालन कर रहा है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

एच. अधिमानीय निर्गम पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानि भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग स्वीकृति से तीन वर्ष तक के लिए लॉक-इन रहेंगे।

आइ. भारत सरकार की अधिमानीय-पूर्व संपूर्ण धारिता उपयुक्त तिथि से शुरू हो कर इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग स्वीकृति की तिथि तक छह महीने की अवधि के लिए लॉक-इन रहेगी।

जे. उपयुक्त तिथि से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

के. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 व स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के सम्बन्ध में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 109 व सेबी आइसीडीआर विनियमन 2009 के विनियमन 72 के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है।

एल. बैंक वचन देता है कि सेबी आइसीडीआर विनियम 2009 के सम्बन्ध में जहां भी आवश्यकता होगी इक्विटी शेयरों की कीमत की पुनर्गणना करेगा।

एम. बैंक वचन देता है कि पुनर्गणना की वजह से यदि देय राशि विनियमों में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदत्त नहीं होती है तब विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ लॉक-इन रहेंगी जब तक कि वह राशि आबंटिती द्वारा प्रदान नहीं कर दी जाती है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशिष्ट संकल्प को पारित करने की संस्तुति देता है। बैंक के किसी भी निदेशक का बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा के अलावा संकल्प से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

g) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

h) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the promoters i.e., GOI and shall be subject to a lock-in of three years from the date of Trading Approval.

i) The entire pre-preferential holding of GOI will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchanges to the proposed issue of equity shares.

j) The GOI has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

k) In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, pursuant to Regulation 109 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 approval of shareholders is being sought by way of a Special Resolution for issue of shares on preferential basis.

l) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 where it is required to do so.

m) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the Re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked – in, till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested in the resolution or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

निदेशक मंडल के आदेश से

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

चेन्नै

(आर. सुब्रमण्यकुमार)

Chennai

(R Subramaniakumar)

29.05.2017

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

29.05.2017

Managing Director & CEO



निदेशकों की रिपोर्ट 2016-17

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और वैश्विक परिदृश्य में इसका भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। 2014 के उत्तरार्ध में वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट शुरू हुई जो अब आधी कीमत पर पहुंच गई हैं, इससे भारत में आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं, साथ ही बाह्य चालू खाते और वित्तीय स्थिति में सुधार आया और मुद्रास्फीति को कम रखने में भी मदद मिली। इसके अतिरिक्त सरकारी घाटे और ऋण संचयन में कमी से वित्तीय मजबूती आई और गैर मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति का रुख अपनाने से समिष्ट आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है जिससे आगे चलकर सुदृढ़ व टिकाऊ संवृद्धि में सहायता मिलेगी। विशेषरूप से, जल्दी ही लागू किया जाने वाला वस्तु व सेवा कर, जो एक दशक से भी अधिक समय से तैयार होने की प्रक्रिया में था वह भारत के मध्यम विकास को 8% से ऊपर ले जाने में मदद करेगा क्योंकि यह उत्पादन के प्रभाव को और भारतीय राज्यों के बीच माल व सेवाओं के संचलन को संवर्धित करेगा।

फिर भी, भारत के लिए एक मुख्य चिंता का विषय है बैंकिंग प्रणाली की स्थिति जो कि अभी भी खराब ऋणों की एक बहुत बड़ी राशि एवं अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ी हुई कॉरपोरेट कमजोरियों से भी जूझ रही है।

परिणामस्वरूप, बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान भी अपने तुलन पत्र के पुनर्तुलन के प्रति अपने प्रयास जारी रखे। बैंक ने वर्ष के दौरान सामूहिक जमाओं के केन्द्रीकरण को कम किया और अति बड़े पैमाने पर दिए जाने वाले ऋण से बैंक परे रहा। अतः, 31 मार्च 2016 तक जहाँ वैश्विक कारोबार का स्तर रु. 3,97,241 करोड़ रहा वहीं 31 मार्च 2017 तक यह रु. 3,68,118 करोड़ रहा। 31 मार्च 2016 तक के लिए जहाँ वैश्विक जमाएं और सकल अग्रिम रु. 2,24,514 करोड़ और रु. 1,72,727 करोड़ थे वहीं 31 मार्च 2017 तक ये क्रमशः रु. 2,11,343 करोड़ और रु. 1,56,776 करोड़ रहे।

विमुद्रीकरण ने बैंक के कम लागत वाले जमा प्रोफाइल में वृद्धि लाने में वांछित मदद प्रदान की। केन्द्रीकरण जोखिम कम करने हेतु तथा एक स्थिर जमा प्रोफाइल अपनाने के लिए अति बड़ी जमाओं पर निर्भरता को कम करने की दिशा में बैंक आगे बढ़ा। केन्द्रीकृत प्रयासों के जरिए नए स्लिपेजों को कम करते हुए वर्तमान अनर्जक आस्तियों में वसूलियों के साथ एनपीए कम करने की ओर अधिकतर ध्यान लगा रहा। बैंक का नया सीबीएस प्लेटफॉर्म अब स्थिर हो गया है और वर्तमान में नए सॉफ्टवेयर वर्शन का फ़ायदा उठा रहा है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की समवेत प्रभाविता में पर्याप्त सुधार आया। इससे 2015-16 में रु.2885 करोड़ के वैश्विक परिचालनगत लाभ की तुलना में बैंक को 2016-17 में रु.3650 करोड़ के उच्च परिचालनगत लाभ को हासिल करने में मदद मिली। यहाँ यह भी नोट किया जाना है कि पिछले वर्षों की तुलना में पुर्न संतुलित कारोबार स्तर के साथ उच्च स्तरीय प्रभाविता हासिल की गई। यद्यपि वर्ष के दौरान सकल एनपीए का स्तर बढ़ गया, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में इसके विकास प्रतिशत को पर्याप्त रूप से कम किया गया। मार्च 2016 में जहाँ सकल एनपीए का स्तर रु.30,049 करोड़ रहा वहीं मार्च 2017 को यह रु.35,098 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान रु.7067 करोड़ के परिणामगत उच्च प्रावधान अपेक्षा के चलते बैंक वर्ष के लिए रु.3417 करोड़

की निवल हानि रिपोर्ट करने पर मजबूर हुआ। वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने रु.2897 करोड़ की हानि रिपोर्ट की थी।

आय और व्यय विश्लेषण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालनों में प्रभाविता पर मुख्य रूप से फोकस रहा और सभी स्तरों पर लागत कटौती के प्रति विभिन्न रणनीतियों की सर्जना की गई। बैंक ने थोक जमाओं को कम करने, नए स्लिपेजों को रोकने, प्रशासनिक खर्चों को कम करने के अपने प्रयास जारी रखे।

घरेलू कासा जमाएं 31 मार्च 2016 को रु 63,609 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2017 को रु. 75,446 करोड़ रही। कासा प्रतिशत भी 31 मार्च 2016 के 29.10% के मुकाबले बढ़कर 36.78% हो गया।

कासा के उच्च स्तर तथा थोक जमाओं की कटौती के चलते बैंक को जमाओं की घरेलू लागत कम करने में मदद मिली जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में जहाँ इसका प्रतिशत 7.28% था वह 2016-17 में 6.32% हो गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो दरों में 50 बेसिस अंकों की कमी की जिसकी वजह से भी कार्ड दरों में धीरे धीरे कमी आई।

बैंक की एक वर्षीय एमसीएलआर दर जहाँ 01 अप्रैल 2016 को 9.70% रही वहीं समीक्षा अवधि के दौरान उद्योग के ट्रेंड के अनुसार घटकर 8.65% हो गई। आगे, वृद्धिशील एनपीए ने आय पर उच्च प्रभाव डाला। उपर्युक्त कारकों की वजह से घरेलू अग्रिमों पर आय पूर्व के वर्ष के 9.87% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में घटकर 8.92% पर आ गई।

वर्ष 2015-16 में निवेशों पर घरेलू आय जहाँ 7.41% थी, वहीं उसकी तुलना में संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इसे 7.36% पर बनाए रखा गया। वर्ष 2015-16 के लिए जहाँ वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन 1.94% रहा वहीं 2016-17 बैंक इसे 2.03% के तर्कयुक्त स्तर पर बनाए रखने में समर्थ रहा। बैंक ने प्रोविज़न कवरेज अनुपात को वित्तीय वर्ष 2015-16 में 47.39% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 53.63% बनाए रखा।

2016-17 के दौरान जुटाई गई पूंजी

बैंक ने नकदी के बदले रुपए 10/- प्रति ईक्विटी शेयर को रुपए 28.55 प्रति ईक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रुपए 18.55 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 9,17,48,448 ईक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रुपए 261.94 करोड़ तक है भारत सरकार को क्यूआइपी आधार पर जारी किए हैं और रुपए 10/- प्रति ईक्विटी शेयर को रुपए 27.91 प्रति ईक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रुपए 17.91 प्रति ईक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 55,57,14,797 ईक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रुपए 1551 करोड़ तक है भारतीय भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए हैं। अतः बैंक की प्रदत्त पूंजी रुपए 1807.27 करोड़ से बढ़कर रुपए 2454.73 करोड़ हो गई है। भारत सरकार की शेयरधारिता रुपए 1397.33 करोड़ (77.32%) से बढ़कर रुपए 1953.04 करोड़ (79.56%) हो गई है और सार्वजनिक शेयरधारिता 501.69 करोड़ (20.44%) पर रही है।

प्राधिकृत पूंजी

31 मार्च 2017 तक बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु 10,000 करोड़ है जो कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 27 फरवरी 2017 के ज़रिए रु 3,000 करोड़ से बढ़ाई गई है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैसल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2017 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.50% रहा।



DIRECTORS' REPORT 2016-17

The Board of Directors has pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2017.

Global Business Performance

The Indian economy is growing strongly and remains a bright spot in the global landscape. The halving of global oil prices that began in late 2014 boosted economic activity in India, further improved the external current account and fiscal positions, and helped lower inflation. In addition, continued fiscal consolidation, by reducing government deficits and debt accumulation, and an anti-inflationary monetary policy stance have helped cement macroeconomic stability.

The government has made significant progress on important economic reforms, which will support strong and sustainable growth going forward. In particular, the upcoming implementation of the goods and services tax, which has been in the making for over a decade, will help raise India's medium-term growth to above 8 percent, as it will enhance the efficiency of production and movement of goods and services across Indian states.

However, a key concern for India is the health of the banking system, which is still dealing with a large amount of bad loans, and also heightened corporate vulnerabilities in several key sectors of the economy.

As a result, the Bank continued its efforts towards rebalancing its Balance Sheet under review year also. The Bank reduced the concentration of Bulk deposits and stayed away from large scale lending during the year. As a result, the Global Business level stood at Rs.3,68,118 crore as on 31st March 2017 against Rs. 3,97,241 crore as on 31st March 2016. The global deposits and gross advances stood at Rs.2,11,343 crore and Rs.1,56,776 crore respectively as on 31st March 2017 against Rs. 2,24,514 crore and Rs. 1,72,727 crore respectively as on 31st March 2016.

The demonetisation gave much needed boost to the low cost deposit profile of the Bank. The Bank also went ahead with reducing the dependence on bulk deposits to reduce the concentration risk and to have a stable deposit profile. The larger focus lied towards curtailing the NPAs with concerted efforts towards containing the fresh slippages level along with recoveries from the existing NPAs. The Banks new CBS platform has been stabilised and is currently poised towards leveraging the benefits of the new software version.

Financial Performance

The overall efficiency of the Bank has seen substantial improvement during the year under review. This has helped the Bank to report a higher global operating profit of Rs.3,650 crore in 2016-17 compared to Rs.2,885 crore in 2015-16. It may also be noted that the higher level of efficiency has been obtained with a rebalanced business levels in comparison to previous years. Even though the gross NPA level has increased over the year, the growth % has been substantially brought down in comparison to the previous year. The Gross NPAs stood at Rs.35,098 crore for March 2017 as against Rs. 30,049 crore in March 2016. The resultant higher provision requirement of Rs.7,067 crore during the year forced the Bank to report a Net Loss of Rs.3,417 crore

for the year. The Bank had reported Rs. 2,897 crore of loss during 2015-16.

Income and Expenditure Analysis

The year under review focused mainly on efficiency in operations and had put in place various strategies towards cost reduction at all levels. The Bank continued its efforts to reduce the bulk deposits contain fresh slippages, reduce the administrative expenses.

The domestic CASA deposits stood at Rs.75,446 crore as on 31st March 2017 as against Rs. 63,609 crore as on 31st March 2016. The CASA% stood higher at 36.78 % as on 31st March 2017 as against 29.10% as on 31st March 2016.

The higher level of CASA and reduction of the bulk deposits helped the Bank to reduce the domestic Cost of deposits which ended at 6.32% for FY 2016-17 as against 7.28% in FY 2015-16. RBI had reduced Repo rates by 50 basis points during the period under review which also helped in reducing the card rates in a gradual manner.

The Bank's one year MCLR rate which stood at 9.70% as of 1st April 2016 was brought down to 8.65 % during the review period in line with the industry trend. Further, the incremental NPAs had higher impact on the revenues. As a result of the above factors, the yield on domestic advances came down to 8.92% for FY 2016-17 as against 9.87% in the previous year.

The domestic yield on investments was maintained at 7.36% for the whole year 2016-17 compared to 7.41% in 2015-16. The Bank was able to maintain the global Net interest margin reasonably at 2.03% in 2016-17 as against 1.94%. The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 53.63 % for FY 2016-17 as against 47.39% for FY 2015-16.

Capital Raised during 2016-17

The Bank issued 9,17,48,448 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.28.55 per equity share (including premium of Rs.18.55 per equity share) aggregating upto Rs.261.94 crore on QIP basis and 55,57,14,797 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.27.91 per equity share (including premium of Rs.17.91 per equity share) aggregating upto Rs.1,551 crore to Government of India on Preferential Basis. Hence, the paid up capital of the Bank has increased from Rs.1807.27 crore to Rs. 2454.73 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.1397.33 crore (77.32%) to Rs.1953.04 crore (79.56%) and the Public Shareholding stood at Rs.501.69 crore (20.44%).

Authorised Capital

As on 31st March 2017, the Authorized Capital of the Bank is Rs.10,000 crore which was increased from Rs.3000 crore vide GOI notification dated 27th Feb 2017.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2017 stood at 10.50 % as per Basel III norms.



शाखा नेटवर्क

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूरे देश में 9 शाखाएं खोली हैं। जिनमें से 5 शाखाएं (55.55%) ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं, जिनमें से 3 शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में स्थित हैं।

31 मार्च 2016 को 3,397 शाखाओं के मुकाबले 31 मार्च 2017 को बैंक के पास 3,373 घरेलू शाखाएं रहीं जिनमें 922 ग्रामीण शाखाएं (27.33%), 1001 अर्द्ध-शहरी शाखाएं (29.67%), 692 शहरी शाखाएं (20.51%) और 758 महानगरीय शाखाएं (22.47%) हैं। इनके अलावा, 7 अंचल कार्यालय, 49 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 विस्तार काउंटर, 20 सेट्टेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैंक ऑफिस, 18 एमएसएमई संसाधन केंद्र और 6 निरीक्षणालय हैं। प्रशासनिक व्ययों को तर्कसंगत करने के लिए बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 33 शाखाएं बंद की हैं।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंक की रोजमर्रा की गतिविधियों के करने में उसके अंतर्निर्मित वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि उसकी सरकारी जिम्मेदारियों का अनुपालन करने के लिए संरचनाएं और प्रक्रियाएं अपनी जगह पर हैं।

आइओबी - इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, 2015

आइओबी - इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, 2015 बैंक के पदनामित व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ट्रेडिंग का विनियमन, प्रबोधन व उसे रिपोर्ट करती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड - लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 (एलओडीआर)

सेबी (एलओडीआर) के अनुसार,

- बैंक ने अपनी सभी वार्षिक सामान्य बैठकों / असाधारण सामान्य बैठकों में अपने शेयरधारकों को ईवोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।
- आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन (यानि बैंक के महा प्रबन्धकों) पर लागू है।
- बैंक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और स्टॉक एक्सचेंजों को कॉरपोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है।
- बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक निवेशक शिकायत रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत कर रहा है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ) नियमों में संशोधन किया है और बैंक को अप्रदत्त लाभांश राशि को केंद्र सरकार को अंतरित करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है। तदनुसार, 2008-09 से सम्बन्धित अप्रदत्त लाभांश राशि बैंक द्वारा आइइपीएफ को अंतरित कर दी गई है और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। 2009-10 से 2013-14 वर्षों से सम्बंधित अप्रदत्त लाभांश डाटा को एमसीए की वेबसाइट पर डाला गया है और यह WWW.job.in पर भी उपलब्ध है।

बैंक विनियामक प्राधिकरणों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों / विनियमों का अनुपालन कर रहा है। बैंक बिना समय गंवाए शेयरधारकों की

शिकायतों का नियमित रूप से निपटान कर रहा है।

निदेशक मंडल

डॉ जयदेव शर्मा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल 1 मई 2016 को पूरा किया। श्री आर कोटीस्वरन, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपनी अधिवर्षिता पर 30 जून 2016 को सेवानिवृत्त हो गए। डॉ. आलोक पाण्डे, भारत सरकार के नामिती निदेशक 21 जुलाई 2016 को कार्यमुक्त हुए। श्री पवन कुमार बजाज, कार्यपालक निदेशक 9 अगस्त 2016 को कार्यमुक्त हुए। श्री अतुल अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक 30 सितंबर 2016 को कार्यमुक्त हुए। श्री चित्रैया, श्रीमती एस सुजाता व श्री ए बी डी बादुशास, अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशकों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल क्रमशः 12 नवंबर 2016, 4 दिसंबर 2016 व 11 दिसंबर 2016 को पूरा किया। श्री आर सम्पत कुमार, कामगार कर्मचारी निदेशक ने 23 जनवरी 2017 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

सुश्री एनी मैथ्यू जॉर्ज को भारत सरकार का नीमिती निदेशक 22 जुलाई 2016 से नामित किया गया है। श्री के रघु को 26 जुलाई 2016 से 25 जुलाई 2019 तक तीन वर्ष के लिए सनदी लेखाकार निदेशक नामित किया गया है। श्री विष्णुकुमार बंसल को 8 अगस्त 2016 से 7 अगस्त 2018 तक के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री आर समुब्रमण्यकुमार को 29 सितंबर 2016 से 21 जनवरी 2019 तक के लिए बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 11 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 तक 3 माह के लिए और 28 फरवरी 2017 से 27 मई 2017 तक अन्य 3 माह की अवधि के लिए एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री टी सी ए रंगनाथन को 16 फरवरी 2017 से 15 फरवरी 2020 तक के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री के स्वामिनाथन को 17 फरवरी 2017 से 16 फरवरी 2020 तक के लिए बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल अपने पूर्व निदेशकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी सराहना को दर्ज करता है और नए निदेशकों का स्वागत करता है।

आभारोक्ति

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं एवं अंतरराष्ट्रीय विनियामकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए निदेशक मंडल आभारी है। निदेशक मंडल बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय, शेयरधारकों, अन्य स्टैकधारकों को उनकी सद्भावना, उनके संरक्षण व बैंक पर उनके विश्वास को धन्यवाद के साथ दर्ज करता है।

बैंक अपने सभी स्तर के स्टाफ सदस्यों के मूल्यवान योगदान के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रशंसा भी दर्ज करना चाहता है और अपेक्षा करता है कि भविष्यगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे अपनी संलग्नता और प्रतिबद्धता जारी रखेंगे।

कृते और निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै

आर. सुब्रमण्यकुमार

17 मई, 2017

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Branch Network

During the year under review, the Bank opened 9 branches across the country. Out of these, 5 branches (55.55%) are located in Rural and Semi Urban centres, of which 3 branches are located in Unbanked Rural centres.

As on 31st March 2017, the Bank had 3,373 domestic branches, as against 3,397 branches as on 31st March 2016, comprising of 922 rural branches (27.33%), 1001 Semi Urban branches (29.67%), 692 Urban branches (20.51%) and 758 Metropolitan branches (22.47%). Besides, the Bank has 7 Zonal Offices, 49 Regional Offices, 4 Extension Counters, 20 Satellite Offices, 3 City Back Offices, 18 MSME Processing Centres and 6 Inspectorates. During the year under review, the Bank has closed 33 branches with a view to rationalize administrative costs.

Corporate Governance

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank lays emphasis on ensuring that, structures and processes are put in place to help in compliance of the government responsibilities.

IOB – Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015

IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2015 regulates monitors and report trading by the designated persons of the Bank.

Securities and Exchange Board of India - Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in all Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings
- The code of conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is also submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to Stock Exchanges.
- The Bank is submitting Quarterly Investor Grievance Report to the BSE Limited and National Stock Exchange Limited, where Bank's shares are listed.

Investor Education & Protection Fund (IEPF)

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India has advised the Bank the process of transfer of unpaid dividend amount to the Central Government. Accordingly, Unpaid Dividend amount pertaining to 2008-09 has been transferred to IEPF by the Bank on 5th August 2016 and complied with the Government of India guidelines. The unpaid Dividend data pertaining to the years 2009-10 to 2013-14 is ported in MCA website and is also available at www.iob.in.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by

Regulatory authorities and Government of India. Bank regularly redresses the shareholders grievances without any time delay.

Board of Directors

Dr. Jai Deo Sharma, Officer Employee Director completed his three year term on 1st May 2016. Shri R.Koteswaran, Managing Director & Chief Executive Officer retired on attaining superannuation on 30th June 2016. Dr.Alok Pande, Govt. Nominee Director demitted office on 21st July 2016. Shri Pawan Kumar Bajaj, Executive Director demitted office on 9th August 2016. Shri Atul Agarwal, Executive Director, retired on superannuation on 30th Sept 2016. Shri Chinnaiah, Smt. S.Sujatha and Shri A.B.D.Badushas, Part-time Non- Official Directors completed their three year terms on 12th Nov 2016, 4th Dec 2016 and 11th Dec 2016 respectively. Shri R. Sampath Kumar, Workmen Employee Director, completed his three year term on 23rd Jan 2017.

Ms.Annie George Mathew has been nominated as Government Nominee Director with effect from 22nd July 2016. Shri K.Raghu, has been nominated as Chartered Accountant Director for a period of three years from 26th July 2016 to 25th July 2019. Shri Vishnukumar Bansal, has been appointed as Additional Director from 8th August 2016 to 7th August 2018. Shri R. Subramaniakumar has been appointed as Executive Director of the Bank from 29th September 2016 to 21st Jan 2019. He has been entrusted the additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11th November 2016 to 10th February 2017 and for a period of another 3 months from 28th February 2017 to 27th May 2017. Shri T.C.A. Ranganathan has been appointed as Non Executive Chairman from 16th Feb 2017 to 15th Feb 2020. Shri K. Swaminathan, has been appointed as Executive Director of the Bank from 17th Feb 2017 to 16th Feb 2020.

The Board of Directors places on record their appreciation for the valuable contributions made by the erstwhile Directors and welcomes the new Directors.

Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
17th May, 2017

(R. SUBRAMANIAKUMAR)
Managing Director & Chief Executive Officer



प्रबंधन विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक व बैंकिंग परिवेश

वैश्विक वृद्धि 2016 के अंत में औसत रूप से बढ़ी और कुछ बहुविध एजेंसियों द्वारा इसके 2017 में और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। आइएमएफ और विश्व बैंक ने 2017 में विश्व व्यापार प्रमात्रा में उच्चतर वृद्धि का अनुमान जताया है। वैश्विक विकास के संकेत यह इंगित करती हैं कि अति वृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधि सुदृढ़ होगी और कमोडिटी निर्यातक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की स्थितियों में सहजता आएगा। फिर भी, विश्व भर में बढ़ी हुई राजनीतिक एवं नीतिगत अनिश्चितता के चलते वित्तीय स्थिरता को खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। वृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणात्मकता के प्रति झुकाव के कारण वैश्विक विकास और व्यापार घट सकता है, पूंजीगत प्रवाह कम हो सकता है और बाजार की प्रकृति मंद पड़ सकती है। सही नीतियों को अपनाना बेहद जरूरी होगा। अतः उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को चाहिए कि वे बाहरी चुनौतियों से जूझने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि लाने हेतु घरेलू असंतुलनों को दूर करें।

अपने सुदृढ़ नीतिगत कार्यों, अनवरत जारी वित्तीय समेकन और गैरमुद्रास्फीतीय मौद्रिक नीति के लिए भारत का मजबूत आर्थिक निष्पादन है जिसमें छिपी हुई समिष्ट आर्थिक स्थिरता मौजूद है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति में कमी के संदर्भ में मौजूदा सकारात्मक समिष्ट स्थितियों, विदेशी पूंजीगत प्रवाहों में वृद्धि, व्यापार एवं चालू खाता घाटे में कमी, कम ब्याज दर के परिवेश और विकासोन्मुख सरकारी नीतियों से राहत मिल सकती है।

बैंकिंग उद्योग में अतिरिक्त तरलता स्थितियों ने मौद्रिक फ़ायदों को जमा और उधार दरों में अंतरित करने की प्रक्रिया को तेज और सहज किया है। फिर भी, ऋण विकास विशेषकर उद्योग के संदर्भ में बैंकों द्वारा जोखिम न लेने के कारण मंद रहा है क्योंकि तनावग्रस्त निवेश चक्र और उत्पादन में आए खालीपन के चलते तनावग्रस्त आस्तियां उच्च स्तर तक पहुंच गई हैं और मांग बहुत कम हो गई है। 31 मार्च 2017 तक बैंकिंग प्रणाली में रु 78818.8 करोड़ के अग्रिमों के प्रति कुल जमाएं रु 1,08,051.52 बिलियन रहीं और उधार जमा अनुपात 72.94% रहा।

बैंक का परिचालन

घरेलू जमाएँ

31 मार्च 2016 को रुपए 2,18,556 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 को बैंक की कुल घरेलू जमाएँ रुपए 2,05,154 करोड़ रहीं। लागत कम करने के उद्देश्य से थोक जमाओं में कमी करने की दिशा में बैंक द्वारा उठाये गए सोचे-समझे कदम की वजह से जमाओं में कमी आई है। हालांकि, घरेलू कासा 31 मार्च 2016 को रुपए 63,609 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को रुपए 75,446 करोड़ हो गया। यह वर्णन करने योग्य है कि बचत बैंक जमाएँ 20.74% बढ़कर रुपए 63,078 करोड़ रही हैं। मार्च 2017 में कासा भी सुधरकर 36.78% हो गया है।

घरेलू अग्रिम

वृद्धिशील एनपीए एवं धीमी उधार संवृद्धि ने बैंकों को बड़े पैमाने पर उधार देने में अधिक सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोखिम को कम करने और मार्जिन्स में सुधार के लिए, बैंक ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र पर जोर दिया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2016 को रुपए 1,55,428 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2017 को रुपए 1,42,651 करोड़ रहा।

ओवरसीज़ परिचालन

मार्च 2017 के अंत में, बैंक के पास 13 प्रतिष्ठान विदेश में थे जिनमें 8 ओवरसीज़ शाखाएँ, 2 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र और 1 संयुक्त उपक्रम अनुषंगी शामिल हैं। हॉन्गकॉन्ग, श्रीलंका और बैंकॉक में दो-दो शाखाएँ हैं और सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में एक-एक शाखा है। प्रतिनिधि कार्यालय गुवांगझो, चीन व अल करामा, दुबई में स्थित हैं। हो ची मिन्ह सिटी और वियतनाम के प्रतिनिधि कार्यालय 13 अप्रैल 2016 को बंद कर दिए गए। विप्रेषण केंद्र बूनले एवं सेरांगून, सिंगापुर में परिचालित हैं। संयुक्त उपक्रम अनुषंगी मलेशिया में कार्य कर रही है। ओवरसीज़ कारोबार 31 मार्च 2016 को रुपए 23,257 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2017 को रुपए 20,314 करोड़ रहा।

फॉरेक्स परिचालन

पूर्व के वर्ष में रुपए 1.54 करोड़ के मुकाबले रुपए 15.92 करोड़ के प्रवर्ग अंतरण घाटे को गणना में लिए जाने से पहले 2016-17 के दौरान निवेश की बिक्री पर लाभ बढ़कर रुपए 632 करोड़ हो गया। (2015-16 के दौरान रुपए 450 करोड़)। फॉरेक्स कारोबार से लाभ विनिमय पर पूर्व वर्ष के रुपए 216 करोड़ के मुकाबले रुपए 539 करोड़ रहा।

निवेश

31 मार्च 2016 को रुपए 79,190 करोड़ के मुकाबले निवल निवेश 31 मार्च 2017 को घटकर रुपए 71,486 करोड़ रहा। 2015-16 में रुपए 700 करोड़ के मुकाबले प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय पर लाभ को मिलाकर कुल लाभ की राशि वर्ष 2016-17 में रुपए 1,192 करोड़ रही। 10 वर्ष की बेंचमार्क प्राप्ति वर्ष के दौरान 7.46% से घटकर 6.66% पर चली गई।

एमएसएमई

31 मार्च 2017 तक प्रदत्त ऋण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हिस्सा रुपए 30,564 करोड़ रहा। साथ ही, वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा रु. 27,829 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2016-17 यह बढ़कर रु. 28,096 करोड़ हो गया। बैंक ने सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को रु. 2,692 करोड़ राशि के 60,068 संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए हैं।

बैंक ने एनसीजीपीसी को एक वचन पत्र निष्पादित किया है और पोर्टफोलियो के आधार पर मुद्रा रीटेल ऋणों के लिए सीजीएफएमयू के गारंटी कवरेज को लेने के लिए अपने को सदस्य उधार संस्था के रूप में शामिल किया है। सीजीएफएमयू योजना के अंतर्गत बैंक रु 269.98 करोड़ के ऋण जोखिम वाले 33,291 खातों को कवर किए हुए है।

वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत रु 1626 करोड़ की राशि युक्त 1,37,760 ऋण मंजूर एवं संवितरित किए। साथ ही, वर्ष के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत बैंक ने रु 134 करोड़ की राशि युक्त 690 ऋण मंजूर किए।

बैंक ने आइओबी एसएमई 300 - दैनिक नामक योजना की शुरुआत की जो 12 महीनों की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी दर पर स्थानीय बाजार क्षेत्र में अपना कारोबार स्थायी रूप से चलाने वाले छोटे कारोबारियों / व्यापारियों / विक्रेताओं आदि को निर्बाध रूप से ऋण प्रदान करती है। ऋण की किश्त दैनिक विनिर्दिष्ट राशि में परिवर्तित कर दी जाती है और दैनिक आधार पर



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic and Banking Environment

Global growth picked up modestly towards end-2016, and is projected to improve further in 2017 by multilateral agencies. The IMF and the World Bank project higher growth in world trade volumes in 2017. Indicators of global growth suggest signs of stronger activity in most advanced economies (AEs) and easing of recessionary conditions in commodity exporting large emerging market economies (EMEs). However, threats to financial stability are emerging from elevated political and policy uncertainty around the globe. A shift toward protectionism in advanced economies could reduce global growth and trade, impede capital flows, and dampen market sentiment. Getting the policy mix right is crucial. Hence emerging market economies should address domestic imbalances to enhance their resilience to external shocks.

India has strong economic performance for its strong policy actions, continued fiscal consolidation and an anti-inflationary monetary policy, which have underpinned macroeconomic stability. The Indian economy can draw considerable comfort from prevailing favorable macro conditions in terms of decline in inflation, increase in foreign capital inflows, narrowing trade deficit and current account deficit, lower interest rate regime and growth supportive government policies.

In banking sector, surplus liquidity conditions impelled and lubricated the transmission of monetary impulses to deposit and lending rates. However, credit growth, particularly to industry, remained sluggish on risk aversion by banks due to high levels of stressed assets and weak demand in view of the depressed investment cycle and the presence of spare capacity in manufacturing. The total deposits in the Banking system stood at Rs.108051.52 billion as on 31st March 2017 as against the advances of Rs.78818.8 crore with a CD ratio of 72.94%.

Bank's Operations

Domestic Deposits

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.2,05,154 crore as on 31st March 2017 as against Rs. 2,18,556 crore as on 31st March 2016. The reduction in deposits was on account of cautious steps taken by the Bank towards reducing the bulk deposits with a view to reduce the cost. However, the domestic CASA has increased from Rs. 63,609 crore as on 31st March 2016 to Rs.75,446 crore as on 31st March 2017. It is noteworthy to mention that the savings bank deposits have grown by 20.74% to end at Rs.63,078 crore. The CASA% also improved to 36.78 % as of March 2017.

Domestic Advances

The incremental NPAs, capital constraints and slower credit offtake has forced the Bank to be more cautious on large scale lending. With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic gross Advances stood at Rs.1,42,651 crore as on 31st March 2017 as against Rs. 1,55,428 crore as on 31st March 2016.

Overseas Operations

As at the end of March 2017, the Bank had 13 establishments abroad, including 8 overseas branches, 2 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Joint Venture Subsidiary. There are two branches each at Hongkong, Sri Lanka and Bangkok and one each at Singapore and South Korea. Representative offices are located at Guangzhou, China and Al Karama, Dubai. The representative office at Ho Chi Minh City, Vietnam was closed on 13th April 2016. Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore. The Joint Venture subsidiary is functioning at Malaysia. The overseas business stood at Rs. 20,314 crore as of 31st March 2017 compared to Rs. 23,257 crore as of 31st March 2016.

Forex Operations

The profit on sale of investments was higher at Rs. 632 crores during 2016-17 (Rs. 450 crores during 2015-16) before accounting category transfer loss at Rs. 15.92 crores as against Rs. 1.54 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex business stood at Rs. 539 crores as against Rs. 216 crores in the previous year.

Investments

Net investments of the Bank decreased to Rs. 71,486 crores as of 31st March 2017 from Rs. 79,190 crores as on 31st March 2016. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs. 1,192 crores during the year 2016-17 as against Rs 700 crores during the year 2015-16. 10-year benchmark yield has gone down from 7.46% to 6.66% during the year.

MSME

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs.30,564 crores as on 31st March 2017. Further, the contribution towards Priority Sector advances has increased from Rs.27,829 crores during 2015-16 to Rs.28,096 crores during 2016-17. The Bank has also granted 60,068 collateral free loans amounting to Rs.2692 crores to Micro and Small Sector under the CGTMSE scheme.

The Bank has executed an undertaking to NCGTC and enrolled as Member Lending Institution to take guarantee coverage of CGFMU for MUDRA Retail loans on a portfolio basis. Under CGFMU Scheme, the Bank is covering 33,291 accounts with exposure of Rs. 269.98 crores.

During the year, the Bank sanctioned and disbursed 1,37,760 loans amounting to Rs.1,626 crores under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). Further, the Bank sanctioned 690 loans amounting to Rs.134 crores under Stand Up India Scheme during the year.

The Bank has introduced IOB SME 300 –DAILY, a hassle free loan to Small Businessmen/Traders/Vendors etc., permanently operating in the Local Market area at competitive rate for a period of 12 months. The loan installment will be converted to a daily specified amount and recovered through Business



कारोबारी संवादियों के जरिए वसूली जाती है।

बैंक ने आइओबी एमएसएमई - आभूषण नाम से एक और ऋण उत्पाद की शुरुआत की है, जहां व्यापारी, छोटे कारोबारी अपनी दैनन्दिन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ऋण ले सकते हैं। इस ऋण की अदायगी 33 ईएमआइयों में रियायती ब्याज दर पर की जाएगी जहाँ संसाधन प्रभार बट्टाकृत दरों पर लगाए जाएंगे।

बैंक ने क्षमतायुक्त क्लस्टरों की पहचान की है और गुजरात में मोरवी क्लस्टर के लिए एक मॉडल योजना तैयार की है और साथ ही अन्य क्लस्टरों के लिए योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है। बैंक ने एमएसएमई के कारोबार में वृद्धि लाने के लिए मौजूदा 28 एसएमई विशेषीकृत शाखाओं के अलावा 101 शाखाओं की पहचान की है। बैंक ने रु 2 लाख से रु 2 करोड़ तक की राशि वाले नए एमएसएमई प्रस्तावों के लिए लागू "एमएसएमई के लिए नया स्कोरिंग मॉडल" को अपनाया है ताकि संसाधन के शुरुआती दौर में ही अच्छे उद्यमियों के चयन हेतु शाखाओं की मदद की जा सके।

बैंक ने एमएसएमई उधार प्रस्तावों के संसाधन के टर्नअराउंड समय को सभी स्तरों पर कम करने के लिए कदम उठाए हैं और नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत "एमएसएमई के लिए पुनरुत्थान एवं पुनर्वास नीति" को लागू किया है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है ताकि एमएसएमई ऋणों को त्वरित मंजूरी दी जा सके और एनपीए खातों का अनुवर्तन किया जा सके। अपनी पूंजी को संरक्षित करने के उद्देश्य से बैंक सीजीटीएमएसई / सीजीएफएमयू के तहत अधिक अग्रिमों को कवर करने का प्रयास कर रहा है।

खुदरा बैंकिंग और विपणन

प्रमुख रिटेल उधार योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2016 तक कुल बकाया राशि रु 16,188 करोड़ थी जो बढ़कर मार्च 2017 तक रु 20,349 करोड़ हो गई जहाँ वृद्धि का प्रतिशत 25.70% है। मार्च 2016 तक समवेत रिटेल उधार और गैर प्रमुख रिटेल उधार की राशि जहाँ 22,653 करोड़ रही वहीं मार्च 2017 तक यह बढ़कर 23,887 करोड़ हो गई।

मार्च 2016 तक के मुकाबले आवासीय ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति 6% बढ़ गई। जबकि इस अवधि के दौरान नया संवितरण रु.1632 करोड़ रहा। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत बकाया राशि रु 4792 करोड़ रही जो कि मार्च 2016 की स्थिति की तुलना में 8% अधिक है। वर्ष 2017 तक पुष्पक वाहन ऋण योजना के अंतर्गत बकाया राशि रु 2068 करोड़ रही जिसमें वर्ष के दौरान संवितरित किए गए नए ऋणों की रु 973 करोड़ की राशि शामिल है। बेजमानती ऋण प्रवर्ग के अंतर्गत रु 757 करोड़ बकाया है।

रिटेल प्रवर्ग पर और अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से, कुछ क्षेत्रों में रिटेल विकास प्रबन्धक पदनामित किए हैं जो सिर्फ रिटेल कारोबार पर ध्यान लगाएंगे और इसके लिए 125 रिटेल विकास प्रबन्धकों की पहचान की गई है। रेटिंग स्कोर के आधार पर आवास ऋण, वाहन ऋण, बेजमानती ऋण के लिए प्रवेश स्तर रेटिंग तैयार की गई है, प्रस्तावों को समुचित स्तरों पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। बेजमानती ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण के लिए रेटिंग सहित ऑनलाइन संसाधन को विकसित किया गया है। ऋण को ऑनलाइन संसाधित किया जाता है और कार्यालय नोट, मंजूरी अनुसूची, दस्तावेज स्वतः जेनरेट होते हैं।

बाउंस बैंक आइओबियंस और आइओबी रिटेल उत्सव अभियान

बैंक को बाउंस बैंक करने के उद्देश्य से बैंक ने 01 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक "बाउंस बैंक आइओबियंस" नामक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान स्टाफ सदस्यों द्वारा रु 2176 करोड़ की राशि वाले 1.46 लाख रिटेल ऋण जुटाए गए। 6.80 लाख नए बचत बैंक खाते खोले गए और रु 97.80 लाख की क्रॉस सेलिंग एवं पैरा बैंकिंग कारोबार किया गया। ई-उत्पाद के तहत विभिन्न ई-उत्पादों के अंतर्गत 7.61 लाख पंजीकरण किए गए।

6 अक्टूबर 2016 से 31 जनवरी 2017 तक की अवधि में चलाए गए आइओबी रिटेल उत्सव अभियान के दौरान आवास ऋण और वाहन ऋण के तहत रु 658 करोड़ की नई मंजूरीयां प्रदान की गईं।

आइओबी घरौंदा : प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी)

यह योजना माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित की गई और इसमें वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले पात्र शहरी ईडब्ल्यूएस / एलआइजी / एमआइजी को आवास ऋणों पर ब्याज में रियायत प्रदान की जाएगी।

विपणन टीम का पुनर्गठन एवं उसका बेहतर उपयोग

बैंक में विपणन अधिकारियों के समूचे सेटअप को बेहतर उपयोग हेतु पुनर्गठित किया गया है। 188 विपणन अधिकारियों, जो विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त हैं, उनकी समर्पित टीम कारोबार विकास, नए ग्राहकों को हासिल करने आदि के लिए कार्यरत है। सभी विपणन अधिकारियों के लिए एक विनिर्दिष्ट केपीआई तैयार किया गया है। विपणन अधिकारियों के निष्पादन का ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के जरिए प्रबोधन किया जाता है और पाक्षिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है।

पैरा बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंकेश्योरेंस और म्युचुअल फंड कारोबार के अंतर्गत बैंक ने रु 15 करोड़ की आय अर्जित की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पैराबैंकिंग और म्युचुअल फंड योजनाओं के लिए विभिन्न अभियान चलाए गए।

बैंक बीमा उत्पाद बेचने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मौजूदा 452 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त करीब 2800 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की पहचान प्रक्रिया में है। सभी नामित विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उत्पाद जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा और बैंक के इश्योरेंस कारोबार के विकास के लिए इनकी सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाएगा।

नई पहलें

आइओबी इंडिया" - आधिकारिक ट्विटर पेज

वर्ष के दौरान अपने ट्विटर पेज - आइओबी इंडिया के जरिए बैंक अपने ग्राहकों के और करीब पहुंच गया। केंद्रीय कार्यालय की सोशल मीडिया प्रबन्धन और रेस्पॉन्स टीम इस पेज की देखरेख करती है। आइओबी उत्पादों और सेवाओं को विस्तृत प्रचार हेतु पोस्ट किया जाता है और छवि निर्माण गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ट्विटर में ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान बहुत ही कम अवधि में सम्बन्धित विभाग के साथ मामले को उठाते हुए किया जाता है।



Correspondents on a daily basis.

The Bank also introduced another loan product IOB MSME – JEWEL, wherein Traders, Small Businessmen can avail loan to meet their day to day commitments. The loan can be repayable in 33 EMIs at concessional ROI, with processing charges at discounted rates.

The Bank has identified potential clusters and formulated a model scheme for Morvi Cluster in Gujarat and also is in the process of formulating schemes for the other Clusters. Bank has identified 101 Branches apart from the existing 28 SME specialized branches to improve the MSME business. The Bank has adopted a “New Scoring Model for MSME” applicable to the NEW MSME proposals amount ranging from Rs. 2 lacs to Rs. 2 crores, to facilitate the branches for selection of good entrepreneurs at the initial stage of processing.

The Bank has taken steps to reduce the Turnaround time for processing the MSME credit proposals at all layers and has implemented the “Policy on Revival and Rehabilitation of MSME” under the New Frame work. Nodal Officers at all Regional Offices are identified for quick sanction of MSME loans, and follow up of NPA accounts. In order to conserve capital the Bank is trying to cover more advances under CGTMSE/CGFMU.

Retail Banking and Marketing

The total outstanding amount under the Core Retail credit schemes increased from Rs. 16,188 crores as of March 2016 to Rs. 20,349 crores as of March 2017 showing a growth of 25.70%. The overall retail credit and non core Retail has increased from Rs 22,653 crores as on March 2016 to Rs 23,887 crores as on March 2017.

Housing Loan portfolio has shown a growth of 6% over March 2016 position while the fresh disbursement during the period is Rs. 1,632 crores. The outstanding under Educational Loan Scheme is Rs. 4,792 crores registering a growth of 8.00% over the March 2016 position. Under the Pushpaka vehicle loan scheme, the outstanding stood at Rs.2,068 crores as of March 2017 with fresh disbursements made to the tune of Rs. 973 crores during the year. The outstanding under clean loan segment is Rs. 757crores.

With a view to focus more on Retail segment, the Bank has designated Retail Development Managers in certain Regions to focus only on Retail Business and have identified 125 Retail Development Managers. The entry level rating of Home loan, Vehicle Loan, Clean loan borrowers has been devised based on the Rating Score, the proposals are considered or rejected at appropriate levels. Online processing with Rating has been developed for Clean loan, Vehicle Loan, Home Loan. The loan is processed online and Office note, Sanction advice, Documents are auto generated.

Bounce Back IOBians & IOB Retail Utsav Campaign

In order to facilitate a bounce back of the Bank, the Bank had launched a movement called “Bounce Back IOBians” between 1st Dec 2016 and 31st March 2017. During the campaign period a total of 1.46 Lac Retail Loan has been canvassed by the staff members to the tune of Rs.2176 crores. 6.80 Lacs new SB accounts have been opened and cross selling and para banking business to the tune of Rs. 97.80 lacs was canvassed. Under E-Products, 7.61 Lac registrations have been made under various e products.

During the IOB Retail Utsav campaign period between 6th October 2016 to 31st January 2017, fresh sanctions amounting to Rs. 658 crores were made under Housing Loans and Vehicle Loans.

IOB Gharonda: Pradhan Mantri Awas Yojna- Housing for All (Urban)

The scheme was announced by the Honorable Prime Minister of India, Shri. Narendra Modi and envisages the vision of housing for all by the year 2022. The loans under the scheme provides interest subsidy on home loans taken by eligible Urban EWS/ LIG/MIG.

Revamping and Better utilization of Marketing Team

The entire marketing officers setup in the Bank has been revamped for better utilization. A dedicated team of 188 marketing officers posted across Regions working for the business development, acquiring new clients etc. A specified KPI has been designed for all the Marketing Officers. The performance of the marketing officers is being monitored through an online reporting system and the same is being reviewed on a fortnightly basis.

Para Banking

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, the Bank has earned income of Rs.15 crores during the year. Various campaigns were floated for Parabanking and Mutual Fund Schemes during the financial year 2016-17.

The Bank is in the Process of Identifying around 2,800 Specified Persons across PAN India for selling Insurance Products in addition to the existing 452 Specified Persons. All Nominated Specified Persons will be given Product Awareness training and their services will be effectively utilized for the growth of Insurance business of our Bank.

New Initiatives

“ IOBIndia” Official Twitter Page

During the year, the Bank moved closer to the customers through its twitter page – IOBINDIA. The page is being handled by its Social Media Management and Response Team at Central Office. IOB products and services are being posted for wide publicity and image building activities are being done. The complaints received in twitter by the customers are resolved by taking up with the concerned departments with a very short TAT.



“माइ आइओबी, माइ प्राइड” आइओबी का आधिकारिक क्लोज्ड फेसबुक समूह

अपने कर्मचारियों के और निकट आने और संगठन के समवेत विकास के बारे में स्वस्थ चर्चा एवं सुझावों हेतु बैंक ने अपना आधिकारिक फेसबुक ग्रुप (बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए क्लोज्ड ग्रुप) खोल दिया है। ग्रुप में मासिक सुझाव फोरम कार्यरत है जहाँ उपायों / सुझावों को इकट्ठा किया जाता है और इनके सकारात्मक अमल हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ इन्हें साझा किया जाता है।

आइओबी थिंक टैंक

बैंक के इंटरनेट पर उपलब्ध आइओबी थिंक टैंक ऐसा पोर्टल है जो कर्मचारियों, चाहे वे किसी भी संवर्ग के हों, को प्रदान किया गया है इस उद्देश्य से कि वे अपने अभिमतों और सुझावों को साझा कर सकें। ये अभिमत और सुझाव मार्केटिंग विभाग द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं और पाक्षिक आधार पर इन्हें उच्च प्रबन्धन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

मिड कार्पोरेट

मिड कार्पोरेट विभाग रु.40 करोड़ और रु.100 करोड़ तक की रेंज वाले उधारकर्ताओं की ऋण ज़रूरतों को पूरा करता है। बाज़ार के वर्तमान परिदृश्य के चलते बैंक नये ऋण देने/विद्यमान उधार सीमाओं में वृद्धि करने में चुनिंदा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान मिड कार्पोरेट समूह ने रु.8,077 करोड़ की कुल उधार सीमाएँ मंजूर की हैं। मिड कार्पोरेट प्रवर्ग के तहत 31 मार्च 2017 तक शुल्क आधारित एवं गैर-शुल्क आधारित ऋण ज़ोखिमों सहित सकल ऋण ज़ोखिम रु.12,708 करोड़ रहा।

वृहत कार्पोरेट

वृहत कार्पोरेट वह क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो कृषितर उधारकर्ताओं की ऋण ज़रूरतों को पूरा करता है और जहाँ ऋण की आवश्यकता रु.100 करोड़ से अधिक होती है। इस पोर्टफोलियो के तहत 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का शुल्क आधारित ऋण ज़ोखिम रु.58,318 करोड़ है और गैर-शुल्क आधारित ऋण ज़ोखिम रु.24,652 करोड़ है। वर्ष के दौरान बैंक ने बढ़ोत्तरी सहित रु.3,685 करोड़ के लिए 32 प्रस्तावों तथा देश भर से कार्पोरेट ग्राहकों से प्राप्त रु.4,000 करोड़ के 5 नये प्रस्तावों को मंजूरी दी, इस प्रकार कुल 7,685 करोड़ की रकम मंजूरी की गई।

वृहत कार्पोरेट खातों पर अधिक ध्यान केन्द्रीकृत करने के लिए बैंक भारत भर में 7 जगहों पर विशिष्ट वृहत कार्पोरेट शाखाएँ परिचालित करता है (अहमदाबाद, बेंगलूर, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई)। इन विशिष्ट वृहत कार्पोरेट शाखाओं का कुल ऋण ज़ोखिम 31 मार्च 2017 तक के लिए रु.13,844 करोड़ है। उक्त के अलावा महानगरीय केन्द्रों में 15 मौजूदा शाखाओं की वृहत कार्पोरेट शाखाओं के रूप में पहचान की गई है।

ये विशिष्ट शाखाएँ वृहत कार्पोरेट प्रवर्ग के तहत आने वाले उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने पर फोकस कर रही हैं और साथ ही क्रेडिट मूल्यांकन में आवश्यक विशेषज्ञता को उपलब्ध कराने तथा ऋण की त्वरित मंजूरी करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2017 तक बैंक का सकल उधार रु.67,401 करोड़ रहा जो कि मार्च 2016 के समायोजित निवल बैंक उधार (एएनबीसी) का 43.09% है। बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राथमिकता

क्षेत्र के अधीन 40% के निर्धारित मानदंड का अधिगमन किया है।

कृषि

मार्च 2017 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र कृषि अग्रिम रु.29,348 करोड़ रहा जो कि मार्च 2016 तक के लिए समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में 18.76% है। समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में कृषि अग्रिमों के संबंध में बैंक का अनुपात 18.19% रहा जबकि वांछित मानदंड 18% है। वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना के तहत रु.24,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु.29,519 करोड़ संवितरित किये।

लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण

31 मार्च 2017 तक लघु/सीमांत कृषकों को दिए गए ऋणों के तहत बकाया रु.15,332 करोड़ रहा जो कि मार्च 2016 तक समायोजित निवल बैंक उधार की तुलना में 9.80% है।

गैर-कार्पोरेट कृषकों को ऋण

31 मार्च 2017 तक गैर-कार्पोरेट कृषकों को प्रदत्त ऋण के तहत बैंक का कुल बकाया रु.20,619 करोड़ रहा। एएनबीसी के 11.70% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बैंक की उपलब्धि एएनबीसी का 13.18% रही।

कमज़ोर वर्ग

31 मार्च 2017 तक कमज़ोर तबके को प्रदत्त ऋणों के तहत बकाया रु.19,088 करोड़ रहा जो मार्च 2016 तक के समायोजित निवल बैंक उधार का 12.20% है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की चारों तिमाहियों के लिए 10.81% के तिमाही औसत को हासिल करते हुए समीक्षागत वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत बैंक ने 10% के निर्धारित मानदंड का अधिगमन किया है। 31 मार्च 2017 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त ऋणों का बकाया रहा रु.8,201 करोड़, जो प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 12.17% है।

सूक्ष्म वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.1200 करोड़ के क्रेडिट आउटले के साथ 43,484 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया। मार्च 2017 तक रु.8,670 करोड़ के कुल संवितरण सहित क्रेडिट लिंकेज प्रदान किये गये स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या 6,64,473 है।

महिलाओं को उधार

31 मार्च 2017 तक बैंक द्वारा महिलाओं को दिये गये उधार की कुल राशि रही रु.15,137 करोड़, जो कि बैंक के समायोजित निवल बैंक उधार का 9.68% है।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक को तमिलनाडु के 13 जिलों में तथा केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। बैंक तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने एसएलबीसी की 4 तिमाही बैठकें आयोजित की। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने 15 विशेष/कोर समिति/उप समिति की बैठकें आयोजित की।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाइ)

31 मार्च 2017 तक पीएमजेडीवाइ के तहत तमिलनाडु में बैंकों ने 87.11



“My IOB My Pride” – IOB official Closed Face Book Group

In order to come closer to employees and have a healthy discussion/suggestions regarding overall development of the organisation, the Bank have opened an Official Face book group – (closed group for all the employees of the Bank). A monthly suggestion forum is being run in the group, where ideas/suggestions are collected and being shared with concerned departments for positive implementations.

IOB Think Tank

IOB Think Tank is a portal in bank's Intranet which is provided to the employees irrespective of the cadres with the aim to share the views and suggestions. The views and suggestions are being collected by the Marketing Department and the same is put forth to the Top Management on a fortnightly basis.

Mid Corporate

Mid corporate Department caters to the lending requirements of borrowers in the range of Rs.40 crore and upto Rs.100 crore. In the prevailing market conditions, the Bank had been selective in extending new/ enhanced credit limits. During the year 2016-17, Mid corporate Department has sanctioned total credit limits of Rs.8,077 crore. Aggregate exposure under Mid corporate segment as on 31st March 2017 is Rs.12,708 crore including Fund Based and Non fund based exposure.

Large Corporate

Large Corporate takes care of credit requirements of borrowers other than Agriculture where credit requirement is above Rs.100 crore. Under this vertical, Bank has a fund based exposure of Rs.58,318 crore and Non Fund based exposure of Rs.24,652 crore for the year ended 31st March 2017. During the year, the Bank sanctioned 32 proposals for Rs.3,685 crore with enhancement and 5 fresh proposals for Rs.4,000 crore totaling to Rs.7,685 crore from Corporate Clients all over India.

To promote focused attention on Large Corporate accounts, the Bank operates Specialized Large Corporate branches at 7 places all over India (Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Kolkata and Mumbai). These Specialized Large Corporate Branches have exposure of around Rs.13,844 crore as on 31st March 2017. Apart from the above, 15 existing branches in Metropolitan Centres are identified as Large Corporate Branches.

These Specialized branches are focusing in lending to borrowers coming under Large Corporate segment, making available necessary expertise in Credit Appraisal and quick delivery of credit.

Priority Sector Credit

The Bank's Gross Credit under Priority Sector stood at Rs.67,401 Cr as on 31st March 2017 which is 43.09 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2016. The Bank has surpassed the stipulated norm of 40% under priority sector credit during the year under review.

Agriculture

Priority sector Agriculture of the Bank stood at Rs. 29,348 crores as on 31st March 2017 which is 18.76 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2016. The Bank has surpassed the stipulated norm of 18% under priority sector credit during the year under review by achieving quarterly average of 18.19% for the four quarters of FY 2016-17. The Bank disbursed Rs.29,519 Crores under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of Rs.24,000 Crores during the year.

Loans to Small and Marginal farmers

The outstanding under Small/Marginal farmers stood at Rs.15,332 crores as on 31st March 2017 which is 9.80 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2016.

Loans to Non-Corporate farmers

The Bank's outstanding under loans to non corporate farmers stood at Rs.20,619 crores as on 31st March 2017. The Bank's achievement under this segment stood at 13.18% of ANBC as against a target of 11.70% of ANBC.

Weaker Section

The outstanding under weaker section stood at Rs.19088 crores as on 31st March 2017 which is 12.20 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2016. The Bank has surpassed the stipulated norm of 10% under priority sector credit during the year under review by achieving quarterly average of 10.81% for the four quarters of FY 2016-17. The outstanding under loans to SC/ST under Priority Sector as on 31st March 2017 stood at Rs. 8,201 crores which is 12.17% of total priority sector advances.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 43,484 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 1200 crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 6,64,473 with a total disbursement of Rs. 8,670 crores as of March 2017.

Credit flow to Women

Bank's credit flow to women stood at Rs.15,137 crores as of 31st March 2017 which constitutes 9.68% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 13 districts of Tamil Nadu and one district of Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year under review the Bank has conducted four quarterly meetings of the SLBC. In addition, the Bank convened 15 special / core committee / sub-committee meetings during the year.

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)

Banks have opened 87.11 Lacs accounts in Tamil Nadu under PMJDY till 31st March 2017. SLBC, Tamil Nadu has established an exclusive Toll Free number for grievance redressal pertaining to



लाख खाते खोले। एसएलबीसी तमिलनाडु ने पीएमजेडीवाई के संबंध में शिकायत निवारण के लिए एक विशेष टॉल फ्री नंबर स्थापित किया है। कॉल सेन्टर के जरिए प्राप्त होने वाली शिकायतों को तत्काल समाधान हेतु संबंधित बैंकों को भेजा जाता है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

बैंकों ने 31 मार्च 2017 तक मुद्रा योजना के तहत रु.9,372 करोड़ की राशि वाले 14.45 लाख ऋण मंजूर किये हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मुद्रा ऋण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एसएलबीसी ने एक समर्पित टॉल फ्री नंबर स्थापित किया है। कॉल सेन्टर के जरिए प्राप्त शिकायतें तत्काल समाधान हेतु संबंधित बैंकों को भेज दी जाती हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहलें

तमिलनाडु सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत राज्य में कारोबार संवादियों द्वारा परिचालित स्मार्ट कार्डों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में 20.30 लाख से अधिक लाभभोगियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

एसएलबीसी ने शहरी क्षेत्र में 9.70 लाख लाभभोगियों को कवर करने के लिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बैंक खातों के जरिए पेंशन का भुगतान करने के लिए भी कदम उठाये हैं और नामांकन जारी है। 1.91 लाख मछुआरों को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बैंक क्रेडिट के जरिए साल में दो बार रु.4000 की मंद कामकाज की अवधि वाली सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक बैंक क्रेडिट के जरिए डॉ.मुत्तुलक्ष्मी प्रसूति लाभ योजना के तहत हर साल लगभग 8.25 लाख गर्भवती महिलाओं को रु.12000 का अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्य में 69 लाख से अधिक एमजीएनआरईजीएस कर्मचारियों के वेतन बैंक खातों के जरिए दिये जाते हैं।

उधार प्रवाह पर एसएलबीसी की पहलें

तमिलनाडु में बैंकों ने दिसंबर 2016 तक निम्नलिखित हासिल कर लिया है।

- 102.11% के उच्चतर सीडी अनुपात की प्राप्ति
- गैर प्राथमिकता क्षेत्र समेत वार्षिक क्रेडिट प्लान के तहत अंतर्गत कुल संवितरण 105%
- एमएसएमई के अंतर्गत 101 प्रतिशत व कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों के अंतर्गत 101%
- प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 40% के मानदंड के प्रति 44.36% की प्राप्ति
- कृषि अग्रिमों में 18% के निर्धारित मानदंड के प्रति 19.11% की प्राप्ति
- कमजोर वर्गों को अग्रिम के तहत 10% के राष्ट्रीय मानदंड के प्रति 13.04% की प्राप्ति

बाढ़ राहत के दौरान एसएलबीसी, तमिलनाडु द्वारा उठाए गए कदम

तमिलनाडु सरकार ने अपने सरकारी आदेश संख्या दिनांकित 10 जनवरी 2017 के जरिए तमिलनाडु के 32 जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। एसएलबीसी, तमिलनाडु ने 20 जनवरी 2017 को सभी सदस्य बैंकों के साथ विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की और प्रभावित किसानों के लिए विभिन्न सूखा राहत उपाय प्रदान करने का संकल्प किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा तमिलनाडु में पाण्डियन ग्राम बैंक तथा ओडिशा में ओडिशा ग्राम्य बैंक प्रायोजित किया हुआ है। पाण्डियन ग्राम बैंक तमिलनाडु के 16 जिलों में 317 शाखाओं के साथ परिचालित है और

इसकी स्टाफ संख्या 1,277 है। 31 मार्च 2017 तक इस ग्रामीण बैंक का कारोबार मिश्रण है रु.10,064 करोड़, जहाँ सीडी का अनुपात 81.61% है। ओडिशा ग्राम्य बैंक ओडिशा के 13 जिलों में 549 शाखाओं के साथ कार्यरत है तथा इसकी स्टाफ संख्या 2,300 सदस्यों की है। 31 मार्च 2017 तक इस ग्रामीण बैंक का कारोबार मिश्रण रु.14,008 करोड़ है, जहाँ सीडी का अनुपात 46.01% है।

वित्तीय समावेशन

बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 2751 कारोबारी संवादियों की सेवाएं ले रहा है। कारोबार संवादी छोटी मूल्य जमाओं, पीएमएसबीवाई के तहत निजी दुर्घटना बीमा, पीएमजेजेबीवाई के तहत जीवन बीमा जुटाने, ऋण खातों व सौंपे गए एनपीए खातों से वसूली, आधार प्रविष्टि, अन्य पक्ष जमा इत्यादि में भी लगे हुए हैं।

सामान्य बैंकिंग लेन-देनों को करने के अलावा, कारोबार संवादी राज्य/ केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे विधवाओं और वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन, गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत भुगतान, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को नकदी सहायता जिसके लिए सीधे लाभार्थियों के बचत खाते में राशि जमा की जाती है। तमिलनाडु सरकार के साथ समन्वयन करते हुए कारोबार संवादी 2.99 लाख लाभार्थियों के वृद्ध पेंशन व 61 शरणार्थी शिविरों में रह रहे 0.25 लाख श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को भुगतान कर रहे हैं।

31 मार्च 2017 तक कारोबारी संवादियों ने 21,52,457 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं व स्मार्ट कार्ड टर्मिनल से किए गए कुल लेन-देनों की संख्या 6,19,21,570 है। ई-केवाईसी मोड के जरिए कारोबार संवादी एसबी खाते खोल सकते हैं। 31 मार्च 2017 तक बीसी ने अपने माइक्रो एटीएम से ई-केवाई का उपयोग करते हुए 2,89,597 एसबी खाते खोले हैं। कारोबार संवादी अपने माइक्रो एटीएम के जरिए बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड खाताधारकों, आधार नंबर प्रविष्टि खाताधारकों (ईपीएस ऑन-अज़), व हमारे रुपये कार्ड वाले खाताधारकों (रुपे ऑन-अज़) के लिए लेन-देन कर सकते हैं। वे अन्य बैंकों के रुपये कार्ड (रुपे ऑफ-अज़ (अधिग्रहणकर्ता) एवं (जारीकर्ता) के साथ दूसरे बैंकों के उन ग्राहकों के लिए भी लेन-देन कर सकते हैं जिन्होंने अपने खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ा है (ईपीएस ऑन-अज़)। 31.03.2017 तक 42,78,494 ईपीएस ऑन-अज़ एवं 3,56,148 ईपीएस ऑफ-अज़ लेन-देन किए गए हैं। 31.03.2017 तक कारोबार संवादियों द्वारा 3,57,953 रुपये ऑन-अज़ एवं 1,54,530 रुपये ऑफ-अज़ (अधिग्रहणकर्ता) व 1,35,512 रुपये ऑफ-अज़ (जारीकर्ता) लेन-देन किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश अनुसार बैंक पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। 31 मार्च 2017 तक पीएमजेडीवाई के तहत बैंक ने 42,61,330 बीएसबीडीए खाते खोले जिनमें से 23,24,027 बीएसबीडीए खाते आधार से सीड किए गए और 24,93,444 बीएसबीडीए खाते मोबाइल नंबर से सीड किए गए। 31 मार्च 2017 तक पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों के लिए 40,26,690 रुपये कार्ड जारी किए गए।



PMJDY. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Banks in the State have disbursed 14.45 lacs loans under MUDRA scheme to the tune of Rs. 9372 crores as on 31st March 2017. SLBC has established a dedicated Toll Free number for MUDRA loans as per the instructions of Ministry of Finance, Government of India for grievance redressal. The complaints received through the call centre are sent to the respective Banks for immediate resolution.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion

More than 20.30 lakh beneficiaries in the rural area are being paid pension through Smart Cards operated by Business Correspondents in the State under Tamil Nadu Government's Old Age Pension Scheme.

SLBC has initiated steps to cover 9.70 lac beneficiaries in the urban area also for payment of pension through bank accounts using smart cards and the enrollment is in progress. 1.91 lakh fishermen are paid lean period assistance of Rs.4000/- twice a year through electronic bank credit in the State. Around 8.25 lakh pregnant women are being paid grant of Rs.12, 000/- every year under Dr.Muthulakshmi maternity benefit scheme through electronic bank credit in the State. The wages of more than 69 lakh MGNREGS workers in the state are being routed through bank accounts.

SLBC Initiatives on Credit Flow

- Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2016
- CD ratio of 102.11% which is one of the highest in the country.
- 105% under total disbursement under Annual Credit Plan including Non-Priority Sector.
- 101% under agriculture and allied activities and 101 percent under MSME.
- Priority Credit stands at 44.36 % against the prescribed norm of 40%.
- Agricultural Advance stands at 19.11 % against the norm of 18%.
- 13.04% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

Actions initiated by SLBC, Tamil Nadu during Drought Relief

Government of Tamil Nadu vide its G.O.NO 6 dated 10th January 2017 has declared 32 Districts in Tamil Nadu as drought affected areas. SLBC, Tamil Nadu has conducted special SLBC with all the member Banks on 20th January 2017 resolved to provide various drought relief measures to the affected farmers.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored two Regional Rural Banks viz., Pandyan Grama Bank in Tamil Nadu and Odisha Gramya Bank in Odisha.

Pandyan Grama Bank operates in 16 districts of Tamil Nadu with a branch network of 317 and staff strength of 1,277. As on 31st March 2017 the RRB had a business mix of Rs. 10,064 crore with a CD ratio of 81.61%. Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2,300 members. As on March 31, 2017, the RRBs had a business mix of Rs.14,008 crore with a CD ratio of 46.01%.

Financial Inclusion

The Bank has engaged 2,751 Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages to reach the unreached. BCs are also involved in collection of small value deposits, Personal Accident Insurance under PMSBY, Life insurance under PMJJBY, recovery in loan accounts and assigned NPA accounts, Aadhaar seeding, third party deposit etc. Apart from carrying out regular Banking transactions, Business Correspondents also make payments under Social Security Schemes of State/Central Governments like Pension to Widows, Old age persons, Payment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Cash Dole to Sri Lankan Tamil Refugees for which the credits were made directly to the SB accounts of Beneficiaries. In coordination with Government of Tamil Nadu, Business Correspondents are making payments to 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugee Beneficiaries in 61 Refugee Camps, and Old Age Pension to 2.99 Lakhs Beneficiaries at their door step.

As on 31st March 2017, Business Correspondents have issued 21,52,457 smart cards and the cumulative number of transactions undertaken in the smart card terminal is 6,19,21,570. BCs can open SB accounts through e-KYC mode. As on 31st March 2017, BCs have opened 2,89,597 SB accounts through their Micro ATM using e-KYC. BCs can do transactions through their Micro ATMs for account holders having Biometric Smart Cards, account holders having seeded their Aadhaar numbers (AEPS-ON US) and account holders having our RuPay Cards (RuPay-ON US). They can also do transactions for customers of other banks who have seeded their Aadhaar numbers in their accounts (AEPS – OFFUS) and for other Bank RuPay cards also (RuPay-OFF US (Acquirer) and (Issuer)). As on 31.03.2017, 42,78,494 AEPS ON-US and 3,56,148 AEPS OFF-US transactions were carried out by BCs. As on 31.03.2017, 3,57,953 RuPay ON-US, 1,54,530 RuPay OFF-US (Acquirer) and 1,35,512 RuPay OFF-US (Issuer) transactions were carried out by BCs.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY):

The Bank is implementing PMJDY as per the directives of MoF, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. Under PMJDY, as on 31st March 2017, the Bank has opened 42,61,330 BSBDA accounts of which, 23,24,027 BSBDA accounts were seeded with Aadhaar and 24,93,444 BSBDA accounts were seeded with Mobile numbers. 40,26,690 RuPay cards were issued to the accounts opened under PMJDY as on 31st March 2017.



जनसुरक्षा योजनाएँ

जनसुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई व अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाओं के तहत बैंक ग्राहकों का पंजीकरण करा रहा है। जनसुरक्षा योजनाएं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 01 जून 2015 को शुरू की गईं। 31.03. 2017 तक जनसुरक्षा व अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण की संख्या निम्न प्रकार है:

जनसुरक्षा योजनाएँ

योजनाएं	30.06.2016 तक नवीकरण की स्थिति	31.12.2016 (कुल) पंजीकरणों की स्थिति	वर्ष 2016-2017 के दौरान पंजीकरण की स्थिति (01.06.2016 - 31.03.2017)
पीएमजे जेबीवाई	8,14,028	8,35,544	21,516
पीएमएस बीवाई	26,37,866	26,80,411	42,545
कुल	34,51,894	35,15,955	64,061

अटल पेंशन योजना

2015-2016 (संचयी)	18,540
2016- 2017 (संचयी)	60,084
कुल एपीवाई पंजीकरण	78,624

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी अग्रणी जिलों में 12 आरएसईटीआइ स्थापित किये हैं ताकि कृषकों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभभोगियों, शिक्षित बेरोजगार युवकों, कारीगरों और कमजोर तबकों से जुड़े लाभभोगियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त, बैंक ने जनजातियों के लाभ के लिए नीलगिरि जिले में भी एक आरएसईटीआइ की स्थापना की है। आरएसईटीआइयों का प्रबंधन "स्नेहा" न्यास करता है, जिसकी स्थापना बैंक द्वारा की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 400 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 9,940 बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

ब्रांड निर्माण अभ्यास के हिस्से के तौर पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण जैसी विभिन्न गतिविधियां की गईं जिनसे काफी हद तक बैंक की ब्रांड विजिबिलिटी पूरे भारत में बनी।

शक्ति - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदंबरम चेट्टियार स्मारक न्यास

बैंक के प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कर्मचारी संघ द्वारा बैंक के संस्थापक श्री एम सीटी

एम चिदंबरम चेट्टियार की स्मृति को शाश्वत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया यह न्यास महिलाओं को उद्यमी विकास प्रशिक्षण निरंतर रूप से प्रदान कर रहा है ताकि चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सामाजिक वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके। न्यास ने विभिन्न केन्द्रों पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। वर्ष के दौरान बैंक ने 141 लाभभोगियों को कवर करते हुए 5 कार्यक्रम आयोजित किये हैं। बैंक ने अभी तक 4,092 लाभभोगियों को कवर करते हुए 91 कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन लाभभोगियों में से 1,246 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं और 133 अल्पसंख्यक हैं।

वित्तीय साक्षरता

बैंक ने 23 केन्द्रों में स्थित वित्तीय साक्षरता केन्द्र (स्नेहा) स्थापित किए हैं। ये केन्द्र औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध होने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और साथ ही वित्तीय परामर्शी सेवाएँ तथा कर्जदार व्यक्तियों को कर्ज परामर्शी सेवाएँ प्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहे हैं। वे विभिन्न जगहों पर आवधिक कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान उन्होंने आइटीआइ, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और तमिलनाडु और केरल राज्य के विभिन्न स्कूलों के 11,210 छात्रों वित्तीय साक्षरता पर सत्र चलाए हैं।

मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियाँ

भारत में सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को असबा समर्थित शाखाएँ बना दिया गया ताकि वे आइपीओ, एफपीओ और राइट्स निर्गमों के लिए असबा आवेदन स्वीकार कर सकें जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है। ई-असबा का ग्राहकों द्वारा प्रभावी रूप से लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ब्रोकरों से आइपीओ/एफपीओ/राइट्स आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बैंक एक सिंडिकेट असबा बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। निर्गमों, डिबेंचर ट्रस्टी, लाभांश/ ब्याज वारंटों आदि के लिए मर्चेन्ट बैंकर के रूप में बैंक अपनी भूमिका निभाता आ रहा है।

बैंक एनएसडीएल का डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) है और 56 सेवा केन्द्र शाखाओं से वह अपनी डिपॉजिटरी संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। डीमैट खातों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक 13 सेवा केन्द्रों के जरिए सेवा प्रदान करते हुए सीडीएसएल का डिपॉजिटरी प्रतिभागी बन गया। डीमैट खातों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एनएसडीएल के अनुमोदन से विद्यमान सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त 250 शाखाओं को डीमैट खाते खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया।

शुल्क आधारित आय में सुधार लाने के लिए 3-इन-1 ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक का एमके ग्लोबल फाइनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड के साथ अनुबंध है। स्टॉक ब्रोकरों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने मुंबई में एक पूंजी मार्केट सेवा शाखा स्थापित की है। पूंजी मार्केट सेवा शाखा के कार्य- निष्पादन में सुधार लाने के लिए स्टॉक / कमोडिटी ब्रोकरों के वित्तपोषण के लिए पृथक नीति तैयार की गई है।

ग्राहक सेवा

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानकता बोर्ड (बीसीएसबीआइ) का सदस्य है। बीसीएसबीआइ ने विभिन्न उचित व्यवहार संहिताओं को संशोधित किया है जो व्यापक रूप से बैंकिंग के सभी क्षेत्रों को कवर करती हैं। संशोधित संहिताओं



Jansuraksha Schemes

The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY and Pension schemes like Atal Pension Yojana. The Jansuraksha Schemes are launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. As on 31.03.2017, the enrollment count under JanSuraksha and Atal Pension Yojana schemes are as follows:

Jan Suraksha Schemes

Schemes	Status of renewal as on 30.06.2016	Status of enrolment as on 31.12.2016 (cumulative)	Status of Enrolment during the Year 2016-2017 (01.06.2016 - 31.03.2017)
PMJJBY	8,14,028	8,35,544	21,516
PMSBY	26,37,866	26,80,411	42,545
Total	34,51,894	35,15,955	64,061

Atal Pension Yojana

2015-2016 (cumulative)	18,540
2016- 2017 (cumulative)	60,084
Total APY Enrolments	78,624

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural development, GOI our Bank had set up 12 RSETIs at Districts, where we have got Lead Bank responsibility in Tamil Nadu and Kerala, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated Unemployed Youths, Artisans and Beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, we have set up one RSETI in the Nilgiris District also for the benefit of the Tribals. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by our Bank. During 2016-2017, RSETIs have trained 9940 unemployed youths through 400 training programmes.

Corporate Social Responsibility

As a Part of Brand Building Exercise various activities like Blood Donation camps, Health Check Up camps, Swatch Bharat Abhiyan, Tree Plantations were carried out for the financial year 2016-17 which created the Brand Visibility of the Bank Pan India to a great extent.

Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers Association and All India Overseas Bank

Employees Union to perpetuate the memory of Bank's Founder Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, continued to provide Entrepreneurial Development Training to women to empower them socially and financially to meet the challenges. The Trust has conducted several Entrepreneurship Development Programmes (EDP) and skill based training programmes exclusively for women at various centers, During the year, the Bank conducted 5 programmes covering 141 beneficiaries. The Bank has so far conducted 91 programmes covering 4,092 beneficiaries of which 1,246 belong to SC/ST and 133 belong to minority .

Financial Literacy

The Bank has established Financial Literacy Centers (SNEHA) at 23 centres. These centres are educating the people in rural and semi urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. During current year, they have handled sessions on Financial Literacy to 11,210 students of ITI, Skilling centers and various schools in the state of Tamil Nadu and Kerala.

Merchant Banking Activities

All general banking branches in India were made ASBA enabled branches to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues as required by SEBI. E-ASBA has continued to be in usage effectively by the customers. The Bank is also acting as a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers and select branches are nominated as Syndicate ASBA Branches. The Bank continues to act as Merchant Banker for issues, Debenture Trustee, Dividend/Interest Warrants etc.

The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches. In order to improve the number of demat accounts, the Bank became a Depository Participant of CDSL by offering the service through 13 service centres. With a view to increase the number of Demat Accounts, 250 branches are authorized to open Demat Accounts in addition to the existing service centres with approval of NSDL.

The Bank has tie up with Emkay Global Financial Services Limited to provide a 3 in 1 E-trading facility to improve the fee based income. In order to cater to the financial requirements of Stock Brokers, the Bank has set up a Capital Market Services Branch at Mumbai. A separate Policy on financing to Stock/Commodity Brokers is framed to improve the performance of the Capital Market Services branch.

Customer Service

The Bank is a member in Banking Codes and Standards Board



के अनुसार "उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता" को शामिल किया गया है।

एसपीजीआरएस (मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली) नामक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली पहले से ही प्रयोग में है जो स्टैटस को ट्रैक करने की सुविधा सहित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में ग्राहकों की सहायता करती

है। क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ सिस्टम में इन शिकायतों को देख सकती हैं और इनका तत्काल समाधान कर सकती हैं। ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से 24x7 आधार पर ग्राहक-शिकायतों के निवारण के लिए एक टॉल फ्री टेलिसर्विसेस नंबर (नं.1800-425-4445) प्रदान किया गया है ताकि 48 घंटों के भीतर ग्राहकों को समाधान दिया जा सके।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई ग्राहक शिकायतों के विवरण निम्नवत हैं :

क्रम सं.	विवरण	केन्द्रीय कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालय में	कुल शिकायतें
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	2372	194	2566
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	22457	4900	27357
3	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	19825	4863	23256
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5004	231	6397
	निपटान दर	79.85%	95.47%	78.63%

शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है :

शिकायतों की प्रकृति	संख्या	कुल शिकायतों की संख्या का %
अग्रिम सम्बन्धी	3560	13.01
एटीएम सम्बन्धी	6096	22.29
ग्राहक सेवा सम्बन्धी	4494	16.43
डीमैट सेवाएं	35	0.13
जमा सम्बन्धी	1088	3.98
सामान्य बैंकिंग	4192	15.32
सरकारी लेखा	31	0.11
एनआरआई सम्बन्धी	34	0.12
विप्रेषण	806	2.95
इंटरनेट बैंकिंग	5692	20.81
क्रेडिट कार्ड	617	2.25
पेंशन सम्बन्धी	712	2.60
कुल	27357	100.00

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित एवं बैंक द्वारा लागू किए गए निर्णयों की संख्या नीचे दी गई है:

- | | |
|--|---|
| 1. वर्ष की शुरुआत में लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या | 0 |
| 2. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या | 0 |
| 3. वर्ष के दौरान लागू किए गए निर्णयों की संख्या | 0 |
| 4. ग्राहकों द्वारा अस्वीकृति की वजह से समाप्त हुए निर्णयों की संख्या | 0 |
| 5. वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या | 0 |

वसूली प्रबन्धन

बैंक का मुख्य फोकस अधिकाधिक वसूली करने और ताज़ा स्लिपेजों को न्यूनतम करने पर था क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सकल एनपीए रु 30,049 करोड़ पर था। इस उद्देश्य हेतु, अप्रैल 2016 से एक एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई जिसमें कई प्रोएक्टिव उपाय शामिल थे जैसे

- क्षेत्रीय प्रमुखों को सूचित किया गया कि वे सप्ताह में चार दिन शाखा

जाकर एनपीए उधारकर्ताओं से मिलें।

- प्रत्येक क्षेत्र में 15 सदस्यों वाली विशेष वसूली टीमें गठित की गईं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस व टास्क फोर्स बैठकों के ज़रिए फील्ड कार्यों का प्रबोधन, सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया गया।
- रोजाना वसूली रिपोर्ट प्रणाली का सृजन किया गया।
- आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके तहत एक तिमाही के भीतर रु 1 करोड़ तक के करीब 434000 एनपीए उधारकर्ताओं से निजी तौर पर मिला गया।
- सभी पात्र मामलों में सरफेसी के तहत 100% कारवाई करने पर ज़ोर दिया गया।
- गैर कंसोर्शियम खातों पर फोकस रहा, विशेषरूप से उन खातों को अपग्रेड करने पर ध्यान दिया गया।
- शाखा प्रबन्धकों और क्षेत्रीय प्रमुखों को विशेष शक्तियों के साथ रूपए एक करोड़ तक के एनपीए उधारकर्ताओं को कवर करने के



of India (BCSBI). BCSBI has revised various Fair Practice Codes which is elaborately covering all the areas of Banking.

A web based online system called SPGRS(Standardised Public Grievance Redressal System) assisting customers to lodge complaint online with status tracking facility is already in

place. The Regional offices and branches are enabled to view the complaints in the system and resolve the same immediately. Toll Free Teleservices for Customer Service (No 1800-425-4445) is provided on 24x7 basis for receiving the complaints from the customers to resolve within 48 hours.

The Details of customer complaints received and redressed during the year 2016-17 are detailed below:

Sl. No.	Details	At Central Office	At Regional Offices	Total Complaints
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	2372	194	2566
2.	No. of complaints received during the year	22457	4900	27357
3.	No. of complaints redressed during the year	19825	4863	23256
4.	No. of complaints pending at the end of the year	5004	231	6397
	Settlement Rate	79.85%	95.47%	78.63%

Details of Complaints are given below:

Nature of Complaints	Numbers	% of Total Complaints
Advances related	3560	13.01
ATM related	6096	22.29
Customer Service related	4494	16.43
Demat Services	35	0.13
Deposits related	1088	3.98
General Banking	4192	15.32
Govt.Accounts	31	0.11
NRI related	34	0.12
Remittances	806	2.95
Internet Banking	5692	20.81
Credit Card	617	2.25
Pension related	712	2.60
Total	27357	100.00

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are given below:

1. No. of awards unimplemented at the beginning of the year 0
2. No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year 0
3. No. of awards implemented during the year 0
4. No. of awards lapsed due to non acceptance by customer 0
5. No. of unimplemented awards at the end of the year 0

Recovery Management

The Bank's principal focus was on maximizing recovery and minimizing fresh slippages as Gross NPAs stood at Rs.30,049 crores during the beginning of the year. Towards this objective, a multi-pronged strategy was adopted from April 2016 itself comprising of various proactive measures such as

- Regional Heads were advised to visit NPA borrowers at Branch sites at least four days in a week.
- Formation of 15 member Special Recovery Teams in

each Region.

- Motivation, Support and Monitoring of field functions through Video Conference and Task Force Meetings.
- Daily Recovery Report mechanism.
- Outreach Program was introduced wherein all NPA Borrowers up to Rs1 crore numbering about 434000 were met personally within one quarter.
- Emphasis in 100% action under SARFAESI in all eligible cases.
- Focus on Non Consortium accounts with special emphasis to upgrade these accounts.
- Special OTS Scheme covering NPA borrowers up to Rs. One crore with powers delegated to Branch Managers and Regional Heads.



लिए विशेष ओटीएस योजना।

- "जूनून" नाम से विशेष वसूली प्रतियोगिता की शुरुआत।
- 100% प्रावधान वाले खातों में वसूली पर विशेष जोर
- वरिष्ठ कार्यपालकों की अगुवाई वाले सभी केंद्रों में निपटान तक पहुंचने के लिए एनपीए उधारकर्ताओं के साथ कार्य बल बैठक का आयोजन।
- ग्रामीण विकास अधिकारियों को विशेष वसूली लक्ष्य प्रदान किए गए और सूचित किया गया कि वे एनपीए की वसूली के लिए कारोबार संवादियों की सेवाएं लें।
- निपटान तक पहुंचने हेतु लोक अदालतों का पूर्ण उपयोग।
- ऋण वसूली एजेंटों का वसूली हेतु अधिकतम उपयोग करने के साथ साथ सरफेसी कारवाई में सहयोग।

पिछले वर्ष गठित एनपीए वॉर रूम की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार लाने के साथ विभिन्न उपयोगिताओं का विकास करना जो फ़ील्ड पदाधिकारियों के लिए वसूली के साथ डाटा आंकलन में मददगार बने ताकि शीर्ष प्रबन्धन को रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किया जा सके। वॉर रूम का ताज़ा घटनाक्रम है फ़ील्ड पदाधिकारियों को मोबाइल एप।

16 विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखाओं (एआरबीएम) पर सघन फोकस एवं संगतीकरण ताकि एनपीए खातों में वसूली में सुधार लाया जा सके।

उपर्युक्त पहलों एवं शिवािर मोड में सभी स्टाफ सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से बट्टा-खाता किए गए खातों में रु 803 करोड़ की वसूली समेत बैंकने रु 9,014 करोड़ तक पर्याप्त वसूली की है। वर्ष के दौरान रु 3,629 करोड़ तक के एनपीए को अपग्रेड किया गया।

बोर्ड द्वारा रुपए 1 करोड़ और उससे ऊपर के स्लिपेजों की समीक्षा की जा रही है और बोर्ड द्वारा दिए जा रहे विशिष्ट निदेशों को अमल में लाया जा रहा है। माइग्रेसन प्रावधान को कम करने के लिए न्यूनतम प्रतिभूति कवरेज वाले सभी एनपीए पर फोकस किया गया। एनपीए में वसूली की निगरानी की बोर्ड स्तरीय समिति प्रत्येक माह बैठक करती है व शीर्ष 30 एनपीए खातों के साथ वसूली के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है।

केंद्रीय कार्यालय के कार्यपालकों को प्रत्येक वार्षिक के अंतर्गत प्रदत्त 25 शाखाओं के साथ रीटेल, कृषि, एमएसएमई, मध्य एवं वृहत कॉरपोरेट की शीर्ष 100 शाखाओं का भी निरंतर अनुवर्तन किया जा रहा है।

सरफेसी कानून के तहत सभी पात्र खातों में सरफेसी कारवाई शुरू कर दी गई है और संपत्तियों को बिक्री हेतु लाया गया है। लोक अदालतें/ वसूली केंपों का बार-बार आयोजन किया गया विशेष रूप से लघु मूल्य के एनपीए खातों के सम्बन्ध में। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक की प्रतिभागिता उल्लेखनीय रही। वहीं का वहीं असंख्य मामलों को पर्याप्त वसूली के साथ निपटा लिया गया। मामलों के त्वरित निपटारे हेतु डीआरटी के साथ बैंक का सूक्ष्म अनुवर्तन जारी है।

आरटीआई के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटान

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना की मांग करते हुए 2,014 आवेदन प्राप्त किए। सभी आवेदनों का विधिवत रूप से निर्धारित समय के भीतर उत्तर दिया गया और गुण-दोषों के आधार पर उनका निस्तारण किया गया। बैंक के पहले अपीलिय प्राधिकरण ने उन लोगों से जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे 308 प्रथम अपीलें प्राप्त की और उनका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से निस्तारण किया गया। 72 आवेदनों में दूसरी अपील माननीय केंद्रीय सूचना आयोग से की गई। सभी आवेदनों का निपटान केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा समुचित फैसले पारित करके किया गया, जिसमें बैंक के विरुद्ध कोई

नकारात्मक टिप्पणी नहीं थी और उनका विधिवत रूप से अनुपालन किया गया।

जोखिम प्रबन्धन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम पूंजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम पूंजीगत परिकलन के लिए मानकीकृत परिकलन पद्धति (एसएमएम) को अपनाया है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है। बैंक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी आरबीआई द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी का रखरखाव कर रहा है।

तरलता कवरेज अनुपात तथा निवल स्थायी निधिगत अनुपात विषयक दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बैंक जनवरी 2015 से आरबीआई को एलसीआर की रिपोर्टिंग कर रहा है। 01 जनवरी 2015 से एलसीआर का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से कर दिया गया है जहां न्यूनतम अनिवार्य अपेक्षा 60 प्रतिशत है जो 01 जनवरी 2019 तक 100% तक धीरे-धीरे बढ़ा दी जाएगी। निवल स्थायी फंडिंग अनुपात जनवरी 2018 से प्रभावी होगा। बेसल III ने आसान, पारदर्शी और गैर जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात की शुरुआत की है जिसे ऐसा तैयार किया गया है कि वो जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं के लिए भरोसेमंद अनुपूरक उपाय के तौर पर कार्य करे। बैंक लीवरेज अनुपात पर विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है और 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर आरबीआई को रिपोर्टिंग कर रहा है।

उधार जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उपाय के रूप में बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित उधार जोखिम प्रबन्धन नीति और संपारिचिक प्रबन्धन व उधार जोखिम शमन नीति तैयार की है। उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रेटिंग करने के उद्देश्य के लिए जो उच्च दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है, बैंक ने विशिष्ट स्तरों पर आंतरिक उधार रेटिंग्स का वैधीकरण करने के लिए टियर प्रणाली कार्यान्वित की है, जो कि उधार विभागों में स्वतंत्र है। बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के तहत आने वाले प्रस्तावों के संबंध में, रेटिंग्स का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय में किया जाता है। कॉर्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों के ऋणों को उपलब्ध बाहरी रेटिंग के आधार पर जोखिम भारत के साथ किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने छः देशीय बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग्स इस्तेमाल करने के लिए बैंकों को अनुमति दी है और बैंक ने पूंजी राहत उद्देश्य के लिए सभी इन ईसीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। बैंक उच्च रेटिंग उधार खातों के लिए निम्न ब्याज दर द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबन्धन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न फ्रिक्वेंसियों पर ओवरसीज परिचालनों एवं घरेलू परिचालनों समेत समेकित परिचालनों की विवरणी की तैयारी एवं प्रस्तुति को कवर किया जाता है। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रणाली एवं प्रक्रियाएं तैयार की हैं और डाटा की प्रस्तुति की है। आरबीआई के दिशानिर्देशों एवं बैंकी आस्ति देयता प्रबन्धन नीति के अनुसार विवरण तैयार किए जाते हैं और आरबीआई और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक ने बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति बनाई है। तरलता जोखिम का प्रबंधन गैप विश्लेषण के ज़रिए किया जाता है जो दैनिक आस्ति व देयता के अवशेष परिपक्वता / व्यावहारिकता पैटर्न पर आधारित होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के तहत बाजार जोखिम प्रबंधन प्रकार्य व प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना दी गई है जिसके द्वारा बैंक द्वारा वहन की जाने वाली बाजार जोखिम की पहचान, परिकलन, प्रबोधन व नियंत्रण बैंक की जोखिम सहायता स्तर के अनुरूप एएलएम फ्रेमवर्क के अंदर की जाती है। ये नीतियां



- Launching of a Recovery Contest titled “Junoon”.
- Special emphasis on recovery in accounts with 100 % provision.
- Conduct of Task force meetings at all centres headed by senior executives with NPA borrowers to arrive at settlements.
- Rural Development Officers entrusted with specific recovery targets and advised to engage Business Correspondents for recovery of NPAs.
- Full utilization of LokAdalats to arrive at settlements.
- Optimal utilization of Debt Recovery Agents for recovery as well as assistance in SARFAESI actions.

Constant improvisation in functioning of NPA War Room set up in previous year with development of various utilities to assist field functionaries in recovery as well as data analytics for providing vital inputs to Top Management for developing strategies. The War Room’s latest development is a Mobile App for field functionaries.

Intensive focus and rationalization of 16 specialized Asset Recovery Management Branches (ARMB) to improve the recovery under NPA accounts.

The above measures and active involvement of all staff in camp mode helped the Bank to made substantial recovery to the tune of Rs. 9,014 crores including recovery of Rs. 803 crores in written off accounts. NPAs to the extent of Rs.3,629 crores were upgraded during the year.

Slippages of Rs.1crore and above are being reviewed by the Board and the specific directions given by the Board are duly carried out. All NPAs with minimal security coverage were focused upon to reduce migration provision. Board Level Committee for monitoring recovery in NPAs meets every month and reviews recovery performance as well as Top 30 NPA accounts.

The Top 100 branches in Retail, Agri, MSME, Mid & Large Corporate are also being continuously followed up with lots of 25 branches under each vertical allotted to Executives at Central office.

Action under SARFAESI act has been initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent LokAdalats/ Recovery camps have been conducted especially in respect of small value NPA accounts. In the National LokAdalat, Bank’s participation was significant. Innumerable cases were settled with substantial recovery on the spot. The Bank is following up with DRTs closely to bring speedy conclusion to the cases.

Disposal of petitions received under RTI Act

The Bank received 2,014 applications seeking information under RTI Act during the year 2016-17. All the requests were duly replied within the specified period and disposed of based on merits. The Banks First Appellate Authority received 308 First Appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same were duly disposed as per the provisions of the Act. 72 applications resulted as Second Appeals with the Hon'ble Central Information Commission were disposed by Central Information Commission by passing appropriate

decisions, without any adverse remarks against the Bank, which were duly complied with.

Risk Management

The Bank had adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank has adopted the Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation. The Bank is in compliance with the regulatory requirements in this regard. The Bank is maintaining capital as per Basel III guidelines issued by Reserve Bank of India with effect from 1st April 2013.

With regard to the guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan, 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which will gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. NSFR is scheduled to be effective from January 2018. Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank also has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013.

As a measure of robust credit risk management process, the Bank has formulated Credit Risk Management Policy and Collateral Management & Credit Risk Mitigation Policy duly approved by the Board. The Credit Policy Committee (CPC) acts as an executive committee for appropriate management of Credit Risk. The Bank has implemented a tiered system for validation of internal credit ratings at specified levels, which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers, for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under the powers of Bank’s Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Department, Central Office. Exposures on Corporate /PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the six domestic External Credit Rating Agencies and the Bank is using the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The Bank uses the solicited ratings assigned by any of the ECRAs.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guidelines cover preparation and submission of the statements of Consolidated Operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The Bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines and submitted the data. As per the RBI guidelines and Bank Asset Liability Management (ALM) policy, statements are prepared and submitted to RBI and our Board.

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of Market risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk. The Liquidity risk is managed through gap analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis. The Market Risk management policy lays down well defined organizational structure for market risk management functions and processes whereby the market



बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन के लिए विभिन्न जोखिम सीमाओं को तय करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि समुचित आस्ति देयता प्रबन्धन के जरिए बाजार जोखिम के प्रति आय सम्बन्धी बैंक की अपेक्षा तदनुसार है।

बैंक ने अल्पकालिक गत्यात्मक तरलता प्रबंधन व आकस्मिक वित्त पोषण प्रायोजना की प्रणाली बनाई है। विवेकपूर्ण (सह्यता) सीमाएँ, कुशल आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशेष परिपक्वता अवधि बकेट्स के लिए निर्धारित की गई हैं। बैंक का लिक्विडिटी प्रोफाइल का मूल्यांकन विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के जरिए किया जाता है। बैंक ने लिक्विडिटी की स्थिति पर किसी प्रकार के तनाव से निपटने के लिए विभिन्न आकस्मिक उपाय किए हैं। बैंक प्रणालीबद्ध व स्थाई निधि प्रायोजना के जरिए धरेलू ट्रेजरी द्वारा पर्याप्त लिक्विडिटी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

बेसल II फ्रेमवर्क त्रिस्तंभीय संरचना (जैसे न्यूनतम पूंजीगत अनुपात, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया व कारोबार अनुशासन) को अपनाते हुए बैंकिंग इकाइयों में जोखिम मापन के प्रति विस्तृत उपाय प्रदान करता है। पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्तंभ 2) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंकों के पास अपने कारोबार में सभी जोखिमों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी है और यह भी कि अपने जोखिमों का प्रबोधन और प्रबन्धन करने के लिए बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीकों का विकास एवं उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। स्तंभ 2 की अपेक्षा होती है कि बैंक स्तंभ 1 के उन निर्धारणों में कवर न किए गए सभी प्रमुख जोखिमों को कैंचर करने के लिए एक आंतरिक पूंजीगत पर्याप्तता आंकलन प्रक्रिया (आइसीएएपी) स्थापित कर सके, जिनमें वे शामिल हैं जो पूरी तरह से कवर नहीं हैं या आंशिक रूप से कवर किए गए हैं। बैंक ने आइसीएएपी फ्रेमवर्क को अपनाया है और इसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के स्तंभ 2 के अंतर्गत बैंकों को चाहिए कि वे अपने कारोबार के सभी प्रमुख जोखिमों का समर्थन करने के लिए न केवल पर्याप्त पूंजी को सुनिश्चित करें बल्कि अपने जोखिमों का प्रबोधन एवं प्रबन्धन करने के लिए बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीकों का विकास और उपयोग भी करें। बीसीबीएस दस्तावेज के अनुसार आरबीआई ने दबाव परीक्षण विषयक अपने परिपत्र दिनांकित 26.06.2007 के जरिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। निवल ब्याज आय (एनआईआई) और पूंजी पर्याप्तता (सीआरएआर) के सम्बन्ध में तनाव की परिस्थितियों से जूझने की बैंक की क्षमता का आंकलन करने के लिए बैंक ने तनाव परीक्षण को अपनाया है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम नीति बनायी है। इसमें परिचालनात्मक जोखिम के लिए संगठनात्मक ढांचे और विस्तृत प्रक्रिया का खाका दिया गया है। महत्वपूर्ण परिचालनात्मक हानि सहित परिचालनात्मक जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग और परिचालनात्मक जोखिम को कम करने या नियंत्रण व प्रबोधन, मूल्यांकन, प्रभावी पहचान द्वारा भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से निर्धारण करने के लिए बैंक की परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाओं को एक साथ लाना ही नीति का मूल उद्देश्य है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन व्यापक व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन कार्य के समुचित प्रबन्धन के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी) एक कार्यकारी समिति होगी। ओआरएमसी पूरे बैंक में परिचालन जोखिम एक्सपोजर की समीक्षा करती है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन संबंधी बोर्ड द्वारा अपनायी गई अन्य नीतियाँ हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति, (ख) फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति, (ग) अपने ग्राहक को जाने धन शोधन निवारण प्रक्रिया पर नीति दस्तावेज (घ) सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार निरन्तरता व आपदा निवारण प्रायोजना (ङ.) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग पर नीति।

ऋण प्रबोधन

बैंक सभी एसएमए-2 खातों का एसएमए-1 व एसएमए-0 निम्न उप श्रेणी तक अनुवर्तन करके स्लिपेजों को न्यूनतम स्तर पर रखने पर और खातों को स्लिप होकर एनपीए बनने से रोकने पर फोकस करता है और खातों के प्रभावी प्रबोधन के लिए विभिन्न प्रणाली आधारित उपयोगिताओं का उपयोग करता है।

सभी व्यक्तिगत खातों की ऑनलाइन मासिक समीक्षा के दौरान रुपए 5 करोड़ और उससे ऊपर बकाया वाले एसएमए 1 व 2 खातों में सभी स्तरों पर (शाखा/क्षे.का./अ.का./के.का.) तनाव के संकेतों पर चर्चा की जाती है और प्रभावी वसूली हेतु वहीं के वहीं सुधारात्मक उपाय सूचित किए जाते हैं। रुपए 5 करोड़ एवं उससे ऊपर के सभी खातों का प्रबोधन / अनुवर्तन शाखाओं द्वारा इकाई का नियमित दौरा करके किया जाता है ताकि समय पूर्व चेतावनी संकेतों को पहचाना जा सके और त्वरित समाधान हो सके।

सभी एसएमए-1 व 2 खाते जिनमें रु 40 करोड़ और उससे अधिक बकाया है उन्हें महा प्रबन्धकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसमें खातों में तनाव के कारणों पर चर्चा की जाती है ताकि सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। बैंक उन खातों में स्लिपेज पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा जिनमें रु 5 करोड़ से कम बकाया थे। इस स्थिति को हासिल करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई हैं।

एसएमए पोर्टल : इस वर्ष के दौरान अतिदेय खातों में वसूली की प्रक्रिया को तेज करने और स्लिपेजों को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट पर एक अलग पोर्टल विकसित कर प्रतिष्ठापित किया गया है जो सभी एसएमए खातों, उनकी अवधि के विवरण और दैनिक वसूली स्तर पर जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल अतिदेय खातों के दैनिक आधार पर प्रबोधन / अनुवर्तन में शाखाओं की मदद करता है।

आउटसोर्स किए गए कॉल सेंटर के जरिए अनुवर्तन : बैंक ने रिटेल प्रवर्ग अग्रिमों के अनुवर्तन और वसूली को आउटसोर्स किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रु 1 करोड़ से कम के बकाया वाले सभी लघु मूल्य खातों का नियमित आधार पर अनुवर्तन किया जा सके।

क्षेत्रीय कार्यालयों में दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों द्वारा अनुवर्तन

रिटेल और एसएमई प्रवर्ग के अग्रिमों के अनुवर्तन और वसूली के लिए बैंक दृष्टिबाधित स्टाफ की सेवाएं ले रहा है। इन सदस्यों को एसएमए 1 और एसएमए 2 की पूरी सूची प्रदान की गई है और ये सॉफ्टवेयर (जॉस) का उपयोग कर संपर्क करते हैं और वसूली के लिए अनुवर्तन करते हैं।

बैंक निरंतर रूप से सभी उधार खातों का प्रबोधन कर रहा है और आगामी वर्ष के दौरान भी स्लिपेजों को न्यूनतम स्तर तक रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऋण समीक्षा प्रणाली

बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी "उधार जोखिम पर मार्गदर्शक नोट" के अनुपालन में तथा बैंक की अपनी "उधार जोखिम प्रबन्धन" नीति के अनुसार रु 50 लाख एवं उससे अधिक के उधार जोखिम वाले उधार खातों की ऑनलाइन उधार लेखापरीक्षा की।

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 8,946 उधार खातों की बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा उधार लेखापरीक्षा की गई जिसके अंतर्गत रु 20 करोड़ और उससे अधिक के जोखिम वाले 839 खाते शामिल हैं। अंचल कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं के साथ अनुपालन हेतु अनुवर्तन के अलावा सीएएलआरएमए में की गई टिप्पणियों की सूचना क्रेडिट वर्टिकल्स को दे दी गई।

उधार लेखापरीक्षा अभ्यास ने उधार खातों में रुग्णता / कमजोरी सम्बन्धी खामियों / चेतावनी के पहले संकेतों की पहचान करने में और अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोकने के लिए समुचित एवं समयगत सुधारात्मक उपाय करने में बैंक की मदद की तथा इस प्रकार बैंक के हितों की रक्षा की।

कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना

भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित सीडीआर तंत्र के तहत, बैंक 2016-17 को वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नया संदर्भ नहीं मिला है। आरबीआई द्वारा, एसडीआर और एस4ए जैसी नई योजनाओं की शुरुआत और पुनर्संरचना पर आस्ति वर्गीकरण पर नियामक बर्ताव वापस लेने को ध्यान में रखते हुए सीडीआर तंत्र के तहत पुनर्संरचना के लिए अनुरोधों के



risks (carried by the bank) are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance level. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensure that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management.

The Bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for effective asset liability management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios. The Bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank ensures adequate liquidity by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Basel II framework provides a comprehensive approach to risk measurement in the banking entities, by adopting three-pillar structure (such as minimum capital ratio, supervisory review process and market discipline). The supervisory Review Process (Pillar 2) is to ensure that banks have adequate capital to support all the risks in their business as also to encourage them to develop and use better risk management techniques for monitoring and managing their risks. Pillar 2 requires the banks to establish an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to capture all the material risks that are not covered under Pillar I prescriptions, which includes those that are not covered or partly covered. Bank has adopted ICAAP framework and it is being annually reviewed.

Under the Pillar 2 of Basel II framework Banks are required not only to ensure adequate capital to support all the materials risks in bank's business, but also to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing their risks. In line with BCBS document RBI vide their circular dated 26.06.2007 had issued guidelines on Stress testing. Bank has adopted stress testing with an objective to evaluate bank's capacity to withstand stressed situations in terms of Net Interest Income (NII) and Capital Adequacy (CRAR).

The Bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. It outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework. The Operational Risk Management Committee (ORMC) will be an executive committee for appropriate management of operation risk management function in the Bank. ORMC reviews the operational risk exposures across the Bank.

Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business continuity and disaster recovery plan (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

Credit Monitoring

The Bank mainly focuses on containing the slippages to the minimum level by following up all SMA-2 accounts to the lower sub class SMA-1 and SMA -0 and to prevent accounts from

slipping to NPA and also through various system driven utilities for effective monitoring of the accounts. During the online monthly review of all individual accounts the sign of stress is discussed by all layers (Br/RO/ZO/CO) for SMA 1 & 2 accounts with outstanding of Rs.5 crores & above and remedial measures advised then & there for effective recovery. All accounts with outstanding of Rs.5 crores and above are monitored / followed up for regular unit visits by branches to detect early warning signals and prompt resolution.

All SMA-1 & 2 accounts with outstanding of Rs.40 crore and above are placed before GMs' committee wherein reasons for stress in the accounts are discussed for remedial measures. The Bank was able to control the slippages even in those accounts with outstanding below Rs.5 crore. The following strategies are in place to achieve this position.

SMA portal: In order to intensify the recovery in overdue accounts and to contain slippages, during this year a separate portal has been developed and deployed in Intranet which provides data on all SMA accounts, details of age profile and daily recovery status. This portal enables branches to monitor/follow up overdue accounts (SMA) on daily basis.

Follow up through outsourced Call Center: The Bank has outsourced the follow-up and recovery in Retail sector advances to ensure that all small value accounts with outstanding of less than Rs.1 crore are followed up regularly.

Follow up by Visually impaired staff at Regional Offices:

Bank is utilizing the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery.

Bank is continuously monitoring all borrowal accounts and is committed to contain the slippages to the minimum level in the ensuing year as well.

Loan Review Mechanism

In compliance with 'Guidance Note on Credit Risk' issued by RBI and in tune with Bank's own 'Credit Risk Management Policy, a cross section of borrowal accounts with credit exposure of Rs.50 lacs and above were subjected to on-site Credit Audit.

During 2016-2017, a total of 8,946 borrowal accounts were subjected to Credit Audit by Concurrent Auditors of the Bank which includes 839 accounts with exposure of Rs 20 crore and above. The observations made in CALRM were informed to Credit Verticals apart from following up with Zonal Offices/ Regional Offices/ Branches for compliance.

The Credit Audit exercise helped the Bank to identify deficiencies/ early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts and to take appropriate and timely remedial measures to prevent deterioration in the quality of advances and thereby to protect the interests of the Bank.

Corporate Debt Restructuring

Under the CDR mechanism set up under the aegis of RBI, the Bank during the financial year 2016-17 has not received any new references. The flow of requests for restructuring under CDR mechanism stopped with RBI withdrawing regulatory forbearance on asset classification upon restructuring and introduction of new schemes like SDR and S4A. With continued



प्रवाह को रोक दिया गया है। निरंतर मंदी और आरबीआई की परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा के परिणामस्वरूप, पुनर्संचित खातों में गिरावट आई है और पुनर्संचना पैकेजों की विफलता के कारण इन्हें सीडीआर तंत्र से बाहर रखना पड़ा है। सीडीआर रहित खातों के अधीन पुनर्संचित खातों में बैंक का कारोबार, 31 मार्च 2017 को संतोषजनक प्रदर्शन अवधि पूरा कर चुके 40 खातों में रु.5376 करोड़ रुपये रहा। बेहतर कार्य निष्पादन के कारण मुआवजे के अधिकार के भुगतान के बाद सीडीआर से कुल रु.157 करोड़ रुपये रकम के चार खाते बाहर आए। पुनर्संचित खातों का प्रमुख हिस्सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र, बिजली, लोहा और इस्पात उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली, इंजीनियरिंग प्रोक्वोरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध में लगी कंपनियां हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, जेएलएफ तंत्र के तहत, रु.1205 करोड़ रुपये मूल्य के 5 सीडीआर खातों में एसडीआर को इन्वोक किया गया और 6 सीडीआर खातों में रु.451 करोड़ रुपये के कारोबार को एस4ए के तहत इन्वोक किया गया है।

औद्योगिक पुनर्वास

दिनांक 1 दिसंबर 2016 को सीआईसीए रिपील अधिनियम 2003 को अधिसूचित किया गया था। परिणामस्वरूप, 1 दिसंबर 2016 से, अपीलीय प्राधिकारी या बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रकार अपील या किसी प्रकार की लंबित पूछताछ या सीआईसीए 1985 के अधीन माननीय एएआईएफआर/बीआईएफआर के समक्ष लंबित आदि प्रकार की किसी भी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

हालांकि यह उस कंपनी पर निर्भर करता है जिनकी अपील, संदर्भ या पूछताछ निरस्त हुई है, वे कोड की शर्तों के अनुसार, कोड के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर, दिवालिया कोड के तहत, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को मामला संदर्भित कर सकती है और जिनकी अपील, संदर्भ या पूछताछ निरस्त हुई है, उन कंपनियों द्वारा, कोड के तहत इस प्रकार के संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा।

दिनांक 30 नवंबर 2016 को कारोबार समाप्ति की स्थिति अनुसार, बीआईएफआर और एएआईएफआर के अधीन रु.6039 करोड़ के कारोबार के 79 मामले संदर्भित थे जिसमें मानक संवर्ग में रु.332 करोड़ मूल्य के 8 खाते, शून्य बकाया के 7 खाते और अवमानक संवर्ग में रु.5717 करोड़ मूल्य के 64 खाते थे।

अनुपालन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा सुपरिभाषित अनुपालन नीति का निर्धारण किया गया है और इसके अनुपालन जोखिम को प्रबंधित करने और उसे न्यूनतम बनाए रखने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू हैं। नियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र और निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय/अंचल कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय के विभागों में एक-एक अनुपालन अधिकारी है जो अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं। समग्र अनुपालन के स्तर की जानकारी बैंक निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति से निदेश प्राप्त किए जाते हैं। बैंक के इंटरनेट में एक वेब पोर्टल में Banking Rules.com के अधीन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी आदि जैसे विभिन्न नियामकों के समस्त विनियमों, मार्गनिर्देशों को एक ही स्थान पर देखे जा सकने हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सीडैक द्वारा 519 फ़ाइलों का निपटान किया गया है जिसमें 253 सतर्कता वाले मामले और 266 गैर सतर्कता वाले मामले शामिल थे। आलोच्य अवधि के दौरान, 216 आरोप-पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार 253 मामलों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कार्यपालकों द्वारा निरंतर समीक्षा

के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं। दिनांक 30 सितम्बर 2016 की स्थिति अनुसार प्रक्रियागत घरेलू जाँच संबंधी दीर्घकालीन सतर्कता-कार्यवाही के सभी मामले दिनांक 31 मार्च, 2017 के पूर्व निपटाए गए हैं (न्यायालयों में लंबित 26 मामलों को छोड़कर)

अनुशासनात्मक कार्यवाही को विकेंद्रीकृत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा की गई पहल को मंजूरी दी गई थी जिससे कि दिनांक 1 फ़रवरी 2017 से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त पहल के एक हिस्से के रूप में, प्रेजेंटिंग अधिकारियों और पूछताछ प्राधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशिक्षण दिलाने हेतु एक समूह की पहचान की गई है।

निरीक्षण

वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण के लिए आबंटित सभी 2404 शाखाओं का निरीक्षण किया गया और शाखाओं के निरीक्षण के मामले में निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत प्राप्त किया गया। 2569 शाखाओं की राजस्व लेखा परीक्षा की गई और रु.30.69 करोड़ राजस्व लीकेज रोका गया। समस्त अग्रिम पोर्टफोलियो में ब्याज की जांच का कार्य वर्ष के दौरान सौंपा गया था और दिनांक 31 मार्च 2017 तक रु.180 करोड़ रुपए की वसूली की गई। श्रेष्ठ 20 शाखाओं तथा 24 क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्रों की सूचना सुस्था लेखा-परीक्षा पूरी की गई। वर्ष के दौरान फेमा लेखा परीक्षा दो बार आयोजित की गई थी जिसमें, समस्त प्राधिकृत डीलर शाखाओं को समाहित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सभी सिटी बैंक कार्यालयों और करेंसी-चेस्टों का निरीक्षण किया गया था।

कुल अग्रिमों का 68.14% और कुल जमाराशियों का 50.05% कवर करते हुए 421 शाखाओं की समवर्ती लेखा-परीक्षा का कार्य सौंपा गया। समस्त 669 पात्रता प्राप्त खातों के लिए स्टॉक-लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया। वर्ष के दौरान 3 खातों के लिए फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा आयोजित की गई।

किसी भी प्रकार का व्यय किए बिना पूरे भारत में, 1294 शाखाओं में, दो चरणों में स्पेस-ऑडिट का आयोजन किया गया। यह कार्य समवर्ती लेखा-परीक्षकों और केंद्रीय कार्यालय के निरीक्षकों को सौंपा गया और अतिरिक्त स्थान के विलयन/समापन/वापस सुपुर्दगी के लिए सुझाव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करवाए गए। ऐसे कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया गया है।

समवर्ती लेखा-परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने वाले एथिक पैकेज का परिवर्धन कार्य प्रगति पर है। फिनेकल पर समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए प्रमुख केंद्रों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

सतर्कता

लंबित सतर्कता अनुशासन मामलों को, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय-अनुसूची के भीतर निपटाने के लिए कारगर कार्रवाई करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा निरन्तर प्रयास किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार, 180 सतर्कता अनुशासन मामलों को निपटाया गया है और इसके लिए दण्ड भी दिया गया है। दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार, 214 सतर्कता मामले लंबित थे, जिनमें से 24 महीने से अधिक पुराने मामले केवल 29 हैं। अधिकांश मामलों में जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं और प्रेजेंटिंग अधिकारी/डिफेंस से संबंधित सारांश प्राप्त की प्रतीक्षा है।

सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप, धोखाधड़ियों के विवरण निदेशक मंडल बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखे गए और प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन स्वरूप, बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों (रु.100 लाख और उससे अधिक मूल्य समाहित) को बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों का प्रबोधन करने वाली समिति के समक्ष रखा गया और निदेशकों के अभिमतों पर कार्रवाई की गई है और इन मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई।



recession and consequence of RBI's asset quality review, the restructured accounts suffered downgradation and had to exit from CDR mechanism on account of failure of restructured package. The exposure of the Bank in restructured accounts under CDR excluding account which have completed satisfactory performance period as on 31st March 2017 stood at Rs.5,376 crores in 40 accounts. Four accounts aggregating Rs.157 crores exited from CDR after paying Right of Recompense due to improved performance. The companies engaged in Engineering Procurement and Construction (EPC) contract works catering to infrastructure sector, power, iron & steel industry forms major part of restructured account. During the FY2016-17, under JLF mechanism, SDR has been invoked in 5 CDR accounts with exposure of Rs.1,205 crores and S4A has been invoked in 6 CDR accounts with exposure of Rs.451 crores.

Industrial Rehabilitation

SICA Repeal Act 2003 was notified on 1st December 2016. Consequently, with effect from 1st December 2016, any appeal preferred to the Appellate Authority or any reference made or inquiry pending to or before Hon'ble BIFR or any proceeding of whatever nature pending before Hon'ble AAI/FR/BIFR under SICA 1985 stand abated.

However it is open to the company whose appeal, reference or inquiry stands abated may make reference to the National Company Law Tribunal under Insolvency Code within 180 days from the date of commencement of the code, in accordance with the Code and no fees shall be payable by the company for making such reference under the Code whose appeal or reference or inquiry stands abated.

As at the close of business as on 30th November 2016, there were 79 cases under BIFR and AAI/FR reference with an exposure of Rs. 6,039 crores, with 8 accounts in Standard Category amounting to Rs.322 crores, 7 accounts with nil dues and 64 accounts amounting to Rs. 5,717 crores in substandard category.

Compliance

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing Compliance Risk and mitigating the same. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued. Each branch/Regional office/Zonal office/Central Office department has one Compliance Officer who submits compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Board/Audit Committee of the Board (ACB). The directions from Board/ACB are carried out. The Bank has provided a Web Portal viz., Banking Rules.com in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators like Ministry of Finance, RBI, SEBI etc., can be accessed at a single point.

Disciplinary Proceedings

During the Financial Year 2016-17, C&DAC has disposed off 519 files comprising of 253 Vigilance and 266 Non Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 216 charge sheets. The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 253 cases as on 31st March 2017. Efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time frame, by continuous review by executives. All long outstanding vigilance disciplinary cases, where domestic

enquiry was in progress as on 30th Sept 2016 were completed before 31st March 2017. (Except 26 Cases which are pending with Courts).

A new initiative to decentralise the disciplinary proceedings was approved by the Board of Directors and the same was implemented from 1st February 2017. Further, as a part of the above initiative a pool of officers are identified to be trained for discharging duties of Presenting Officers and Inquiring Authorities.

Inspection

During the financial year, all the 2404 branches allotted for Central Office Inspection were inspected and achieved 100% inspection of branches. Revenue audit was undertaken in 2569 branches and arrested revenue leakage of Rs.30.69 crores. During the year checking of Interest in the entire Advances portfolio was entrusted and an amount of Rs.180 crores was recovered up to 31st March 2017. Information Security Audit of top 20 branches and 24 Regional Computer Centres were completed. FEMA Audit was conducted twice during the year covering all Authorized Dealer Branches. All City Bank Offices and Currency Chests were also inspected during the current financial year.

421 branches were assigned concurrent audit covering 68.14% of total Advances and 50.05% total deposits. Stock Audit was assigned for all the eligible 669 accounts. During the year Forensic Audit was conducted for 3 Accounts.

Space Audit was conducted in 1,294 branches in two phases all over India without incurring any expenditure. The Concurrent Auditors and CO Inspectors were employed and the suggestions for merger/closure/surrender of excess space were provided to General Administration Department. Some of these suggestions are already implemented.

Modification of eTHIC package is under progress covering online reporting of Concurrent Audit Reports by Concurrent Auditors. Training was conducted in major centres for Concurrent Auditors on Finacle.

Vigilance

During the year 2016-17 the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission. As on 31st March 2017, 180 Vigilance Disciplinary cases were disposed and penalties awarded. As on 31st March 2017, there are 214 vigilance cases pending of which only 29 cases are beyond 24 months old. In most of the cases enquiries have been ordered and respective summing ups are awaited from Presenting Officer/Defence.

In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board and the observations/ suggestions received have been acted upon by the Bank. In compliance of RBI Master Circular, cases of Large Value Frauds (Amount involving Rs.100 lacs and above) have been placed to the Committee for Monitoring Large Value Frauds and the observations of the Directors are acted upon and the Action Taken Report is also placed before the Bank's Board.



सीवीओ द्वारा आवधिक रूप से शाखाओं का निरीक्षण/दौरा किए जाने के माध्यम से निवारक सतर्कता उपायों को मजबूत किया गया है। निवारक सतर्कता उपायों को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ उपायों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

आवधिक आकस्मिक निरीक्षण - केवाईसी / एएमएल इत्यादि सहित, प्रणालियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने पर शाखाओं का आवधिक आकस्मिक निरीक्षण किया गया है।

अवधानता पुरस्कार योजना - यह स्टाफ सदस्यों में धोखाधड़ियों की रोकथाम/ पहचान/जाँच में जागरूकता बरतने के लिए उनकी पहचान करने व पुरस्कार दिए जाने के लिए एक विशिष्ट योजना है। इस योजना को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को अनुमोदन दिया गया था।

आईओबी विजिल - जून 2013 के दौरान, सतर्कता जागरूकता को विस्तार देने के लिए एक तिमाही समाचार-पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। धोखाधड़ियों, सफलता की कहानियों, सतर्कता समाचार, शीर्ष प्रबंधन से संदेश इत्यादि से सीख लेने जैसे मुद्दे इस पत्रिका के माध्यम से, स्टाफ के सदस्यों के बीच, परिचालित किए जाते हैं।

अन्य पक्ष संघटकों के खिलाफ कार्रवाई - बैंक द्वारा अपने इंटरनेट पर, प्रतिबंधित अन्य पक्ष संस्थाओं, जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट, मूल्यांकनकर्ता और वकीलों की सूची प्रदर्शित की गई है। अब तक, बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में उनकी विफलता के लिए अभी तक पैनल से 5 वकीलों को निकाल दिया गया है। इन वकीलों ने, मूल अथवा संपाशिवक प्रतिभूति के रूप में बैंक में बंधक रखी गई आस्तियों के मामले में नकली स्वत्व विलेख जमा करके उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने में सहयोग किया था। सतर्कता जागरूकता निर्मित करने के लिए, बैंक द्वारा सभी अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए निबंध प्रतियोगिता और विजय प्रतियोगिता आयोजित की गई और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के दौरान इन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए।

सतर्कता मामलों को संभालने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारी तैनात किए गए हैं और उनकी भूमिकाओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है जिसमें शाखाओं के दौरों पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। अपनी तैनाती के स्थान पर, सतर्कता संबंधी कार्यवाहियों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से, दिनांक 26.09.2016 और 27.09.2016 को, निवारक सतर्कता, जाँच, पृष्ठताछ कार्यवाही आदि संपन्न करने को लेकर, सभी क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों की एक टीम के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों और धोखाधड़ी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ताजा जानकारी दी गई। बैंक द्वारा अक्तूबर माह में, दिनांक 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपने स्तर पर विकसित क्राउन-सीबीएस सोल्यूशन्स के स्थान पर सिओल शाखा को छोड़ कर सभी विदेशी शाखाओं में, इन्फोसिस फ़िनेकल सॉफ़्टवेयर का सफलतापूर्वक रूपांतरण (माइग्रेशन) कर लिया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, खुदरा ऋण का संसाधन ऑनलाइन किया जाना लागू किया गया है और बैंक द्वारा, आसान जमा नामक लचीली आवर्ती जमा योजना को फिर से शुरू किया गया है। बैंक द्वारा कई प्रभागों को स्वचालित बनाने और घरेलू सीबीएस के लिए डेटा अभिलेखीय समाधान कार्यान्वित करने के लिए भी प्रयास किए हैं। सीआरसीसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा फ़िनेकल मेनू को भी सक्षम बना लिया है।

परिचालन दक्षता में सुधार के लिए बैंक द्वारा दावों की ऑनलाइन प्रतिपूर्ति करने को लागू किया गया है और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। इनहाउस टीम ने एफ़आइएनएस और विदेशों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन का विकास किया है और वह फिलहाल परीक्षण के चरण में है। एसओसी

बुनियादी ढांचे को लागू किया गया है और अधिकांश उत्पादों को प्रबोधन हेतु किया गया है। एक व्यापक मानक शिकायत निवारण पोर्टल विकसित किया गया है और इसे सभी एडीसी में उपलब्ध कराया गया है।

ई-टीडीएस/ब्याज प्रमाणपत्र/खाता विवरणी- ग्राहकों को बचत खाता और चालू खाते की विवरणी, जमा टीडीएस, ब्याज के विवरण और ऋण खातों के लिए ब्याज प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक एटीएम, सेल्फ पास-बुक प्रिंटिंग कियोस्क, नकद रीसाइक्लर सेवाएं प्रदान करता है। इससे ग्राहकों को अपनी पासबुक प्रिंट करने, नकदी जमा करने, नकद निकालने की सुविधा मिलती है।

शाखाओं में कारोबार कॉरस्पोंडेंट्स को हेंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध करवाए गए हैं जिसके माध्यम से नकदी निकासी, जमाएं, शेष रकम की जाँच, निधियों का अंतरण और लघु-विवरणी प्राप्त करने को सक्षम करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रुपये कार्ड आधारित लेनदेन माइक्रो एटीएम में सक्षम किए गए हैं। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) को सक्षम बनाया गया है।

हरित पहल के एक भाग के रूप में, बैंक कागज़ रहित बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है, जिससे लागत में कमी आएगी और साथ ही साथ इससे समय की बचत होगी। हाल ही में चेक/नकदी के माध्यम से संग्रहण के स्थान पर एक अनूठा उत्पाद एमपीओस संग्रहण प्रस्तावित किया गया है। एटीएम डेबिट कार्डों के लिए ग्रीन पिन भी सक्षम किया गया है।

बैंक के पास एक कारोबार बौद्धिकता (बीआई) सुविधा है जो पारस्परिक डैश बोर्ड, अलटर्स, विश्लेषण इत्यादि प्रदान करता है। भारी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा का संग्रहण करने और 12 वर्षों के आँकड़े संग्रहीत करने के लिए डाटा-भंडारण प्रणाली को स्थापित किया गया है।

डिजिटल बैंकिंग प्रभाग

एटीएम/नकदी डिस्पेंसर (सीडी) : दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक के एटीएम/सीडी की कुल संख्या 3679 थी जिसमें से 2705 ऑनसाइट थे और 974 ऑफ़साइट एटीएम थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक द्वारा 57 एटीएम स्थापित किए गए और 171 एटीएम/सीडी बंद कर दिए गए। बैंक के 925 एटीएम महानगरीय केंद्रों में, 871 शहरी केंद्रों में, 1069 एटीएम अर्ध-शहरी केंद्रों में और 814 एटीएम ग्रामीण केंद्रों में स्थित है। इस वर्ष के दौरान, हमारे बैंक में 400 नकदी रीसाइक्लर लगाए गए हैं।

डेबिट कार्ड - दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार, बैंक का कार्ड-आधार 135 लाख रहा है जिसमें से, आलोच्य अवधि के दौरान 20.98 लाख नए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक द्वारा 17.85 लाख से अधिक रुपये कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक द्वारा ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्लैटिनम रुपये ईएमवी डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया और रुपये कार्ड बेस में वृद्धि करने के लिए बैंक द्वारा सभी डेबिट कार्ड ईएमवी चिप कार्ड के रूप में ही जारी किए जा रहे हैं। न्यून नकदी अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल ड्राइव का सामना करने के लिए बैंक द्वारा उन्नत सुरक्षा के साथ ईएमवी चिप के साथ प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए गए हैं। बैंक ने मौजूदा मैग्स्ट्रप कार्ड्स के लिए ईएमवी माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू की है और विस्तृत माइग्रेशन योजना लागू है।

क्रेडिट कार्ड - दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक के पास 60530 क्रेडिट कार्ड मौजूद थे। बैंक द्वारा विभिन्न उधार-सीमाओं के साथ क्लासिक और गोल्ड ईएमवी क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं।

भुगतान गेटवे परिचालन - बैंक के पास 11 समूहकर्ता (एग्रीगेटर्स) हैं जिनके बैनर तले बीएसएनएल, भारतीय बीमा निगम इत्यादि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं सहित लगभग 12000 उप-मर्चेट हैं। बैंक के प्रत्यक्ष ग्राहकों में राज्य सरकार के उद्यम और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। आईओबी के डेबिट क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए आईओबी भुगतान गेटवे को आईआरसीटीसी के साइट में सूचीबद्ध करवाया गया है।



Preventive Vigilance measures have been strengthened through periodical branch Inspection/visits by CVO. The following are some of the measures taken to strengthen preventive vigilance

Periodical/Surprise Inspections: Periodical and surprise inspections of branches are conducted on compliance of systems and procedures including KYC/AML guidelines, etc.

Alertness Award Scheme: This scheme is an exclusive scheme for recognition and reward of alertness in staff members in prevention/detection/foiling of frauds which has been approved by the Bank's Board on 20th September 2013.

IOB Vigil: A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched during June 2013. Learning points from frauds, success stories, vigilance news, messages from Top Management, etc. are circulated among staff members.

Action against Third Party Entities: Bank has already put on intranet, the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers. So far 5 Panel Advocates have been removed from the panel for their failure to comply with the bank's instructions which enabled perpetration of fraud on the bank by the borrowers by submitting fake title deeds relating to the properties which were mortgaged to the bank either as prime or collateral security. To create vigilance awareness, Bank has conducted essay competition and Quiz competition for all the officers and award staff members and awarded prizes to winners during Vigilance Awareness Week 2016.

All the Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle Vigilance matters and their role functions have been well defined which includes submission of monthly report on visit to branches. A two day Workshop on Preventive vigilance, Investigation, Enquiry Proceedings, was conducted for a team of all the RVOs for carrying out vigilance functions in their place of postings on 26.09.2016 and 27.09.2016. The participants were refreshed on various issues relating to Preventive Vigilance measures and post-fraud follow-up action. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October 2016 i.e. from 31.10.2016 to 05.11.2016.

Information Technology

The Bank has successfully migrated overseas branches except Seoul from Home grown Crown-CBS solutions to the Infosys Finacle software during the year.

During the year under review, online retail loan processing has been implemented and the Bank has reintroduced the flexible recurring deposit scheme called Easy Deposit. The Bank has also made efforts towards automating many of the charges and data archival solution for domestic CBS has been implemented. The Bank also enabled Finacle Menu for generation of CRCC reports.

The Bank with a view to improve the operational efficiency has implemented online reimbursement of claims and introduced Biometric attendance system. The inhouse team developed FINS and Forex transactions for overseas and is in the testing phase. SOC infrastructure has been put in place and has implemented

majority of the products for monitoring. A comprehensive standard grievance redressal portal is developed and made available with all the ADC.

E-Tds/Interest Certificate/Account statement- The customers have been provided the utility to download E-statement for SB and Current account, Deposit TDS, interest details and Interest certificate for loan accounts.

The Bank provides ATM, Self Pass-Book Printing Kiosks, Cash Recycler for improving customer service. This facilitates the customers to print their passbooks, deposit cash, withdraw cash.

The Business Correspondent's Hand Held Device (Micro ATM) in Branches are provided the utilities enabling Withdrawal, Deposits, Balance enquiry, Funds Transfer & Mini Statement. Ru-Pay card On-us Transactions has been enabled in Micro ATM. Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) On/OFF us enabled.

As a part of Green Initiative, the Bank is moving towards paperless banking, which will reduce the cost as well as save time. Recently a unique product which can offer customised MPOS collections instead of collections through Cheque/Cash has been implemented. Green PIN for ATM debit cards has also been enabled.

The Bank has a Business Intelligence(BI) Suite, which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc.. System is established to store huge amount of historical data and data relating to 12 years have been ware-housed.

Digital Banking Division

ATM / Cash Dispensers (CDs): The total number of ATMs/CDs of the Bank stood at 3,679 as on 31st March 2017 comprising of 2,705 onsite and 974 offsite ATMs. During the year under review, the Bank has installed 57 ATMs /CDs and closed 171 ATMs/CDs. The Bank's 925 ATMs are spread across Metro Centres, 871 in Urban Centres, 1069 in Semi Urban Centres and 814 in Rural Centres. During the year 400 cash recyclers were installed in our Bank.

Debit Cards: Bank has a card base of 135 lacs as on 31st March 2017 with 20.98 lacs new debit cards issued during the year under review. Bank has issued more than 17.85 lac Rupay Debit Cards. Bank also launched a Platinum RuPay EMV Debit Card with added benefits to customers, and to increase the Rupay card base Bank is issuing all the debit cards as EMV chip cards only. Bank Launched Prepaid Cards with EMV Chip for enhanced security to cope up with the Digital drive for less cash economy. Bank started the EMV migration process for the existing Magstrip cards and detailed Migration Plan is in place.

Credit Cards: The Bank has 60,530 credit cards as on 31st March 2017. Bank issues Classic and Gold EMV Credit Cards with varying credit limits.

Payment Gateway Operations: The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank direct clients include State government enterprises & Educational institutions. IOB payment gateway is listed in IRCTC site to book tickets through IRCTC using IOB debit/credit cards.



आरटीजीएस/एनईएफटी - एनईएफटी की मात्रा और लेनदेनों के मामले में बैंक सर्वोच्च 20 बैंकों में शामिल है। ग्राहकों और शाखाओं से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर इनकी आवश्यकताओं / अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आइओबी आरटीजीएस/ एनईएफटी मॉड्यूल को अद्यतन किया गया है। अधिक से अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के प्रभावशाली उपयोग के लिए, शाखाओं और बैंकिंग ग्राहकों को बल्क-एनईएफटी सुविधाएँ दी गई हैं।

इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग - 2016-17 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल पंजीकरणों में बेहतर उन्नति देखी गई है। पिछले वर्ष 10.22 लाख के मुकाबले इस वर्ष 12.94 लाख ग्राहकों ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण करवाया है और पिछले वर्ष 1.09 लाख ग्राहकों के मुकाबले, 31 मार्च 2017 के अनुसार 2.86 लाख ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकरण करवाया है।

मार्च 2017 के अंत में, बैंक के कुल लेनदेनों का 54.70% इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन था। नए मोबाइल बैंकिंग एप को शुरू करने के बाद, मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की संख्या और राशि में काफी वृद्धि हुई है।

एम-पास बुक - पिछले वर्ष के दौरान ग्राहक-अनुकूल एम-पासबुक की सुविधा शुरू की गई थी जिसमें ग्राहक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर अपना खाता विवरण देख सकता है। वर्ष के दौरान मिस्ट कॉल के माध्यम से बैलेंस की जांच करने की सुविधा भी शुरू की गई थी। दिनांक 31.03.2017 को एम-पासबुक के लिए पंजीकृत ग्राहकों की कुल संख्या 281481 है।

आइओबी कनेक्ट: हमारे बैंक ने हमारे ग्राहकों हेतु एंड्रॉइड फोन के लिए एक व्यापक मोबाइल ऐप "आइओबी कनेक्ट" जारी किया है, जिसे आइओबी-मोबाइल, आइओबी रिवाइज़ और आइओबी एमपासबुक से जोड़ा जा सकता है।

आइओबी-पे: यह एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म है जो फीस का भुगतान, मर्चेट भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि प्रदान करता है। इस संस्थान में तीन संस्थान पंजीकृत किए गए हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए लेन-देन संपन्न किए जा रहे हैं।

भीम: भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम) का ऐप, बैंक से बैंक को सीधे तत्काल भुगतान करने और सिर्फ मोबाइल नंबर या भुगतान पते का प्रयोग करके धन का संग्रहण किया जा सके, इस हेतु शुरू किया गया है।

बीबीपीएस: बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) शुरू की है, जो कि एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, और जो ऑनलाइन ग्राहकों को इंटरऑपरेबल बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है।

सरकारी लेखा विभाग

प्रत्यक्ष कर समाहरण

भारत भर में 354 शाखाओं द्वारा आय कर व अन्य प्रत्यक्ष कर का भौतिक रूप से व ऑनलाइन कर अकाउंटिंग सिस्टम (ओल्टास) के जरिए समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है। बैंक को प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने रु.8,814 करोड़ मूल्य के लेनदेनों को अंजाम दिया है और रु 1.71 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

अप्रत्यक्ष कर समाहरण

सीबीईसी द्वारा प्राधिकृत 217 शाखाओं द्वारा उत्पाद एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम (ईजिएस्ट) के जरिए अप्रत्यक्ष कर का समाहरण करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया है। बैंक को उत्पाद एवं सेवा कर के ई-भुगतान की प्राप्ति हेतु भी प्राधिकृत किया गया है। सीमा शुल्क का ई-भुगतान व ड्यूटी ड्राबैक की ई-प्रतिपूर्ति मार्च 2011 में शुरू की गई। बैंक ने रु 12,373 करोड़ मूल्य के लेन देनों को अंजाम दिया है और रु 2 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

राज्य सरकार के राजस्व का समाहरण

बैंक तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड,

ओडिशा, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वाणिज्यिक कर (वैट) का ई-समाहरण करता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर प्रत्यक्ष कर समाहरणों का कार्य भी बैंक संभालता है। बैंक ने राज्य सरकार राजस्व के तहत रु. 5,872 करोड़ के मूल्य के लेनदेन की देखरेख की है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु 4 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

पेंशन का भुगतान

केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूर संचार, राज्य सिविल, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नै पत्तन न्यास, चेन्नै डॉक श्रम बोर्ड, तमिलनाडु की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और मलेशिया सरकार की पेंशन से जुड़े 2.25 लाख पेंशनकर्ताओं की बैंक सेवा करता है। इसके अलावा ईसीएस के जरिए क्रेडिट देने का काम भी किया जाता है। 56,103 पेंशन खातों के लिए केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और दूर संचार पेंशनकर्ताओं को केन्द्रीकृत आधार पर पेंशन का संवितरण केन्द्रीकृत पेंशन संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 1,740 करोड़ संवितरित किया है और संवितरण के 2-3 दिनों के भीतर केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनों के लिए सिंगिल विन्डो योजना के तहत 2-3 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु 6.42 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

तमिलनाडु सरकार के कोष कारोबार को भी बैंक अपनी 13 शाखाओं के जरिए संभालता है और ओडिशा सरकार के कोष कारोबार को 3 शाखाओं के जरिए तथा बैंक ने रु. 261 करोड़ की प्राप्तियों व रु. 230 करोड़ के भुगतान की भी देखरेख की है। बैंक को केरल की एक शाखा द्वारा ट्रेजरी कारोबार की देखरेख के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और दूर संचार विभाग के खातों की भी देखरेख बैंक करता है और क्रमशः रु 6121 करोड़ व रु. 127 करोड़ के भुगतानों व प्राप्तियों की भी देखरेख करता है। डाक कार्यालय समाहरण (निकासी व जमा) खाता तमिलनाडु के 61 शाखाओं में मौजूद है जहाँ रु. 62 करोड़ की प्राप्तियों व रु. 186 करोड़ के भुगतान की देख रेख की जाती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% टेक्सबल बॉण्ड, लोक भविष्य निधि जैसी भारत सरकार की बचत योजनाओं में भी बैंक की सक्रिय प्रतिभागिता है और बैंक इनके लिए लगभग रु.107 करोड़ के अंशदान का योगदान देता है।

अंतर शाखा समंजन

अंतर शाखा समंजन का इसकी संवेदनशीलता की वजह से काफी महत्व है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारोबार विकास के समांतर अंतर शाखा समंजन को प्राथमिकता देने को सूचित किया है। आरबीआइ ने अंतर शाखा प्रविष्टियों की निकासी के लिए छः महीनों का समय नियत किया है।

भौतिक अंतर शाखा की एडवाइस को हटा दिया गया है। फिनेकल व्यवस्था के अंतर्गत विविध लेनदार (विविध) खाते के जरिए अंतर शाखा लेन-देनों किए जा रहे हैं। डीडीआर में जमा प्रविष्टियों का निष्कासन सिर्फ आदाता द्वारा ड्राफ्ट की प्रस्तुति पर ही संभव है। रु 2557 लाख की राशि की 6 प्रविष्टियों को छोड़कर निधि अंतरण के अंतर्गत कोई भी नाम प्रविष्टि 6 माह से अधिक की अवधि से बकाया नहीं है। आरबीआइ की 6 महीनों के मानदंड के अनुरूप टीटीपीआर खातों के तहत कोई भी नाम प्रविष्टि बाकी नहीं है। मांग ड्राफ्ट समंजन, निधि अंतरण व टीटीपीआर खातों को सीबीएस व्यवस्था (फिनेकल) में माइग्रेट कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहकोन्मुख बनाने के कॉरपोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाह्य मोड के जरिए बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसामयिक विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैंक सॉफ्टवेयर के सीबीएस से फिनेकल 10X में माइग्रेट करने की वजह से, प्रशिक्षण का फोकस फिनेकल वर्शन 10X में परिचालन के बारे में अंतिम उपयोगकर्ताओं को जानकारी देने पर रहा। 31 मार्च 2017 तक 22,969 (77% लगभग) स्टाफ सदस्यों को फिनेकल वर्शन 10X में प्रशिक्षण प्रदान



RTGS/NEFT: The Bank is one among the top 20 Banks in terms of NEFT volume and transactions. Based on Customer and Branches feedback, various updates were done in IOB RTGS/NEFT module to meet their needs/requirement. BULK NEFT facilities given to branches and Internet banking customers to attract more corporate customers and promote usage of electronic payment channels effectively.

Internet Banking/Mobile Banking: The internet banking and mobile registrations have shown a good growth during 2016-17. Presently 12.94 lakhs customers registered for Internet Banking against 10.22 lakh for last year and 2.86 lakh customers registered for Mobile Banking as on 31st March 2017, as against 1.09 lakh customers last year.

As at the end of March 2017, electronic transactions stood at 54.70% of the total transactions of the Bank. After introducing the new mobile banking application, the number of mobiles banking transactions and amount increased substantially.

M-Passbook: Customer friendly M-passbook introduced during the last year in which a customer can view their account statement upon downloading the mobile app. Balance enquiry through missed call was also introduced during the year. Total number of customers registered for M-Passbook as on 31.03.2017 is 2,81,481.

IOB Connect: Our Bank has released a comprehensive mobile app "IOB Connect" for Android Phones, for our customers, which can be linked to IOB-Mobile, IOB Rewardz and IOB mPassbook

IOB-Pay: is an integrated online payment gateway platform which offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. Three Institutions have been registered in this application and the transactions are being routed through this platform.

BHIM: Bharat Interface for Money (BHIM) application has been launched to make direct bank to bank payments instantly and collect money using just Mobile number or Payment address.

BBPS: Bank has launched Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system, which offers interoperable bill payment service to customers online.

Government Accounts Department

Direct Tax Collections:

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode and through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year under Review, the bank handled transactions amounting to Rs. 8,814 crores and earned commission of Rs. 1.71 crores.

Indirect Tax Collections:

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIST) by 217 branches authorized by CBEC. The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. The Bank processes the E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. The Bank has handled transactions amounting to Rs.12,373 crores and earned commission of Rs.2 crores.

Collection of State Government Revenues:

The Bank handles e-collection of Commercial Taxes (VAT) through Internet Banking in the States of Tamil Nadu, Pondicherry,

Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Jharkand, Odisha, Delhi, Gujarat, West Bengal and Maharashtra and UT. The Bank is also handling physical collections in selected locations in Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal and Delhi. The Bank has handled transactions amounting to Rs.5,872 crores under State Government revenues and earned commission of Rs. 4 crores during the period under review.

Payment of Pension:

The Bank is servicing 2.25 lacs pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS. Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 56,103 accounts. The Bank has disbursed about Rs.1,740 crores during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence and Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year bank has earned commission of Rs. 6.42 Crores.

The Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 13 branches and Government of Odisha at 3 branches and handled Rs.261 crores of receipts and Rs.230 crores of payments. The Bank also received authorisation for handling treasury business in one branch in Kerala. The bank services the account of Planning Commission, National Informatics Centre and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of Rs.6121 crores and Rs.127 crores respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 61 branches in Tamil Nadu handling Rs.62 crores receipts and Rs.186 crores of payments. The Bank is actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond. Public Provident Fund is contributing subscriptions of about Rs.107 crores.

Inter Branch Reconciliation

Inter - branch reconciliation has assumed greater significance in view of its vulnerability. Reserve Bank of India has also advised Banks to accord priority to inter-branch reconciliation at par with Business development. RBI has fixed six months time for elimination of inter-branch entries.

Physical inter branch advices have been done away with. Inter branch transactions are being routed through Sundry Creditors (Misc) account under Finacle Environment. The elimination of Credit entries in DDR is possible only on presentation of the drafts by the payees. No debit entries are outstanding for more than 6 months under Funds Transfer except 6 entries amounting to Rs. 2557 lacs. No entries are outstanding under TTs Paid Reimbursement Accounts as against RBI norms of six months. Demand Draft reconciliation, Funds Transfer and TTPR accounts have been migrated to CBS (Finacle) environment.

Human Resources Development

Training

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

As the Bank's software was migrated from CBS to Finacle



किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, अधिकारियों व लिपिकों को उधार मूल्यांकन / उधार प्रबोधन, लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तपोषण, सतर्कता जैसे बैंकिंग विषयों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही, सभी प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति प्रबन्धकों के लिए स्टाफ कॉलेज और विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यक्रम चलाए गए। वित्तीय समावेशन और बहु यात्रा प्रीपेड कार्ड के निर्गमन पर भी वर्ष के दौरान विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए स्थाईकरण-पूर्व कार्यक्रम चलाया गया। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वे स्टाफ सदस्य जो पदोन्नति के पात्र हैं, उनके लिए विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति-पूर्व परामर्शी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बैंक की आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज, ग्यारह स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। वर्ष के दौरान 558 कार्यक्रमों का आयोजन कर कुल 16,727 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 9,447 अधिकारी हैं, 6,394 लिपिक हैं और 886 अधीनस्थ स्टाफ हैं। प्रशिक्षित कुल सदस्यों में से 3,552 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और 1,254 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। इसके अलावा बैंक ने 5 प्रतिभागियों के लिए विभिन्न शाखाओं में ऑन लोकेशन कार्यक्रम भी आयोजित किये।

बैंक ने 416 कार्यपालकों / अधिकारियों को मान्यताप्राप्त बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया। बैंक ने कार्यकारी विकास कार्यक्रम 'कारोबार संवृद्धि का पुनर्अविष्कार' शास्त्रा विश्वविद्यालय में उन कार्यपालकों के लिए आयोजित किया जिनकी 3 वर्ष की सेवाएं बची हैं।

विरासती योजना व अभिप्रेरणा

बैंक द्वारा सभी स्तर के उन अधिकारियों, जिनकी कम से कम दो वर्ष की सेवा बची है, के लिए बैंक की मौजूदा अपेक्षाओं के अनुसार मॉटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि ज्ञान के अंतराल को पाटा / साझा किया जा सके। यह कार्यक्रम बैंक के सभी कार्यपालकों के लिए सम्बन्धित मॉटर व मॉटी को पत्र भेजते हुए शुरू किया गया।

नेतृत्व को जारी रखने एवं क्षमतायुक्त उत्तराधिकारियों को विकसित करने के उद्देश्य से विरासत योजना प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसका प्रथम चरण बैंक में गम्भीर पदों और क्षमतापूर्ण उत्तराधिकारियों की पहचान के साथ शुरू किया गया। प्रत्येक पद के लिए तीन उत्तराधिकारियों की पहचान तथा एक उत्तराधिकारी के लिए तीन पदों की पहचान करनी होती है।

वर्ष के दौरान एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्टाफ सदस्यों को पदोन्नतियां प्रदान की गईं। बाहरी एजेंसियों के समन्वयन के साथ विभाग ने लाइफस्टाइल व स्वास्थ्य, कॉर्डिंक स्त्रीनिंग, आर्थोपेडिक्स, कैंसर जागरूकता, गैस सुरक्षा, डेंटल कैंप, नेत्र कैंप आदि जैसे विभिन्न विषयों पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए।

भर्ती एवं स्टाफ संख्या

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए विशेष उद्योग पहल - उड़ान के अंतर्गत परिवीक्षाधीन अधिकारियों और लिपिकों की भर्ती की। जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल वाली योजना 'उड़ान' एक प्लेसमेंट लिंकड योजना है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को जम्मू व कश्मीर राज्य से छात्रों का चयन करते हुए प्रतिभागिता करने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें प्रशिक्षण देकर या तो अपने संगठन में या बाहर या फिर उनको रोजगार पाने में सहायता करनी होती है। यह योजना बैंक द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के समन्वयन में हमारे कॉरपोरेट

सामाजिक दायित्व के रूप में शुरू की गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन और साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शामिल है। इस योजना के जवाब में चेन्नै स्थित हमारे बैंक के स्टाफ कॉलेज में दो महीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सदस्यों का चयन किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए पांच परिवीक्षाधीन अधिकारी और 14 लिपिकों ने बैंक की सेवा में प्रवेश किया।

31 मार्च 2017 तक 15,445 अधिकारियों, 11,194 लिपिकों और 3,128 अधीनस्थ को मिलाकर बैंक की कुल स्टाफ की संख्या 29,806 है। कुल स्टाफ की संख्या में से 5,990 सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से, 1999 अनुसूचित जन जाति वर्ग से और 7434 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। स्टाफ की संख्या में 9,731 महिला कर्मचारी, 1,086 पूर्व-सैनिक और 545 दिव्यांग सदस्य शामिल हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छा औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखने और उसके प्रबोधन के लिए अनुशासन लागू करने, नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में पालन की जानी वाली नीतियों के सम्बन्ध में और प्रबन्धन और संघों के साथ कर्मचारियों इत्यादि के बीच होने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए समय-समय पर परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिससे औद्योगिक सम्बन्ध के अंतर्गत मामलों / विवादों में कमी आई है।

31 मार्च 2016 तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और बहुमूल्य सम्पत्तियों के रिटर्न की ऑनलाइन प्रस्तुति रिकॉर्ड 98% के स्तर पर पहुंच गई है। स्टाफ सदस्यों द्वारा आईआर से सम्बन्धित धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों / मामलों में दोषी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जहां कहीं भी ज़रूरी रही हो, शुरू की गई है ताकि बैंक में अनुशासनात्मक समरस औद्योगिक सम्बन्ध माहौल बनाए रखा जाए। स्टाफ सदस्यों से सम्बन्धित वित्त मंत्रालय एवं भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों को परिपत्र जारी करके कर्मचारियों के लाभ के लिए शीघ्रता से लागू किया जाता है। संस्था के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बैंक का औद्योगिक सम्बन्ध माहौल सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बना रहा है।

न्यायालय से जुड़े ऐसे मामले जो न्यायालय से बाहर निपटारे के पात्र हैं उन पर विचार करने के लिए उन्हें मडी एंड सीईओ तथा तीन महा प्रबन्धकों की समिति के सम्मुख विचार हेतु रखा जाता है और ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे मामले जिनका निपटान नहीं हो सकता है उन्हें मजबूती से लड़ा जाता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (बचाव, रोक और समाधान) अधिनियम 2013 की बात है, सभी प्रशासनिक कार्यालयों (केंद्रीय, अंचल व क्षेत्रीय कार्यालय) में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं। समिति की अनुसंशाओं के अनुसार, शिकायतों के निपटारे के लिए समुचित कारवाई की गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान शिकायतों के विवरण निम्नलिखित हैं।

31.03.2016 तक लंबित शिकायतें	2016-17 के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
1	3	3	1*

*मार्च 2017 में प्राप्त शिकायत

सुरक्षा

अधिदेशित और अनुसंशा योग्य सुरक्षा उपयों को सही-सही और सख्ती से सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में लागू किया गया है और समय - समय पर स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी समीक्षा की जाती है और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं जिससे ग्राहकों और स्टाफ के लिए सुरक्षित बैंकिंग माहौल का निर्माण



Version 10x, the focus of training was on imparting knowledge to end users on the operations of Finacle Version 10x. Training on Finacle Version 10x has been imparted to 22,969 (77% approx.) staff members as on 31st March 2017.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second line managers were conducted for all staff members at Staff College and various Staff Training Centers. Special Training Programmes on Financial Inclusion and issuance of multi travel prepaid card were conducted during the year.

Pre confirmation programme for Probationary Officers was conducted at various Staff Training Centers. Pre Promotion Training for SC/ST members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Training Centers. The Pre Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

The internal training system comprises of One Staff College, Eleven Staff Training Centers and One Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 16,727 staff comprising of 9,447 Officers, 6,394 Clerical and 886 Sub-staff by conducting 558 programmes of which 3,552 belonged to Scheduled Caste (SC) and 1,254 belonged to Scheduled Tribe (ST). The Bank has also conducted one On-location programme across various branches for 5 participants.

The Bank also deputed 416 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Bank has conducted Executive Development Programme 'Reinvention of Business Growth' at SASTRA University for executives with more than 3 years of service left.

Succession Planning & Motivation

Bank has initiated Mentorship Programme in tune with the current bank requirements with an objective to bridge/share the knowledge gap for officers of all levels having minimum of two years of left over service. The Programme has been initiated for all Executives of the bank by sending letters to respective mentors and mentees.

To ensure leadership continuity and develop potential successors, succession planning process was initiated. The First phase started with the identification of critical positions in the bank and identifying potential successors. For every position, three successors are to be identified and vice versa.

Promotions were given to staff members from one cadre to next cadre during the year. The Department, in coordination with external agencies conducted various health awareness sessions by medical professionals on various topics such as Lifestyle and Health, Cardiac Screening, Orthopedics, Cancer awareness, Gas safety, Dental Camp, Eye Camp, etc.

Recruitment & Staff Strength

During the year 2016 – 2017, the bank has recruited Probationary Officers and Clerks under UDAAN-Special Industry Initiative for the state of Jammu & Kashmir. The Special Industry Initiative for Jammu & Kashmir scheme "UDAAN" is a placement linked scheme in which Public & Private Sector Organizations have been called to participate by selecting students from the Jammu & Kashmir state, providing them training and placing them either within their organization or outside or enabling them to become employable. The scheme was initiated by the Bank as part of our Corporate Social Responsibility in coordination with National Skill Development Corporation (NSDC). The process included

conduct of Written Examination and an Interview process. In response to the same, candidates were selected for 2 months training programme at our Bank's Staff College at Chennai. 5 Probationary Officers and 14 Clerks joined the services of the Bank through this program.

The Bank's staff strength stood at 29,806 comprising 15,445 Officers, 11,194 Clerks and 3,128 Sub-staff as of 31st March, 2017. Of the total staff strength, 5,990 members belonged to SC category, 1,999 to ST Category, and 7,434 to OBC Category. Staff Strength includes 9731 Women employees, 1,086 Ex-servicemen and 545 physically challenged members.

Industrial Relations

In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed in recruitment, promotion and redressal of grievance between Management and Union as well as among employees etc., which has led to reduction of cases/ disputes under Industrial Relations.

Online submission of Return of Movable, Immovable and valuable properties by officer employees as on 31st March 2016 has reached a record of 98% submission. With regard to complaints/ matters pertaining to Industrial Relations committed by staff members, counselling, calling for explanation etc are resorted to and wherever necessary, disciplinary action had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank. The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of the employees. The Industrial relations environment of the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

The Court cases which are considered to be eligible for out of court settlement are put before the Committee consisting of 3 General Managers and the MD & CEO for its consideration and efforts are taken to settle such cases disposed of expeditiously. In such cases which cannot be settled the cases are contested strongly. As per the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, all Administrative office (Central, Zonal & Regional office) has constituted internal complaints committee. As per the recommendation of the Committee, appropriate action has been taken to redress the grievance.

The following are the details of complaints during the year 2016 – 2017:

Complaints Pending as on 31.03.2016	Complaints received during 2016-17	Complaints Disposed	Complaints Pending
1	3	3	1*

*complaint received in March 2017.

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented in all the branches, ATMs and administrative offices were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and the staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among



किया जा सके। सुरक्षा और अग्निशमन प्रबन्धों के लिए रक्षात्मक उपायों और स्टाफ में सुरक्षा को लेकर जागरूकता की भावना डालने पर बैंक जोर देता रहता है ताकि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैंक ने सुरक्षा को लेकर जागरूकता के सम्बन्ध में स्टाफ सदस्यों को सचेत किया है और सभी शाखाओं में सीसीटीवी और पैसिव इंफ्रा रेड (पीआईआर) सेंसर के साथ चोर अलार्म 24x7x365 दिन आधार पर लगाने और संवेदनशील शाखाओं और एटीएम में महा निदेशक पुनर्स्थापन में पंजीकृत एजेंसियों / भरोसेमंद निजी सुरक्षा एजेंसियों से प्रहरी / सशस्त्र गार्ड तैनात करने को मंजूरी दी है।

राजभाषा नीति

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किए। वर्ष के दौरान 175 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं था, उन्हें आइओबी प्रवीण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में, हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 3125 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

बोर्ड की सभी बैठकों के कार्यवृत्त व कार्यसूची का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया गया और बैंक के इंटरनेट पर डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई गयी है। वर्ष के दौरान 2162 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "वाणी" के चार अंकों का प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण रूप में किया गया। लेखमाला - 2, हिन्दी में नोटिंग व तमिल-हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली प्रकाशित की गई व उसे बैंक के इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने मथुरा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, पोरबंदर शाखा का निरीक्षण किया। समिति ने केंद्रीय कार्यालय का भी निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य एवं आलेख समिति ने दिनांक 27 मई 2016 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता-1 का निरीक्षण किया। दोनों समितियों ने इन केंद्रों में राजभाषा कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने और सभी क्षेत्रों में सघन कार्यान्वयन के हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 05 से 07 मई 2016 तक वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक एवं संसदीय समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2015-16 हेतु बैंक की गृह-पत्रिका "वाणी" को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक ने हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। दिनांक 10 सितंबर 2016 को अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चेन्नै नराकास के तत्वावधान में सदस्य बैंकों के स्टाफ सदस्यों के लिए दिनांक 26.12.2016 को "तस्वीर क्या कहती है" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिनांक 24.02.2017 को सदस्य बैंकों के अधिकारियों के लिए सामान्य हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

प्रायोजना एवं आर्थिक डेस्क

प्रायोजना कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ व हानि के संचलन, के प्रबोधन, कॉरपोरेट स्तर के बजटीकरण, उच्च प्रबन्धन को प्रावधानिक दैनिक एमआइएस की रिपोर्टिंग तथा विभिन्न अध्ययन आकलन के प्रति उपयोगी नतीजों को हासिल करवाता रहता है। आर्थिक डेस्क सरकारी / आरबीआई की नीतियों को नियमित अंतराल पर आकलित करने के अलावा दैनिक गतिविधियों से शीर्ष प्रबन्धन को अवगत कराने में सहायक होता है।

staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitised staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days basis incorporating Passive Infra Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis respectively. The Security Department at Central Office monitored and regulated the operations of cash flow during Demonetization, duly aided by the team of Regional Security Officers PAN India.

Rajbhasha (Official Language Policy)

The Bank took all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2016-17. During the year, 175 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen. 3,125 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year.

Minutes & Agendas of meetings of all board committees were translated in Hindi. As per the directives of Govt. of India, the Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on Bank's Intranet. Banking terminology has been provided on Bank's Intranet for the benefit of staff members. Training has been given to 2,162 staff members for the use of Hindi in computers. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form have been published. Lekhmala - 2 and updated editions of Notings in Hindi and Tamil-Hindi-English glossary were published and made available on Bank's intranet.

Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected Mathura branch, Regional Office Delhi and Porbandar branch. Committee has also conducted inspection of Central Office. Drafting and evidence committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected Kolkata I Regional Office on 27th May 2016. Both the committees expressed satisfaction over the implementation of Official Language in these centres. Annual Official Language Review Meeting and training programme on filling Parliamentary Questionnaire for Official Language Officers was held between 5th to 7th May 2016 to assess the progress made in the area of Official Language implementation in Regional Offices and provided inputs for intensive implementation in all Regions. Regional Offices were inspected on Official Language implementation and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Reserve Bank of India awarded First Prize for Hindi house magazine "VANI" for the year 2015-16 in the Inter-Bank Competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 10th September 2016. Quarterly OLIC meetings have been conducted regularly. Bank has conducted Hindi competition on "Picture Puzzle" on 26th December 2016 for the staff members of member banks under the aegis of Chennai TOLIC. A general Hindi workshop for the officers of member banks of Chennai TOLIC was also held on 24th February 2017.

Planning & Economic Desk

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to top Management & various study analysis. The economic desk supports top management with day-to-day developments apart from analyzing the Government/ RBI policies at regular intervals.



संसदीय समिति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित समितियों की मेज़बानी की :

क. 27-29 जून 2016 तक चेन्नै में मानव संसाधन विषयक स्थाई समिति

ख. 27-28 फरवरी 2017 तक चेन्नै में लोक लेखा समिति का अध्ययन दौरा 2016

हमारे बैंक में इंड एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ने इंड एएस (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) को वित्तीय वर्ष, 2016-17 से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंक पर इंड एएस वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होगा। बैंक के पास इसे लागू करने के लिए सुनियोजित योजना है और इस वित्तीय वर्ष में इस दिशा में अच्छी प्रगति की गई है। फरवरी 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अगुवाई में एक स्टीयरिंग कमिटी बनाई है जो कार्यान्वयन की प्रगति का मुआयना करती है। स्टीयरिंग कमिटी में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से महा प्रबन्धक शामिल हैं। साथ ही, इंड एएस के कार्यान्वयन पर प्रगति की स्थिति रिपोर्ट हम पहले ही बैंक की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं जो इंड एएस के कार्यान्वयन की समीक्षा तिमाही अंतराल पर करेगी। बैंक ने सितंबर 2016 को समाप्त अर्द्ध-वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है और वर्तमान लेखांकन फ्रेमवर्क व इंड एएस में अंतर को देखने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन भी पूरा किया है। इस मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर बैंक ने इंड एएस के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तैयार की हैं जिनकी जांच बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों द्वारा कर ली गई है। बैंक ने अलग से एक समर्पित कक्ष बनाया है और इंड एएस को लागू करने के लिए एक कोर टीम गठित की है जिसमें बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के दस (10) अधिकारी हैं। समांगी व्यवहार पर आधारित विभिन्न ऋण पोर्टफोलियो की पूलिंग के लिए अनुमानित ऋण हानि मॉडल तैयार करने के लिए बैंक ने विभिन्न कार्यात्मक विभागों से सात (7) अधिकारियों की टीम तैयार की है। बैंक अब कोर बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित प्रणाली बदलावों के आंकलन का कार्य कर रहा है जिसमें वेंडर (फिनेकल) से भी सहायता मांगी गई है।

आउटलुक 2017-18

भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख संवाहक रहा है जिसके 2016-17 में 7.1% के मुकाबले 2017-18 में 7.5% विकास का अनुमान है और कम मुद्रास्फीति, वित्तीय सूझबूझ और निम्न घाटे के साथ यह मजबूत बना हुआ है। विमुद्रीकरण के कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था कम नकदी वाली दिशा में अग्रसर होगी, कर अनुपालन बढ़ेगा और नकली मुद्रा के खतरे कम होंगे। पहले से शुरू किए गए आर्थिक और संस्थागत सुधार और जो सुधार संभावित रूप से होने वाले हैं, उससे इस बात की पर्याप्त संभावनाएं बनी हुई हैं कि भारत मध्यम अवधि में अपने जैसी समान रेटिंग वाले देशों की तुलना में अधिक विकास हासिल करेगा और वृहत् आर्थिक और संस्थागत प्रोफाइल में आगे और सुधार आएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीडीपी के विकास में मामूली वृद्धि की संभावना से बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ऑफ-टेक में सुधार की उम्मीद है और ऊंची कमोडिटी कीमतों की वजह से कार्यशील पूंजी की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। कम उधार मांग के परिदृश्य के बीच, 2017-18 के बजट में सस्ते आवासीय क्षेत्र के साथ एमएसएमई कंपनियों पर फोकस रहने से ऋण की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। सस्ते घरों के निर्माण को "इंफ्रास्ट्रक्चर" का दर्जा मिलने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 23,000 करोड़ के अतिरिक्त आबंटन के साथ 2019 तक 1 करोड़ घरों के लक्ष्य से बैंकों के आवासीय वित्तपोषण पोर्टफोलियो को समर्थन मिलेगा। एमएसएमई कंपनियों के लिए जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ तक है उनके लिए आयकर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किए जाने से निधियन के लिए संगठित स्रोतों की तरफ बड़ा शिफ्ट लाने में मदद मिल सकती है।

Parliamentary Committee

The Bank hosted the visit of following committees during the financial year 2016-17:

Standing Committee on Human Resources at Chennai from 27th - 29th June 2016.

Study Visit of Public Accounts Committee (2016-17) at Chennai from 27th - 28th Feb 2017.

STATUS OF IMPLEMENTATION OF IND AS IN OUR BANK

Indian Overseas Bank has commenced the process of IND AS (Indian Accounting Standards) implementation from FY 2016-17. IND AS is applicable to the Bank in accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs from FY 2018-19. The Bank has a well-planned strategy for this implementation and has made good progress in this financial year. In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director that monitors the progress of the implementation. The Steering Committee comprises of General Managers from various cross functional areas of the Bank. Further, we have already placed the status report on progress of implementation of Ind AS to the Audit Committee of the Bank, which will be reviewing the progress of Ind AS implementation at quarterly intervals. The Bank has filed the pro-forma financial statements for the half year ended September 2016 with the Reserve Bank of India and completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting framework and IND AS. Based on this diagnostic study the Bank has drafted significant accounting policies under IND AS which have to be vetted by various functional departments of the Bank. The Bank has set up a separate dedicated cell and has constituted a Core team for Ind AS implementation consisting of Ten (10) officers from various functional departments of the Bank. Further for designing the Expected Credit Loss Models for pooling of various loan portfolio based on homogenous characteristics the Bank has constituted a team of seven (7) officers from various functional departments. The Bank is now performing an assessment of system changes required in the core banking system, for which assistance of the vendor (Finacle) has also been sought for.

Outlook 2017-18

India has been a major driver of global economic growth with an expected growth of 7.5% for 2017-18 as against 7.1% in 2016-17 and remains resilient with low inflation, fiscal prudence and low deficit. The demonetization move will push the Indian economy to a less-cash trajectory, increase tax compliance and reduce threats from counterfeit currency. The economic and institutional reforms already introduced and potentially forthcoming, continue to offer a reasonable expectation that India's growth will outperform that of its similarly rated peers over the medium term, and will achieve further improvements in its macroeconomic and institutional profile.

Credit off take in banking sector is expected to recover in the financial year 2017-18 due to likely increase in nominal GDP. Amid a muted credit demand scenario, the budget's 2017-18 focus on affordable housing sector as well as MSME companies could bring impetus to loan demand. Conferring of "Infrastructure" status to construction of affordable housing along with the increased allocation to Pradhan Mantri Awaas Yojana to Rs.23,000 crores for FY18 with a target of 1 crore houses by 2019 would support housing finance portfolio of banks. Reduction in income tax rate to 25 per cent from 30 per cent for the MSME companies with annual turnover of upto Rs.50 crores could add to the larger shift observed towards tapping organized channels of funding.



1. वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों का संचालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन में करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक, निष्पक्षता व जवाबदेही तय की है। बैंक सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन को भी प्रतिबद्ध है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार, कर्मचारीगण, ऋणदाताओं तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।

2. निदेशक मंडल

ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2017 तक 9 निदेशक हैं, जिनमें दो पूर्ण कालिक निदेशक हैं व सात गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं। अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

बी. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति/कार्यकाल की समाप्ति
01	टी.सी.ए. रंगनाथन	अध्यक्ष	गैर कार्यपालक / अंशकालिक गैर आधिकारिक	16.02.2017	
02	आर. कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यपालक / पूर्णकालिक	31.12.2014	30.06.2016
03	अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	27.09.2013	30.09.2016
04	पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	10.03.2015	09.08.2016
05	आर. सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016 से कार्यपालक निदेशक * 05.05.2017 से प्र.नि. व मु.का.अधि नियुक्त	कार्यपालक / पूर्णकालिक	29.09.2016	
06	के.स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	17.02.2017	
07	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	22.07.2011	21.07.2016
08	ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक - गैर कार्यपालक	22.07.2016	
09	निर्मल चंद	भा.रि.बैं. नामिती निदेशक	आधिकारिक, गैर कार्यपालक	13.03.2014	
10	आर. संपत कुमार	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	24.01.2014	23.01.2017
11	डॉ. जय देव शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	02.05.2013	01.05.2016
12	चिन्नैया	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	13.11.2013	12.11.2016
13	एस. सुजाता	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	05.12.2013	04.12.2016
14	ए.बी.डी. बादुशास	निदेशक/ अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	12.12.2013	11.12.2016
15	निरंजन कुमार अग्रवाल	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	
16	संजय रंगटा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2014	
17	के रघु	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर कार्यपालक	26.07.2016	
18	विष्णुकुमार बंसल	अपर निदेशक	गैर कार्यपालक	08.08.2016	



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2016-17

1. Bank's Philosophy on code of Governance

Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for more transparency and set very high standards, fairness and accountability for performance at various layers of authorities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to serve the interests of its shareholders, customers, Government, employees, creditors and society at large.

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and ED function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2017 is nine directors comprising two whole time Directors and seven non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest. The Chairman presides over the meetings of the Board.

b. Particulars of Directors who held office during the financial year 2016-2017:

Sl No.	Name of the Director (Shri/Smt)	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	T C A Ranganathan	Chairman	Non Executive/Part Time Non Official	16.02.2017	
02	R Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	Executive / Whole Time	31.12.2014	30.06.2016
03	Atul Agarwal	Executive Director	Executive / Whole Time	27.09.2013	30.09.2016
04	Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	Executive / Whole Time	10.03.2015	09.08.2016
05	R Subramaniakumar	Executive Director w.e.f 29.09.2016* Appointed as MD & CEO w.e.f 05.05.2017	Executive / Whole Time	29.09.2016	
06	K Swaminathan	Executive Director	Executive / Whole Time	17.02.2017	
07	Dr. Alok Pande	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	21.07.2016
08	Annie George Mathew	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2016	
09	Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non Executive	13.03.2014	
10	R Sampath Kumar	Workmen Employee Director	Non Executive	24.01.2014	23.01.2017
11	Dr. Jai Deo Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	02.05.2013	01.05.2016
12	Chinnaiah	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	13.11.2013	12.11.2016
13	S. Sujatha	Director /Part-time Non – Official	Non Executive	05.12.2013	04.12.2016
14	A.B.D.Badushas	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	12.12.2013	11.12.2016
15	Niranjan Kumar Agarwal	Shareholder Director	Non-Executive	08.12.2014	
16	Sanjay Rungta	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2014	
17	K Raghu	Chartered Accountant Director	Non-Executive	26.07.2016	
18	Vishnukumar Bansal	Additional Director	Non-Executive	08.08.2016	



* 11 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 की तीन माह की अवधि और 28 फरवरी 2017 से 27 मई 2017 की अतिरिक्त तीन माह की अवधि के लिए एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और का. नि.- अतिरिक्त प्रभार- प्र.नि व मु.का.नि. से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

उप महाप्रबंधक श्रीमती शंकरा पलनिवेल 31.10.2016 तक बोर्ड की सचिव रहीं। वर्तमान में श्री एस. उमापति, महा प्रबंधक बोर्ड के सचिव हैं।

सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 15 बैठकें हुईं।

बैंक ने 2012-13 में बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्कस्पेस, के जरिए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड व समिति की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 18.04.2016, 27.05.2016,

27.06.2016, 27.06.2016 (विशेष बैठक सं. 1), 09.08.2016, 02.09.2016, 27.09.2016, 27.09.2016 (विशेष बैठक सं. 2), 24.10.2016, 11.11.2016, 17.12.2016 (विशेष बैठक सं. 3), 09.01.2017, 24.01.2017, 24.02.2017 तथा 18.03.2017 को 15 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक विशेष बोर्ड बैठक आयोजित की गई:

- 1) जोखिम एवं एन.पी.ए. प्रबंधन
- 2) मानव संसाधन एवं उत्तराधिकार योजना
- 3) कोर कारोबार

ए) शाखा परिचालन, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार प्रक्रिया री- इंजीनियरिंग, लागत एवं उत्पादकता

बी) ग्राहक सेवाएँ

- 4) उत्पाद और बाजार, कारोबार में नवोन्मेष और ई- प्रशासन समेत रणनीतिक कारोबार योजना

सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गईं।

मंडल की बैठकों और दिनांक 18.07.2016 को आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थित/ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	18.07.2016 को संपन्न ए.जी.एम. में उपस्थिति
01	श्री टी.सी.ए. रंगनाथन	2/2	
02	श्री आर. कोटीस्वरन	4/4	
03	श्री अतुल अग्रवाल	8/8	उपस्थित
04	श्री पवन कुमार बजाज	5/5	उपस्थित
05	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	7/7	
06	श्री के.स्वामिनाथन	2/2	
07	डॉ. आलोक पाण्डे	03/04	अनुपस्थित
08	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	06/10*	
09	श्री निर्मल चंद	15/15	अनुपस्थित
10	श्री आर. संपत कुमार	12/12	उपस्थित
11	डॉ. जय देव शर्मा	1/1	उपस्थित
12	श्री चिन्नैया	9/10	अनुपस्थित
13	श्रीमती एस. सुजाता	10/10	अनुपस्थित
14	श्री ए. बी. डी. बादशास	08/10	उपस्थित
15	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	11/15**	उपस्थित
16	श्री संजय रंगटा	13/15***	उपस्थित
17	श्री के रघु	9/11	
18	श्री विष्णुकुमार बंसल	6/10****	

* श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू ने 09.01.2017, 24.01.2017 तथा 18.03.2017 को संपन्न बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

** श्री निरंजन कुमार अग्रवाल ने 17.12.2016 तथा 24.02.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

*** श्री संजय रंगटा ने 24.01.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।

**** श्री विष्णुकुमार बंसल ने 09.01.2017 व 18.03.2017 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया।



* Entrusted with the Additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11th November 2016 to 10th February 2017 and for a period of another 3 months from 28th February 2017 to 27th May 2017

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure. It is declared that none of the directors are related to each other. The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Smt. Sankari Palanivel, Deputy General Manager, was the Secretary to the Board till 31.10.2016 and Shri S Umapathi, General Manager is the present Secretary to the Board.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. During the year under review, the meetings of the Board were held 15 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace.

During the financial year 2016-17, the Board meetings were held 15

times on 18.04.2016, 27.05.2016, 27.06.2016, 27.06.2016 (Special Meeting No.1) 09.08.2016, 02.09.2016, 27.09.2016, 27.09.2016 (Special Meeting No.2), 24.10.2016, 11.11.2016, 17.12.2016, (Special Meeting No. 3) 09.01.2017, 24.01.2017, 24.02.2017 and 18.03.2017.

As directed by Ministry of Finance, Government of India, Special Board Meeting were held to focus on one of the following subjects:

- 1) Risk and NPA Management
- 2) Human Resources & Succession Planning
- 3) Core Business –
 - a) Branch operation, on-line banking, Business Process Re-engineering, costs and productivity
 - b) Customer Services
- 4) Strategic Business Plan including products and markets, innovation in business and e-governance.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment

Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on 18.07.2016 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings Attended / held	Attendance in the AGM 18.07.2016
01	Shri T C A Ranganathan	2/2	
02	Shri R Koteeswaran	4/4	
03	Shri Atul Agarwal	8/8	Attended
04	Shri Pawan Kumar Bajaj	5/5	Attended
05	Shri R Subramaniakumar	7/7	
06	Shri K Swaminathan	2/2	
07	Dr. Alok Pande	3/4	Not Attended
08	Ms. Annie George Mathew	6/10*	
09	Shri Nirmal Chand	15/15	Not attended
10	Shri R Sampath Kumar	12/12	Attended
11	Dr. Jai Deo Sharma	1/1	Attended
12	Shri Chinnaiah	9/10	Not attended
13	Ms. S Sujatha	10/10	Not attended
14	Shri A B D Badushas	8/10	Attended
15	Shri Niranjan Kumar Agarwal	11/15**	Attended
16	Shri Sanjay Rungta	13/15***	Attended
17	Shri K Raghu	9/11	
18	Shri Vishnu Kumar Bansal	6/10****	

* Ms. Annie George Mathew attended the meeting through videoconferencing on 09.01.2017 , 24.01.2017 and 18.03.2017.

** Shri Niranjan Kumar Agarwal attended the meeting through videoconferencing on 17.12.2016 and 24.02.2017.

*** Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 24.01.2017.

**** Shri Vishnukumar Bansal attended the meeting through Video conferencing on 09.01.2017 and 18.03.2017



31.03.2017 तक सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों के ब्योरे निम्नवत हैं:

1. श्री एन.के. अग्रवाल- 200 शेयर
2. श्री संजय रंगटा- 600 शेयर : कोई अन्य गैर कार्यपालक निदेशक आईओबी के शेयर नहीं रखते

डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य / अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आईओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आईओबी को छोड़कर)
श्री टी.सी.ए. रंगनाथन	4	1

ई. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं है या सभी सूचीबद्ध इकाइयों, जिनमें वे निदेशक हैं, की पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 26 के संबंध में सीमा की गणना के लिए, लेखापरीक्षा समिति व स्टेकधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।)

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
3. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के प्रबोधन हेतु समिति
6. ग्राहक सेवा समिति
7. आनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति
8. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
9. मानव संसाधन विषयक बोर्ड स्तरीय संचालन समिति
10. एन.पी.ए. में वसूली के प्रबोधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति
11. इरादतन चूककर्ता से संबंधित शिकायत निवारण समिति
12. नामांकन समिति
13. पारिश्रमिक समिति तथा
14. हितधारक संबंध समिति (हितधारक शिकायत निवारण समिति)

इनके अलावा कई अन्य समितियाँ मसलन आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समीक्षा समिति तथा एमडी व सीईओ, का.नि.,म.प्र. तथा विभाग कार्यपालक जैसी सदस्यों वाले उच्च प्रबंधन समिति हैं, जिनका गठन कारोबार के विभिन्न पहलुओं के दैनंदिन कार्यप्रणाली, समीक्षा व प्रबोधन के लिए किया गया है।

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.बी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। वर्तमान में समिति में पाँच सदस्य हैं- आंतरिक निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक व दो गैर सरकारी निदेशक। ए.सी.बी के प्रत्यायोजित कार्य बैंक में कुल लेखापरीक्षा प्रणाली के परिचालनों का अनुपालन, बैंक में आंतरिक निरीक्षण/ लेखापरीक्षा प्रणाली की समीक्षा, अनुपालन अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा एल.एफ.ए.आर में उठाए गए सभी मसलों की समीक्षा व अनुवर्तन और वार्षिक/ तिमाही वित्तीय विवरणियों व रिपोर्टों को तैयार करने से पूर्व बाहरी लेखापरीक्षकों से संपर्क करना है। समिति सेबी विनियम (एल.ओ.डी.आर), 2015 के विनियम 18 के तहत निर्दिष्ट अन्य सभी मसलों व लेखाकन मानदंडों का पालन करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान समिति कुल 10 बार 26.05.2016, 27.06.2016, 13.06.2016, 18.07.2016, 08.08.2016, 09.08.2016, 24.10.2016, 11.11.2016, 24.01.2017 तथा 24.02.2017 को मिली।

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्योरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
			स	तक	
1	श्री अतुल अग्रवाल	सदस्य	27.09.2013	30.09.2016	06/06
2	श्री पवन कुमार बजाज	सदस्य #	10.03.2015	09.08.2016	06/06
3	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	सदस्य	29.09.2016		04/04
4	श्री के.स्वामिनाथन	सदस्य #	17.02.2017		01/01
5	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य	22.07.2011	21.07.2016	02/04
6	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016		03/06
7	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014		09/10
8	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य	08.12.2014		09/09
9	श्री संजय रंगटा	सदस्य	08.12.2014	27.06.2016	03/03
10	श्री के रघु	सदस्य समिति के अध्यक्ष	09.08.2016 09.01.2017	08.01.2017 08.08.2018	02/05



Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2017

1. Shri Niranjan Kumar Agarwal – 200 shares
2. Shri Sanjay Rungta – 600 shares; no other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri. T C A Ranganathan	4	1

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all listed entities in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of Regulation 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

1. Audit Committee of the Board
2. Management Committee of the Board (MCB)
3. Credit Approval Committee of the Board

4. Risk Management Committee
5. Committee for Monitoring Large Value Frauds
6. Customer Service Committee
7. Committee for Review Of Disciplinary Cases
8. Information Technology Strategy Committee
9. Board Level Steering Committee On Human Resources
10. Board Level Committee To Monitor Recovery In NPA
11. Grievances Redressal Committee On Wilful Defaulters
12. Nomination Committee
13. Remuneration Committee and
14. Stakeholders Relationship Committee

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising MD & CEO, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

3.1 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

The Audit Committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of five members comprising of the Executive Director in charge of Internal Inspection and Audit, Government director, RBI director and two non-official directors. The delegated functions and duties of the ACB are to oversee the operation of the total audit function in the Bank, to review the internal inspection / audit function in the Bank, to review reports from the Compliance Officers; to review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports. The committee complies with accounting standards and all other matters specified under regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The committee met 10 times during the year 2016-17 on 26.05.2016, 27.06.2016, 13.06.2016, 18.07.2016, 08.08.2016, 09.08.2016, 24.10.2016, 11.11.2016, 24.01.2017 and 24.02.2017.

The members who held office during the period 01.04.2016 to 31.03.2017 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No	Name of Director	Position	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
			From	To	
1	Shri Atul Agarwal	Member	27.09.2013	30.09.2016	06/06
2	Shri Pawan Kumar Bajaj	Member #	10.03.2015	09.08.2016	06/06
3	Shri R Subramaniakumar	Member	29.09.2016		04/04
4	Shri K Swaminathan	Member #	17.02.2017		01/01
5	Dr. Alok Pande	Member	22.07.2011	21.07.2016	02/04
6	Ms. Annie George Mathew	Member	22.07.2016		03/06
7	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014		09/10
8	Shri Niranjan Kumar Agarwal	Member	08.12.2014		09/09
9	Shri Sanjay Rungta	Member	08.12.2014	27.06.2016	03/03
10	Shri K Raghu	Member	09.08.2016	08.01.2017	02/05
		Chairman of Committee	09.01.2017	08.08.2018	



#01.11.2015 से निरीक्षण व लेखापरीक्षा के प्रभारी का.नि. ए.सी.बी के सदस्य हैं और दूसरे का.नि. भा.रि.बैं द्वारा बताए गए अनुसार आमंत्रित हैं।

3.2 ग्राहक सेवा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ करते हैं। 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री आर कोटीस्वरन	31.12.2014	30.06.2016	01/01
2	श्री अतुल अग्रवाल	27.09.2013	30.09.2016	01/02
3	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016		01/01
4	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011	21.07.2016	01/01
5	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	22.07.2016		01/02
6	श्री आर. संपत कुमार	24.01.2014	23.01.2017	03/03
7	श्री चिन्नैया	05.12.2014	12.11.2016	02/02

3.3 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति उचित समय पर गठित की जाएगी। समिति वर्ष 2016-17 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक के ब्योरे		राशि (रु.)
			वेतन	पीएफ	
1	श्री आर कोटीस्वरन (30.06.2016 को सेवानिवृत्त)	एमडी व सीईओ	538911	23329	562240
2	श्री अतुल अग्रवाल	का.नि.	957345	41997	999342
3	श्री पवन कुमार बजाज	का.नि.	899644	113381	1013025
4	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार (रिपोर्टिंग तिथि: 29.9.2016)	का.नि. व एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार	1126834	110474	1237308
5	श्री के.स्वामिनाथन (रिपोर्टिंग तिथि: 17.02.2017)	का.नि.	257623	25257	282880

बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक-शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है। केंद्रीय बोर्ड बैठकों के लिए बैठक शुल्क रु. 20,000 प्रति बैठक तथा अन्य केंद्रीय बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों के लिए रु. 10,000 प्रति बैठक है।



With effect from 01.11.2015 ED in charge of Inspection and Audit is a member of ACB and the other ED is an invitee as advised by RBI.

3.2 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 3 times during the period 01.04.2016 to 31.03.2017.

Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

Sl. No.	Name of the Director	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri R Koteeswaran	31.12.2014	30.06.2016	01/01
2	Shri Atul Agarwal	27.09.2013	30.09.2016	01/02
3	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016		01/01
4	Dr.Alok Pande	22.07.2011	21.07.2016	01/01
5	Ms. Annie George Mathew	22.07.2016		01/02
6	Shri R. Sampath Kumar	24.01.2014	23.01.2017	03/03
7	Shri Chinnaiah	05.12.2014	12.11.2016	02/02

3.3 REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, would be constituted at an appropriate time for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank. The Committee did not meet during the year 2016-2017.

Sl. No	Name	Designation	Details of Remuneration		Amount (Rs.)
			Salary	PF	
1	Shri. R. Koteeswaran (Retired on 30.06.2016)	MD & CEO	538911	23329	562240
2	Shri. Atul Agarwal	ED	957345	41997	999342
3	Shri. Pawankumar Bajaj	ED	899644	113381	1013025
4	Shri. R. Subramaniakumar (Reported on 29.09.2016)	ED with Addl. charge MD & CEO	1126834	110474	1237308
5	Shri. K. Swaminathan (Reported on 17.02.2017)	ED	257623	25257	282880

The Bank does not pay any remuneration to the Non-executive Directors excepting sitting fees as per the Govt.of India guidelines. The sitting fees paid for Central Board Meetings – Rs.20000/- per meeting and for other Central Board Level Committees Meetings Fees- Rs.10000/- per meeting



3.4 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशकों की नियुक्ति करते समय "योग्य तथा उचित" हैसियत आदि निर्णय लेने के तरीके/ पद्धति, प्राधिकार के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए। 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान समिति एक बार 02.09.2016 को मिली। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
		से	तक	
1	श्री टी.सी.ए. रंगनाथन	16.02.2017		
2	श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू*	22.07.2016		01/01
3	डॉ आलोक पाण्डे	28.04.2014	28.04.2016	
		22.06.2016	21.07.2016	
4	सुश्री एस. सुजाता	28.04.2014	28.04.2016	
5	श्री ए.बी.डी. बादुशास	27.06.2016	11.12.2016	01/01
3	श्री के रघु	26.07.2016		01/01

*बैठक की अध्यक्ष

4. हितधारक संबंध समिति (हितधारक शिकायत निवारण समिति)

श्री संजय रंगटा समिति के अध्यक्ष हैं तथा अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा नामित दो निदेशक हैं। समिति के अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा नामित दो निदेशक हैं। निम्नलिखित सदस्यों वाली यह समिति 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान चार बार 27.05.2016, 08.08.2016, 17.12.2016 तथा 18.03.2017 को मिली।

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल	
	 से तक
1	श्री संजय रंगटा	08.12.2014	
2	श्री अतुल अग्रवाल	18.10.2013	30.09.2016
3	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	08.12.2014	
4	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	30.09.2016	

क. अनुपालन अधिकारी-

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 6 के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विविध प्रावधानों के अनुपालन हेतु समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुश्री दीपा चेल्लम कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी हैं।

ख. शेयरधारकों की शिकायत:

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2016 तक लंबित	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त	121
वर्ष के दौरान सुलझाई गई	121
31.03.2017 तक लंबित	शून्य

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों

को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दर्ज करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आइडी investorcomp@iobnet.co.in आर्बिट्रिज की गई है और कंपनी सचिव सुश्री दीपा चेल्लम इस संबंध में अनुपालन अधिकारी हैं। हमने इस ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। निवेशक संपर्क कक्ष, जिसके प्रमुख सहायक महाप्रबंधक हैं, जो कि योग्य कंपनी सचिव भी हैं, निवेशकों की शिकायतों को भी निपटारा करते हैं।

5. सामान्य निकाय बैठक

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों के स्थान व समय निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
1	14वीं एजीएम	27.06.2014, शुक्रवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतैया हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600002
2	15वीं एजीएम	30.06.2015, मंगलवार, पूर्वाह्न 10.30	नारद गान सभा, 314 टीटीके रोड, चेन्नै-600018
3	16वीं एजीएम	18.07.2016, सोमवार, पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतैया हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600002

ख) 14 वीं, 15वीं व 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू.आइ.पी.), राईट्स ईश्यू, अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी / गैर संचयी) के जरिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूंजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

ग) कोई डाक मतदान नहीं था।



3.4 NOMINATION COMMITTEE

RBI, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors. RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future. The Committee met one time during the period 01.04.2016 to 31.03.2017 on 02.09.2016. The Chairman presides over the meetings of the Committee

Sl.No	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings Attended/held
		From	To	
1	Shri T C A Ranganathan	16.02.2017		
2	Ms. Annie George Mathew*	22.07.2016		01/01
3	Dr. Alok Pande	28.04.2014 22.06.2016	28.04.2016 21.07.2016	
4	Ms. S.Sujatha	28.04.2014	28.04.2016	
5	Shri ABD Badushas	27.06.2016	11.12.2016	01/01
6	Shri K Raghu	26.07.2016		01/01

* Chairperson of the Meeting

4. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (STAKEHOLDERS' GRIEVANCE COMMITTEE):

Shri Sanjay Rungta is the Chairman of the Committee and the other members are two directors nominated by the Board. The committee consisting of following members met 4 times during the period from 01.04.2016 to 31.03.2017, on 27.05.2016, 08.08.2016, 17.12.2016 and 18.03.2017.

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership	
		From	To
1.	Shri Sanjay Rungta	08.12.2014	
2.	Shri. Atul Agarwal	18.10.2013	30.09.2016
3.	Shri Niranjan Kumar Agarwal	08.12.2014	
4.	Shri. R. Subramaniakumar	30.09.2016	

(a) Compliance Officer:

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Ms. Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

(b) Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2016	NIL
Received during the year	121
Redressed during the year	121
Pending as on 31.03.2017	NIL

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the

shareholders that an exclusive e-mail ID - investorcomp@iobnet.co.in has been allotted and Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager who is also a qualified Company Secretary handles the redressal of investor complaints.

5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	14 th AGM	27.06.2014, Friday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
2	15 th AGM	30.06.2015, Tuesday, 10.30 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	16 th AGM	18.07.2016, Monday, 10.00 AM	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

b. In the 14th, 15th and 16th, AGM special resolutions were put through to obtain the shareholders approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.



घ) स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं:

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ईजीएम	16.12.2013, सोमवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	होटल एंबेसेडर पल्लवा, 30, मॉन्टियथ रोड, एगमोर, चेन्नै - 600 008.
02	ईजीएम	26.02.2014, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
03	ईजीएम	23.09.2015, बुधवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
04	ईजीएम	24.03.2016, गुरुवार पूर्वाह्न 10.30 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
05	ईजीएम	15.09.2016, गुरुवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	रानी सीतैया हॉल 603, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया।

ड.) ई-वोटिंग:

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, जारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने को सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

6. संप्रेषण के माध्यम

को समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक (तमिल)	हिंदी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2016	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैंडर्ड	28.05.2016
30.06.2016	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	बिजनेस स्टैंडर्ड	10.08.2016
30.09.2016	बिजनेस लाइन	द हिंदू	जनसत्ता	12.11.2016
31.12.2016	बिजनेस लाइन	द हिंदू	जनसत्ता	25.01.2017

ग. तिमाही परिणाम / वार्षिक परिणाम व विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

घ. बैंक तिमाही/ वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस रिलीज़ प्रदर्शित करता है।

7. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थान:

दिनांक	28.06.2017
समय	10:00 बजे, सुबह
स्थान	चेन्नै

ख. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017

ग. लाभांश भुगतान की तारीख: शून्य (वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ)

क. बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयरधारकों को भेजता रहा है जिनका ई मेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को यह परिणाम हार्ड प्रति के जरिए भेजा जाता है।

ख. सेबी (सूचीबद्ध करार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 (एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

घ. बही बंद करने की तारीख: वार्षिक सामान्य बैठक के लिए

21.06.2017 से 28.06.2017 (दोनों दिन शामिल हैं)

ड. अदत्त लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में बैंक के अदत्त लाभांश विषयक 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है तथा कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.) में अंतरण हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है और अतः इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.) में अंतरित कर दिया जाएगा:



d. Location and time where Extraordinary General Meeting were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	16.12.2013 Monday 10.00 a.m.	Hotel Ambassador Pallava, 30, Montieth Road, Egmore, Chennai – 600 008
2	EGM	26.02.2014 Wednesday 10.00 a.m.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3	EGM	23.09.2015 Wednesday 10.00 a.m.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
4	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 a.m.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 a.m.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

The above EGMs were held for obtaining shareholders approval for issue of equity shares to Government of India and LIC and its various schemes on preferential basis.

e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/ EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2016	Business Standard	The Hindu	Business Standard	28.05.2016
30.06.2016	Business Standard	Dinamani	Business Standard	10.08.2016
30.09.2016	Business Line	The Hindu	Jansatta	12.11.2016
31.12.2016	Business Line	The Hindu	Jansatta	25.01.2017

c. The quarterly results/annual results and presentation to the analysts are also being displayed on the Bank's web-site www.job.in

d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	28.06.2017
Time	10.00 am
Venue	Chennai

b) Financial Year : 01st April 2016 to 31st March 2017.

c) Dividend Payment Date : NIL (Bank incurred losses during FY 2016-17)

approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending annual results, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the bank, for others by hard copy.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

d) Date of Book Closure : 21.06.2017 to 28.06.2017 (Both days inclusive) for purpose of Annual General Meeting.

e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of the Bank and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by Banks for transferring the Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to IEPF:



.....वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख (आइ. ई.पी.एफ.)
2008-09	11.08.2009	05.08.2016
2009-10	26.10.2010	अक्टूबर 2017
2010-11	02.09.2011	सितंबर 2018
2011-12	16.10.2012	अक्टूबर 2019
2012-13	01.08.2013	अगस्त 2020
2013-14 (आई)	05.03.2014	मार्च 2021
2013-14 (एफ)	01.08.2014	अगस्त 2021

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू आई बीई बीटी

छ. बाजार मूल्य के आँकड़े

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	निम्न (रु)	उच्च(रु)	निम्न (रु)
अप्रैल 2016	32.70	29.50	32.65	29.50
मई 2016	31.95	26.75	32.00	26.75
जून 2016	27.85	25.05	27.90	25.05
जुलाई 2016	28.75	26.75	29.00	26.80
अगस्त 2016	28.10	25.85	28.00	25.90
सितंबर 2016	29.15	25.00	29.00	25.00
अक्टूबर 2016	27.10	25.10	27.15	25.00
नवंबर 2016	27.80	20.50	27.90	21.10
दिसंबर 2016	25.40	23.95	25.55	23.85
जनवरी 2017	26.85	24.00	27.00	24.05
फरवरी 2017	28.75	25.50	28.65	25.50
मार्च 2017	28.85	26.10	28.80	26.10

2016-17 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकड़े स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं। हमारे बैंक को ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2016-17 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी 31.03.2017 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 10000 करोड़ है जो कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकित 27.02.2017 के जरिए रु. 3000 करोड़ से बढ़ी है।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर क्यू.आइ.पी को 23.05.2016 को रु. 28.55 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 18.55 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 9,17,48,448 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 261.95 करोड़ के करीब हुआ, जारी किए तथा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 30.09.2016 को रु. 27.91 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 17.91 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 55,57,14,797 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 1551 करोड़ के करीब हुआ, जारी किए। अतः बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 1807.27 करोड़ से बढ़कर रु. 2454.73 करोड़ हो गई। भारत सरकार की शेयरधारिता रु. 1397.33 करोड़ (77.32%) से बढ़कर रु. 1953.04 करोड़ (79.56%) तथा पब्लिक शेयरधारिता रु. 501.69 करोड़ (20.44%) रही।



Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Date of Transfer to Government (IEPF)
2008-09	11.08.2009	05.08.2016
2009-10	26.10.2010	October 2017
2010-11	02.09.2011	September 2018
2011-12	16.10.2012	October 2019
2012-13	01.08.2013	August 2020
2013-14 (I)	05.03.2014	March 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	August 2021

Annual listing fee for the year 2016-17 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital:As on 31.03.2017, the Authorized Capital of the Bank is Rs.10000 crore which was increased from Rs.3000 crore vide GOI notification dated 27.02.2017.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 9,17,48,448 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.28.55 per equity share (including premium of Rs.18.55 per equity share) aggregating upto Rs.261.95 crore to QIPs on Preferential Basis on 23.05.2016 and 55,57,14,797 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.27.91 per equity share (including premium of Rs.17.91 per equity share aggregating upto Rs.1551 crore to Government of India on 30.09.2016 on Preferential Basis. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.1807.27 crore to Rs.2454.73 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.1397.33 crore (77.32%) to Rs.1953.04 crore (79.56%) and the Public shareholding stood at Rs.501.69 crore (20.44%).

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd. Mumbai	532388
National Stock Exchange of India Ltd, Mumbai	IOB EQ AE BE BT


g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		BSE	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2016	32.70	29.50	32.65	29.50
May 2016	31.95	26.75	32.00	26.75
June 2016	27.85	25.05	27.90	25.05
July 2016	28.75	26.75	29.00	26.80
August 2016	28.10	25.85	28.00	25.90
September 2016	29.15	25.00	29.00	25.00
October 2016	27.10	25.10	27.15	25.00
November 2016	27.80	20.50	27.90	21.10
December 2016	25.40	23.95	25.55	23.85
January 2017	26.85	24.00	27.00	24.05
February 2017	28.75	25.50	28.65	25.50
March 2017	28.85	26.10	28.80	26.10

Figures in bold represent the high/low price of the Bank's shares traded during the year 2016 -17, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading.



ज. 01-04-2016 से 31-03-2017 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में इक्विटी निष्पादन



झ) रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट - आइ ओ बी)
 सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002
 टेलिफोन - 044- 28460395, फैक्स- 28460129 ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ज. शेयर अंतरण प्रणाली


हमारे बैंक वेग निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एल्सटैक), महाप्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के लिए दिया है। एल्सटैक बैठकों के कार्यवृत्त प्रत्येक बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। विगत वर्ष में समिति की 26 बैठकें हुईं तथा बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

ठ. 31.03.2017 तक शेयरधारिता का वितरण:

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तकों की धारिता			
1.	भारत सरकार	1953043242	79.56
	उप योग	1953043242	79.56
गैर-प्रवर्तकों की धारिता			
2.	संस्थागत निवेशक		
क.	म्यूचुअल फण्डस, यू.टी, आइ	0	0
ख.	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	295640782	12.04
ग.	बीमा कंपनियाँ	13438245	0.55
घ.	विदेशी संस्थागत निवेशक	5803296	0.24
ङ.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0.00
च.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	19986890	0.81
	उप योग	334917216	13.64
3.	अन्य		
क.	निजी निगम निकाय	31735376	1.29
ख.	वैयक्तिक	124907596	5.09
ग.	एन.आर.आइ	6380013	0.26
घ.	अन्य	3745485	0.16
	उप योग	166768470	6.80
	कुल योग	2454728928	100.00



h). Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2016 to 31.03.2017



i). Registrar & Share Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (Unit-IOB)
 Subramanian Building, V Floor, No.1, Club House Road, Chennai-600 002
 Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 e-mail:cameo@cameoindia.com

j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The committee met 26 times during last year and reports submitted to the Board.

k) Distribution of shareholding as on 31.03.2017:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
PROMOTERS HOLDING			
1	Government of India	1953043242	79.56
	Sub-Total	1953043242	79.56
NON-PROMOTERS HOLDING			
2	Institutional Investors		
A	Mutual funds and UTI	0	0
B	Banks, Financial Institutions	295640782	12.04
C	Insurance Companies	13438245	0.55
D	Foreign Institutional Investors	5803296	0.24
E	Overseas Corporate Body	48000	0.00
F	Foreign Portfolio Investor	19986890	0.81
	Sub-Total	334917216	13.64
3	OTHERS		
A	Private Corporate Bodies	31735376	1.29
B	Individuals	124907596	5.09
C	NRI	6380013	0.26
D	Others	3745485	0.16
	Sub-total	166768470	6.80
GRAND TOTAL		2454728928	100.00



ड. 31.03.2017 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की सं.	शेयरधारकों की कुल सं. का %	रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की कुल रकम (अंकित मूल्य)	कुल सं का %
211098	82.98	5000 तक	370823630	1.51
25879	10.17	5001 - 10000	216431610	0.88
9806	3.86	10001 - 20000	145416860	0.59
2703	1.06	20001- 30000	68884400	0.28
1249	0.49	30001 -40000	45101720	0.19
980	0.39	40001 -50000	46556090	0.19
1427	0.56	50001 -100000	105906900	0.43
1254	0.49	100001 व अधिक	23548168070	95.93
254396	100.00	कुल	24547289280	100.00

ढ. 31.03.2017 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31.03.2016 तक		31.03.2017 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आइ.आइ)	9906533	0.55	5803296	0.24
02	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
03	एनआरआइ	5528888	0.31	6380013	0.26
04	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	6217824	0.34	19986890	0.81
	कुल	21701245	1.20	32218199	1.31

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2017 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एनआरआइ, ओसीबी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 1.31% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ण. 31.03.2017 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	1953043242	79.56
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	262053524	10.68
3	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	12814956	0.52
4	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8756567	0.36
5	आशीष रमेशकुमार गोएंका	8610781	0.35
	कुल	2245279070	91.47

त. शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमेट ट्रेडिंग के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सा. डी.एस.एल) का सदस्य है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2017 तक 245.47 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 242.50 करोड़ शेयर या 98.79% 165881 शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 195.30 करोड़ शेयर डीमेट रूप में धारित करता है जोकि समग्रतः 79.56% है) तथा 2.96 करोड़ शेयर या 1.21% 88515 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है।



l) Distribution schedule as on 31.03.2017

No. of share holders	% to total no. of share holders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
211098	82.98	Upto 5000	370823630	1.51
25879	10.17	5001 – 10000	216431610	0.88
9806	3.86	10001 – 20000	145416860	0.59
2703	1.06	20001 – 30000	68884400	0.28
1249	0.49	30001 – 40000	45101720	0.19
980	0.39	40001 – 50000	46556090	0.19
1427	0.56	50001 – 100000	105906900	0.43
1254	0.49	100001 and above	23548168070	95.93
254396	100.00	TOTAL	24547289280	100.00

m) Foreign Shareholding as on 31.03.2017

Sl. No.	Category	As on 31.03.2016		As on 31.03.2017	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	9906533	0.55	5803296	0.24
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	5528888	0.31	6380013	0.26
4	Foreign Portfolio Investor	6217824	0.34	19986890	0.81
	Total	21701245	1.20	32218199	1.31

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2017 was 1.31% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n) Top five shareholders of the bank as on 31.03.2017:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	The President of India - Government of India	1953043242	79.56
2	Life Insurance Corporation of India	262053524	10.68
3	Bank of Baroda	12814956	0.52
4	United India Insurance Company Limited	8756567	0.36
5	Ashish Rameshkumar Goenka	8610781	0.35
	Total	2245279070	91.47

o) Dematerialization of shares & Physical Holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2017, out of 245.47 crore equity shares, 242.50 crore shares or 98.79% are held by 165881 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 195.30 crore shares in Demat form aggregating to 79.56%) and 2.96 crore shares or 1.21% are held by 88515 shareholders in physical form.



डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी सस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

व्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2016 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	221	55000
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी सस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	0	0
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी सस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया।	0	0

शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2017 के अंत में अदावी सस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	221	55000
---	-----	-------

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

थ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

द. बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए हैं: 31-03-2017 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार है:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
निम्न टियर II					
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
xiv	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
उच्च टियर II					माँग विकल्प तारीख
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
टियर I (बेमियादी)					माँग विकल्प तारीख
iv	29.09.2009	300.00	@बेमियादी	09.30	@29.09.2019
टियर I- बेसल III (बेमियादी)					
i	04.02.2015	1000.00	* बेमियादी	10.00	04.02.2020
बेसल III टियर II					
1	03.11.2016	800.00	@120	9.24	@@03.11.2021

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा।

@@5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

*5 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

ध. इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ

ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशकों के हितों की रक्षा करे। ट्रस्टी का पता निम्नवत है:

मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.,
एशियन बिल्डिंग 17 आर कमानी रोड, बालार्ड एस्टेट, फोट
मुंबई- 400001

न. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।



p) Unclaimed shares held in Demat Account:

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of share holders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2016	221	55000
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense Account during the year	0	0
Number of Shareholders to whom shares were Transferred from the unclaimed suspense account	0	0

Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2017	221	55000
--	-----	-------

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2017 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs.in cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption date
LOWER TIER II					
XII	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
XIII	24.08.2009	290.00	120	08.48	24.08.2019
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020
Upper Tier II					Call option date
II	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
III	01.09.2009	510.00	@180	08.80	@01.09.2019
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021
Tier I Basel II (Perpetual)					
IV	29.9.2009	300.00	@perpetual	09.30	@29.09.2019
Tier I Basel III (Perpetual)					
I	04.02.2015	1000.00	*perpetual	10.00	04.02.2020
Basel III Tier II					
1	03.11.2016	800.00	@120	9.24	@@03.11.2021

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

@@Call option available at the end of 5 years (with prior approval of RBI)

*Call option available at the end of 5 years (with prior approval of RBI).

s) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to

safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd.,
Asian Building 17 R Kamani Road, Ballard Estate,
Fort, Mumbai - 400 001

t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:



मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002
टेलिफोन -044- 28460395, फ़ैक्स- 28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए
और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

निवेशक संपर्क कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै
चेन्नै-600 002
टेलिफोन : 044-71729791, 28415702, 28889392
फ़ैक्स-044-28585675

ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

प्रकटीकरण

- क. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित पार्टि लेनदेन के प्रकटन की तिमाही आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।
- ख. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टि लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- ग. स्टाक एक्सचेंजों/सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है।
- घ. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक में एक विसल ब्लोअर नीति है, जो कि हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ड. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है।
- च. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

- छ. बैंक के निदेशक मंडल को सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।
- ज. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 34 के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड - कंपनी के खर्चों पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	बैंक ने गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कार्यालय नहीं दिया है।
शेरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
ऑडिट अर्हता	2016-17 की लेखापरीक्षा टिप्पणी में योग्य अभ्युक्ति मौजूद नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ के अलग पद	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री आर. सुब्रमण्यकुमार को 05.05.2017 से एम.डी व सी.ई.ओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंक की अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण है और उनकी रिपोर्ट आवधिक रूप से समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै
17.05.2017

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी



M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
 (Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor
 No.1 Club House Road, Chennai-600 002
 Tel: 044-28460395 Fax: 28460129
 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
 Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai
 Chennai-600 002
 Tel: 044-71729791, 28415702, 28889392 Fax : 044-28585675
 email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

Disclosures

- a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.
- b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- c. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2017.
- d. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the audit committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.
- e. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.
- f. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

- h. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.
- g. In terms of Regulations 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2016-17 and the same is annexed to this report.

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company’s expense	Bank has not provided office to the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The audit reports for the year 2016-17 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	Ministry of Finance, Government of India has appointed Mr. R. Subramaniakumar as MD & CEO of our Bank from 05.05.2017
Internal Auditor	The Bank has its own internal audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
 17.05.2017

(R. Subramaniakumar)
 Managing Director and Chief Executive Officer



वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषयक निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध
ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2016-17
निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

1. श्री टी.सी.ए. रंगनाथन अध्यक्ष
आयु और जन्म-तिथि: 63 वर्ष- 19.11.1953
योग्यता: अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर
नियुक्ति की तारीख: 16.02.2017
वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 15.02.2020
अनुभव: श्री टी.सी.ए. रंगनाथन को सेंट स्टीफन्स कॉलेज, देल्ही स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक/ परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 38 से अधिक वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। श्री टी.सी.ए. रंगनाथन ने फरवरी 2010 से नवंबर 2013 तक निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। बतौर एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष वे इंडो-अफ्रीका सीईओ फोरम, इंडो-अफ्रीका बिज़नेस काउंसिल, इंडो-म्यांमार संयुक्त व्यापार व निवेश फोरम आदि जैसे भारत सरकार के ओवरसीज़ पहलों के सदस्य रहे हैं। श्री टी.सी.ए. रंगनाथन ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक से की जहाँ उन्होंने शाखा प्रमुख / शाखा नियंत्रक के रूप में घरेलू बैंकिंग के अलावा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, कॉर्पोरेट फिनांस व परामर्शन आदि का कार्यभार संभाला। इसके साथ ही, उन्होंने निम्नलिखित पदों को भी संभाला: <ul style="list-style-type: none">- 2009-2010 स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंध निदेशक- 2007-2009 तक भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक- 2005-2007 तक भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी- उत्तर भारत के लिए मिड कॉर्पोरेट क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक तथा प्रमुख (2004-2005)- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उत्तर भारत प्रमुख (2001-2004)- नई प्रौद्योगिकी व परिवर्तन प्रबंधन पहल शुरू करने के लिए एसबीआई द्वारा गठित प्रौद्योगिकी प्रायोजना समूह का सदस्य (2000-2001)- नवगठित वाणिज्यिक नेटवर्क, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के ऋण मूल्यांकन कक्ष के प्रमुख (1997-1999)- एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिमी राजस्थान) (1995-1997) उनके पूर्व अंतरराष्ट्रीय अनुभवों में चीन (एसबीआई शांघाई) में पहला

1. Shri. T C A Ranganathan Chairman
Age and Date of Birth: 63 years - 19.11.1953
Qualification: MA (Economics)
Date of Appointment: 16.02.2017
Date of expiry of the Current term: 15.02.2020
Experience: Shri T. C. A. Ranganathan has over 38 years of banking experience after completing his graduation/post-graduation in Economics from St. Stephen's College, Delhi School of Economics. Shri T. C. A. Ranganathan served as the Chairman and Managing Director of Export-Import Bank of India from February 2010 to November 2013. As Chairman of Exim Bank, he had been a member of several Government of India overseas initiatives such as Indo-South Africa CEO Forum, Indo-Africa Business Council, Indo-Myanmar Joint Trade and Investment Forum etc. Shri T C A Ranganathan started his career with State Bank of India wherein he had diverse assignments in International Banking, Investment Banking, Corporate Finance and Consultancy in addition to Domestic Banking as Branch Head/ Branch Controller and also held the following positions : <ul style="list-style-type: none">- Managing Director of State Bank of Bikaner & Jaipur from 2009-2010.- Chief General Manager of State Bank of India from 2007-2009.- Chief Executive Officer of State Bank of India from 2005-2007.- General Manager and Head of the Mid Corporate Regional Office for North India (2004-05)- Senior Vice President and North India Head of SBI Capital Markets Ltd. (2001-2004)- Member of Technology Planning Group set up by SBI for introducing new technology and change management initiatives (2000-2001)- Head of Credit Appraisal Cell of the newly formed Commercial Network, State Bank of India, New Delhi (1997-99)- Regional Manager of SBI (Western Rajasthan) (1995-1997). His earlier International experiences include starting



भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन की शुरुआत तथा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में विभिन्न एसबीआई अनुषंगियों में बोर्ड पद धारण करना रहा है।

वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार/ घरेलू अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर विभिन्न आर्थिक समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में कॉलम लिखने के साथ साथ वे एनएसई/ बीएसई/ एनसीडीईएक्स/ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन के पैनलों के जरिए निर्णायक के रूप में कार्य करने के अलावा आइटीसी जेनेवा (यूएनडीपी संगठन) तथा दो यू.एस. आधारित अंतरराष्ट्रीय परामर्शन संगठनों- मेसर्स गेर्सन लेहमान ग्रुप और मेसर्स बोवर एशिया ग्रुप के साथ भी संबद्ध हैं।

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता:

श्री टी.सी.ए. रंगनाथन निम्नलिखित के बोर्ड में स्वतंत्र गैर कार्यपालक निदेशक हैं:

क) एसआरआईआई इन्फ्रास्रक्चर फिनान्स लि.

ख) आएलएफएस मैरीटाइम इन्फ्रास्रक्चर कं. लि.

ग) एसआइएस लि.

घ) आरएएल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि.

2. श्री आर. सुब्रमण्यकुमार

29.09.2016 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त

11 नवंबर 2016 से 10 फरवरी 2017 की तीन माह की अवधि और 28 फरवरी 2017 से अतिरिक्त तीन माह की अवधि के लिए एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

05.05.2017 से एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया।

आयु और जन्म-तिथि: 57 वर्ष, 15.06.1959

योग्यता: बीएससी, सीएआईआईबी, कंप्यूटर विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सीआइएसए, सीआइएसएम

नियुक्ति की तारीख:

29.09.2016 (का.नि. के रूप में)

05.05.2017 (एमडी व सीईओ के रूप में)

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख:

04.05.2017 (का.नि. के रूप में)/ 30.06.2019 (एमडी व सीईओ के रूप में)

अनुभव:

आइओबी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री आर. सुब्रमण्यकुमार 22 जनवरी 2016 से इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक थे। इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप उन्होंने वे रिटेल, एमएसएमई तथा अन्य कारोबार क्षेत्रों की शुरुआत से कारोबार रूपांतरण में योगदान दिया। उन्होंने नए उत्पाद व सेवाओं के साथ डिजिटल बैंकिंग रूपांतरण को बढ़ावा दिया। इससे पूर्व, श्री आर. एस. कुमार पंजाब नैशनल बैंक में नियुक्त हुए और तीन दशकों से अधिक कार्य किया। पंजाब नैशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बीपीआर प्रयोग के साथ बैंक के कोर बैंकिंग कार्यान्वयन

the first Indian Commercial Banking operations in China (SBI Shanghai) and Board positions in various SBI subsidiaries in North America, Africa and Asia.

Currently, he is associated with ITC Geneva (a UNDP organization) as also 2 US based international consultancy organizations – M/s. Gerson Lehman Group and M/s. Bower Asia Group apart from working as an arbitrator through the panels of NSE/BSE/ NCDEX/Indian Council of Arbitration in addition to contributing columns in various economic newspapers and magazines on issues relating to international trade/ domestic economy.

He does not hold any shares of the Bank.

Other Directorships:

Shri T C A Ranganathan is an independent non executive Director on the boards of :

a) SREI Infrastructure Finance Ltd.

b) ILFS Maritime Infrastructure Company Ltd.

c) SIS Ltd.

d) RAL Consumer Products Ltd.

2. Shri R Subramaniakumar

Appointed as Executive Director with effect from 29.09.2016

Entrusted with the Additional charge of MD & CEO for a period of 3 months from 11.11.2016 to 10.02.2017 and for a period of another 3 months from 28.02.2017.

Appointed as MD & CEO w.e.f. 05.05.2017

Age and Date of Birth: 57 Years – 15.06.1959

Qualification: B.Sc., CAIIB, Post Graduate Diploma in Computer Science, CISA, CISM

Date of Appointment:

29.09.2016 (as ED) /

05.05.2017 (as MD & CEO)

Date of expiry of the Current term:

04.05.2017 (as ED) / 30.06.2019 (as MD & CEO)

Experience:

Prior to joining IOB, Shri. R. Subramaniakumar was Executive Director of Indian Bank since 22nd January 2016. As Executive Director of Indian Bank, he was instrumental in bringing the business transformation with introduction of Retail, MSME & other business verticals. He spearheaded Digital Banking transformation with new products & services. Earlier, Shri. R. S. Kumar joined Punjab National Bank and served for more than three decades. During his stint in Punjab National Bank, he lead the core banking implementation and technology initiatives of the Bank, along with BPR exercise, and lead



तथा प्रौद्योगिकी पहलों की अगुआई की और एचआर, वैकल्पिक चैनल, प्रौद्योगिकी, खुदरा, एमएसएमई, नया कारोबार पहल आदि के मध्य "प्रगति" नामक रूपांतरण प्रयास की अगुआई की। वे "ड्रक पीएनबी", भूटान के बोर्ड में शामिल थे। उन्हें कई कारोबार क्षेत्रों का अनुभव है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान अंचल प्रमुख के रूप में कार्य किया और कई क्षेत्रों में कई नवोन्मेषी बैंकिंग सॉल्यूशन्स की शुरुआत की। उनके नवोन्मेषी आरआरबी सीबीएस मॉडल को कई अन्य बैंकों द्वारा अपनाया गया। उन्होंने एफ आइ मॉडल की भी शुरुआत की।

ग्राहक सेवा संवर्द्धन कार्य के रूप में उन्होंने "कस्टमर फर्स्ट" अवधारणा समेत कई ग्राहक सेवा संवर्द्धन पहलों की शुरुआत के अलावा पीएनबी में संपर्क केंद्र की स्थापना की।

टेक्नो बैंकर के रूप में उन्होंने प्रौद्योगिकी व वित्तीय समावेशन विषयक विभिन्न आइबीए तथा आइडीआरबीटी समितियों में योगदान दिया और वे स्मार्ट कार्ड तथा माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स समिति के कोर सदस्य थे। वे आइडीआरबीटी, हैदराबाद तथा भा.रि.बैं. स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै में अतिथि संकाय थे। उन्होंने बैंकिंग जगत में अपने 35 वर्षों के करियर में विभिन्न पदों व स्थानों पर कार्य किया।

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

3. श्री के.स्वामिनाथन कार्यपालक निदेशक

आयु और जन्म-तिथि: 54वर्ष, 30.07.1962

योग्यता: बीकॉम, सीएआइआइबी, सीएफए, एआइसीडब्ल्यूए

नियुक्ति की तारीख: 17.02.2017

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 16.02.2020

अनुभव:

श्री के.स्वामिनाथन ने 10.06.1985 को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक में चेन्नै में कार्यभार संभाला और ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया और बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में ज्ञान व अनुभव प्राप्त किया। हाँगकाँग में भी उनका चार वर्षों का कार्यकाल रहा।

श्री के.स्वामिनाथन मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में मदुरै व हैदराबाद क्षेत्र के प्रमुख रह चुके हैं और बैंक के विकास में योगदान दिया है। महाप्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति 01.09.2014 को हुई और उन्हें कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना विभाग तथा मिड कॉर्पोरेट विभाग के महाप्रबंधक के रूप में केंद्रीय कार्यालय में तैनात किया गया।

कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति से पूर्व वे बतौर महाप्रबंधक, मुंबई अंचल के प्रमुख थे। उनके पास बैंक के 1300 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता : शून्य

the "Pragati" – transformation exercise across HR, Alternate Channel, Technology, Retail, MSME, New Business Initiatives, etc. He was on the Board of "Druk PNB", Bhutan. He has experience across various business verticals and also served as Zonal Head during his tenure at PNB and introduced many innovative banking solutions across the verticals. His innovative RRB CBS model was adopted by many other banks. He also championed the FI model.

As part of customer service enhancement exercise, he established the contact centre practice in PNB apart from introducing many Customer Service enhancing initiatives including "Customer First" concept.

Being a techno Banker, he contributed in various IBA & IDRBT committees on technology & FI and was core member of the Smart Card and Micro ATM Standards Committee. He was a guest faculty at IDRBT, Hyderabad and RBI Staff Training College, Chennai. He has worked in various positions and geographies during his career spanning 35 years in the industry.

He does not hold any shares in our Bank

Other Directorships: Nil

3. Shri K Swaminathan Executive Director

Age and Date of Birth: 54 Years – 30.07.1962

Qualification: B.Com., CAIIB, C.F.A., AICWA

Date of Appointment: 17.02.2017

Date of expiry of the Current term: 16.02.2020

Experience:

Shri K Swaminathan joined the Bank on 10.6.1985 as Probationary Officer at Chennai and worked at various Branches under different capacities in Rural/Semi urban and urban Branches/administrative offices Pan India gaining rich experience and knowledge in all domain of Banking. He also had a four year stint in Hongkong.

Shri K Swaminathan headed Madurai and Hyderabad Regions as Chief Regional Manager and contributed significantly for the development of the Bank. He was elevated as General Manager on 1.9.2014 and posted to Central Office as GM of Corporate Debt Restructuring Department and Mid Corporate Department.

Before his elevation as Executive Director, he was heading Mumbai Zone, comprising of 7 western Regions.

He holds 1300 equity shares of the Bank.

Other Directorships: Nil



**4. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू
भारत सरकार की नामिती**

आयु और जन्म-तिथि: 53वर्ष, 21.10.1963

योग्यता: एम.एससी

नियुक्ति की तारीख: 22.07.2016

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: भारत सरकार से आगे आदेश मिलने तक

अनुभव:

वर्तमान में सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू व्यय विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं।

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

**5. श्री निर्मल चंद
भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती**

आयु और जन्म-तिथि: 56वर्ष, 31.01.1961

योग्यता:

पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, एमबीए, सीएआईआईबी।

नियुक्ति की तारीख: 13.03.2014

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: भारत सरकार से आगे आदेश मिलने तक

अनुभव:

भारतीय रिज़र्व बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के रूप में 1986 में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मार्च 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक थे।

बैंक में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में कई पद संभाले। बैंकिंग पर्यवेक्षी, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षी, मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली जैसे विभागों में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के साथ ही कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली तथा रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया।

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

**6. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
शेयरधारक निदेशक**

आयु और जन्म-तिथि: 58वर्ष, 22.10.1958

योग्यता: एफसीए

नियुक्ति की तारीख: 08.12.2014

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 07.12.2017

**4. Ms Annie George Mathew
Gol Nominee**

Age and Date of Birth: 53 years - 21.10.1963

Qualification: M.Sc

Date of Appointment: 22.07.2016

Date of expiry of the Current term: Until further orders from Govt. of India

Experience:

Ms. Annie George Mathew is presently the Joint Secretary (PERS), Department of Expenditure, Government of India.

She does not hold any Equity Shares of the Bank

Other Directorships: Nil

**5. Shri. Nirmal Chand
RBI Nominee**

Age and Date of Birth: 56 years - 31.01.1961

Qualification:

Post Graduate from Punjab University, M.B.A. , CAIIB

Date of Appointment: 13.03.2014

Date of expiry of the Current term: Until further orders from Government of India

Experience:

Joined RBI in 1986 as an Officer in Grade B. Has taken charge as the Regional Director, Reserve Bank of India, Chandigarh in March 2016. Prior to this, he was Regional Director, Reserve Bank of India, Thiruvananthapuram.

During his long tenure in the Bank, has held several positions in various offices. Worked in Bank's Central Office at Mumbai as well as other Regional Offices at Kolkata, Jaipur, New Delhi and Raipur in Departments like Banking Supervision, Non Banking Supervision, Currency Management and Payment Systems

He does not hold any shares of our Bank

Other Directorships: Nil

**6. Shri Niranjan Kumar Agarwal
Shareholder Director**

Age and Date of Birth: 58 Years - 22.10.1958

Qualification: F.C.A.

Date of Appointment: 08.12.2014

Date of expiry of the Current term: 07.12.2017

**अनुभव:**

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , एफ.सी.ए .,1983 से पेशे से सनदी लेखाकार हैं।

वे मेसर्स निरंजन कुमार एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता के मालिक हैं। उन्हें वृहद कॉर्पोरेट, कंपनी विधि मामले और इनकम टैक्स को संभालने का 32 वर्षों का अनुभव है।

पूँजी व मुद्रा बाजार के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। लेखापरीक्षा, विलयन, व समामेलन, कॉर्पोरेट पुनर्संरचना एवं परियोजना वित्तपोषण में विशेषज्ञता। उन्हें टैक्स से जुड़े मामलों, टैक्स योजना एवं कंपनी कानून के मामलों पर भी मजबूत पकड़ है। वे कंपनी कानून मामलों, वित्तीय पुनर्संरचना, संसाधन बढ़ाने, कॉर्पोरेट गवर्नंस आदि मामलों में कॉर्पोरेटों के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में

- 1) एमसीसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा
 - 2) मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कोलकाता के कार्यपालक मंडल के सदस्य हैं।
- इससे पूर्व 01.11.2011 से 31.10.2014 तक वे हमारे बोर्ड में सनदी लेखाकार निदेशक (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(जी))के रूप में कार्यरत थे।

उनके पास बैंक के 200 इक्विटी शेयर हैं।

अन्य निदेशकता :

वीको इनफ्रास्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक

7. श्री संजय रूंगटा**शेयरधारक निदेशक**

आयु और जन्म-तिथि: 51 वर्ष - 26.01.1966

योग्यता: बीकॉम., एफ.सी.ए.

नियुक्ति की तारीख: 08.12.2014

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 07.12.2017

अनुभव :

मुंबई के श्री संजय रूंगटा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बी.कॉम किया है तथा बैंकिंग, फिनान्स व टैकसेसन में 27 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ सनदी लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। वे मेसर्स संजय रूंगटा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई के वरिष्ठ प्रबंधक साझेदार रहे हैं।

श्री रूंगटा 'भारतीय इनसॉल्वेंसी व बैंकरप्टसी बोर्ड' (आइबीबीआई) के साथ 'पंजीकृत इनसॉल्वेंसी पेशेवर' (आइपी) हैं। वे आइसीएआइ द्वारा नामित 'पियर रिव्यूअर्स' के पैनल में भी शामिल हैं तथा पिछले कुछ सालों में आइसीएआइ विनियमों के अनुपालन में विभिन्न सीए फर्मों की समीक्षा की है। लेखापरीक्षा व बैंकिंग जगत में अपने वृहत् अनुभव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन, बीमा कंपनियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों का विभिन्न प्रकार से लेखापरीक्षण किया है।

पिछले 27 वर्षों में उन्होंने बैंक शाखाओं में विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं का आयोजन किया है जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से बैंक की शाखाओं की नियमित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखापरीक्षा, सांविधिक

Experience:

Shri. Niranjn Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983.

He is a Proprietor of M/s. Niranjn Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has 32 years of experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax.

He has vast experience in the field of capital and money market. Specialised in Audit, Merger and Amalgamation, Corporate Restructuring and Project Financing. Also specialised in Taxation, Tax Planning and Company Law matters.

He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, Corporate Governance etc.

He is presently member in Executive Board of
(1) MCC Chamber of Commerce & Industry and
(2) Marwari Relief Society, Kolkata

He was earlier on our Board as Chartered Accountant Director from 01.11.2011 to 31.10.2014. (Appointed under Section 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

He is holding 200 equity shares of our Bank.

Other Directorships:

Director in Vico Infrastructure Private Limited

**7. Shri Sanjay Rungta,
Shareholder Director**

Age and Date of Birth: 51 Years – 26.01.1966

Qualification: B Com., F.C. A.

Date of Appointment: 08.12.2014

Date of expiry of the Current term: 07.12.2017

Experience:

Shri Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 27 years of experience in Banking, Finance & Taxation and has been working for the Public/Private Sector Banks. He is a senior Managing Partner of M/s. S. P. Rungta & Associates, Chartered Accountants.

Shri Rungta is a 'Registered Insolvency Professional' (IP) with 'Insolvency & Bankruptcy Board of India' (IBBI). He is also on the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, government companies.

In the last 27 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal inspection, Concurrent audit, Statutory audit and having conducted



लेखापरीक्षा आयोजित की है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से स्टॉक लेखापरीक्षा, मूल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समुचित सावधानी तथा वृहत कारपोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन। उन्हें भा.रि.बैं.के सीडीआर कक्ष के तहत प्रबोधनात्मक संस्था द्वारा सीडीआर मेकैनिज्म के तहत बड़े उधारकर्ताओं के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उन्होंने भारत व भारत से बाहर कई यात्राएँ की हैं।

उनके पास बैंक के 600 शेयर हैं।

अन्य निदेशकता : शून्य

8. श्री के रघु सनदी लेखाकार निदेशक

आयु और जन्म-तिथि: 51 वर्ष - 09.10.1965

योग्यता: बी.कॉम, एफ.सी.ए.

नियुक्ति की तारीख: 26.07.2016

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 25.07.2019

अनुभव :

वे 25 से अधिक वर्षों से अधिक समय के व्यावसायिक अनुभव के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के फेलो सदस्य हैं तथा के.रघु व कं., सनदी लेखाकार, बेंगलोर के वरिष्ठ साझेदार हैं।

श्री के रघु ने 2014-15 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के अध्यक्ष के रूप में तथा 2007-2016 की 9 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वर्तमान में वे निम्नलिखित के सदस्य हैं:

- द बोर्ड ऑफ इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स- न्यूयॉर्क
- सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तथा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अवैतनिक सदस्य हैं

श्री के रघु ने कई अन्य संस्थाओं व सरकारी समितियों में निम्नलिखितानुसार कार्य किया है:

- बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के बोर्ड के सदस्य
- एशिया एंड पेसिफिक लेखाकार संघ, लेखांकन मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य
- बैंकों द्वारा एक्सबीआरएल आधारित डेटा प्रस्तुति के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति के सदस्य
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कॉर्पोरेट मामलों के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा गठित कार्यशील समूह के सदस्य

stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public Sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution under CDR cell of RBI.

He has widely travelled in India and abroad.

He holds 600 shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

8. Shri K Raghu Chartered Accountant Director

Age and Date of Birth: 51 Years – 09.10.1965

Qualification: B.Com., FCA

Date of Appointment: 26.07.2016

Date of expiry of the Current term: 25.07.2019

Experience:

CA K. Raghu is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India with more than 25 years of professional standing and is the senior partner of K. Raghu & Co., Chartered Accountants, Bangalore.

CA K. Raghu served as the President of the Institute of Chartered Accountants of India during 2014-15 and as a member of the Central Council for a period of 9 years from 2007 to 2016.

He is currently a Member of the following:

- The Board of International Federation of Accountants – New York.
- Honorary Member of the Certified Public Accountants of Australia and The Institute of Chartered Accountants of Australia and New Zealand.

CA K. Raghu has served in various other Institutions and Government Committees as under:

- Member of the Board of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)
- Member of the Confederation of Asia and Pacific Accountants, National Advisory Committee on Accounting Standards
- Member of the High level Steering Committee for Implementation of XBRL based data submission by Banks.
- Member of the Working Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs in the areas of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and other aspects of Corporate Affairs



- भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के म्यूचुअल फंड से संबंधित सलाहकार समिति के सदस्य
- कर्नाटक में एनबीएफसी की क्षेत्रीय प्रबोधन समिति के सदस्य
- भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा गठित लेखापरीक्षा सलाहकार समिति के सदस्य
- भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा गठित संघ व राज्यों के लिए सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार समिति (जीएसएबी) के सदस्य
- कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा गठित कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित इंडिया-यूके (इंडो -यूके) कार्यबल के सदस्य
- नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी के शासी निकाय के सदस्य
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सीडीटीएसी) तथा क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (आरडीटीएसी)के सदस्य
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय फाउंडेशन के शासी परिषद (एनएफसीजी) के सदस्य

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

**9. श्री विष्णुकुमार बंसल
अपर निदेशक**

आयु और जन्म-तिथि: 63 वर्ष - 06.09.1953

योग्यता: सनदी लेखाकार

नियुक्ति की तारीख: 08.08.2016

वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तारीख: 07.08.2018

अनुभव :

श्री विष्णुकुमार बंसल लगभग 40 वर्षों के समग्र कार्यानुभव के साथ भारत के सबसे अधिक अनुभवी बैंकरों में से एक हैं।

वर्तमान में श्री विष्णुकुमार बंसल मॉर्गन स्टेनलीज इनवेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन, मुंबई, भारत के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में मॉर्गन स्टेनलीज भारत में सलाहकार व इक्विटी पूंजी बाजार लेनदेन दोनों में उच्च श्रेणी का निवेश बैंक है। श्री बंसल अपने अनुभव व भारतीय संस्थागत फिनांस की गहरी समझ से कॉर्पोरेटों को उनकी पूंजी अपेक्षाओं व एमएंडए रणनीति तैयार करने में रणनीतिगत सुझाव देते हैं। उन्होंने घरेलू व वैश्विक निवेशकों से भारतीय ग्राहकों के लिए इक्विटी की बड़ी राशि व ऋण पूंजी जुटाने में सहायता की। वे वैश्विक ग्राहकों के साथ इनफ्रासंरचना, पावर, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी व हेल्थकेयर आदि जैसे प्रमुख संवृद्धि क्षेत्रों में भारत के

- Member of the Advisory Committee on Mutual Funds of Securities and Exchange Board of India.
- Member of the Regional Monitoring Committee of NBFCs in Karnataka.
- Member of the Audit Advisory Board constituted by the Office of the Comptroller & Auditor General of India.
- Member of the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) for Union and the States constituted by C&AG.
- Member of the India-UK (Indo-UK) Task Force on Corporate Affairs constituted by the Ministry of Corporate Affairs.
- Member of the Governing Body of the National Institute of Public Finance and Policy.
- Member of the Central Direct Taxes Advisory Committee (CDTAC) of Central Board of Direct Taxes and on Regional Direct Taxes Advisory Committee (RDTAC).
- Member of the Governing Council of National Foundation for Corporate Governance (NFCG).

He does not hold any shares of our Bank.

Other Directorships: Nil

**9. Shri Vishnukumar Bansal
Additional Director**

Age and Date of Birth: 63 Years – 06.09.1953

Qualification: CA

Date of Appointment: 08.08.2016

Date of expiry of the Current term: 07.08.2018

Experience:

Shri. Vishnukumar Bansal is one of India's most experienced investment bankers with around 40 years of overall work experience.

Shri. Vishnukumar Bansal currently serves as the Chairman of Morgan Stanley's Investment Banking Division in Mumbai, India. Under his Chairmanship, Morgan Stanley is one of the top ranked Investment Banks both in Advisory and Equity Capital market transactions in India. On a day-to-day basis, Shri. Bansal brings forth his experience and in-depth understanding of Indian institutional finance and provides strategic advice to corporations on structuring their capital requirements and M&A strategy. He has helped raise substantial amount of equity and debt capital for Indian clients from domestic and global investors. He works with



साथ हितों की रूपरेखा बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। वे कोयला, तेल व गैस, सीमेंट, कैमिकल व जेनरल इंडस्ट्रियल जैसे मिनरल आस्तियों के अर्जन द्वारा अन्य ग्लोबल मार्केट में विस्तार में मदद करने के लिए भारतीय ग्राहकों के साथ भी काम करते हैं।

श्री विष्णुकुमार बंसल वित्तीय प्रायोजकों/ राष्ट्रीय वेल्थ फंड से भारतीय कॉर्पोरेटों के लिए संवृद्धि पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। साथ ही, वित्तीय प्रायोजकों के साथ उनके लिए उपयुक्त निकासी रणनीति बनाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उच्च संवृद्धि निवेश सभावनाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। उन्होंने इनफ्रासूकचर/ रियल इस्टेट के विकास हेतु सेबी द्वारा हाल ही में घोषित इनविट/ आरईआइटी जैसे नए विनियमों को लाने में भी योग दिया है जो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ऋण जोखिमों को दूर करने में भी मदद करेगा।

श्री विष्णुकुमार बंसल ने मॉर्गन स्टेनलीज़ इनवेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन 2007 में कार्यभार संभाला। मॉर्गन स्टेनलीज़ से पूर्व वे 1999 से जेएम मॉर्गन स्टेनलीज़ (मॉर्गन स्टेनलीज़ का अबतक का संयुक्त उपक्रम) के प्रबंध निदेशक थे। इससे पहले वे 1994 से जेएम फिनान्सियल के अध्यक्ष थे। जेएम फिनान्सियल से पूर्व श्री बंसल इंटरनैशनल फिनान्स, जहाँ उन्होंने यूएस डॉलर 10 बिलियन के भारतीय तेल आयात को हैंडल किया और इसके वित्तपोषण हेतु ग्लोबल बैंकों के साथ काम किया, के प्रमुख होने तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 18 वर्षों तक काम किया।

वे भारतीय मर्चेन्ट बैंकर्स संघ के अध्यक्ष रहे हैं और प्रमुख वित्तीय व पूंजीगत बाजारोन्मुख नीतियाँ बनाने में सहायक रहे हैं। वे बाँबे चेंबर ऑफ कॉमर्स की पूंजी बाजार समिति के सह-अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे सेबी प्राथमिक मार्केट परामर्शी समिति में सबसे अधिक समय तक काम करने वाले सदस्यों में से एक रहे हैं और सेबी कॉर्पोरेट प्रशासन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में, वे एसोचेम के राष्ट्रीय पूंजी बाजार समिति के सह-अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत सरकार के साथ उनके बहु बिलियन डॉलर विनिवेश कार्यक्रमों में काफी करीब से काम किया है।

उनके पास बैंक की कोई शेयरधारिता नहीं है।

अन्य निदेशकता : शून्य

global clients in framing their inbound interest into India in core growth sectors like infrastructure, power, banking, technology and healthcare, etc. He also works with Indian clients to help expand into other global markets by acquiring mineral assets such as coal, oil & gas, cement, chemicals and general industrials.

Shri. Vishnukumar Bansal helps raise growth capital for Indian Corporates from financial sponsors/ sovereign wealth funds. Also, works closely with financial sponsors in helping identify high growth investment opportunities across various sectors while developing appropriate exit strategies for them. He has contributed significantly in bringing out new regulations like InvIT/ REIT recently announced by SEBI for the development of infrastructure /real estate sector which will also help in churning out debt exposures of the Indian banking system.

Shri. Vishnukumar Bansal joined the Investment Banking Division of Morgan Stanley in 2007. Prior to Morgan Stanley, he was the Managing Director at JM Morgan Stanley (Morgan Stanley's erstwhile joint venture) since 1999. Earlier, he was the President of JM Financial since 1994. Prior to JM Financial, Shri. Bansal worked with Indian Oil Corporation (sole canalizing agent for India's oil needs) for 18 years, most recently as the Chief of International Finance where he handled India's oil imports worth over US\$ 10 billion a year and worked with global banks for financing the same.

He was the Chairman of the Association of Merchant Bankers of India and assisted in drafting key financial and capital markets policies. He has been the Co-Chairman of the Capital Markets Committee of the Bombay Chamber of Commerce. He was also one of the longest serving members of the SEBI Primary Markets Advisory Committee and a member of the SEBI Corporate Governance Committee. Currently, he is Co-Chairman of National Capital Market Committee of Assocham. He has closely worked with Government of India on its multi-billion dollar disinvestment programs.

He does not hold any shares of our Bank.

Other Directorships: Nil



घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै
17.05.2017

(आर सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व सीइओ

सेवा मे
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31.03.2017 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक का वित्तीय विवरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण

सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि:

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :

- इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;
- ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है:

- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में,
- वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया है; और
- महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी शामिल है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग विषयक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(वाई सी जैन)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(आर. सुब्रमण्यकुमार)
प्रबंध निदेशक व सीइओ

चेन्नै
17.05.2017

DECLARATION

This is to confirm that the bank has laid down a code of conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

Chennai
17.05.2017

(R SUBRAMANIAKUMAR)
Managing Director & CEO

To
The Board of Directors
Indian Overseas Bank

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2017

CEO/CFO Certification as per Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015(LODR)

In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), we certify that:

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

- These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

- Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(Y C Jain)
General Manager & CFO

(R Subramaniakumar)
Managing Director & CEO

Chennai
17.05.2017



कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में
लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF
CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

सेवा में
सदस्य
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै

हमने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ("बैंक"), चेन्नै द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 व विनियम 46 (2) के उपबंध (बी) से (आइ) व अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी व ई में निर्धारित किया गया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में किया गया और यह कॉर्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

हमारे मत और हमारे पास मौजूद सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक पर लागू होने की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 व विनियम 46 (2) के उपबंध (सी) से (एफ) तथा (आइ) व अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी व ई में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावत्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

To
The Members of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") Chennai, for the year ended on 31.03.2017, as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (c) to (f) and (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable to the Bank, for the year ended on March 31, 2017.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते वर्धमान एंड कं
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522एस

कृते एएसए एंड
एसोसिएट्स
एलएलपी
सनदी लेखाकार
आरएन009571एन/
एन500006

कृते ए वी देवेन एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000726एस

For VARDHAMAN & CO
Chartered
Accountants
FRN 004522S

For ASA & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

For A V DEVEN & CO
Chartered
Accountants
FRN 000726S

(आभा जैन)
साझेदार
एम नं. 015454

(सी.ए. एस. सुन्दर
राजन)
साझेदार
एम नं. 211414

(पी कन्नन)
साझेदार
एम नं. 024687

(ABHA JAIN)
Partner
M.No. 015454

(S. SUNDAR RAJAN)
Partner
M.No.211414

(P KANNAN)
Partner
M.No.024687

कृते हरिभक्ति एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 103523डब्ल्यू/डब्ल्यू 100048

कृते तलाटी एंड तलाटी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110758डब्ल्यू

(जी. एन. रामस्वामी)
साझेदार
एम.नं. 202363
स्थान : चेन्नै

(उमेश एच. तलाटी)
साझेदार
एम. नं. 034834

For HARIBHAKTI & CO LLP
Chartered Accountants
FRN 103523W/W100048

(G. N. RAMASWAMI)
Partner
M.No. 202363

Place : Chennai

Date : 17.05.2017

For TALATI & TALATI
Chartered Accountants
FRN 110758W

(UMESH H. TALATI)
Partner
M.No.034834



31.3.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017

(रु. हजार में Rs. in 000's)

	अनुसूची Schedule	AS AT 31.03.2017 तक	AS AT 31.03.2016 तक	
पूँजी व देयताएँ	CAPITAL & LIABILITIES			
पूँजी	Capital	01	2454 72 89	1807 26 57
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	11289 81 88	13858 54 97
जमा राशियाँ	Deposits	03	211342 62 67	224514 23 96
उधार	Borrowings	04	16097 67 18	27183 30 77
अन्य देयताएँ व प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	5982 64 12	7073 40 09
जोड़	TOTAL		247167 48 74	274436 76 36
आस्तियाँ	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	11499 96 53	14033 49 24
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	11723 06 72	8212 74 33
निवेश	Investments	08	71549 19 41	79189 55 06
अग्रिम	Advances	09	140458 61 83	160860 66 80
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3054 33 21	3270 46 49
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	8882 31 04	8869 84 44
जोड़	TOTAL		247167 48 74	274436 76 36
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	68326 98 57	75858 73 53
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		14109 56 06	19123 33 86
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग हैं।

Schedules Form Part of the Balance Sheet

बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

टीसीए रंगनाथन

गैर कार्यकारी अध्यक्ष

T C A Ranganathan

Non Executive Chairman

एनी जार्ज मैथ्यू

Annie George Mathew

संजय रंगटा

Sanjay Rungta

आर सुब्रमण्यकमार

एमडी एवं सीईओ

R. Subramaniakumar

MD & CEO

निर्मल चंद

Nirmal Chand

के रघु

K. Raghu

के स्वामिनाथन

कार्यपालक निदेशक

K. Swaminathan

Executive Director

निरंजन कुमार अग्रवाल

Niranjan Kumar Agarwal

निदेशक DIRECTORS

स्थान : चेन्नै Chennai

दिनांक: 17.05.2017



31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

(रु. हजार में Rs. in 000's)

	अनुसूची SCHEDULE	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2017	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2016
आय	INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	19718 59 89
अन्य आय	Other income	14	3372 63 53
योग	TOTAL		23091 23 42
व्यय	EXPENDITURE		
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	14529 01 88
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	4912 01 23
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		7066 94 17
योग	TOTAL		26507 97 28
लाभ / हानि (-)	PROFIT / LOSS (-)		
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		-3416 73 86
अग्रणीत लाभ / हानि (-)	Profit / Loss (-) brought forward		-3423 58 50
योग	TOTAL		-6840 32 36
विनियोजन	APPROPRIATIONS		
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0
पूँजी आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		138 62 14
विशेष आरक्षित को अंतरण	Transfer to Special Reserve		0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-6978 94 50
योग	TOTAL		-6840 32 36
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		-15.78
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं ।

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

वर्धमान एंड कंपनी
VARDHAMAN & CO

एफआरएन FRN 004522S

(आभा जैन)

(ABHA JAIN)

साझेदार Partner

एम.संख्या M.No.015454

हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी

HARIBHAKTI & CO LLP

एफआरएन FRN 103523W / W100048

(जीएन रामास्वामी)

(G.N. RAMASWAMI)

साझेदार Partner

एम.संख्या M.No. 202363

एसए एंड एसोशिएट्स एलएलपी

ASA & ASSOCIATES LLP

एफआरएन FRN 009571N/ N500006

(एस सुंदरराजन)

(S. SUNDAR RAJAN)

साझेदार Partner

एम.संख्या M.No.211414

तलाती एंड तलाती

TALATI & TALATI

एफआरएन FRN 110758W

(उमेश एच तलाती)

(UMESH H. TALATI)

साझेदार Partner

एम.संख्या M.No.034834

ए वी देवन एंड कंपनी

A V DEVEN & CO

एफआरएन FRN 000726S

(पी कण्णन)

(P. KANNAN)

साझेदार Partner

एम.संख्या M.No.024687

लेखा परीक्षक CHARTERED ACCOUNTANTS



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-1	SCHEDULE - 1	AS AT 31.03.2017	AS AT 31.03.2016
पूँजी	CAPITAL	तक	तक
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL	10000 00 00	3000 00 00
प्रत्येक रु.10/- के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर)	1000,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Previous year- 300,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)		
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी	ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL	2454 72 89	1807 26 57
प्रत्येक रु.10/- के 245,47,28,928 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 195,30,43,242 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 180,72,65,683 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 139,73,28,445 शेयर शामिल हैं)	245,47,28,928 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 195,30,43,242 Shares of Rs.10/- each held by Government of India) Previous year 180,72,65,683 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 139,73,28,445 Shares of Rs.10/- each held by Government of India)		
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2	AS AT 31.03.2017	AS AT 31.03.2016
आरक्षितियाँ व अधिशेष	RESERVES & SURPLUS	तक	तक
I. शेयर प्रीमियम	I. SHARE PREMIUM		
अथ शेष	Opening balance	6484 58 36	4845 12 80
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	1165 47 86	1639 45 56
योग-I	TOTAL - I	7650 06 22	6484 58 36
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	II. STATUTORY RESERVE		
अथ शेष	Opening balance	3062 11 87	3062 11 87
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	-100 00 00	0
योग-II	TOTAL - II	2962 11 87	3062 11 87
पूँजी आरक्षितियाँ	III. CAPITAL RESERVE		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2411 61 02	1706 53 20
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	869 69 82
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-हास*	Less: Deductions / Depreciation	246 17 24	164 62 00
योग-अ	TOTAL - A	2165 43 78	2411 61 02
आ. निवेशों की बिक्री पर	B. On sale of Investments		
अथशेष	Opening Balance	1045 05 15	1008 63 15
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	138 62 15	36 42 00
योग-आ	TOTAL - B	1183 67 30	1045 05 15
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	152 99 01	152 93 18
जोड़ें : परिवर्धन*	Add: Additions	- 2 40	5 83
योग - इ	TOTAL - C	152 96 61	152 99 01
योग - III (अ, आ, इ)	TOTAL - III (A,B,C)	3502 07 69	3609 65 18



(रु. हजार में Rs. in 000's)

		AS AT 31.03.2017 तक	AS AT 31.03.2016 तक
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
(ए) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ	A Other Revenue Reserves		
अथशेष	Opening Balance	2460 56 67	2560 56 67
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	100 00 00
योग-ए	TOTAL - A	2460 56 67	2460 56 67
बी) विशेष आरक्षितियाँ	B Special Reserve		
अथशेष	Opening balance	741 60 00	741 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
योग-बी	TOTAL - B	741 60 00	741 60 00
(सी) निवेश आरक्षितियाँ खाते	C Investment Reserve Account		
अथ शेष	Opening Balance	97 95 58	97 95 58
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	0	0
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	0
योग - (सी)	TOTAL - C	97 95 58	97 95 58
(डी) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षितियाँ	D Foreign Currency Translation Reserve		
अथशेष	Opening balance	825 65 81	720 04 23
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	28 72 54	105 61 58
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	0	0
योग - (डी)	TOTAL - D	854 38 35	825 65 81
योग - IV (ए, बी, सी व डी)	TOTAL - IV (A,B,C,D)	4154 50 60	4125 78 06
V. लाभ व हानि खाते	V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	-6978 94 50	-3423 58 50
योग (I, II, III, IV & V)	TOTAL (I, II, III, IV & V)	11289 81 88	13858 54 97
अनुसूची-3	SCHEDULE - 3	AS AT	AS AT
जमाएं	DEPOSITS	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
अ I मांग जमाएं	A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	20 57 24	18 56 50
ii) अन्यो से	ii) From Others	13016 41 66	12063 25 75
योग - I	TOTAL - I	13036 98 90	12081 82 25
II. बचत बैंक जमाएं	II. SAVINGS BANK DEPOSITS	63231 56 57	52403 60 00
III. मीयादी जमाएं	III. TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से	i) From Banks	2 36 86	1 69 21
ii) अन्यो से	ii) From Others	135071 70 34	160027 12 50
योग - III	TOTAL - III	135074 07 20	160028 81 71
योग- अ (I, II & III)	TOTAL - A (I,II & III)	211342 62 67	224514 23 96
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएं	B. I) Deposits of branches in India	205153 95 65	218555 80 33
II) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं	II) Deposits of branches outside India	6188 67 02	5958 43 63
योग - आ	TOTAL - B	211342 62 67	224514 23 96



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-4	SCHEDULE - 4	AS AT	AS AT
लिये गये उधार	BORROWINGS	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
I. भारत में लिए गए उधार	I. BORROWINGS IN INDIA		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	0	0
अन्य बैंक	Other Banks	0	0
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	4721 68 00	10936 68 12
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1300 00 00	1580 00 00
बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2132 30 00	2632 30 00
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2390 00 00	2340 00 00
योग (I)	TOTAL (I)	10543 98 00	17488 98 12
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	5553 69 18	9694 32 65
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	16097 67 18	27183 30 77
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	III. Secured borrowings included in I & II above	4721 68 00	10936 68 12
अनुसूची-5	SCHEDULE - 5	AS AT	AS AT
अन्य देयतायें व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
I) देय बिल	I. Bills Payable	624 38 84	560 25 11
II) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III) प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	41 35 63	136 18 90
IV) अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	5316 89 65	6376 96 08
योग	TOTAL	5982 64 12	7073 40 09



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-6	SCHEDULE - 6	AS AT	AS AT
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
I) हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1155 78 85	1825 38 72
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	10357 61 63	12244 42 59
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	-13 43 95	-36 32 07
योग	TOTAL	11499 96 53	14033 49 24

अनुसूची-7	SCHEDULE - 7	AS AT	AS AT
बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क. चालू खातों में	a) In Current Accounts	79 39 32	73 35 51
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	111 26 64	109 57 25
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के साथ	a) With banks	4650 00 00	950 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	4471 21 49
योग - I	TOTAL - I	4840 65 96	5604 14 25
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
क. चालू खातों में	a) In Current Accounts	877 89 07	1019 98 16
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	5461 18 69	1252 98 22
ग) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	543 33 00	335 63 70
योग - I	TOTAL - II	6882 40 76	2608 60 08
योग (I एवं II)	TOTAL (I & II)	11723 06 72	8212 74 33



रु. हजार में (Rs. in 000's)

अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2017 तक	AS AT 31.03.2016 तक
I. भारत में निवेश	I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	57848 12 03	64025 25 84
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	3 10 93	3 10 93
iii) शेयर	iii) Shares	1269 76 83	1446 45 29
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	5948 01 36	7773 99 05
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	0
vi) अन्य निवेश (म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँजी फंड जमा प्रमाण-पत्र और सी पी में निवेश)	vi) Other Investments (Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and CP)	2795 59 91	2470 09 30
योग - I	TOTAL - I	67864 61 06	75718 90 41
II) भारत के बाहर निवेश	II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	i) Government Securities (including Local Authorities)	2967 69 39	2521 40 15
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	8 72	9 30
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	517 22 72	749 57 68
v) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	199 57 52	199 57 52
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	0
योग - II	TOTAL - II	3684 58 35	3470 64 65
योग - (I एवं II)	TOTAL (I & II)	71549 19 41	79189 55 06
भारत में सकल निवेश	Gross Investments in India	68626 79 21	76155 64 83
घटाएँ : मूल्यहास	Less: Depreciation	762 18 15	436 74 42
निवल विनिधान	Net Investments	67864 61 06	75718 90 41
भारत के बाहर सकल निवेश	Gross Investments Outside India	3685 90 25	3470 64 65
घटाएँ : मूल्यहास	Less: Depreciation	1 31 90	0
निवल विनिधान	Net Investments	3684 58 35	3470 64 65
कुल निवल निवेश	Total Net Investments	71549 19 41	79189 55 06



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-9	SCHEDULE - 9	AS AT	AS AT
अग्रिम	ADVANCES	31.03.2017	31.03.2016
		तक	तक
क. i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	4255 04 65	3914 35 73
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	81028 32 67	72065 25 40
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	55175 24 51	84881 05 67
योग	TOTAL	140458 61 83	160860 66 80
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	113964 63 50	129252 03 00
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	3681 89 73	10240 87 00
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	22812 08 60	21367 76 80
योग	TOTAL	140458 61 83	160860 66 80
ग. I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	57437 49 35	59622 77 20
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	7450 57 35	12106 32 10
iii) बैंक	iii) Banks	0	23 21 84
iv) अन्य	iv) Others	63117 84 87	73674 01 12
योग	TOTAL	128005 91 57	145426 32 26
II) भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	388 99 38	439 61 45
ii) अन्यो से बकाया	ii) Due from Others		
क) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	2762 96 72	2755 65 68
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	1824 68 57	3881 29 78
ग) अन्य	c) Others	7476 05 59	8357 77 63
योग	TOTAL	12452 70 26	15434 34 54
योग (ग-I & ग-II)	TOTAL (C-I & C-II)	140458 61 83	160860 66 80



रु. हजार में (Rs. in 000's)

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2017 तक	AS AT 31.03.2016 तक
I.परिसर	I. Premises		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost / revalued amount as on 31st March of Previous Year	3404 46 92	2588 89 63
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	0	815 78 16
		3404 46 92	3404 67 79
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year *	25 29 50	20 87
		3379 17 42	3404 46 92
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	749 63 45	631 15 02
योग - I	TOTAL - I	2629 53 97	2773 31 90
II.पूँजीगत चालू कार्य	II. Capital work in progress	52 78 99	52 16 77
योग - II	TOTAL - II	52 78 99	52 16 77
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित हैं)	III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost as on 31st March of Previous Year	1686 94 52	1493 10 52
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	141 21 48	428 32 77
		1828 16 00	1921 43 29
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	31 38 47	234 48 77
		1796 77 53	1686 94 52
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	1424 77 28	1241 96 70
योग - III	TOTAL - III	372 00 25	444 97 82
कुल योग (I, II & III)	Total (I, II & III)	3054 33 21	3270 46 49

* 31.03.2017 को विनिमय दरपर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2017



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-11	SCHEDULE - 11	AS AT 31.03.2017	AS AT 31.03.2016
अन्य आस्तियाँ	OTHER ASSETS	तक	तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	100 77 57	61 73 29
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	2431 55 53	2854 35 03
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provi- sions)	637 01 45	472 13 72
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	12 17 56	12 35 66
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	211 55 39	211 55 39
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	5489 23 54	5257 71 35
योग	TOTAL	8882 31 04	8869 84 44

अनुसूची-12	SCHEDULE - 12	AS AT 31.03.2017	AS AT 31.03.2016
आकस्मिक दायित्व	CONTINGENT LIABILITIES	तक	तक
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	i) Claims against the Bank not acknowl- edged as debts	47 67 43	44 03 05
ii) अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	35649 99 66	30206 83 11
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of con- stituents		
क. भारत में	a) In India	15722 88 45	19291 40 76
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	551 20 81	1048 07 35
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	9966 71 94	15858 88 58
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is con- tingently liable	6388 38 68	9409 39 08
योग	TOTAL	68326 98 57	75858 73 53



रु. हजार में (Rs. in 000's)

अनुसूची 13	SCHEDULE - 13	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED	31.03.2017	31.03.2016
i) ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	i) Interest / discount on advances / bills	14053 02 47	16662 31 10
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5209 48 32	6483 50 93
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	416 55 10	371 47 46
iv) अन्य	iv) Others	39 54 00	0
योग	TOTAL	19718 59 89	23517 29 49

अनुसूची 14	SCHEDULE - 14	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
अन्य आय	OTHER INCOME	31.03.2017	31.03.2016
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	949 99 24	1061 45 34
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	638 15 84	458 12 77
iii) विनिमय संब्यवहारों पर लाभ (निवल)	iii) Loss on Revaluation of Investments (Net)	-16 19 10	-1 53 60
iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ	iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	1 23 73	1 24 72
v) विनिमय संब्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	571 79 57	252 51 35
vi) विविध आय	vi) Miscellaneous Income	1227 64 25	756 45 12
योग	TOTAL	3372 63 53	2528 25 70

अनुसूची-15	SCHEDULE - 15	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED	31.03.2017	31.03.2016
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	13025 93 24	16249 71 40
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter - Bank Borrowing	1503 05 12	1884 84 47
iii) अन्य	iii) Others	3 52	4 18
योग	TOTAL	14529 01 88	18134 60 05



(रु. हजार में Rs. in 000's)

अनुसूची-16	SCHEDULE - 16	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES	31.03.2017	31.03.2016
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	3044 66 70	3390 39 55
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	448 31 35	440 64 34
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	22 42 24	24 72 41
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	1 91 61	3 60 07
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	214 86 49	196 48 08
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 07 12	83 72
vii) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	33 76 14	40 85 62
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	21 92 94	17 54 81
ix) डाक , तार, टेलिफोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	69 65 34	42 09 75
x) मरम्मत और अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	13 66 75	12 13 71
xi) बीमा	xi) Insurance	256 03 84	279 14 60
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	783 70 71	577 02 91
योग	TOTAL	4912 01 23	5025 49 57



अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

- 1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ हो तो वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की पुष्टि में हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक/भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखांकन मानक/भारतीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट (आइसीएआइ) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियाँ समाविष्ट की हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों, प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा जो संबंधित विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

आकलन का प्रयोग :

- 1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता और लेखांकन खर्च

- 2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है। अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है। आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी (एआरसी) को बेची गई आस्तियों के संदर्भ में, प्राप्त बिक्री राशि के नकद संघटकों की हद तक आय की पहचान की जाती है, जहाँ बिक्री की राशि निवल बही मूल्य से अधिक है (यानि बही बकाया कम प्रावधानीकरण)।
- 2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार / बीमा को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- 2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- 2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो।
- 2.5 परिपक्व अतिदेय सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।
- 2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है।
- 2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब

संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

- 3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक्त लेन-देनों लेखांकन किया जाता है।
- 3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):
- क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रकम पर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फ़ेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।
- ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में समापन समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फ़ेडाई की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।
- ग) फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान" / "अन्य आस्ति खाता" में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन समापन दरों पर किया जाता है।
- घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन :
- क. लेखांकन मानक 11 में निर्धारितानुसार, सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है।
- ख. आस्तियों और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) को हर तिमाही के अंत में फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ग. आय और व्यय को हर तिमाही के अंत में फ़ेडाई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसतन दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- घ. परिणत के विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक " विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व " नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।
- #### 4. निवेश
- 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है :



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognised to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure

are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transactions in respect of Treasury(Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,



- क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ग) शेयर
घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर
ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

- 4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।
4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नवत रूप में किया गया है:

- 4.3.1. "व्यापार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन को मार्क किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग / उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। सूचित ईक्विटी शेयरों और बाजार दरों पर अ-सूचित ईक्विटी शेयरों और जोखिम पूंजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध तुलन पत्र से प्राप्त एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यन रु.1/- के प्रति कंपनी/ निधि किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्यूचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाजार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ /एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नजर अंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

- 4.3.2 "परिपक्वता के लिए धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूंजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

- 4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय के अनभिज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।
4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। 'परिपक्वता के लिए धारित' वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित की जाती है।
4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।
4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षित रेपो लेनदेनों का हिसाब-किताब किया जाता है।
4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

- 5.1 भारत में अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदिग्ध' और 'हानि-जनक आस्तियाँ' और ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए प्रावधान में वर्गीकृत किया गया है और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।
5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

- 6.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।
6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित किया गया है और संविदा की शेष अवधि पर अथवा आस्ति / देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ पदनामित किया जाता है जिसे भी बाजार को मार्क किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति / देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।
6.3. उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ-हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख को मान्यता दी जाती है। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।



- a) Government Securities
- b) Other Approved securities including those issued by local bodies,
- c) Shares,
- d) Bonds & Debentures,
- e) Subsidiaries /Joint Ventures,
- f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value /NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company / Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FIMMDA periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries,

associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.



7. अचल आस्तियाँ

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।
- 7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है ।

परिसर	2.50 %
फ़र्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन उपकरण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3 %

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया जाता है ।

- 7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।
- 7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।
- 7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है ।
- 7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है ।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

- 8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।
- 8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है । सेवा निवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है । तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।
- 8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन , आइसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित अनुसार चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और आयकर आय के बीच समय

बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है । आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना हो पर भी विचार हो सके । आस्थगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है । आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है ।

10. प्रति शेयर के अर्जन

बैंक लेखांकन मानक 20 ईपीएस के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा रिपोर्ट करता है, मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है । सांद्रित मूल अर्जन प्रति शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है । प्रति ईक्विटी शेयर सांद्रित आय का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं ।

11. आस्तियों का अनर्जन

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को निर्धारित करता है क्या किसी आस्ति में घटा होने का संकेत है । घटा यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है ।

12. प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो, संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है ।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया जाता है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया जाता है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है । ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है ।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति, यदि कोई हो, को मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया ।



7. Fixed Assets

- 7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.
- 7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

- 7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.
- 7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.
- 7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.
- 7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

- 8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.
- 8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.
- 8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, "Accounting for taxes on income". Deferred tax is recognized subject to consideration of

prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.



अनुसूची -18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. निवेश :

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत है:

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु करोड़ में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
परिपक्वता के लिए धारित	48883.32	53640.07	67.66	67.36
बिक्री के लिए उपलब्ध	23262.96	25965.76	32.20	32.61
ट्रेडिंग के लिए धारित	101.59	20.46	0.14	0.03

1.2 "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 17.94 प्रतिशत (पिछले वर्ष 19.71%) की सीमा

के अंदर है जो मार्च 2017 की समाप्ति तक बैंक की माँग व सावधि देयताओं का 20.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 21.50 प्रतिशत) रहीं।

1.3 "परिपक्वता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 92.88 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु. 103.87 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है।

1.4 सीसीआईएल समझौता गारंटी निधि / डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.1053.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1050 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपाशिवकीकृत उधार ऋण बाध्यता के तहत उधार के लिए संपाशिवकीकृत के प्रति रु.12213.57 करोड़ (पिछले वर्ष रु.20455 करोड़) की प्रतिभूतियाँ क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास रखी गई हैं। हमने डिफॉल्ट निधि रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंटर डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा है। हमने एलएएफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु भा.रि.बैंक के साथ रु.6150 करोड़ (पिछले वर्ष रु 10550 करोड़) प्रतिभूति रखा है। इसके अलावा, फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.47.38 करोड़ (पिछले वर्ष रु.15 करोड़) की राशि को सीसीआईएल के यहाँ रखा गया है एवं रु.12.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु 12 करोड़) राशि को मुद्रा व्युत्पन्न सेगमेंट हेतु एनएससीसीएल के साथ रखा गया है।

1.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु 222,04/- करोड़ (पिछले वर्ष रु.222.04/- करोड़) के शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं।

1.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान एचटीएम प्रवर्ग से सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। ओएमओ के अंतर्गत बैंक द्वारा रु.5073.63 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु 3285 करोड़) का विक्रय हुआ, और अर्जित लाभ रु.103.17 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 18.90 करोड़) है। बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओ के अतिरिक्त) भी बेची और रु.2519.87 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु. 1642.35 करोड़) (भा. रि.बैं.की 5% दी गई सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ, और अर्जित लाभ रु. 70.70 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 55.70 करोड़) है।

2. अग्रिम

2.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया।

2.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

2.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।

2.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।

2.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.79/21.04.048 /2014-15 दिनांकित 30.03.2015 बैंकों को 31.12.2014 तक धारित प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर/ चल प्रावधानों का 50% उपयोग कर सकते हैं। इसी अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु, बैंक ने अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर/ चल प्रावधानों रु.658.22 करोड़ (31 दिसम्बर 2014 तक) में से प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण बफर (पिछले वर्ष रु. 170.00 करोड़ (25.83%) के किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया है।

3. अचल आस्तियाँ

3.1 चालू वर्ष 2016-17 के दौरान भूमि व भवन से संबंधित पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक की सम्पूर्ण भूमि एवं भूमि (पट्टे पर दी हुई परिसम्पत्तियों सहित) को अनुमोदित मूल्यांकन के रिपोर्टों के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। रु. 800.55 करोड़ की निवल वृद्धि को आस्तियों में जोड़ा गया एवं इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में जमा किया गया। पट्टे पर दिए गए परिसर के मूल्यांकन को पट्टे की बकाया अवधि के लिए परिशोधित किया जा रहा है।

3.2 आस्तियों की बिक्री पर लाभ रु.1.24 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.1.25 करोड़) जिसे पूँजी आरक्षितियों में विनियोजित किया गया है।

4. रुपया ब्याज दर स्वैप

31 मार्च 2017 तक प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज दर स्वैप के निरसन पर (पिछले वर्ष रु. 0.02 करोड़) लाभों के कारण आस्थगित आय शून्य है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।



Schedule 18

NOTES TO ACCOUNTS

1. Investments

1.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments (%)	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
Held to Maturity	48883.32	53640.07	67.66	67.36
Available for Sale	23262.96	25965.76	32.20	32.61
Held for Trading	101.59	20.46	0.14	0.03

1.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 17.94 % (previous Year 19.71%) of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2017 as against ceiling of 20.50% (previous year 21.50%) stipulated by RBI.

1.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs. 92.88 Crore was amortized during the year (previous year Rs. 103.87 Crore).

1.4 Securities of Face Value for Rs. 1053.50 Crore (previous year Rs. 1050 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs. 12213.57 Crore (previous year Rs.20455 Crore) towards collateral for borrowing under Collateralized Borrowing and Lending Obligations/Default Fund have been kept with Clearing Corporation Of India Limited. We have placed securities of face value Rs 1500 Crore (previous year Rs. 1500 Crore) with RBI for intra day borrowing. We have also placed Securities to the extent of Rs. 6150 Crore (previous year Rs.10550 Crore) with Reserve Bank of India for our borrowing under the LAF window. Besides, a sum of Rs. 47.38 Crore (previous year Rs.15 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs. 12.50 Crore (previous year Rs. 12 Crore) held with NSCCL for Currency derivative segment.

1.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.222.04 Crore (previous year Rs.222.04 Crore) including amount towards share capital Deposits.

1.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and under RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs.5073.63 Crore (BV) (previous year Rs.3285 Crore) and earned a profit of Rs.103.17 Crore (previous year Rs.18.90 Crore). The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs. 2519.87 Crore (BV) (previous year Rs.1642.35 Crore) (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs. 70.70 Crore (previous year Rs.55.70 Crore).

2. Advances

2.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

2.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

2.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

2.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

2.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP. BC.79/21.04.048/ 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize upto 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. During the year 2016-17, Bank has not utilized any portion of Counter-cyclical Provisioning Buffer [previous year Rs.170 crore(25.83%)] out of Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.658.22 crore held (as on December 31, 2014) for meeting specific provisions for Non-performing Assets.

3. Fixed Assets

3.1 Revaluation has not been carried out during the current year 2016-17 pertaining to Land and Building. However, during the previous year 2015-16, the entire land and building of the bank (including leasehold properties) were revalued based on the valuation reports of the approved valuers. The net appreciation of Rs. 800.55 crore was added to the carrying value of the assets and credited to the revaluation reserve. The revalued amount on leasehold premises is being amortised over the remaining period of the lease.

3.2 Profit on Sale of Assets for Rs.1.24 crore (previous year Rs.1.25 crore), has been appropriated to Capital Reserve.

4. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2017 is NIL (previous year Rs. 0.02 Crore). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.



5. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

बैंक ने नकदी के बदले रुपए 10/- प्रति इक्विटी शेयर को रुपए 28.55 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रुपए 18.55 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 9,17,48,448 इक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रुपए 261.94 करोड़ तक है भारत सरकार को क्यूआइपी आधार पर 14 पात्र संस्थानिक खरीदारों को 23.05.2016 को जारी किए हैं और रुपए 10/- प्रति इक्विटी शेयर को रुपए 27.91 प्रति इक्विटी शेयर की इश्यू कीमत पर (रुपए 17.91 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम समेत) 55,57,14,797 इक्विटी शेयर जिनकी कुल कीमत रुपए 1551 करोड़ तक है भारतीय भारत सरकार (जीओआइ) को अधिमानी आधार पर 30.09.2016 को जारी किए हैं। अतः बैंक की प्रदत्त पूँजी में रु. 1807.27 करोड़ से रु. 2454.73 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत सरकार की शेयरधारिता में रु. 1397.33 करोड़ (77.32%) से रु. 1953.04 करोड़ (79.56%) की एवं पब्लिक शेयरधारिता रु 501.69 करोड़ (20.44%) रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार ने कुल पूँजी निवेश योजना के भाग के रूप में, 16.03.2017 तक, हमारे बैंक की इक्विटी शेयर पूँजी में रु.1100 करोड़ आबंटित किए हैं। इस पूँजी निवेश को शेयर आवेदन धन खाता लंबित आबंटन में रखा गया है जिसे 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य इक्विटी टायर I (सीईटी-I) अनुपात के रूप में माना जाना है जिसकी भा.रि.बैं.व भारत सरकार द्वारा 30.03.2017 को अनुमोदन द्वारा अनुमति दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने प्रति वर्ष 9.24% की कूपन दर पर 03.11.2016 तक रु.800 करोड़ के बेसल III के अनुरूप टायर-II बाण्ड को जारी करने के द्वारा पूँजी निधि बढ़ाई है।

6. कर

6.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु.1974.46 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1086.10 करोड़) की विवादित

भा.रि.बैं. अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण :

9. पूँजी

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
		% में	
i.	सामान्य इक्विटी टायर 1 पूँजी अनुपात	7.58	7.10
ii.	टायर 1 पूँजी	8.21	7.75
iii.	टायर 2 पूँजी	2.28	1.92
iv.	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	10.50	9.66
v.	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	79.56	77.32
		रु. करोड़ में	
vi.	जुटाई गई इक्विटी पूँजी रकम (प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम को छोड़कर)	647.46	571.92
vii.	जुटाई गई अतिरिक्त टायर 1 पूँजी	शून्य	शून्य
viii.	जुटाई गई टायर 2 पूँजी	800	शून्य

रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

6.2 वर्ष के लिए कुल प्रतिरक्षा कर का कर व्यय रु. 35.81 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 830.78 करोड़) है।

7. समाधान

7.1 अंतर बैंक एवं अंतर शाखा लेन-देन को वर्ष के दौरान नए ऑपरेटिंग सिस्टम में माइग्रेशन की तिथि (19.02.2016) तक पूरा कर लिया गया था एवं बकाया प्रविष्टियों के विलोपन के लिए उठाए गए कदम प्रगतिशील अवस्था में हैं। प्रबंधन बकाया प्रविष्टियों के विलोपन/समाधान पर कोई भी भौतिक परिणामी प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं करता है।

7.2 वर्ष के दौरान बैंक ने एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम “फिनेकल” में माइग्रेट किया है व बैंक को एक बाह्य सलाहकार द्वारा शीर्ष 20 शाखाओं का माइग्रेशन लेखा परीक्षा प्राप्त हुआ है एवं उनके द्वारा इंगित की गई कमियों को सुधारा जा चुका है। लेखापरीक्षा के दौरान अन्य मुद्दे भी पाए गए जिनमें से अधिकांश को सुधारा जा चुका है सिर्फ अंतर शाखा समाधान के तहत पड़े हुए शेष, माइग्रेशन खाता, उंचत खाते का ब्याज एवं ब्याज प्राप्ति खाता का समाधान नहीं किया गया है। पहचाने गए मुद्दों के अलावा कई मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है इसलिए प्रबंधन इस प्रकार के माइग्रेशन से संबद्ध सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए निकट भविष्य में एक विस्तृत माइग्रेशन ऑडिट कराने का इच्छुक है। हालांकि प्रबंधन को इस प्रकार के प्रयास से बैंक के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले भौतिक प्रभाव का कोई पूर्वानुमान नहीं है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत विक्रेताओं से संबंधित सूचना एवं जिनसे वस्तु एवं सेवाएं, बैंक द्वारा प्राप्त की गयी हैं को सुनिश्चित किया जा रहा है।



5. Capital and Reserves

Rs. 1974.46 crore (previous year Rs.1086.10 crore).

The Bank has issued 9,17,48,448 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.28.55 per equity share (including premium of Rs.18.55 per equity share) aggregating upto Rs.261.94 crore to 14 Qualified Institutional Buyers on Qualified Institutions Placement basis on 23.05.2016 and 55,57,14,797 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.27.91 per equity share (including premium of Rs.17.91 per equity share) aggregating upto Rs.1551 crore to Government of India (GOI) on 30.09.2016 on Preferential Basis. Hence, the paid up capital of the Bank has increased from Rs.1807.27 crore to Rs.2454.73 crore. GOI's shareholding has increased from Rs.1397.33 crore (77.32%) to Rs.1953.04 crore (79.56%) and the Public Shareholding stood at Rs.501.69 crore (20.44%).

During the Financial Year 2016-17, GOI as a part of turnaround linked Capital Infusion Plan, on 16.03.2017 has allotted Rs. 1100 crore in our Bank's Equity Share Capital. This capital infusion has been parked in Share Application Money Account pending allotment, is to be treated as Common Equity Tier I (CET-I) Ratio for the financial year ending 31.03.2017 as permitted by RBI and GOI with approval dated 30.03.2017.

During the Financial Year 2016-17, Bank has raised capital funds by way of issue of Basel III Compliant Tier II Bonds of Rs.800 crore on 03.11.2016 at coupon rate of 9.24% per annum.

6. Taxes

6.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating

6.2 Tax expense for the year is Rs.35.81 crore net of deferred tax [Previous year Rs.(830.78) crore].

7. Reconciliation

7.1 Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to the date of migration (19.02.2016) to new operating system during the year and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

7.2 During the previous year, the Bank has migrated to a new Operating System viz., 'Finacle' and has got the migration audit of Top 20 branches done by engaging an external consultant and has resolved the issues pointed out by them. During the course of audit certain other issues were identified, most of which also have been resolved, except with regard to balance lying in interest receivable account which has not been reconciled. Considering the nature of issues identified, there could be some more unidentified issues as well. Hence, the Management intends to conduct a comprehensive system audit in the near future to address all such issues connected therewith. However, the Management does not anticipate any material impact emanating out of such exercise on the Financial Statements of the bank.

8. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:

9. Capital

S.No.	Particulars	2016-17	2015-16
		In %	
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	7.58	7.10
ii)	Tier I Capital	8.21	7.75
iii)	Tier 2 Capital	2.28	1.92
iv)	Total Capital Ratio (CRAR)	10.50	9.66
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	79.56	77.32
		Rs. In Crore	
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	647.46	571.92
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	Nil
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	800	Nil



10. निवेश

10.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016 - 17	2015 - 16
i. निवेशों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	68626.79	76155.64
(ख) भारत के बाहर	3622.40	3470.65
ii. मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	460.07	436.74
(ख) भारत के बाहर	1.32	-
iii. निवेशों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	68166.72	75718.90
(ख) भारत के बाहर	3621.08	3470.65

10.2 निवेशों पर मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

	2016 - 17	2015 - 16
i. आरंभिक शेष	436.74	422.45
ii. जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	117.81	158.16
iii. घटाएँ: वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधानों के बट्टे खाते डाले गए/ प्रतिलेखन का समायोजन	94.48	143.87
iv. समापन शेष	460.07	436.74

10.3 अंतर-बैंक रिपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च को बकाया	
	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	शून्य	10.49	शून्य	42.40	शून्य	1.21	शून्य	शून्य
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.4 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

10.4.1 गैर- एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	रकम दिनांक 31.03.2017 तक	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	4843.25	4690.89	8.75	8.75	8.75
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	388.08	371.98	--	--	--
(iii)	बैंक	303.34	300.44	0.50	--	--



10. Investments

10.1 Value of Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	68626.79	76155.64
(b) Outside India	3622.40	3470.65
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	460.07	436.74
(b) Outside India	1.32	-
(iii) Net value of Investments		
(a) In India	68166.72	75718.90
(b) Outside India	3621.08	3470.65

10.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
(i) Opening Balance	436.74	422.45
(ii) ADD: Provisions made during the year	117.81	158.16
(iii) LESS: Write off/Write Back of excess provisions during the year	94.48	143.87
(iv) Closing Balance	460.07	436.74

10.3 Inter Bank Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31 st	
	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16	16-17	15-16
Securities sold under Repo								
i. Government securities	--	--	--	--	--	--	--	--
ii Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--
Securities Purchased under reverse repo								
i. Government securities	--	10.49	--	42.40	--	1.21	--	--
ii. Corporate debt securities	--	--	--	--	--	--	--	--

10.4 Non-SLR Investment Portfolio

10.4.1 Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

S. No	Issuer	Amount As on 31.03.17	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment grade' securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	4843.25	4690.89	8.75	8.75	8.75
(ii)	FIs	388.08	371.98	--	--	--
(iii)	Banks	303.34	300.44	0.50	--	--



(iv)	निजी कापॉरिट	5235.20	4505.20	83.50	--	50.00
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58	--	--	--	--
(vi)	अन्य (विदेशी गैर-सरकारी निवेशों सहित)	517.31	--	--	--	--
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	301.87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	11184.89	9868.51	92.75	8.75	58.75

10.4.2 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
अथ शेष	247.91	179.63
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	78.48	68.28
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	42.41	-
इति शेष	283.98	247.91
कुल धारित प्रावधान	152.51	105.43

10.5 एचटीएम श्रेणी को / से अन्तरण एवं बिक्री : शून्य

(एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों का कुल अंतरण 5% की अनुमत सीमा से अधिक नहीं था।)

11. डेरिवेटिव्स

11.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17			2015-16		
	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल	रुपया ऋण	एफएक्स ऋण	कुल
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	73.00	3413.26	3486.26	323.00	6901.62	7224.62
2) करारों के तहत यदि कार्डटर पार्टि अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि	0.41	4.01	4.42	0.47	80.57	81.04
3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	--	--	--	--	--	--
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम	--	--	--	--	--	--
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	0.41	4.01	4.42	0.19	80.57	80.76

11.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2015-16
1)	वर्ष के दौरान ली गई विनिमय व्यापार ब्याज दर की डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	-	-
2)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर की डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	-	-
3)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	-	-
4)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	-	-



(iv)	Private Corporates	5235.20	4505.20	83.50	--	50.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	199.58	--	--	--	--
(vi)	Others (Including Overseas Non Government Investments)	517.31	--	--	--	--
(vii)	Provision held towards depreciation	301.87	NA	NA	NA	NA
	Total	11184.89	9868.51	92.75	8.75	58.75

10.4.2 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance	247.91	179.63
Additions during the year since 1st April,	78.48	68.28
Reductions during the above period	42.41	-
Closing Balance	283.98	247.91
Total Provisions held	152.51	105.43

10.5 Sale and Transfers to/from HTM Category : NIL

(Total transfer of securities to/from HTM category was within permissible limit of 5 %.)

11. DERIVATIVES

11.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2016-17			2015-16		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	73.00	3413.26	3486.26	323.00	6901.62	7224.62
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.41	4.01	4.42	0.47	80.57	81.04
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	--	--	--	--	--	--
iv) of credit risk arising from the swaps	--	--	--	--	--	--
v) The fair value of the swap book	0.41	4.01	4.42	0.19	80.57	80.76

11.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2016-17	2015-16
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	--	--
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March	--	--
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	--	--



11.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

11.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेजरी-(विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कापोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सकें। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

अ) विदेशी उधार / एफ सी एन आर (बी) पोर्टफोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज / विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोजर का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबंधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबंधन किया जाता है।

उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोजर के मूल्यांकन व निरंतर प्रबंधन करने की अलग प्रणाली है।

ऊ) बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कापोरेट ग्राहकों का पारस्परिक आधार पर चयन करने के लिए व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है। बैंक टू बैंक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णतः मेल किए गए हैं और आरक्षित ऋण नहीं हैं।

ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आय के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है। तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैंक टू बैंक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया

गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

व्युत्पन्नों के विशेष संदर्भ के साथ उस सीमा तक जिस सीमा तक व्युत्पन्नों का प्रयोग किया जाता है, जुड़े हुए जोखिम एवं कारोबारी उद्देश्य से संबद्ध जोखिम प्रबंधन नीतियाँ। ये भी शामिल होगा -

अ) व्युत्पन्न कारोबार में जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठन एवं संरचना ;

आ) जोखिम माप की प्रकृति एवं स्कोप, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी व्यवस्था

इ) प्रतिरक्षा एवं/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियाँ तथा प्रतिरक्षा/शमन के सतत प्रभावशाली निगरानी हेतु प्रक्रिया एवं रणनीतियाँ ; एवं

ई) प्रतिरक्षित एवं गैर प्रतिरक्षित लेन-देनों की रिकार्डिंग के लिए लेखा नीतियाँ ; आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट ; बकाया करारों का मूल्यांकन ; प्रावधानीकरण, समपाश्र्विक एवं क्रेडिट जोखिम शमन।

ट्रेजरी (देशीय)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है। स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार मौजूद है।

क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।

ख) व्युत्पन्न लेन देन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेन देन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम , विनियामक जोखिम , प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबंधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएँ नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबंधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है।

घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है।



11.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

11.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

- a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back-to-back basis to customers.
- b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.
- c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.
- d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.
- e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.
- f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges have not exceeded that of the underlying exposures. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.
- g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back-to-back basis, income on account of such transactions will be recognized on termination.
- h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

- i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. Also to include

- a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading;
- b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;
- c) Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants; and
- d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee IRS for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

- a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.
- b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.
- c) Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.
- d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)



11.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2015-16	
		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	7.71	23.00	153.43	6883.83
	ख) व्यापार के लिए	0	50.00	23.91	340.79
ii)	बाजार स्थिति को मार्क				
	क) आस्तियाँ (+)	0	0.11	7.50	80.85
	ख) देयताएँ (-)	0.81	*	0.28	-8.72
iii)	ऋण जोखिम	15.42	0.36	14.18	70.63
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	0.02	0.24	0.76	102.75
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर	0.00	0.22	0.12	5.28
v)	वर्ष के दौरान देखे गए न्यूनतम और अधिकतम 100* पीवी 01				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.64	2.34	5.95	145.09
	न्यूनतम	0.02	0.24	0.76	1.78
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.09	0.93	0.72	6.90
	न्यूनतम	0.00	0.22	0.12	0.93

* देयता के प्रति प्रतिरक्षित स्वैप का एक्सपोजर शून्य है।

12. आस्ति गुणवत्ता

12.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) निवल अग्रिम (%) में निवल एनपीए	13.99	11.89
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	30048.63	14922.45
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	13003.70	20998.38
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	7954.07	5872.20
घ) इति शेष	35098.26	30048.63
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	19212.58	9813.33
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	6055.44	13650.12
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ	5518.70	4250.87
घ) इति शेष	19749.32	19212.57
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	9743.38	4457.20
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	6948.26	7348.26
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	2541.67	2062.08
घ) इति शेष	14149.97	9743.38

नोट : भा.रि.बैं. परिपत्र सं. डीबीआर.डीपी.बीसी.सं.63/21.04.018 दिनांकित 18 अप्रैल 2017 द्वारा अपेक्षित एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन के ब्यौरे प्रकटीकरण सं.26 के अंतर्गत दिए गए हैं।

12.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 53.63% (दिनांक 31.03.2016 तक 47.39%) था।



11.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	2016-17		2015-16	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For Hedging	7.71	23.00	153.43	6883.83
	b) For Trading	0	50.00	23.91	340.79
(ii)	Mark to Market Positions				
	a) Asset (+)	0	0.11	7.50	80.85
	b) Liability (-)	0.81	*	0.28	-8.72
(iii)	Credit Exposure	15.42	0.36	14.18	70.63
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.02	0.24	0.76	102.75
	b) on trading derivatives	0.00	0.22	0.12	5.28
Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year					
v)	a) on hedging				
	Maximum	0.64	2.34	5.95	145.09
	Minimum	0.02	0.24	0.76	1.78
	b) on trading				
	Maximum	0.09	0.93	0.72	6.90
	Minimum	0.00	0.22	0.12	0.93

*The exposure to the swaps hedged against liability is Nil.

12. ASSET QUALITY

12.1.1 Non-Performing Assets (NPAs)

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
i) Net NPAs to Net Advances (%)	13.99	11.89
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	30048.63	14922.45
b) Additions during the year	13003.70	20998.38
c) Reductions during the year	7954.07	5872.20
d) Closing Balance	35098.26	30048.63
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	19212.58	9813.33
b) Additions during the year	6055.44	13650.12
c) Reductions during the year	5518.70	4250.87
d) Closing Balance	19749.32	19212.57
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	9743.38	4457.20
b) Provisions made during the year	6948.26	7348.26
c) Write-off/Write-back of excess provisions	2541.67	2062.08
d) Closing balance	14149.97	9743.38

Note : The details of divergence in asset classification and provisioning for NPAs as required vide RBI

Circular No. DBR.DP.BC.NO.63/21.04.018/2016-17 dt. 18th April 2017 is given under Disclosure No.26

12.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 53.63% as on 31.03.2017 (47.39% as on 31.03.2016).



12.2 पुनर्संचित खातों के विवरण

क्र.	पुनः संचयना का प्रकार			सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत			एसएमई उधार पुनर्संचयना के अंतर्गत			अन्य			कुल									
	आसति बर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल					
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल, 2016 तक पुनर्संचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	34	12	19	0	65	46	33	47	0	126	75	55	83	4	217	155	100	149	4	408
		बकाया राशि	3274.89	1613.00	2269.39	0.00	7157.28	273.65	207.22	153.44	0.00	634.31	6618.33	986.95	1701.47	137.78	9444.53	10166.87	2807.17	4124.30	137.78	17236.12
		उत्तर प्रावधान	139.01	53.36	91.00	0.00	283.37	1.24	0.83	0.36	0.00	2.43	60.36	8.28	8.44	0.00	77.08	200.61	62.47	99.80	0.00	362.88
2	1.4.16 से 31.03.2017 के दौरान नई पुनर्संचयना मौजूदा खातों के लिए अनावरण में बढ़ोतरी सहित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	8	5	3	0	0	8	
		बकाया राशि	442.60	138.76	119.82	0.00	701.18	23.01	1.97	5.71	0.00	30.69	1678.15	323.56	73.53	0.00	2075.24	2143.76	464.29	199.06	0.00	2807.11
		उत्तर प्रावधान	0.11	0.00	3.46	0.00	3.57	0.14	0.00	0.00	0.14	0.32	0.32	5.18	0.27	0.00	5.77	0.57	5.18	3.73	0.00	9.48
3	01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान पुनर्संचित मानक बर्ग के स्तर में उधेयन	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	-2	0	0	8	-5	-3	0	0	12	-9	-3	0	0	22	-14	-8	0	0
		बकाया राशि	250.04	0.00	-250.04	0.00	0.00	24.26	-18.95	-5.31	0.00	0	32.27	-31.01	-1.26	0.00	0.00	306.57	-49.96	-256.61	0.00	0.00
		उत्तर प्रावधान	13.28	0.00	-13.28	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	13.31	-0.02	-13.29	0.00	0.00



12.2 Particulars of Accounts Restructured

(Rs. in Crore)

SI No.	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism			Under SME Debt Restructuring Mechanism			Others			Total																		
	Asset Classification																														
Details																															
1	Restructured Accounts as on April 1, 2016	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon												
																				Standard	34	139.01	0	0.11	442.60	0	0	0.11	250.04	13.28	2
																				Sub-standard	12	53.36	0	0.00	138.76	0	0	0.00	0.00	0.00	0
		Doubtful	19	91.00	0	3.46	119.82	0	-2	-250.04	-13.28	-250.04	-2	0																	
		Loss	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Total	65	283.37	0	3.57	701.18	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Standard	46	1.24	0	0.14	23.01	0	8	24.26	0.01	24.26	8	0																	
		Sub-standard	33	0.83	0	0.00	1.97	0	-5	-18.95	0.00	-18.95	-5	0																	
		Doubtful	47	0.36	0	0.00	5.71	0	-3	-5.31	-0.01	-5.31	-3	0																	
		Loss	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Total	126	2.43	0	0.14	30.69	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Standard	75	60.36	0	0.32	1678.15	5	12	32.27	0.02	32.27	12	0																	
		Sub-standard	55	8.28	0	5.18	323.56	3	-9	-31.01	-0.02	-31.01	-9	0																	
		Doubtful	83	8.44	0	0.27	73.53	0	-3	-1.26	0.00	-1.26	-3	0																	
		Loss	4	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Total	217	77.08	0	5.77	2075.24	8	0	0.00	0.00	0.00	0	0																	
		Standard	155	200.61	0	0.57	2143.76	5	22	306.57	13.31	306.57	22	0																	
		Sub-standard	100	62.47	0	5.18	464.29	3	-14	-49.96	-0.02	-49.96	-14	0																	
		Doubtful	149	99.80	0	3.73	199.06	0	-8	-256.61	-13.29	-256.61	-8	0																	
Loss	4	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0																			
Total	408	362.88	0	9.48	2807.11	8	0	0.00	0.00	0.00	0	0																			



6	Write off/ sale/ closure/ exit from CDR/ recovery action initiated in restructured accounts during 1.04.2016 to 31.03.2017			5	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.16 to 31.03.2017			4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY			SI No.	
	No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon		No. of Borrowers	Amount Outstanding	Provision Thereon		Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Type of Restructuring	Asset Classification
	-3	-205.49	-42.44	-9	-854.25	-21.63	-10	-1175.26	-31.76	Standard	Under CDR Mechanism		
	-4	-190.10	-18.74	1	-707.41	-12.99				Sub-standard			
	-8	-911.96	-59.23	8	1561.66	34.62				Doubtful			
	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00				Loss			
	-15	-1307.55	-120.41	0	0.00	0.00	-10	-1175.26	-31.76	Total			
	-5	-64.82	-0.69	-7	-43.07	-0.05	-23	-40.14	-0.14	Standard	Under SME Debt Restructuring Mechanism		
	-3	-33.78	-0.61	-16	-112.58	-0.17				Sub-standard			
	-8	-3.07	-0.18	23	155.65	0.22				Doubtful			
	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00				Loss			
	-16	-101.67	-1.48	0	0.00	0.00	-23	-40.14	-0.14	Total			
	-7	-1914.60	-13.00	-11	-451.88	-8.09	-25	-300.33	-1.86	Standard	Others		
	-6	-265.92	-7.73	-29	-265.63	7.56				Sub-standard			
	-17	-353.29	-4.39	39	717.04	0.53				Doubtful			
	-3	-59.83	0.00	1	0.47	0.00				Loss			
	-33	-2593.64	-25.12	0	0.00	0.00	-25	-300.33	-1.86	Total			
	-15	-2184.91	-56.13	-27	-1349.20	-29.77	-58	-1515.73	-33.76	Standard	Total		
	-13	-489.80	-27.08	-44	-1085.62	-5.60				Sub-standard			
	-33	-1268.32	-63.80	70	2434.35	35.37				Doubtful			
	-3	-59.83	0.00	1	0.47	0.00				Loss			
	-64	-4002.86	-147.01	0	0.00	0.00	-58	-1515.73	-33.76	Total			



क्र. सं.	पुनः संरचना का प्रकार	7				
		उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि	उनपर प्रावधान	बकाया राशि	उनपर प्रावधान
	आसि वरीकरण					
	विकरण					
	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					
	मानक	14	1732.53	56.57	-21.63	-854.25
	अवमानक	9	854.25	21.63	-12.99	-707.41
	संदिग्ध	17	2788.87	56.57	34.62	1561.66
	हानि	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	40	5375.65	134.77	0.00	0.00
	एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत					
	मानक	19	172.89	0.51	-0.05	-43.07
	अवमानक	9	43.88	0.05	-0.17	-112.58
	संदिग्ध	59	306.42	0.39	0.22	155.65
	हानि	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	87	523.19	0.95	0.00	0.00
	अन्य					
	मानक	49	5661.94	37.75	-8.09	-451.88
	अवमानक	14	747.95	13.27	7.56	-265.63
	संदिग्ध	102	2137.49	4.85	0.53	717.04
	हानि	2	78.42	0.00	0.00	0.47
	कुल	167	8625.80	55.87	0.00	0.00
	कुल					
	मानक	82	7567.36	94.83	-29.77	-1349.20
	अवमानक	32	1646.08	34.95	-5.60	-1085.62
	संदिग्ध	178	5232.78	61.81	35.37	2434.35
	हानि	2	78.42	0.00	0.00	0.47
	कुल	294	14524.64	191.59	0.00	0.00



7 Restructured Accounts as on March 31 of the 2017 (closing Figures)					SI No.	
					Type of Restructuring	
Provision Thereon	Amount Outstanding	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Details	
-21.63	-854.25	56.57	1732.53	14	Standard	
-12.99	-707.41	21.63	854.25	9	Sub-standard	
34.62	1561.66	56.57	2788.87	17	Doubtful	
0.00	0.00	0.00	0.00	0	Loss	
0.00	0.00	134.77	5375.65	40	Total	
-0.05	-43.07	0.51	172.89	19	Standard	
-0.17	-112.58	0.05	43.88	9	Sub-standard	
0.22	155.65	0.39	306.42	59	Doubtful	
0.00	0.00	0.00	0.00	0	Loss	
0.00	0.00	0.95	523.19	87	Total	
-8.09	-451.88	37.75	5661.94	49	Standard	
7.56	-265.63	13.27	747.95	14	Sub-standard	
0.53	717.04	4.85	2137.49	102	Doubtful	
0.00	0.47	0.00	78.42	2	Loss	
0.00	0.00	55.87	8625.80	167	Total	
-29.77	-1349.20	94.83	7567.36	82	Standard	
-5.60	-1085.62	34.95	1646.08	32	Sub-standard	
35.37	2434.35	61.81	5232.78	178	Doubtful	
0.00	0.47	0.00	78.42	2	Loss	
0.00	0.00	191.59	14524.64	294	Total	



12.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए) बिक्री के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
(i) खातों की संख्या	8	7
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	276.75	344.53
(iii) कुल प्रतिफल	425.55	396.25
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	2.38
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)	148.80	54.10

बी) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश में बही मूल्य के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचा गया एनपीए द्वारा समर्थित	483.39	336.35**
ii) अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ नॉन-बैंकिंग कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचा गया एनपीए द्वारा समर्थित	--	--
कुल	483.39	336.35

**दिनांक 31.03.2016 तक बकाया रु 121.67 करोड़ के आवेदन धन के साथ, अप्रैल 2016 से आबंटित

(सी) प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी किये गये एसआर	5 से अधिक वर्ष पूर्व किन्तु 8 वर्षों के भीतर जारी किये गये एसआर	8 से अधिक वर्ष पूर्व जारी किये गये एसआर
(i) बैंक द्वारा बिक्री किये गये एनपीए द्वारा समर्थित एसआर बही मूल्य	2337.84	270.75	-
(i)के विरुद्ध जारी प्रावधान	220.39	-193.85	-
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री किये गये एनपीए द्वारा समर्थित एसआर बही मूल्य	-	-	-
(ii)के विरुद्ध जारी प्रावधान	-	-	-
कुल (i)+(ii)	2337.84	270.75	-

12.4 क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

12.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
1 [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	--	--
[ख] कुल बकाया	--	--
2 [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुनःसंरचित खातों की संख्या	--	--
[ख] कुल बकाया	--	--



12.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction

A. Details of Sales

(Rs. in Crore)

Particulars		2016-17	2015-16
(i)	No. of accounts	8	7
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	276.75	344.53
(iii)	Aggregate consideration	425.55	396.25
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0	2.38
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	148.80	54.10

B. Details of book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. in Crore)

Particulars		2016-17	2015-16
i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	483.39	336.35**
ii)	Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
Total		483.39	336.35

** Includes application money of Rs. 121.67 crore outstanding as on 31.03.2016 since allotted in April 2016.

C. Additional Disclosure on book Value of Investment in Security Receipt

(Rs. In Crore)

Particulars		SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	2337.84	270.75	-
	Provision held against (i)	220.39	-193.85	-
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	-	-	-
	Provision held against (ii)	-	-	-
Total (i)+ (ii)		2337.84	270.75	-

12.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

12.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in Crore)

Particulars		2016-17	2015-16
1	(a) No. of accounts purchased during the year	--	--
	(b) Aggregate outstanding	--	--
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	--	--
	(b) Aggregate outstanding	--	--



12.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
1 . विक्रय किए गए खाते	8	7
2 . कुल बकाया	481.27	450.07
3 . प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	425.55	396.25

12.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	1084.11	905.18

13. कारोबार अनुपात

	विवरण	2016-17	2015-16
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	7.77%	8.53%
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.33%	0.92%
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.44%	1.05%
(iv)	आस्तियों से लाभ	-1.21	-0.97
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड़ों में)	12.28	12.41
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	-0.1140	-0.0905

14. आस्ति देयता प्रबंधन :

31 मार्च 2017* तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ में)

	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	3019.23	7243.87	10071.57	0.20	2127.58	1274.56
2 से 7 दिन	5202.00	2783.86	2499.30	144.11	1136.40	426.76
8 से 14 दिन	6104.89	5159.22	1378.93	175.10	361.17	480.23
15 से 30 दिन	4201.59	4574.02	1021.14	64.85	911.06	1110.50
31 दिन से 2 महीने तक	7679.05	13555.36	1849.27	389.11	1961.99	1561.05
2 महीने - 3 महीने	7890.48	17135.28	1986.63	356.66	3893.60	978.55
3 महीने से 6 महीने तक	23828.70	14403.25	6772.86	2891.13	1636.03	2838.66
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	48431.56	23741.24	11933.95	817.26	1691.79	3481.45
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	26229.50	41962.77	10018.38	8492.25	1257.88	3413.16
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5444.86	11989.03	2176.72	1000.00	1723.07	447.65
5 वर्ष से अधिक	73310.76	14227.93	22603.93	1767.00	1973.45	2661.45
कुल	211342.63	156775.81	72312.68	16097.67	18674.02	18674.02



12.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
1. No. of accounts sold	8	7
2. Aggregate Outstanding	481.27	450.07
3. Aggregate consideration received	425.55	396.25

12.5 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Provisions towards Standard Assets	1084.11	905.18

13 BUSINESS RATIOS

S.No	Particulars	2016-17	2015-16
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	7.77%	8.53%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	1.33%	0.92%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.44%	1.05%
(iv)	Return on Assets	-1.21	-0.97
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	12.28	12.41
(vi)	Profit per employee (Rs. in Crore)	-0.1140	-0.0905

14 ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2017*

(Rs. in Crore)

Particular	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	3019.23	7243.87	10071.57	0.20	2127.58	1274.56
2 to 7 days	5202.00	2783.86	2499.30	144.11	1136.40	426.76
8 to 14 days	6104.89	5159.22	1378.93	175.10	361.17	480.23
15 Days – 30 Days	4201.59	4574.02	1021.14	64.85	911.06	1110.50
31 Days – 2 Months	7679.05	13555.36	1849.27	389.11	1961.99	1561.05
2 Months – 3 Months	7890.48	17135.28	1986.63	356.66	3893.60	978.55
3 Months – 6 Months	23828.70	14403.25	6772.86	2891.13	1636.03	2838.66
Over 6 Months & Upto 1 year Months	48431.56	23741.24	11933.95	817.26	1691.79	3481.45
Over 1 year & up to 3 years	26229.50	41962.77	10018.38	8492.25	1257.88	3413.16
Over 3 years & up to 5 years	5444.86	11989.03	2176.72	1000.00	1723.07	447.65
Over 5 years	73310.76	14227.93	22603.93	1767.00	1973.45	2661.45
Total	211342.63	156775.81	72312.68	16097.67	18674.02	18674.02



31 मार्च 2016* तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(रु. करोड़ में)

	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	5354.70	9506.21	1147.52	5.05	522.85	807.53
2 से 7 दिन	4709.53	3438.60	4033.10	339.44	844.01	18.07
8 से 14 दिन	5234.35	4452.87	1717.35	316.54	97.91	14.43
15 से 28 दिन	3165.22	2994.91	1536.80	266.26	303.45	30.40
29 दिन से 3 महीने तक	16926.11	35451.70	4896.55	1197.99	1382.56	1168.48
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	29315.52	11046.19	7636.23	3739.49	1573.40	1191.65
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	61067.02	16777.72	15147.71	8215.71	110.57	434.68
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	30532.50	63783.35	17944.76	9035.83	0.00	813.00
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	6032.00	10164.17	5752.92	3100.00	0.00	356.51
5 वर्ष से अधिक	62177.28	15111.00	19813.35	967.00	0.00	0.00
कुल	224514.23	172726.72	79626.29	27183.31	4834.75	4834.75

* प्रबंधन के द्वारा प्रमाणित एवं संकलित

15. उधार

15.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ में)

प्रवर्ग	2016-17	2015-16
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक - उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा। जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	12327.00 7631.29	12755.10 7262.99
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास व निर्माण आदि) उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ (एनएफबी) सम्मिलित हैं।	5425.42	7518.18
iii) स्थावर संपदा अन्य : होटल, अस्पताल और लिक्विडेंट ऋण जो सीआरई के तहत नहीं हैं	2210.27	2651.72
iv) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार (क) रिहाइशी (ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (ग) अन्य रियल्टी सीआइजी निवेश	20.00	20.00
आ) अप्रत्यक्ष ऋण : राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	1156.00	4371.00
स्थायर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण	21138.69	27316.00



Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2016*

(Rs. in Crore)

Particular	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	5354.70	9506.21	1147.52	5.05	522.85	807.53
2 to 7 days	4709.53	3438.60	4033.10	339.44	844.01	18.07
8 to 14 days	5234.35	4452.87	1717.35	316.54	97.91	14.43
15 to 28 days	3165.22	2994.91	1536.80	266.26	303.45	30.40
29 days to 3 Month	16926.11	35451.70	4896.55	1197.99	1382.56	1168.48
Over 3 Month & up to 6 Month	29315.52	11046.19	7636.23	3739.49	1573.40	1191.65
Over 6 Month & up to 1 year	61067.02	16777.72	15147.71	8215.71	110.57	434.68
Over 1 year & up to 3 years	30532.50	63783.35	17944.76	9035.83	0.00	813.00
Over 3 years & up to 5 years	6032.00	10164.17	5752.92	3100.00	0.00	356.51
Over 5 years	62177.28	15111.00	19813.35	967.00	0.00	0.00
Total	224514.23	172726.72	79626.29	27183.31	4834.75	4834.75

*As compiled and certified by the management

15 Exposures

15.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2016-17	2015-16
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages- Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Out of which individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	12327.00 7631.29	12755.10 7262.99
ii) Commercial Real Estate- Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based (NBF) limits;	5425.42	7518.18
iii) Real estate other (Hotel, Hospital & liquor not under CRE)	2210.27	2651.72
iv) Investments in mortgage backed securities (MBS) and other securitized exposures- a. Residential b. Commercial Real Estate c. other investment CIG Reality	20.00	20.00
(b) Indirect Exposure: Fund based and non fund based exposures on National housing Bank (NHB) and Housing Finance companies (HFCs)	1156.00	4371.00
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	21138.69	27316.00



15.2 पूँजी बाजार को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टतः कापोरिट ऋण में नहीं किया गया है;	540.33	914.24
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.29	0.62
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	2.26	12.39
iv) जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	1594.13	1751.14
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.88	115.88
vi) संसाधनों को जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बंध आधार पर कापोरिटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00
vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना;	0.00	0.67
x) उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	169.83	195.39
पूँजी बाजार को कुल उधार	2307.72	2990.33

15.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग*	31.3.2017 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2017 तक धारित प्रावधान	31.3.2016 तक (निवल) अग्रिम	31.3.2016 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	15319.36	9.43	15963.86	11.25
कम	7177.42	--	5605.43	--
सामान्य	22.36	--	174.18	--
उच्च	752.49	--	775.98	--
उच्चतर	--	--	0.33	--
प्रतिबंधित	--	--	0.27	--
उधार-इतर	--	--	शून्य	--
कुल	23,271.63	9.43	22520.05	11.25

* निर्यात क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा सात श्रेणियों में वर्गीकरण पर आधारित



15.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

PARTICULARS	2016-17	2015-16
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	540.33	914.24
ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.29	0.62
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	2.26	12.39
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	1594.13	1751.14
v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	0.88	115.88
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) financing to stock brokers for margin trading;	0.00	0.67
x) all exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered and commitment charges)	169.83	195.39
TOTAL EXPOSURE TO CAPITAL MARKET	2307.72	2990.33

15.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.3.2017	Provision held as at 31.3.2017	Exposure (net) as at 31.3.2016	Provision held as at 31.3.2016
Insignificant	15319.36	9.43	15963.86	11.25
Low	7177.42	--	5605.43	--
Moderate	22.36	--	174.18	--
High	752.49	--	775.98	--
Very High	--	--	0.33	--
Restricted	--	--	0.27	--
Off-credit	--	--	Nil	--
Total	23,271.63	9.43	22520.05	11.25

*Based on seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC)



15.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने सीमा में वृद्धि की है:
नीचे दिये गये मामले में बैंक ने भारिबै द्वारा सुझाए गए विवेकपूर्ण सीमा की अधिकता में एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं में निवेश किया।
2016-17

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2017 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2345.53	3163.54	01.04.2016 -31.03.2017	18.04.2016	2438.47
2	टिवन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	389.10 (यूएसडी 60.00 मिओ)	01.04.2016 -31.03.2017	05.12.2014	389.10 (यूएसडी 60.00 मिओ)
3	वरदा ट्वेल्व प्रो.लि.	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	457.19 (यूएसडी 70.50 मिओ)	01.04.2016- 03.10.2018 यूएसडी 69.560 मिओ तक (आइएनआर 451.10 करोड़)	05.12.2014	आइएनआर.64.85 (यूएसडी 1/-) (वास्तविक में)
4	एमवीपी ग्रुप	259.40 (यूएसडी 40.00 मिओ)	324.25 (यूएसडी 50.00 मिओ)	01.04.2016 -31.03.2017	20.09.2013	304.80 (यूएसडी 47.00 मिओ)
5	एअर इण्डिया	500.00	977.21	01.04.2016 -31.03.2017	05.02.2015	934.89
6	इफको	100.00	1700.00	01.04.2016 -31.03.2017	02.09.2016	689.05
7	वेलम्मल एजूकेशनल ट्रस्ट	100.00	194.01	01.04.2016 -31.03.2017	11.12.2015	167.67
8	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	22.12.2015	138.89
9	बुलढाना अर्बन को- ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	13.07.2015	112.02

2015-16

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2016 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	टिवन स्टार होल्डिंग्स लि., मॉरिशस - हाँगाँग शाखा	265.02 [यूएसडी 40.00 मिओ]एकल उधारकर्ता सीमा	397.53 [यूएसडी 60.00 मिओ]#	1.04.2015 -31.03.2016	5.12.2014	397.53 [यूएसडी 60.00 मिओ]
2	आर्मडा डी 1 प्रो.लि. - सिंगापुर शाखा	250.00 [यूएसडी 40.00 मिओ] एकल उधारकर्ता सीमा	406.25 [यूएसडी 65.00 मिओ]	1.04.2015- 21.08.2015##	1.9.2012	--



15.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The bank had taken single/group borrower exposure in excess of prudential limit prescribed by RBI in the cases given below:

2016-17

(Rs. in Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2017 outstanding
1	MTNL	2345.53	3163.54	01.04.2016 -31.03.2017	18.04.2016	2438.47
2	Twin Star Holdings Ltd, Mauritius	259.40 (USD 40.00 mio)	389.10 (USD 60.00 mio)	01.04.2016 -31.03.2017	05.12.2014	389.10 (USD 60.00 mio)
3	Varada Twelve Pte Ltd	259.40 (USD 40.00 mio)	457.19 (USD 70.50 mio)	01.04.2016- 03.10.2018 to the extent of USD69.560 mio(INR451.10 crore)	05.12.2014	INR.64.85 (USD1/-) (In actuals)
4	MVP Group	259.40 (USD 40.00 mio)	324.25 (USD50.00 mio)	01.04.2016 -31.03.2017	20.09.2013	304.80 (USD 47.00 mio)
5	Air India	500.00	977.21	01.04.2016 -31.03.2017	05.02.2015	934.89
6	IFFCO	100.00	1700.00	01.04.2016 -31.03.2017	02.09.2016	689.05
7	Velammal Educational Trust	100.00	194.01	01.04.2016 -31.03.2017	11.12.2015	167.67
8	SRM Institute of Science & Technology	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	22.12.2015	138.89
9	Buldana Urban Co-op Credit Society Ltd.	100.00	150.00	01.04.2016 -31.03.2017	13.07.2015	112.02

2015-16

(Rs. in Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2016 outstanding
1	Twin Star Holdings Ltd, Mauritius- Hongkong branch	265.02 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	397.53 [USD 60.00 mio]#	1.04.2015 -31.03.2016	5.12.2014	397.53 [USD 60.00 mio]
2	Armada D1 Pte Ltd Singapore branch	250.00 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	406.25 [USD 65.00 mio]	1.04.2015- 21.08.2015##	1.9.2012	--



3	वरदा टूवेल्स प्रो.लि. - हाँगाँग शाखा	265.02 [यूएसडी 40.00 मिओ] एकल उधारकर्ता सीमा	440.63 [यूएसडी 70.50 मिओ]	1.04.2015- 31.03.2016	5.12.2014	407.44 [यूएसडी 65.19 मिओ]
4	एमवीपी ग्रुप आइएनटीएनएल आइएनसी	250.00 [यूएसडी 40.00 मिओ]	375.00 [यूएसडी 60.00 मिओ]@	1.04.2015- 31.03.2016	20.9.2013	343.75 [यूएसडी 55.00 मिओ]
5	गोल्ड मैट्रिक्स रिसोर्सेस प्रो.लि. - सिंगापुर	250.00 [यूएसडी 40.00 मिओ]	321.34 [यूएसडी 48.50 मिओ]	अधिकतम नहीं	25.10.2013	153.03[यूएसडी 24.584 मिओ]**
6	एअर इण्डिया लि.	500	955.12	01.04.2015- 31.03.2016	05.02.2015	1223.82
7	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2998.31	3147.68	01.04.2015- 31.03.2016	25.10.2013 व 18.04.2016	1980.10
8	इफको	100	1700	01.04.2015- 31.03.2016	30.05.2011	313.27
9	वेलम्मल एजुकेशनल ट्रस्ट	100	207.69	01.04.2015- 31.03.2016	04.09.2015	206.82
10	बुलढाना अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	100	150	01.04.2015- 31.03.2016	04.12.2013	118.01
11	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलोजी	100	162	01.04.2015- 31.03.2016	12.12.2015	125.39

दिनांक 17.03.2016 को आयोजित हुई बैठक में एमसीबी द्वारा कुल मंजूरी सीमा 100 मियो से अप्रप्त अंश 40 मियो का निरस्तीकरण

यद्यपि दिनांक 31.03.2016 तक खातों को बंद कर दिया है, दिनांक 20.08.2015 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेष 40 मियो यूएसडी बढ़ता है। दिनांक 20.08.2015 तक मियो 46.80 (आइएनआर 310.07 करोड़) बकाया था।

** स्वीकरण के पश्चात एलसी के तहत बिलों का प्रस्तुतिकरण - बैंकों पर एक्सपोजर

@ दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक सीमा को एमसीबी द्वारा यूएसडी 55 मियो कम किया गया और दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 50 मियो तक।

बोर्ड द्वारा एमसीबी/ अनुसमर्थन द्वारा वास्तविक स्वीकरण की तिथि पश्चात उक्त खातों के संबंध में सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

15.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए प्रभार आदि	6857.19	6941.05
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आवकलित मूल्य	6857.19	6941.05

16. भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
भा.रि.बैंक द्वारा लगाए गए दंड	--	--



3	Varada Twelve Pte Ltd- Hongkong branch	265.02 [USD 40.00 mio] Single Borrower Limit	440.63 [USD 70.50 mio]	1.04.2015- 31.03.2016	5.12.2014	407.44 [USD 65.19 mio]
4.	MVP Group Intl Inc	250.00 [USD 40.00 mio]	375.00 [USD 60.00 mio]@	1.04.2015- 31.03.2016	20.9.2013	343.75 [USD 55.00 mio]
5	Gold Matrix Resources Pte Ltd- Singapore	250.00 [USD 40.00 mio]	321.34 [USD 48.50 mio]	Not exceeded	25.10.2013	153.03[USD 24.584 mio]**
6.	Air India Limited	500	955.12	01.04.2015- 31.03.2016	05.02.2015	1223.82
7.	Mahanagar Telephone Nigam Ltd	2998.31	3147.68	01.04.2015- 31.03.2016	25.10.2013 & 18.04.2016	1980.10
8.	IFFCO	100	1700	01.04.2015- 31.03.2016	30.05.2011	313.27
9.	Velammal Educational Trust	100	207.69	01.04.2015- 31.03.2016	04.09.2015	206.82
10.	Buldana Urban Co-op CreditSociety Ltd.	100	150	01.04.2015- 31.03.2016	04.12.2013	118.01
11.	SRM Institute of Science & Technology	100	162	01.04.2015- 31.03.2016	12.12.2015	125.39

Unavailed portion of USD 40 mio cancelled by MCB in its meeting dated 17.3.2016 out of total sanctioned limit of USD 100 mio

Even though the accounts stands closed as on 31.3.2016, the balance exceeded SBL of USD 40 mio during the reporting period upto 20.8.2015. Outstanding was USD 46.80 mio [INR 310.07 cr] as on 20.8.2015.

** Represents bills under LC after acceptance – exposure on Bank

@ Limit reduced to USD 55 mio from 1.4.15 to 31.12.15 and USD 50 mio wef 1.1.16 to 31.3.16 BY MCB

There has been no increase in limits in respect of the above accounts after the date of original sanction by MCB/Ratification by Board.

15.5 Unsecured Advances

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	6857.19	6941.05
Estimated value of such intangible collateral	6857.19	6941.05

16 Disclosure of Penalties imposed by RBI

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Penalties imposed by RBI	--	--



लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

17.1 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी - अनुसूची 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गई है ।

17.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

- i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।
- ii) लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है;

(क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	6815.05	6007.72	1139.92	1074.10	435.40	413.49
ब्याज लागत	510.13	443.69	82.49	76.40	28.42	28.84
वर्तमान सेवा लागत	162.75	123.81	58.48	52.95	31.68	30.88
प्रदत्त लाभ	(583.21)	(667.94)	(170.14)	(194.32)	(93.33)	(91.25)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	657.80	907.77	202.74	130.80	67.62	53.44
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40

(ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	0	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	548.35	548.97	101.16	97.67	0	0.00
नियोक्ता का अंशदान	677.77	811.21	188.29	0.00	93.33	91.25
प्रदत्त लाभ	(583.21)	(667.94)	(170.14)	(194.32)	93.33	91.25
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	139.69	85.42	(65.79)	10.14	0	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	0	0.00
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	--	--	--	--	--	--



DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

17.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

17.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) “Employees Benefits” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:-

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Present Value of obligation as at the beginning of the year	6815.05	6007.72	1139.92	1074.10	435.40	413.49
Interest Cost	510.13	443.69	82.49	76.40	28.42	28.84
Current Service Cost	162.75	123.81	58.48	52.95	31.68	30.88
Benefits Paid	(583.21)	(667.94)	(170.14)	(194.32)	(93.33)	(91.25)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	657.80	907.77	202.74	130.80	67.62	53.44
Present Value of Obligation at year end	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6807.24	6029.58	1255.42	1341.93	0	0
Expected return on Plan Assets	548.35	548.97	101.16	97.67	0	0
Employer's contribution	677.77	811.21	188.29	0.00	93.33	91.25
Benefit Paid	(583.21)	(667.94)	(170.14)	(194.32)	93.33	91.25
Actuarial gain/(loss) on Obligations	139.69	85.42	(65.79)	10.14	0	0
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	0	0
Unfunded Transitional Liability	--	--	--	--	--	--



(ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	0	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक निवल देयता	0	7.81	4.54	0	469.79	435.40
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक निवल देयता	17.21*	0	0	74.82**	0	0.00

*लेखांकन मानक के पैरा 59(बी) सीमा में प्रभाव डालने के पश्चात तुलन पत्र में रु.27.32 से रु.10.11 करोड़ की कमी द्वारा रु 17.21 करोड़ की निवल आस्ति के निधिपोषण पहचान की गई है।

** पिछले रु.115.50 करोड़ को रु.40.68 करोड़ तक घटते हुए एएस 15 के पैरा 59 (बी) में सीमा को लागू करने के पश्चात तुलन पत्र में रु.74.82 करोड़ की निवल आस्ति के निधिपोषण की पहचान की गई।

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
वर्तमान सेवा लागत	162.75	123.81	58.48	52.95	31.68	30.88
ब्याज लागत	510.13	443.69	82.49	76.40	28.42	28.84
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(548.35)	(548.97)	(101.16)	(97.67)	0	0
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	518.12	822.35	(268.52)	(120.66)	67.62	53.44
लाभ व हानि खाते में प्रभारित करने योग्य कुल व्यय	642.64	840.87	306.33	152.34	127.72	113.16
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ड) पेंशन व गैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता :

(आंकड़े % में)

ब्यौरे	पेंशन न्यास		गैच्युटी न्यास	
	2017	2016	2017	2016
क) ऋण लिखतें				
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	10.29	5.56	3.45	3.64
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	18.45	52.70	58.24	52.61
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	64.59	37.14	34.83	39.62
अन्य निवेश	6.47	4.60	2.37	4.13
ख) ईक्विटी लिखतें	0.20	--	1.11	--



(c) Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	7562.52	6815.05	1313.48	1139.92	469.79	435.40
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	7589.84	6807.24	1308.94	1255.42	0	0.00
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	0	7.81	4.54	0	469.79	435.40
Funded Net Assets to be recognized in Balance Sheet	17.21*	0	0	74.82**	0	0.00

*Funded Net asset recognized in Balance sheet is Rs.27.32 crore LESS Effect of Para 59(b) Rs.10.11 crore which comes to Rs.17.21 crore.

**Funded Net asset recognized in Balance Sheet is Rs.74.82 crores after giving effect to limit in Para 59(b) of AS 15 by reducing the carrying amount of Rs.115.50 crore by Rs.40.68 crore.

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss

(Rs. in Crore)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Current Service Cost	162.75	123.81	58.48	52.95	31.68	30.88
Interest Cost	510.13	443.69	82.49	76.40	28.42	28.84
Expected return on Plan Asset	(548.35)	(548.97)	(101.16)	(97.67)	0	0
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	518.12	822.35	(268.52)	(120.66)	67.62	53.44
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	642.64	840.87	308.33	152.34	127.72	113.16
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pension Trust		Gratuity Trust	
	2017	2016	2017	2016
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	10.29	5.56	3.45	3.64
State Government Securities	18.45	52.70	58.24	52.61
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	64.59	37.14	34.83	39.62
Other Investments	6.47	4.60	2.37	4.13
b) Equity Instruments	0.20	--	1.11	--



(च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

(आंकड़े % में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
बट्टा दर	7.31	7.82	7.31	7.82	7.31	7.84
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर	8.00	9.00	8.00	8.00	--	--
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट		अनुमानित यूनिट क्रेडिट	

(छ) अनुभवगत समंजन

(रु. करोड़ में)

ब्यौरे	पेंशन (निधिक)					गैच्युटी (निधिक)					अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(139.69)	85.42	3.73	433.71	100.20	(65.79)	10.14	23.13	47.25	32.40	--	--	--	--	--
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(657.80)	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(409.07)	(202.74)	(130.80)	30.57	(28.36)	(142.68)	67.62	53.44	35.78	(73.40)	(25.76)

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाजार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।

(ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2017) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है।

प्रत्याशित लाभ दर: आस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जि अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

(झ) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु200 करोड़ है।



(f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

(Figures in %)

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Discount Rate	7.31	7.82	7.31	7.82	7.31	7.84
Expected rate of return on Plan Assets	8.00	9.00	8.00	8.00	--	--
Expected Rate of Salary increase	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

(g) Experience Adjustments

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION (Funded)					GRATUITY (Funded)					LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)				
	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013	2017	2016	2015	2014	2013
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	(139.69)	85.42	3.73	433.71	100.20	(65.79)	10.14	23.13	47.25	32.40	--	--	--	--	--
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(657.80)	(907.77)	(567.28)	(553.88)	(409.07)	(202.74)	(130.80)	30.57	(28.36)	(142.68)	67.62	53.44	35.78	(73.40)	(25.76)

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(h) The financial assumptions considered for the calculations are as under

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2017).

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

- (i) Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs.200 Crore.

17.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ढ़ेज़री , कापॉरिट / थोक बैंकिंग, सीटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड

(₹. करोड़ में)

कारोबार खण्ड	ढ़ेज़री		कापॉरिट / थोक बैंकिंग		सीटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
वितरण	6453.98	7279.00	9417.37	11314.31	6876.73	7172.21	302.38	278.79	23050.46	26044.31
राजस्व	1573.31	610.14	(200.84)	540.51	1980.97	1498.87	256.19	234.91	3609.63	2884.43
परिणाम										
अनार्बाटित आय									40.77	1.24
अनार्बाटित व्यय									0.20	0.21
परिचालनगत लाभ/हानि									3650.20	2885.46
आय कर									35.81	(830.78)
प्रावधान व आकस्मिकताएं									7031.14	6613.56
असाधारण लाभ / हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									(3416.74)	(2897.33)
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तिर्थाँ	71867.95	79057.29	112008.13	128915.28	60399.02	63785.78	191.88	368.49	244466.98	272126.84
अनार्बाटित आस्तिर्थाँ									2700.51	2309.93
कुल आस्तिर्थाँ									247167.49	274436.77
खण्डवार देयताएं	66382.98	71187.85	107506.91	124736.74	58186.99	61994.21	223.03	828.23	232299.90	258747.03
अनार्बाटित देयताएं									1123.04	23.92
कुल देयताएं									233422.94	258770.95

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

(₹. करोड़ में)

	देशी		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	22302.07	25139.88	789.16	905.67	23091.23	26045.55
आस्तिर्थाँ	228493.46	253421.94	18674.02	21025.94	247167.49	274447.88

17.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

Part A: Business Segments

(Rs. in Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	6453.98	7279.00	9417.37	11314.31	6876.73	7172.21	302.38	278.79	23050.46	26044.31
Result	1573.31	610.14	(200.84)	540.51	1980.97	1498.87	256.19	234.91	3609.63	2884.43
Unallocated Income									40.77	1.24
Unallocated Expenses									0.20	0.21
Operating Profit/Loss									3650.20	2885.46
Income Taxes									35.81	(830.78)
Provisions & Contingencies									7031.14	6613.56
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									(3416.74)	(2897.33)

OTHER INFORMATION

Segment Assets	71867.95	79057.29	112008.13	128915.28	60399.02	63785.78	191.88	368.49	244466.98	272126.84
Unallocated Assets									2700.51	2309.93
Total assets									247167.49	274436.77
Segment Liabilities	66382.98	71187.85	107506.91	124736.74	58186.99	61994.21	223.03	828.23	232299.90	258747.03
Unallocated Liabilities									1123.04	23.92
Total Liabilities									233422.94	258770.95

Part B – Geographic segments

(Rs. in Crore)

Particulars	Domestic		International		Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Revenue	22302.07	25139.88	789.16	905.67	23091.23	26045.55
Assets	228493.46	253421.94	18674.02	21025.94	247167.49	274447.88





17.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं संकलित किया गया)

(रु. करोड़ में)

सहयोगी** / संबद्ध उद्यम	2016-17		2015-16		2016-17		2015-16		कुल			
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16		
मुख्य प्रबंध कार्मिक												
मुख्य प्रबंध कार्मिक से संबंधित												
मदों/ संबंधित पार्टी	दिनांक 31.03.2017 तक तुलनपत्र	दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक शेष	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2017 तक शेष	दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक शेष	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2017 तक शेष	दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष	दिनांक 31.03.2016 तक तुलनपत्र	दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए अधिकतम शेष
उधार	291.09	976.79	858.21	1334.28	-	-	-	-	291.09	976.79	858.21	1334.28
जमाएं	8.47	381.36	75.82	535.23	-	-	-	0.38	8.65	381.74	75.94	536.32
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	600.00	1205.00	1205.00	1205.00	-	-	-	-	600.00	1205.00	1205.00	1205.00
वर्ष के दौरान लेन-देन	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
निष्पत्ति आस्तरियों की खरीद	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.04
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	26.20	55.46	0.0002	-	-	-	-	-	20.2002	55.46	-	-

* ओडिशा ग्राम्य बैंक एवं पाण्डित्यन ग्राम बैंक

** हमारे बैंक (35% शेयर के साथ) ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा (40%) तथा आन्ध्र बैंक (25%) के साथ मलेशिया में संयुक्त उपक्रम किया है। मलेशिया के केन्द्रीय बैंक निगारा बैंक ने 16.04.2010 को इस संयुक्त उपक्रम को लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उपक्रम को इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएम) के नाम से 13.08.2010 को मलेशिया में शामिल किया गया।



17.4 Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management)

(Rs. In Crore)

Items / Related Party	Associates */ Joint Ventures**		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Borrowings	Balance as on 31.03.2017	291.09	-	-	-	-	291.09	
	Maximum Balance during the period 1.4.2016 – 31.03.2017	976.79	-	-	-	-	976.79	
Deposits	Balance as on 31.03.2016	858.21	-	-	-	-	858.21	
	Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	1334.28	-	-	-	-	1334.28	
Investment	Balance as on 31.03.2017	8.47	0.18	0.12	-	-	8.65	
	Maximum Balance during the period 1.4.2016 – 31.03.2017	381.36	0.38	0.71	-	-	381.74	
Advances	Balance as on 31.03.2016	75.82	-	-	-	-	75.94	
	Maximum Balance during the period 1.4.2015 – 31.03.2016	535.23	-	-	-	-	536.32	
Transactions during the year	2016-17	600.00	-	-	-	-	600.00	
	2015-16	1205.00	1205.00	-	-	-	1205.00	
Purchase of fixed assets	-	-	-	0.04	-	-	-	0.04
Interest paid	-	-	-	-	-	-	-	-
Interest received	26.20	55.46	0.0002	-	-	-	20.2002	55.46

*Odisha Gramya Bank and Pandyan Grama Bank

** Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM).



आइआइबीएम के निदेशकों के ब्यौरे		
क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री. थेनकुर्रिसी नंदकुमार रामकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक निदेशक
2	श्री. पी एस जयकुमार	गैर -स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3	श्री. दातुक भूपतराय ए/आइ श्री. मकसुखलाल प्रेमजी	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
4	श्री. गोपाल कृष्ण ए/आइ श्री. सी पी गोपालन	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
5	श्री संतानम वांगल जगन्नाथन	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन एवं निष्पादन प्रोत्साहन के ब्यौरे

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक				
क्र.सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक राशि* (रु.) (2016-17)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2015-16)
1	श्री. आर कोटीस्वरन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	5,62,240.95	21,26,710
2	श्री. अतुल अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	9,99,342.30	18,81,212
3	श्री. पवन कुमार बजाज	कार्यपालक निदेशक	10,13,025.76	18,17,457
4	श्री. आर. सुब्रमण्यकुमार	कार्यपालक निदेशक एमडी व सीईओ का अतिरिक्त प्रभार	12,37,308.80	--
5	श्री के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	2,82,880.00	--

* पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं।

** वर्ष का अंश

17.5 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	2016-17	2015-16
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में)	(3416.74)	(2897.33)
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	216,45,61,771	145,89,62,128
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	रु.(15.78)	रु. (19.86)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

17.6 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण एवं लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है।

17.7 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु.करोड़ में)

विवरण	31-03-2017		31-03-2016	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यहास		439.61		563.45
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	73.02		38.79	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	171.37		150.68	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	17.91		14.14	



The details of the Directors of IIBM

Sl.No.	Name	Designation
1.	Mr. Thenkurissi Nandakumar Ramakumar	Managing Director and Chief Executive Director
2.	Mr.PS.Jayakumar	Non Independent Non-Executive Director
3.	Datuk Bhupatrai a/l MaksukhlalPremji	Independent Non-Executive Director
4.	Mr. Gopala Krishnan a/l C P Gopalan	Independent Non-Executive Director
5.	Mr.Sanathanam VangalJagannathan	Independent Non-Executive Director

Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2015-16 and 2016-17:

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2016-17)	Remuneration* Amount (Rs.) (2015-16)
1.	Shri R. Koteeswaran	Managing Director & Chief Executive Officer	5,62,240.95	21,26,710
2.	Shri Atul Agarwal	Executive Director	9,99,342.30	18,81,212
3.	Shri Pawan Kumar Bajaj	Executive Director	10,13,025.76	18,17,457
4.	Shri R SubramaniaKumar	Executive Director & Addl Charge MD CEO	12,37,308.80	--
5.	Shri K Swaminathan	Executive Director	2,82,880.00	--

*Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

**Part of the year

17.5 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2016-17	2015-16
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	(3416.74)	(2897.33)
Weighted Average Number of Equity Shares	216,45,61,771	145,89,62,128
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.(15.78)	Rs.(19.86)
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs. 10.00

17.6 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

17.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2017		31.03.2016	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		439.61		563.45
Depreciation on Fixed Assets	73.02		38.79	
Provision for Employee Benefits	171.37		150.68	
Provision for Frauds	17.91		14.14	



पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	121.15		180.33	
आगे ले जाई गई हानियाँ	0.00		0.11	
विशेष आरक्षितियाँ		256.65		256.65
अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	2102.97		1961.35	
विदेशी मुद्रा लेन-देन आरक्षितियाँ	9.94		36.55	
अन्य	31.40		33.61	
कुल	2527.76	696.26	2415.56	820.10
निवल डीटीएल/ डीटीए	1831.50		1595.46	

17.8 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग व्यवस्था हेतु अधिगृहीत किया गया सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाएगा एवं इसे 3 वर्षों की अवधि के लिए परिशाधित किया गया है।

17.9 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बडाँदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये हैं। बैंक निगरा, मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने 16.04.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो। संबद्ध उद्यम की प्रदत्त एमवाइआर 330 मियो है। इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% - 115.500 मियो एमवाइआर है।

31.03.2017 तक हमारे बैंक ने प्रति शेयर 10 एमवाइआर सहित 11550000 शेयरों के लिए रु.199.58 करोड़ (पिछले वर्ष 199.58 करोड़) प्रदान किया है, जिसका कुल मूल्य रु.115.500 मियो एमवाइआर बनता है। इस संयुक्त उद्यम ने 11.07.2012 को परिचालन शुरू किए।

17.10 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्तियाँ" माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एस28 के जरिए परिभाषित अनुसार "नकदी सृजन इकाइयाँ" नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है।

17.11 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

18. अतिरिक्त प्रकटीकरण

18.1. जमाओं, अग्रिमों, उधारों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

18.1.1. जमाओं का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	17145.82	36078.48
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	8.11%	16.07%

18.1.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (उधार एक्सपोजर व्युत्पन्न सहित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	21249.27	33655.59
उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिमों का प्रतिशत	10.68%	14.83%

18.1.3. एक्सपोजर का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	30306.46	35876.36
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	14.54%	15.06%



Provision for Restructured Advances	121.15		180.33	
Carry forward losses	0.00		0.11	
Special Reserve		256.65		256.65
Provision for NPA	2102.97		1961.35	
Foreign Currency Translation Reserve	9.94		36.55	
Others	31.40		33.61	
Total	2527.76	696.26	2415.56	820.10
Net DTL /DTA	1831.50		1595.46	

17.8 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortised over a period of 3 years.

17.9 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Our Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%). Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture was incorporated at Malaysia on 13.08.2010 by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorised Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.) Our Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR115.500 Mio.

As on 31.3.2017, Bank has paid Rs.199.58 crore (Previous year Rs. 199.58 crore) towards 11 550 000 shares of MYR10 each aggregating to MYR115.500 Mio. The Joint Venture has commenced operations on 11.7.2012.

17.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

17.11 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

18 Additional Disclosures

18.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

18.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Deposits of twenty largest depositors	17145.82	36078.48
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	8.11%	16.07%

18.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Advances to twenty largest borrowers	21249.27	33655.59
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	10.68%	14.83%

18.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	30306.46	35876.36
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	14.54%	15.06%



18.1.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
उच्च चार अनर्जक खातों से सम्बन्धित कुल एक्सपोजर	4759.95	3287.71

18.1.5 प्रवर्ग-वार अग्रिम / अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2016-17			2015-16		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल अनर्जक आस्तियाँ	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम प्रतिशतता	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	उस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों एवं कुल अग्रिम प्रतिशतता
अ.	प्राथमिक क्षेत्र	67379.75	10556.54	13.14	70852.59	9147.82	12.91
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	29348.13	3550.26	11.85	30236.95	2519.81	8.33
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	16199.99	4544.04	18.22	13363.41	2832.80	21.20
3.	सेवाएं	11895.53	2159.76	18.82	15673.48	2509.63	16.01
4.	वैयक्तिक ऋण	9936.10	302.48	1.87	11578.75	1285.58	11.10
	उप-योग (अ)	67379.75	10556.54	13.14	70852.59	9147.82	12.91
ब.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	89396.06	24541.72	29.36	101874.12	20900.81	20.52
1.	कृषि व सम्बन्धित गति-विधियाँ	1610.41	95.74	5.84	--	---	--
2.	उद्योग	50335.14	18241.00	39.55	71582.95	17998.31	25.14
3.	सेवाएं	20054.73	4222.06	20.66	22695.12	1587.25	6.99
4.	वैयक्तिक ऋण	17395.78	1982.92	12.07	7596.05	1315.25	17.31
	उपयोग (ब)	89396.06	24541.72	29.36	101874.12	20900.81	20.52
	कुल योग (अ+ब)	156775.81	35098.26	22.39	172726.71	30048.63	17.40

18.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
01 अप्रैल तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)	30048.63	14922.45
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	13003.70	20998.38
उप-योग (अ)	43052.33	35920.83
घटाएँ :		
i. उन्नयन	3325.35	1814.32
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोड़कर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	1674.68	1930.24
iii) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए	1894.21	2012.91
iv. ऊपर iii) में उल्लिखित को छोड़कर बट्टे खाते में डाली गई रकम	1059.83	114.73
उप-योग (आ)	7954.07	5872.20
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)	35098.26	30048.63



18.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Exposure to top four NPA accounts	4759.95	3287.71

18.1.5 Sector-wise Advances / NPAs

(Rs. in Crore)

Sl No	SECTOR	2016-17			2015-16		
		Outstand ing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	Priority Sector	67379.75	10556.54	13.14	70852.59	9147.82	12.91
1.	Agriculture and allied activities	29348.13	3550.26	11.85	30236.95	2519.81	8.33
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	16199.99	4544.04	18.22	13363.41	2832.80	21.20
3.	Services	11895.53	2159.76	18.82	15673.48	2509.63	16.01
4.	Personal Loans	9936.10	302.48	1.87	11578.75	1285.58	11.10
	Sub Total (A)	67379.75	10556.54	13.14	70852.59	9147.82	12.91
B	Non Priority Sector	89396.06	24541.72	29.36	101874.12	20900.81	20.52
1.	Agriculture and allied activities	1610.41	95.74	5.84	--	---	--
2.	Industry	50335.14	18241.00	39.55	71582.95	17998.31	25.14
3.	Services	20054.73	4222.06	20.66	22695.12	1587.25	6.99
4.	Personal loans	17395.78	1982.92	12.07	7596.05	1315.25	17.31
	Sub Total(B)	89396.06	24541.72	29.36	101874.12	20900.81	20.52
	TOTAL (A+B)	156775.81	35098.26	22.39	172726.71	30048.63	17.40

18.2 MOVEMENT OF NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	30048.63	14922.45
Additions (Fresh NPAs) during the year	13003.70	20998.38
Sub-total (A)	43052.33	35920.83
Less:-		
(i) Up-gradations	3325.35	1814.32
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts and including sale to ARCIL)	1674.68	1930.24
(iii) Technical Write-offs	1894.21	2012.91
(iv) Write offs other than those under (iii) above	1059.83	114.73
Sub-total (B)	7954.07	5872.20
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	35098.26	30048.63



18.3 तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष	6472.94	4956.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	1894.21	2012.91
उप-जोड़ (अ)	8367.15	6969.13
घटाएँ: पहले तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (आ)	876.94	496.19
31 मार्च को इति शेष (अ - आ)	7490.21	6472.94

18.4 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
कुल आस्तियाँ	18674.02	21025.94
कुल अनर्जक आस्तियाँ	2576.87	3451.49
कुल राजस्व	789.16	905.67

आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	35.81	-830.78
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	50.85	93.36
कुल	7066.94	5782.78

18.5 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन-मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
-	-

18.8 अस्थिर प्रावधान

(रु.करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	--	--
(ख)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा	--	--
(ग)	लेखा-वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफर को अंतरित)	--	--
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	--	--

18.6 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
आय कर के लिए प्रावधान	268.55	418.53
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	-232.74	-1249.31
कुल प्रावधान	35.81	-830.78

18.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ - अलग-अलग विवरण

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण

विवरण	2016-17	2015-16
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान/ प्रतिलेखन	23.14	26.71
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	6948.26	7348.27
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	179.88	-249.48
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	-171.01	-605.30

18.9 शिकायतों का प्रकटीकरण

18.9.1 ग्राहकों की शिकायतें, एटीएम के अलावा

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	2432	617
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	21261	11748
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	19178	9933
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	4515	2432



18.3 Movement of Technical Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	6472.94	4956.22
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	1894.21	2012.91
Sub-total (A)	8367.15	6969.13
Less: Recoveries made from previously Technical / Prudential written off accounts during the year (B)	876.94	496.19
Closing Balance as on 31st March (A-B)	7490.21	6472.94

18.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total Assets	18674.02	21025.94
Total NPAs	2576.87	3451.49
Total Revenue	789.16	905.67

Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	35.81	-830.78
Other Provision and Contingencies	50.85	93.36
Total	7066.94	5782.78

18.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
--	--

18.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Provision for Income Tax	268.55	418.53
Provision for Deferred Tax	-232.74	-1249.31
Net Provision	35.81	-830.78

18.8 Floating Provisions

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	Opening balance in the floating provisions account	--	--
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	--	--
(c)	Amount of draw down made during the accounting year (Transferred to Counter Cyclical Buffer)	--	--
(d)	Closing balance in the floating provisions account	--	--

18.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Provisions for depreciation on Investment / Written back	23.14	26.71
Provision towards NPA	6948.26	7348.27
Provision towards Standard Assets	179.88	-249.48
Provision for Restructured accounts	-171.01	-605.30

18.9 Disclosure of complaints

18.9.1 Customer Complaints other than ATM

S. No.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	2432	617
(b)	No. of complaints received during the year	21261	11748
(c)	No. of complaints redressed during the year	19178	9933
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	4515	2432



18.9.2 एटीएम ग्राहकों की शिकायतें

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	134	9
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	6096	3488
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	5510	3363
(घ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	720	134

18.9.3 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2015-16
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(घ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--
(ङ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	--	--

18.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2016-17	2015-16
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	--	--
31 मार्च तक बकाया रहे चुकौती आश्वासन पत्र	2	2
निर्धारित वित्तीय प्रभाव	--	--
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व	--	--

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने एक चुकौती आश्वासन सहमति पत्र जारी किया कि बैंकॉक शाखा के संबंध में 12% का न्यूनतम सीआरएआर का अनुरक्षण किया जाएगा तथा कि रखे गए अर्जनों को पूंजी निधियों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा तथा कि सीआरएआर को 12% के न्यूनतम स्तर पर अनुरक्षित करने के

लिए और पूंजी लाई जाएगी बशर्ते भा.रि.बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो ।

शाखा के संपूर्ण वस्त्र उद्योग को दिए गए सभी उधारों के बुरी तरह अनर्जक आस्ति बनने के कारण, हमें टीएचबी 495.276 (पिछले वर्ष 393.395 मियो) की अतिरिक्त प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह वस्त्र उद्योग के मानक अग्रिमों का अप्रतिभूत हिस्सा है । यदि ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, अप्रतिभूत रकम को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान आरक्षितियाँ पर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त पूंजी का प्रेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया था । बैंक संयुक्त उद्यम के अन्य भागीदारों के सहयोग सहित इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बर्हाद को निधि प्रदान करने के लिए, व्यापार और अन्य मामलों में जब कभी अपेक्षित हो, समर्थन प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कार्यों में, व्यापारिक परिचालनों और प्रबंधन संबंधी मलेशिया के कानून, विनियमों और पॉलिसियों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है ।

बैंक नेगारा मलेशिया को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र का वित्तीय प्रभाव यह है कि प्रदत्त पूंजी एमवाइआर 330 मियो के 35 प्रतिशत यानी, एमवाइआर 115.500 मियो का प्रेषण करना होगा । हमारे बैंक ने एमवाइआर 115.500 मियो की पूंजी के लिए 199,57,52,186/- रुपये का प्रेषण किया है ।

18.10 बैंकएश्यूरन्स कारोबार

(रु.करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप*	2016-17	2015-16
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	3.39	3.32
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	11.83	14.98
3	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.41	0.09
4	अन्य (स्पष्ट करें)	शून्य	2.58
कुल		15.63	20.97

*बैंक द्वारा लिये गये बैंकएश्यूरन्स कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक ।

18.11 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण- शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

18.12 उधार डीफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)



18.9.2 ATM – Customer Complaints

S. No.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of ATM complaints pending at the beginning of the year	134	9
(b)	No. of ATM complaints received during the year	6096	3488
(c)	No. of ATM complaints redressed during the year	5510	3363
(d)	No. of ATM complaints pending at the end of the year	720	134

18.9.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	--	--
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	--	--
(c)	No. of Awards implemented during the year	--	--
(d)	No. of Awards lapsed due to non acceptance by customer	--	--
(e)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	--	--

18.9.4 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2016-17	2015-16
Letters of Comfort issued during the year	--	--
Letters of Comfort outstanding as on 31st March	2	2
Assessed financial impact	--	--
Cumulative Assessed Financial Obligation	--	--

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LoC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch and to arrange to convert retained earnings to capital funds and/ or infuse further capital in order to restore the

CRAR to a minimum of 12% subject to approval from RBI.

In the worst case scenario of the entire textile exposure of the branch becoming NPA, we may have to make additional provision to the extent of THB 495.276 mio (previous year THB 393.395 mio) being unsecured portion of standard textile advances. If this contingency arises, there would be no additional capital to be remitted as existing reserves are adequate to cover the unsecured amount.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding, business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

The financial impact for the letter of undertaking issued to Bank Negara Malaysia is remittance of our share of 35% of the paid up capital of MYR 330 mio ie. MYR 115.500 mio. Our Bank has remitted INR 199,57,52,186/- towards the capital of MYR 115.500 mio.

18.10 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Nature of income*	2016-17	2015-16
(a)	For selling Life Insurance Policies	3.39	3.32
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	11.83	14.98
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.41	0.09
(d)	Others (specify)	Nil	2.58
Total		15.63	20.97

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

18.11 Disclosures relating to Securitisation

NIL (previous year – NIL)

18.12 Credit Default Swaps (CDS)

NIL (previous year – NIL)



18.13 आरक्षितियों से निचला आहरण

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने भारिबै परिपत्र दिनांकित 02.02.2017 के अनुसार अतिरिक्त टियर-I बाण्ड पर सांविधित अरक्षिती (पिछले वर्ष राजस्व अरक्षिती में से रु.100 करोड़) में से रु.100 करोड़ की राशि का कूपन भुगतान किया।

18.14 इंद्रा ग्रूप एक्सपोजर

(रु.करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
इंद्रा ग्रूप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
शीर्ष 20 इंद्रा ग्रूप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के इंद्रा ग्रूप एक्सपोजर का %	शून्य	शून्य
इंद्रा ग्रूप एक्सपोजर पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो	शून्य	शून्य

19. जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	530.87	368.44
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	110.61	162.75
घटाएं : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	2.41	0.32
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	639.07	530.87

20. अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यू एफ सी ई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यू एफ सी ई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूंजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

31.03.2017 तक अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण के लिए अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षा रु.11.08 करोड़ (31.03.2016 के 25.35 करोड़ के प्रति) तथा 31.03.2017 तक अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण के लिए संवर्धित आरडबल्युए अपेक्षा रु.360.20 करोड़ (31.03.2016 के रु.1194.44 करोड़ के प्रति) है जो ऋण जोखिम पूंजी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में शामिल है।



18.13 Draw Down from Reserves

During the year 2016-17, Bank had made coupon payment on Additional Tier I Bonds amounting to Rs.100 Crore out of the Statutory Reserve (previous year Rs. 100 crore out of Revenue Reserve) as per the RBI circular dated 02.02.2017.

18.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
Total amount of top 20 intra-group exposures	Nil	Nil
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	Nil	Nil
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

19 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in Crore)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	530.87	368.44
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	110.61	162.75
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.41	0.32
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	639.07	530.87

20 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The additional provision requirement for Unhedged Foreign Currency Exposure as on 31.03.2017 is Rs.11.08 Crore (As on 31.03.2016 is Rs.25.35 Crore) and the incremental RWA requirement for Unhedged Foreign Currency Exposure as on 31.03.2017 is Rs. 360.20 Crore(As on 31.03.2016 is Rs.1194.44 Crore) which is included as part of the Credit Risk Capital assessment.

21. चलनिधि सुरक्षा अनुपात पर प्रकटीकरण

(₹. करोड़ में)

	जून - 16		जून - 15		सितम्बर-16		दिसम्बर-16		दिसम्बर-15		मार्च - 17		मार्च - 16			
	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)	कुल अभागीत मूल्य* (औसत)	कुल भागीत मूल्य # (औसत)		
उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति																
1 कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच व्ही एल ए)		13256.19		30838.04		9397.63		25295.1		28817.9		16740.23		16058.23		
नकद प्रवाह																
2 लघु कारोबार प्रारंभ से रिलेज जमाएं व जमाएं, विसर्ग	26317.43	1529.02	46650.00	3591.45	54519.22	4695.28	47809.20	3679.10	64243.82	5444.21	35325.33	2756.55	60381.59	5204.37	48101.69	3713.42
(i) स्थिर जमाएं	22054.36	1102.72	21470.95	1073.55	15132.69	756.63	22036.30	1101.81	19603.41	980.17	15519.67	775.98	16675.67	833.78	21935.01	1096.75
(ii) कम स्थिर जमाएं	4263.07	426.30	25179.05	2517.90	39386.53	3938.65	25772.90	2577.29	44640.41	4464.04	19805.66	1980.57	43705.92	4370.59	26166.68	2616.67
(iii) अभागीत श्रेणियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 अभागीत श्रेणियाँ विसर्ग	26535.31	9166.86	22964.47	8434.05	32510.93	10514.66	23575.31	8975.99	29831.62	6413.74	38955.14	7985.75	37747.81	8864.63	29982.82	9718.98
(i) पब्लिक/लोक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियाँ)	7210.38	425.11	5132.92	303.20	16385.35	857.09	4502.72	287.77	20747.03	1077.68	24509.57	1285.42	25676.20	1330.89	9539.46	547.66
(ii) बैंक - पब्लिक/लोक जमाएं (सभी काउंटर पार्टियाँ)	19324.93	8741.75	17831.55	8130.85	16125.58	9657.57	19072.59	8688.22	9084.59	5336.06	14445.57	6700.33	12071.61	7533.74	20443.36	9171.32
(iii) अभागीत श्रेणियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 अभागीत श्रेणियाँ विसर्ग	471.76	0	9892.72	58.76	450.39	0	21.16	0	2473.04	0	4200.34	0	489.58	0	18.25	0
5 अतिरिक्त अपेक्षाएं विसर्ग से	10233.37	1262.90	1829.23	1670.50	9734.06	1534.44	12356.61	1542.91	8672.11	962.76	17104.78	2447.25	8431.14	1123.78	11681.42	1569.92
(i) ज्यूरिंग प्रकृति/अन्य अन्य संशोधन/अपेक्षाओं से संबंधित वरिष्ठ	126.49	126.49	1654.65	1654.65	196.56	196.56	210.99	210.99	72.34	72.34	277.50	277.50	182.94	182.94	300.33	300.33

21 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

	Jun-16		Jun-15		Sep-16		Sep-15		Dec-16		Dec-15		Mar-17		Mar-16	
	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)	Total Unweighted Value* [average]	Total Weighted Value # (average)
High Quality Liquid Assets																
1 Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		13256.19		30838.04		9397.63		20031.84		25295.1		28817.9		16740.23		16058.23
Cash Outflows																
Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		26317.43		46650.00		4695.28		3679.10		64243.82		2756.55		60381.59		3713.42
(i) Stable deposits	22054.36	1102.72	21470.95	1073.55	15132.69	756.63	22036.30	1101.81	19603.41	980.17	15519.67	775.98	16675.67	833.78	21935.01	1096.75
(ii) Less stable deposits	4263.07	426.30	25179.05	2517.90	39386.53	3938.65	25772.90	2577.29	44640.41	4464.04	19805.66	1980.57	43705.92	4370.59	26166.68	2616.67
(iii) Unsecured Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Unsecured wholesale funding, of which:		26535.31		22964.47		8434.05		32510.93		10514.66		23575.31		8975.99		29982.82
(i) Operational deposits (all counterparties)	7210.38	425.11	5132.92	303.20	16385.35	857.09	4502.72	287.77	20747.03	1077.68	24509.57	1285.42	25676.20	1330.89	9539.46	547.66
(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	19324.93	8741.75	17831.55	8130.85	16125.58	9657.57	19072.59	8688.22	9084.59	5336.06	14445.57	6700.33	12071.61	7533.74	20443.36	9171.32
(iii) Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Secured wholesale funding	471.76	0	9892.72	58.76	450.39	0	21.16	0	2473.04	0	4200.34	0	489.58	0	18.25	0
5 Additional requirements, of which	10233.37	1262.90	1829.23	1670.50	9734.06	1534.44	12356.61	1542.91	8672.11	962.76	17104.78	2447.25	8431.14	1123.78	11681.42	1569.92
(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	126.49	126.49	1654.65	1654.65	196.56	196.56	210.99	210.99	72.34	72.34	277.50	277.50	182.94	182.94	300.33	300.33





(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	10106.88	1136.41	174.58	15.85	9537.50	1337.88	12145.62	1331.92	8599.77	890.42	16827.28	2169.75	8248.20	940.84	11381.09	1269.59			
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	42677.50	1755.86	30784.65	1539.23	58605.57	2562.46	48046.66	2402.33	55318.99	2355.29	47902.35	2395.12	63508.01	2620.63	46154.78	1888.69			
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		13714.64		15293.99		19306.84		16600.33		15176.00		15584.67		17813.41		16891.01			
Cash Inflows																				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	5655.00	0	132484.00	0	13350.00	0	7041.95	0	6202.52	0	2820.00	0	4650.00	0	5421.21	0			
10	Inflows from fully performing exposures	235.41	235.41	10378.65	555.86	507.25	507.25	679.09	644.92	200.53	200.53	728.89	728.89	229.19	229.19	377.38	377.38			
11	Other cash inflows	11870.51	7951.33	11956.02	6213.54	17987.99	10744.94	26712.51	15047.57	12452.19	7334.27	15648.87	10169.37	15069.49	8354.06	17595.55	11027.92			
12	TOTAL CASH INFLOWS	17760.92	8186.74	154818.67	6769.4	31845.24	11252.19	34433.55	15692.49	18855.24	7534.8	19197.76	10898.26	19948.68	8583.25	23394.14	11405.30			
21	TOTAL HOLA		13256.19		30838.04		9397.83		20031.84		25295.1		28817.9		16740.23		16058.23			
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		5527.90		8524.59		8054.65		4150.08		7641.20		4686.41		9230.16		5485.71			
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		239.8052		361.7539		116.6734		482.6856		331.0357		614.9249		181.3645		292.7284			

* Unweighted values (Average) are provided by the management and relied upon by the Auditors.

Qualitative Disclosure about LCR

Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in phases and it will be fully implemented as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1, 2015 with full implementation being effective from January 1, 2019. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HOLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e., with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019.

LCR for the bank as on 31.03.2017 stood at 181.36% which is well above the RBI stipulated level of 80% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16740.24 Crore as on 31.03.2017. Bank is having government securities to the worth of Rs.9959.31 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.



22. 31.03.2017 तक रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में यथावत हैं)

(रु.करोड़ में)

खातों की सं. जहाँ एसडीआर लागू किया गया है	31.03.2017 तक बकाया राशि		उन खातों के संदर्भ में, जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है, हेतु 31.03.2017 तक बकाया राशि		उन खातों के संदर्भ में, जहाँ ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है, हेतु 31.03.2017 तक बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
17	3410.09	245.73	1123.82	245.73	2286.28	--

23. 31.03.2017 तक तनावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की स्थाई संरचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

ब्यौरे	खातों की सं. जहाँ एस4ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	2	122.65	66.05	56.02	23.14
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	--	--	--	--	--
कुल	2	122.65	66.05	56.02	23.14

24. अग्रिम संबंधित धोखाधड़ी

विवरण	2016-17	2015-16
दर्ज की गई धोखाधड़ियों की संख्या	106	119
(रु.करोड़ में)		
विवरण	2016-17	2015-16
ऐसी धोखाधड़ियों में लगी राशि - 31 मार्च तक बकाया	850.45	510.23
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा	850.45	406.02
'अन्त आरक्षितियों' से नामे किए गए अमूर्त प्रावधान की प्रमात्रा	--	--

25. प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	
		खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी - कृषि	--	--
2	पीएसएलसी - एसएफ/ एमएफ	--	--
3	पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम	--	--
4	पीएसएलसी-सामान्य	--	--

नोट :

- 1) यह प्रकटीकरण प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) विषयक भा.रि.बैं. के परिपत्र एफआईडीडी.के.का.योजना.बीसी.23/04.09.01/2015-16 दिनांकित 7 अप्रैल, 2016 के अनुसार है।



22 Disclosure on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the Stand-Still Period) as on 31.03.2017

(Rs. in Crore)

No of Accounts where SDR has been applied	Amount Outstanding as on 31.03.2017		Amount Outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on 31.03.2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
17	3410.09	245.73	1123.82	245.73	2286.28	--

23 Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) as on 31.03.2017

(Rs. in Crore)

Details	No of Accounts where S4A has been applied	Aggregate Amount Outstanding	Amount Outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	2	122.65	66.05	56.02	23.14
Classified as NPA	--	--	--	--	--
Total	2	122.65	66.05	56.02	23.14

24 Advances Related Frauds

Particulars	2016-17	2015-16
Number of Frauds reported	106	119
(Rs. in Crore)		
Particulars	2016-17	2015-16
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March	850.45	510.23
Quantum of Provision made during the year	850.45	406.02
Quantum of unamortised provision debited from 'other reserves'	--	--

25 Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

S.No.	Particulars	2016-17	
		Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture	--	--
2	PSLC - SF/MF	--	--
3	PSLC - Micro Enterprises	--	--
4	PSLC - General	--	--

Note:

- 1) The disclosure is in line with RBI Circular FIDD.CO.Plan.BC.23/04.09.01/2015-16 dated April 7, 2016 on Priority Sector Lending Certificates(PSLC).



26. (भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डीबीआर.डीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18 अप्रैल 2017 द्वारा) एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 तक दर्ज किया गया सकल एनपीए	30,048.63
2	भा.रि.बैं. द्वारा 31 मार्च 2016 तक आकलित किया गया सकल एनपीए	30,866.13
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	817.50
4	बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 तक दर्ज किया गया निवल एनपीए	19,212.57
5	भा.रि.बैं. द्वारा 31 मार्च 2016 तक आकलित किया गया निवल एनपीए	19,492.97
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	280.40
7	बैंक द्वारा 31 मार्च 2016 तक दर्ज किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	9,743.38
8	भा.रि.बैं. द्वारा 31 मार्च 2016 तक आकलित किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	10,280.48
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	537.10
10	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद दर्ज निवल लाभ (पीएटी)	(2,897.33)
11	प्रावधानीकरण में विचलन होने के बाद 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	(3,461.83)

उक्त क्रम सं. 3 व 9 के संबंध में, भा.रि.बैं. द्वारा सकल एनपीए व प्रावधानीकरण में पाए गए विचलन के कारण, बैंक ने अपेक्षित व पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया ताकि विचलन को कम किया जा सके।

27. तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/ पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया।



26 Divergence in the Asset Classification and Provisioning for NPAs (vide RBI Circular No. DBR.DPBC.NO.63/21.04.018/2016-17 dt. 18th April 2017)

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31,2016 as reported by the Bank	30,048.63
2	Gross NPAs as on March 31,2016 as assessed by RBI	30,866.13
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	817.50
4	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	19,212.57
5	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	19,492.97
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	280.40
7	Provision for NPAs as on March 31,2016 as reported by the Bank	9,743.38
8	Provision for NPAs as on March 31,2016 as assessed by RBI	10,280.48
9	Divergence in Provisioning (8-7)	537.10
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	(2,897.33)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	(3,461.83)

In respect of SI No.3 & 9 above i.e. on account of divergence in Gross NPA and Divergence in provisioning observed by RBI, the bank has represented and furnished requisite and adequate clarification to reduce the divergence.

27 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK
31.03.2017 समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Year ended	
		31.03.2017	31.03.2016
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
निवल लाभ / (हानि)	Net Profit / (Loss)	-34 16 73 85	-28 97 32 75
निम्नवत के लिए समायोजन	Adjustments for :		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	Amortisation of HTM Investments	92 88 23	1 03 86 66
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	16 19 10	1 53 60
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2 14 86 49	1 96 48 08
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	- 1 23 73	- 1 24 72
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	- 80 10 77	1 05 67 38
करों के लिए प्रावधान	Provision for taxes	2 68 54 63	4 18 53 35
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	67 77 25 04	67 42 96 42
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1 79 88 92	-2 49 47 53
निवेशों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investments	79 95 39	31 74 38
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	-2 38 69 80	-11 60 98 30
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest on Tier II Bonds	4 48 70 38	5 69 01 90
उप योग	Sub total	77 58 23 88	67 58 11 22
निम्नवत के लिए समायोजन	Adjustments for :		
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Deposits	-131 71 61 29	-215 34 48 19
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Borrowings	-103 55 63 59	98 00 89 69
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	-21 14 31 73	27 69 13 84
निवेशों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Investments	74 51 32 94	19 83 65 03
अग्रिमों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Advances	136 24 79 92	41 52 38 84
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Other Assets	1 52 41 10	-37 87 18 45
उप योग	Sub total	-44 13 02 66	-66 15 59 24
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-4 33 42 37	-3 36 18 88
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)	-5 04 95 00	-30 90 99 65
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	6 97 94	9 97 72 60
नियत आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	-1 41 83 70	-12 51 28 14
निवेश संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ख)	NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	-1 34 85 76	-2 53 55 54
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेयर प्रीमियम को मिलाकर)	Proceeds of Equity Share Issue (including Share premium)	18 12 94 18	22 11 37 30
टियर I एवं II बाँडों का मोचन	Redemption of Tier I & Tier II Bonds	-15 30 00 00	-2 00 00 00
बेसल III टियर II बाँडों का विनिर्मुचन	Issue of Basel III Tier II Bonds	8 00 00 00	-6 50 00 00
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-4 66 33 74	-5 69 13 18
बेमियादी (एटी1) बाँड पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	-1 00 00 00	-1 00 00 00
भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि	Share Application Money received from GOI	11 00 00 00	-



वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	16 16 60 44	6 92 24 12
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) + (B) + (C)	9 76 79 68	-26 52 31 06
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	140 33 49 24	12 63 77 747
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	82 12 74 33	12 26 07 716
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	114 99 96 53	140 33 49 24
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	117 23 06 72	82 12 74 33
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कर्मी	NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	9 76 79 68	-26 52 31 06

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुनः समूहन किया गया है।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

*The previous year figures have been regrouped wherever necessary to conform with the current year figures.

टी सी ए रंगनाथन
गैर कार्यकारी अध्यक्ष
T C A RANGANATHAN
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

आर सुब्रमण्यकुमार
एमडी व सीईओ
R. SUBRAMANIAKUMAR
MD & CEO

के स्वामिनाथन
कार्यपालक निदेशक
K. SWAMINATHAN
EXECUTIVE DIRECTOR

एनी जॉर्ज मैथ्यू
Annie George Mathew

निर्मल चंद
Nirmal Chand

निरंजन कुमार अग्रवाल
Niranjan Kumar Agarwal

संजय रूंगटा
Sanjay Rungta

के रघु
K.Raghu

निदेशक DIRECTORS

कृते वर्धमान एंड कम्पनी
For **VARDHAMAN & Co**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 004522 एस
FRN 004522S

कृते ए एस ए एवं एशोसिएट्स एलएलपी
For **ASA & ASSOCIATES LLP**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 009571 एन/ एन 500006
FRN 009571N / N500006

कृते ए वी देवन एंड कम्पनी
For **A V DEVEN & Co**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 000726 एस
FRN 000726S

(आभा जैन)
(ABHA JAIN)
साझेदार Partner
एम नं. 015454 M.No. 015454

(एस सुंदर राजन)
(S. SUNDAR RAJAN)
साझेदार Partner
एम.नं. 211414 M.No.211414

(पी कन्नन)
(P. KANNAN)
साझेदार Partner
एम. नं. 024687 M.No.024687

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
For **HARIBHAKTI & Co LLP**
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 103523 डब्ल्यू/ डब्ल्यू 100048
FRN 103523W / W100048

कृते तलाटी एंड तलाटी
For **TALATI & TALATI**
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआरएन 110758 डब्ल्यू FRN 110758W

(जी. एन. रामास्वामी)
(G. N. RAMASWAMI)
साझेदार Partner
स.सं.202363 M.No. 202363

(उमेश एच. तलाटी)
(UMESH H. TALATI)
साझेदार Partner
स.सं.034834 M.No. 034834

स्थान : चेन्नै Place : Chennai
दिनांक Date : 17.05.2017



अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क बेसल III पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेरधारकों के मूल्यांकन को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति व निधि समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यतः अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से

प्रभावी पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में प्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरुआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल II प्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित प्रेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बैं. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूंजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति / प्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषतः बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है। जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डाटा केंद्र, सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर, मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन, वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्टरूज डिटैक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग द्वारा एक सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल II प्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है।

तरलता कवरेज अनुपात व निवल स्थाई वित्त पोषण अनुपात विषयक भा.रि.



ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2017

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), ALCO Sub-committee and Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013 and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan 2015 onwards. The implementation of the LCR has been



बैं. दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक जनवरी 2015 व इसके बाद तक भा.रि.बैं. को एलसीआर दर्ज कर रहा है। एलसीआर का कार्यान्वयन 60% के न्यूनतम आवश्यक अपेक्षा के साथ 1 जनवरी, 2015 से चरणबद्ध किया गया है जो 1 जनवरी, 2019 तक धीरे-धीरे 100% तक बढ़ जाएगा। एनएसएफआर जनवरी 2018 से प्रभावी होना निर्धारित है।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी व गैर-जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरुआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जाँचा जाता है। बैंक को भी लिवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जाखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (ए) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (सी) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (डी) उधार जाखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (ई) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (एफ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (जी) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (आई) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (जे) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (के) पूंजी का संघटन (डीएफ-11) (एल) एवं लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ-18)। यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

बेसल III के तहत पिलर III के अनुसार अपेक्षित आंकड़े

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूंजी पर्याप्तता

तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं		

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची: लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं	



phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which will gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. NSFR is scheduled to be effective from January 2018.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank also has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10), (k) Composition of Capital (DF (11) and (L) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the framework applies

(i) Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
		Bank does not belong to any group		NA		

a. List of group entities considered for consolidation: Not applicable

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Bank does not belong to any group	NA		



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (ऊपर 1 (क) में सूचितानुसार)	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) उन सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल रकम जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे शामिल नहीं किया जाता है यानी जिनकी कटौती की गई है :

निगमन का देश/ अनुषंगी का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूंजी की कमी
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारत हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारत प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय

बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबन्धित आंकड़ों के आधार पर बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी की गणना में बैंक अपने केंद्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूंजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़रिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूंजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूंजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्यतः बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। संपार्श्विक प्रबंधन व उधार जोखिम कम करने के लिए एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारत आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारत आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारत आस्ति अर्थात जोखिम भारत आस्ति की पूंजी के 9% के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम



ii. Quantitative Disclosures

c. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Not applicable	

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
		Not Applicable		

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
		Not Applicable		

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

Not Applicable

Table DF – 2 CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and

financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR).

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum



टीयर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूंजी (टायर 1 पूंजी + टायर 2 पूंजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टायर 2 पूंजी को अधिकतम 2% तक स्वीकार किया जा सकता है। आरडब्ल्यूए की 5.5% सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी के अतिरिक्त, बैंकों को प्रत्येक वर्ष 0.625% पर 31.03.2016 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय प्रबन्ध के साथ सामान्य ईक्विटी टायर I पूंजी के रूप में आरडब्ल्यूए का 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कहीं लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने कारोबार की भावी संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन किया है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अधिशेष सीआरएआर भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा, टायर I और टायर II पूंजी घटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। भारत सरकार, जो बैंक में बड़ा शेयरधारण रखता है, पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए नई पूंजी को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में, बैंक आय को बनाए रखकर तथा बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बाज़ार की शर्तों पर आधारित बाज़ार से नई पूंजी के आधान के ज़रिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर I पूंजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टायर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार "पूंजी की परिभाषा (पूंजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।" भारत में परिचालित बैंकों के लिए तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात तथा 01 अप्रैल 2015 से प्रदत्त टेम्पलेट्स के अनुसार तिमाही आधार पर इसके संघटकों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए किया जाना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जुड़ने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनएसएफआर नियमित आधार पर वित्तपोषण के और अधिक स्थाई स्रोतों के साथ बैंकों को उनके कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अनुरोध करके दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमशः 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनजर कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात् यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए 31.03.2017 को बैंक का एलसीआर 181.36% पर रहा जो भारिबैं द्वारा निर्धारित 80% के स्तर से भली भाँति ऊपर है। 31.03.2017 तक रुपए 16740.24 करोड़ के साथ बैंक के पास उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का मजबूत आधार है। बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ रुपए 9959.31 मूल्य की हैं जो न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक है। बैंक के पास आकस्मिक नकदी बाह्य प्रवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि रु.करोड़ में
31.03.2017 तक

ख) उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकत	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	12478.12
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
ग) बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	626.48
- विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	5.43
- ईक्विटी जोखिम	664.49
घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1143.79
ड.) कुल व टायर I पूंजी अनुपात	
उच्च समेकित समूह हेतु ; तथा	
• कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	10.50%
• कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के लागू होने पर)	10.50%
• कुल टायर I पूंजी अनुपात (टायर I सीआरएआर)	8.21%
• सामान्य ईक्विटी टायर-I पूंजा अनुपात	7.58%

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशतः बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्ट जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबंधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन



Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%. In addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2019 at 0.625% every year.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. The basis for calculation at the end of each quarter is "based on the definition of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure). Banks operating in India are required to make **disclosure** of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis as per the templates given. First disclosure required to be made for the quarter ending June 30, 2015.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The NSFR promotes resilience over longer term time horizons by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The LCR and NSFR requirement would be binding on banks from January 1, 2015 and January 1, 2018 respectively. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

Particulars	January 1, 2015	January 1, 2016	January 1, 2017	January 1, 2018	January 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

LCR for the bank as on 31.03.2017 stood at 181.36% which is well above the RBI stipulated level of 80% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16740.24 Crore as on 31.03.2017. Bank is having government securities to the worth of Rs.9959.31 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

Quantitative disclosures

(Rs. in crore)
As on 31.03.2017

a) Capital requirements for credit risk		
• Portfolios subject to standardised approach		12487.12
• Securitisation exposures		0.00
b) Capital requirements for market risk:		
• Standardised duration approach		
- Interest rate risk		626.48
- Foreign Exchange risk (including gold)		5.43
- Equity risk		664.49
c) Capital requirements for operational risk		
• Basic indicator approach		1143.79
d) Total and Tier 1 capital ratio:		
For the top consolidated group; and		
• Total Capital Ratio (CRAR)		10.50%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)		10.50%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)		8.21%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio		7.58%

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a



प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। क्रिसिल द्वारा समर्थित उद्योग जोखिम आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है। बैंक ने 02/01/2017 से राशि का लिहाज किए बिना पुष्पक (वाहन ऋण), निर्बंध ऋण व आवास ऋण के लिए " रिटेल स्कोरिंग मॉडेल्स" स्थापित किए हैं।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन समितियाँ गठित की गयी हैं। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मंजूरी पर विचार करने के लिए बैंक ने तीन समितियों यथा ए) एमडी व सीईओ की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) प्रदत्त शक्तियों के साथ वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति ((एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में अंचल स्तर ऋण समितियों (जेडएलसीसी) तथा क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) का गठन किया गया है। परिणामतः शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं। फिर उत्पाद/ प्रक्रिया/सेवा की शुरुआत करने से पहले केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर उत्पाद/प्रक्रिया जोखिम शमन समिति (पीआरएमसी) व कारोबार प्रक्रिया पुनरभियंत्रण समिति (बीपीआर) नामक दो नई समितियों द्वारा जाँची जाएगी। यह टर्नअराउण्ड समय (टीएटी) को कम करेगा व नए उत्पादों को शुरू करते समय उनमें लगने वाले समय में सुधार करेगा या मौजूदा उत्पाद/ प्रक्रिया/सेवा में परिवर्तन लाएगा।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार नीति समिति (सीपीसी) बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालती है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की हैं जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

(रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2017
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित	232712.85
गैर निधि आधारित	20181.09
कुल	252893.94
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
- देशीय	142650.51
निधि आधारित	24351.34
गैर निधि आधारित	
- विदेशी	14125.30
निधि आधारित	1889.47
गैर निधि आधारित	
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
ड. एनपीए (सकल) की राशि	35098.25
- अवमानक	9163.55
- संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	24609.29
- हानि	1325.41
च. निवल एनपीए	19749.32



decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated supported by CRISIL based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons. Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by MD & CEO (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Zonal Level Credit Committees (ZLCC) headed by the Zonal Head and Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all Zonal Offices and Regional Offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.

The new Products/Process/Services introduced by Bank and Modification of existing Product/Process/Services are examined at the head office level by Risk Management Department depending upon the type of risks involved in the new product / process. Then it shall be examined by newly introduced two committees at head office level namely Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) and Business Process Re-engineering committee (BPR) before launching product/process/service. This will reduce the Turn Around Time (TAT) and to improve the time-to market introduction of new products or to effect changes to existing products/process/services.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Policy Committee (CPC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

(Rs. in crore)

Quantitative Disclosures	31.03.2017
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	232712.85
Non fund based	20181.09
Total	252893.94
b) Geographic distribution of exposures,	
• Domestic	
Fund based	142650.51
Non Fund based	24351.34
• Overseas	
Fund based	14125.30
Non Fund based	1889.47
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	35098.25
• Substandard	9163.55
• Doubtful (D1, D2, D3)	24609.29
• Loss	1325.41
f) Net NPAs	19749.32



उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

छ. एनपीए अनुपात - और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए - निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपी	22.39% 13.99%
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल) - प्रारंभिक शेष (01.04.2016) - जोड़ - घटाव - अन्तिम शेष (31.03.2017)	30048.63 13003.70 7954.08 35098.25
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन - प्रारंभिक शेष (01.04.2016) - अवधि के दौरान किए गए प्रावधान - अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन - अन्तिम शेष (31.03.2017)	9743.38 6948.26 2541.67 14149.97
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	283.98
त. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	152.51
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव - प्रारंभिक शेष - अवधि के दौरान किए गए प्रावधान - अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन - अन्तिम शेष	436.74 117.81 94.48 460.07

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु.करोड़ में)

विवरण	राशि
दिन 1	17045.92
2-7 दिन	10260.66
8 दिन से 14 दिन	6906.68
15 दिन - 30 दिन	6044.25
31दिन - 2 माह	13371.04
2 माह - 3 माह	17431.13
3 माह - 6 माह	18217.47
>6 माह - 12 माह	31158.41
>1 वर्ष - 3 वर्ष	41792.02
>3 वर्ष - 5 वर्ष	18781.04
> 5 वर्ष	72491.99

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	1,512.04
खाद्य प्रसंस्करण	2,185.31
उनमें से चीनी	889.19
उनमें से खाद्य तेल और वनस्पति	508.85
पेय और तम्बाकू उत्पाद	33.55
जूट वस्त्र उद्योग	1,766.02
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	133.99
अन्य वस्त्र उद्योग	1,487.78
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	551.41
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	621.00
कागज और कागज उत्पाद	587.49
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	804.48
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्ट्स आदि)	1,632.44
उनमें से उर्वरक	137.20
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	663.85
उनमें से अन्य	831.39
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	816.72
ग्लास और ग्लासवेयर	94.88
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	970.94
लौह एवं स्टील	13,449.60
अन्य धातु व धातु उत्पाद	3,358.30
सभी इन्जीनियरिंग	5,033.12
उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1,133.16
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	2,315.78
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1,264.53
निर्माण	1,180.69
इन्फ्रास्ट्रक्चर	22,377.84
उसमें से रोडवेज़	7,850.91
उसमें से ऊर्जा	10,526.34
उनमें से दूर संचार	1,372.81
अन्य उद्योग	505.62
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	94,092.28
उनमें से उड्डयन क्षेत्र को	901.75
कुल ऋण और अग्रिम	1,56,775.81



g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	22.39%
• Net NPAs to net advances	13.99%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance (01.04.2016)	30048.63
• Additions	13003.70
• Reductions	7954.08
• Closing balance (31.03.2017)	35098.25
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance (01.04.2016)	9743.38
• Provisions made during the period	6948.26
• Write off / Write back of excess provisions	2541.67
• Closing balance (31.03.2017)	14149.97
j) Amount of Non-Performing Investments	283.98
k) Amount of provisions held for non-performing investments	152.51
l) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening Balance	436.74
• Provisions made during the period	117.81
• Write-off / Write-back of excess provisions	94.48
• Closing Balance	460.07

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
Day 1	17045.92
2 Days – 7 Days	10260.66
8 Days – 14 Days	6906.68
15 Days – 30 Days	6044.25
31 Days – 2 Months	13371.04
2 Months – 3 Months	17431.13
3 Months – 6 Months	18217.47
>6 Months – 12 Months	31158.41
>1 Year – 3 Years	41792.02
>3 Years – 5 Years	18781.04
> 5 Years	72491.99

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in crore)

Industry Name	Outstanding as on 31.03.2017
Mining and quarrying	1,512.04
Food Processing	2,185.31
Of which Sugar	889.19
Of which Edible Oils and Vanaspati	508.85
Beverages and Tobacco	33.55
Cotton Textiles	1,766.02
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	133.99
Other Textiles	1,487.78
Leather and Leather Products	551.41
Wood and Wood Products	621.00
Paper and Paper Products	587.49
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	804.48
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc..)	1,632.44
Of which Fertilisers	137.20
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	663.85
Of which Others	831.39
Rubber, Plastic and their products	816.72
Glass & Glassware	94.88
Cement and Cement Products	970.94
Iron and Steel	13,449.60
Other Metal and Metal Products	3,358.30
All Engineering	5,033.12
Of which Electronics	1,133.16
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	2,315.78
Gems and Jewellery	1,264.53
Construction	1,180.69
Infrastructure	22,377.84
Of which Roadways	7,850.91
Of which Energy	10,526.34
Of which Telecommunications	1,372.81
Other Industries	505.62
Residuary Other Advances	94,092.28
Of which Aviation Sector	901.75
Total Loans and Advances	1,56,775.81



तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण (31.03.2017 तक)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बैसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत उपागम के तहत क्रेडिट जोखिम हेतु पूंजी की गणना के लिए व्यक्तिगत / प्रत्येक ऋणों को लिया गया है। जहाँ पर एक्सपोजर पूरी तरह से प्रतिभूतित हैं जैसे आभूषण ऋण, सावधिक जमाएं/ उपलब्ध जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि, चूंकि उच्च लाभप्रदता के कारण उचित मार्जिन लागू करने के बाद न्यूनीकरण उपलब्ध एक्सपोजर से होता है इसलिए ये लोन उपलब्ध उधार जोखिम शामक (सीआरएम) के विरुद्ध पूर्णतः नेटोड होते हैं।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोजर को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छः देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई), क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि. और इकरा लि., ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूंजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूंजी की गणना में नहीं लिया जाता है।

बैंक पूंजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है। उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त ईसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता है। 15 महीनों

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	100226.50	10179.52	90046.98
100% जोखिम भार	75308.07	10830.37	64477.70
100% जोखिम भार से अधिक	16326.72	1666.63	14860.10
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	191861.28	22676.52	169184.77

(रु.करोड़ में)

के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोजर का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया जाए। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित ईसीआरए द्वारा अनुमोदित उधार रेटिंग एजेंसियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोजर रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत 31.3.2017 तक लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेंसी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोजर के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए, जिसमें समय लग सकता है।



Table DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH (as on 31.03.2017)

Qualitative disclosures

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, individual exposures are captured. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRA's viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRA's for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach

any one or more of the above ECRA's for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRA's the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRA's while computing the capital for credit risk as on 31.3.2017 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRA's are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	100226.50	10179.52	90046.98
100% risk weight	75308.07	10830.37	64477.70
More than 100% risk weight	16326.72	1666.63	14860.10
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	191861.28	22676.52	169184.77



अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	21864.76	59.19	21805.57
100% जोखिम भार	10127.65	0.00	10127.65
100% जोखिम भार से अधिक	22.13	0.00	22.13
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	32014.54	59.19	31955.35

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (31.03.2017 तक)

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यतः स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबंधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी), इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी), किसान विकास पत्र (केवीपी), शेर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं। बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अतः पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) नकद / बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (एनएससी) व इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी) जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ की।

ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियाँ:

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम:

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है।	18759.31
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	572.55
बैंकों की अनुसूची(आइ एन आर)	0.00
एफसीवाइ मे विदेशी बैंक दावे	0.00
प्राइमरी डीलर्स (पीडी)	0.00
कार्पोरेट	3941.37
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	9613.58
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	17.18
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	50.65
उपभोक्ता ऋण	4127.70



OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	21864.76	59.19	21805.57
100% risk weight	10127.65	0.00	10127.65
More than 100% risk weight	22.13	0.00	22.13
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	32014.54	59.19	31955.35

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES (as on 31.03.2017)

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, National Savings Certificates (NSCs), Indira Vikas Patras (IVPs), Kisan Vikas Patras (KVPs), Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years), National Savings Certificates (NSCs) and Indira Vikas Patras (IVPs).

(b) On Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on-balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation

as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discouted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	18759.31
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	572.55
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	3941.37
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	9613.58
Claims secured by Residential Property	17.18
Claims secured by Commercial Real Estate	50.65
Consumer Credit	4127.70



पूँजी बाजार एक्सपोज़र	0.00
एन बी एफ सी	100.21
वेंचर पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.13
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	140.01
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	24.63
अन्य आस्तियाँ	134.44
पुनर्संचित खाते	0.00
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	36.87
पुनर्संचित आवास ऋण	0.00

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

विवरण	राशि
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों / उधार डेरिवेटिव से कवर हों (जब कभी भारिबैं द्वारा विशेष रूप से अनुमत किया जाए)	8786.96
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	4468.64
कापेरिट	2127.44
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	2190.62
पुनर्संचित	0.00
पूँजी बाजार ऋण	0.00
सीआरई	0.25
सीआरई -आरएच	0.00

तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी प्रतिभूतिकरण नहीं

तालिका डीएफ - 7 ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डेरिवेटिव्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण

प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डेरिवेटिव नीति हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि भारिबैं के मार्च 2013 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम की संगणना की जाती है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ऋओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाता है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु पहले चार बकेट के लिए भारिबैं द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय बकेट्स के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेडरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआइआइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवई) पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।



Capital Market Exposure	0.00
NBFC	100.21
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.13
Non Performing Assets – b) Others	140.01
Other Assets – Staff Loans	24.63
Other Assets	134.44
Restructured Accounts	0.00
Claims secured by C.R.E-RH	36.87
Restructured Housing Loan	0.00

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	8786.96
Public Sector Entities	4468.64
Corporate	2127.44
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	2190.62
Restructured	0.00
Capital Market Exposure / NBFC	0.00
CRE	0.25
CRE-RH	0.00

Table DF 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the year ended 31.03.2017

Table DF – 7 Market risk in trading book

Qualitative disclosure:

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk

Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल 11 प्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकल्पित की है। 31.03.2017 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार

(रु.करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारत आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	7831.00	626.48
ईक्विटी स्थिति जोखिम	8306.11	664.49
विदेशी विनिमय जोखिम	67.93	5.43
कुल	16205.05	1296.40

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं हैं।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ङ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुनःप्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) (च) अनुपालन नीति और (छ) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण प्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियाँ व प्रक्रियाएँ बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियाँ और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश

हैं। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियाँ हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग “अनुपालन विभाग” स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियाँ तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूँजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

(रु.करोड़ में)

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1143.79	14297.33

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 25 बीपीएस से 200 बीपीएस तक कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में



Quantitative Disclosures

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2017 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	7831.00	626.48
Equity position risk	8306.11	664.49
Foreign exchange risk	67.93	5.43
TOTAL	16205.05	1296.40

Table DF – 8

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in Central Office independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/ office to monitor the level of compliance. Methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI

Quantitative disclosures

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1143.79	14297.33

Table DF – 9

INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK

Qualitative disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock ranging from 25bps to 200bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and in absolute terms and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with



परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है। दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी, कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है। गैर-परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.

रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल एल)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियाँ तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियाँ माह के अंत से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाती है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2017 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर)	
		31/03/2017	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	162.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	84.70	107.78
0.50% परिवर्तन	323.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	169.40	215.56
0.75% परिवर्तन	485.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	254.10	323.34
1.00% परिवर्तन	646.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	338.80	431.12
2.00% परिवर्तन	1292.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	677.60	862.24

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2017
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	0.1016%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए इक्विटी में घटाव	3.6990%



the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII) duly approved by Board.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duration is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies as prescribed by RBI to have

a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2017 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2017	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	162.00 (3% of NII of previous year)	84.70	107.78
0.50% change	323.00 (6% of NII of previous year)	169.40	215.56
0.75% change	485.00 (9% of NII of previous year)	254.10	323.34
1.00% change	646.00 (12% of NII of previous year)	338.80	431.12
2.00% change	1292.00 (24% of NII of Previous year)	677.60	862.24
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			31.03.2017
Modified Duration Gap (DGAP)			0.1016%
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value			3.6990%



सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	(क)	डेरिवेटिव्स एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - <ul style="list-style-type: none"> काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपार्श्विकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम एक्सपोजर के संबंध में नीतियों की चर्चा संपार्श्विकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(ख)	करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग लाभ, नेट डे वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर, धारित समपार्श्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरीवेटिव क्रेडिट एक्सपोजर। इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोजर राशि अथवा डिफाल्ट के एक्सपोजर के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट करें। क्रेडिट एक्सपोजर सीमा का अनुमानित मूल्य, तथा क्रेडिट एक्सपोजर के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर का वितरण।
	(ग)	क्रेडिट डेरीवेटिव सौंदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोजर को उत्पन्न करते हैं को संस्था के निजी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पाद, आगे पुनः प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गयी सुरक्षा।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर
व्युत्पन्न	7.71	0.00	15.42
ब्याज दर करार/ स्वैप	3486.26	4.42	22.30
फारवर्ड क्रय/ बिक्री करार	35649.99	672.37	1479.95
क्रेडिट डेरीवेटिव	0.00	0.00	0.00
क्रेडिट डेरीवेटिव	0.00	0.00	0.00

सारणी डीएफ -11: पूंजी की संघटना

भाग I : केवल मार्च 31, 2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट: लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31, 2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

(रु. करोड़ में)

विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)			बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ
सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेर पूंजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेर प्रीमियम)	10104.79	10104.79
2	प्रतिधारित आय	7362.30	7362.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	2715.23	1615.23
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुबंधियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00



Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including: <ul style="list-style-type: none"> • Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures • Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves • Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures • Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade
Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held(including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
	(c)	Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group.

Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
Derivatives	7.71	0.00	15.42
Interest Rates Contracts/Swaps	3486.26	4.42	22.30
Forward Purchase / Sales Contract	35649.99	672.37	1479.95
Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00

Table DF – 11 COMPOSITION OF CAPITAL

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(Rs. in crore)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	10104.79	10104.79
2	Retained earnings	7362.30	7362.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2715.23	1615.23
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00



6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी	20182.33	19082.33
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	6840.32	6840.32
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	22.91	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) ³	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	496.80	496.80
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि 6	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन ⁷ (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों ⁸ की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक ⁹ द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियर II के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन	7360.03	7337.12



6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	20182.33	19082.33
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)	6840.32	6840.32
10	Deferred tax assets ²	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	22.91	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	496.80	496.80
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-BaseI III Treatment		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	7360.03	7337.12



29	सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1)	12822.30	11745.21
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1150.00	780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1150.00	780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1150.00	780.00
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	50.00	50.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	30.00	30.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूंजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूंजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूंजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर I पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	80.00	80.00
44	अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी1)	1070.00	700.00
45	टियर I पूंजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)	13892.30	12445.21
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	776.00	776.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूंजी लिखत	1866.15	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	1268.47	1268.47
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी	3910.62	4676.77



29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	12822.30	11745.21
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1150.00	780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1150.00	780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	1150.00	780.00

Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	50.00	50.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	30.00	30.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) ¹⁰	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	80.00	80.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	1070.00	700.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)	13892.30	12445.21
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	776.00	776.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1866.15	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions ¹²	1268.47	1268.47
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	3910.62	4676.77



टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन

52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	50.00	50.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	50.00	50.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	3860.62	4626.77
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	17752.91	17071.97
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	169148.15	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	138645.78	
60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	16205.05	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	14297.33	
पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.58%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.21%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.50%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रिय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.75%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रिय बफर अपेक्षा	0	0
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	0
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.83%	
राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		



Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	50.00	50.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments ¹³ in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	50.00	50.00
58	Tier 2 capital (T2)	3860.62	4626.77
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	17752.91	17071.97
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	169148.15	
60a	of which: total credit risk weighted assets	138645.78	
60b	of which: total market risk weighted assets	16205.05	
60c	of which: total operational risk weighted assets	14297.33	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.58%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.21%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.50%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.83%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		



74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1268.47	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	2114.35	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(मार्च 31 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	150	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	-370.00	
84	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	1866.15	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	766.15	

टेम्पलेट पर नोट

(रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	1828.71
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0



74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1268.47	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2114.35	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	150	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-370.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1866.15	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	766.15	

Notes to the Template

(Rs. in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	1828.44
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0



50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1268.47
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1268.47

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2017 तक	31.03.2017 तक
ए	पूँजी तथा देयता		
i	प्रदत्त पूँजी	2454.73	2454.73
	आरक्षित तथा अधिशेष	11289.82	11289.82
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	13744.55	13744.55
ii	जमाएं	211342.63	211342.63
	जिसमें से: बैंकों से जमा	22.94	22.94
	जिसमें से: ग्राहक जमा	211319.69	211319.69
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	उधार	16097.67	16097.67
	जिसमें से: आरबीआइ से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	4721.68	4721.68
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	5553.69	5553.69
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	5822.30	5822.30
iv	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	5982.64	5982.64
	कुल	247167.49	247167.49
बी	आस्तियाँ		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	11499.97	11499.97
	बैंक में शेष तथा अल्प सूचना एवं मांग पर मुद्रा	11723.07	11723.07
ii	निवेश	71549.19	71549.19
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	60815.81	60815.81
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3.11	3.11
	जिसमें से: शेयर	1269.85	1269.85
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	6465.24	6465.24
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	199.58	199.58
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2795.60	2795.60
iii	ऋण तथा अग्रिम	140458.62	140458.62
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	388.99	388.99
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	140069.63	140069.63



50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1268.47
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1268.47

Table DF – 12

COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2017
A	Capital & Liabilities		
i	Paid up Capital	2454.73	2454.73
	Reserves and Surplus	11289.82	11289.82
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	13744.55	13744.55
ii	Deposits	211342.63	211342.63
	of which : Deposit from Banks	22.94	22.94
	of which : customer deposits	211319.69	211319.69
	of which : Others	0	0
iii	Borrowings	16097.67	16097.67
	of which : From RBI	0	0
	of which : From bank	4721.68	4721.68
	of which : from other institutional & agencies	5553.69	5553.69
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	5822.30	5822.30
iv	Other liabilities and provisions	5982.64	5982.64
	Total	247167.49	247167.49
B	Assets		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	11499.97	11499.97
	Balance with bank and money at call and short notice	11723.07	11723.07
ii	Investments	71549.19	71549.19
	of which: Government Securities	60815.81	60815.81
	of which: Other approved securities	3.11	3.11
	of Which :shares	1269.85	1269.85
	of which : Debentures & Bonds	6465.24	6465.24
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	199.58	199.58
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2795.60	2795.60
iii	Loans and advances	140458.62	140458.62
	of which : Loans and advances to banks	388.99	388.99
	of which : Loans and advances to customers	140069.63	140069.63



iv	अचल आस्तियाँ	3054.33	3054.33
	अन्य आस्तियाँ	8882.31	8882.31
v	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	1828.44	1828.44
vi	समेकन पर साख	0	0
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0	0
	कुल	247167.49	247167.49

(रु. करोड़ में)

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11
(भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)

क्र.सं	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षित	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	10104.79
2	प्रतिधारित आय	7362.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	2715.23
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुबंधियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	20182.33
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूँजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूँजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र.सं	विवरण	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई565ए09215
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल



iv	Fixed assets	3054.33	3054.33
	Other assets	8882.31	8882.31
v	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	1828.44	1828.44
vi	Goodwill on consolidation	0	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	0
	Total	247167.49	247167.49

(Rs. in crore)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)-

Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

S.No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	Component of regulatory capital reported by bank
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	10104.79
2	Retained Earning	7362.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2715.23
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	20182.33
7	Prudential valuation adjustment	
8	Goodwill(net of related tax liability)	

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XII	SERIES XIII	SERIES XIV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	<i>Regulatory treatment</i>			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo



7	लिखत प्रकार	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	60.00	116.00	600.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश			
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	60.00	116.00	600.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	<i>Coupons / dividends</i>			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A



33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखित प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	बासल III का अवशोषण नहीं	बासल III का अवशोषण नहीं	बासल III का अवशोषण नहीं

**तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेम्पलेट**

क्र. सं.	विवरण	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला II	शृंखला III	शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09173	आइएनई 565ए09199	आइएनई565ए09223
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल
7	लिखित प्रकार	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत	अपर टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	327.65	255.00	483.50
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं



33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss Absorption	No Basel III Loss Absorption	No Basel III Loss Absorption

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	<i>Regulatory treatment</i>			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	327.65	255.00	483.50
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 655.30	nil 01.09.2019 510	10.01.2021 967 nil
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	No	No	No



17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	वृद्धिशील 0.50%	वृद्धिशील 0.50%	वृद्धिशील 0.50%
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टैपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला IV
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक



17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency	Step-up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual
		Basel II Compliant
		SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank



2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09207
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल
7	उपकरण प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	150.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	29.09.2009
12	निरंतर या दिनांकित	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	29.09.2019, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप - 0.50 प्रतिशत
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं



2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	150.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	29.09.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	29.9.2019 , nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	No



31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	ईक्विटी शेयरधारकों से बेहतर और सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं

**तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेम्पलेट**

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09231
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टीयर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल
7	उपकरण प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु.करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	1000.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	04.02.2015
12	निरंतर या दिनांकित	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	4.02.2020, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	डी एफ 14	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार



31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absorbency

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09231
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	04.02.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	4.2.2020, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	DF 14	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary



21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
22	गैर-संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	उपलब्ध
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात 5.5
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	आंशिक या पूर्णतः
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	दोनों
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	बैंक पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार से, भारिबैं से पूर्व मंजूरी लेकर अपने बॉन्ड को भविष्य में उसकी वास्तविक कीमत पर बट्टा लेखा कर सकता है, जब वह यह प्रदर्शित करता है कि उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर है
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

**तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट**

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	जारीकर्ता	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनइ565ए09256
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै
	विनियामक समाधान	
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टीयर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	आपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	Available
31	If write-down, write-down trigger(s)	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5
32	If write-down, full or partial	partially or fully
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF-13 : MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Tier II SERIES I
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09256
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo



7	लिखत प्रकार	टीयर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु. करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	800.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रुपए 10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	03.11.2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हां
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	भा रि बैंक द्वारा पीओएनवी के तहत घोषण पर
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	आंशिक या पूर्णतः
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं



7	Instrument type	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	03.11.2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03.11.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	Partially / fully
33	If write-down, permanent or temporary	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No
37	If yes, specify non-compliant features	N/A



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेपलेट

क्र. सं.	विवरण	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09165	आइएनई 565ए09181	आइएनई565ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां	हां	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	बासल III का अवशोषण नहीं	बासल III का अवशोषण नहीं	बासल III का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेपलेट

क्र. सं.	विवरण	उच्च टियर II	उच्च टियर II	उच्च टियर II
		शृंखला II	शृंखला III	शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई 565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II	पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967



Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XII	SERIES XIII	SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09165	INE565A09181	INE565A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	No Basel III Absorption	No Basel III Absorption	No Basel III Absorption

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	17.09.2018 655.30	01.09.2019 510	10.01.2021 nil 967



6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप	स्टेप अप	स्टेप अप
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां	हां.	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर में वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं	कूपन दर में वृद्धि, बासल ।।। का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09207
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	₹.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	बेमियादी
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	बेमियादी
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप अप
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय



6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency	Step-Up in coupon rate, No basel III loss absorbency

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel II Compliant SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible



14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	ईक्विटी शेरधारकों से बेहतर और सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हां
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09231
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	₹.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	सतत
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (₹ करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं



14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency

Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil., nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेपलेट

क्र. सं.	विवरण	बेमियादी टियर II बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09256
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	₹.10.00 लाख
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (₹ करोड़ में)	शून्य, शून्य, 800
8	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं

टेबल डीएफ -16

इक्विटी - बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1	<p>इक्विटी जोखिम के संबंध में निम्नलिखित समेत सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षाएँ:</p> <ul style="list-style-type: none"> उन धारिताओं पर जिनपर पूंजीगत लाभ अपेक्षित हैं तथा संबंध व व्यूहात्मक कारणों सहित उन उद्देश्यों के तहत ली गई धारिताओं के बीच विभेद ; और बैंकिंग बही में मूल्यांकन और इक्विटी धारिताओं के लेखांकन को कवर करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें मूल्यांकन व इसके साथ-साथ इन प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली प्रमुख पूर्वधारणाओं एवं प्रक्रियाओं सहित लेखांकन तकनीक व प्रयुक्त मूल्यांकन पद्धतियाँ शामिल हैं।
---	--



Table DF-14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

Sr. No.	Particulars	Perpetual Basel III Compliant Tier II SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09256
2	Instrument type	Debt Instrument
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Dated
5	Original maturity date	03.11.2026
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil,, nil, 800
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF-16

EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure

1	<p>The general qualitative disclosure requirement with respect to equity risk, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices
---	---



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र में प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ;कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहां शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है ।	566.67*
2	निम्नलिखितानुसार वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप: - सार्वजनिक रूपसे ट्रेड होनेवाले - निजी रूप से धारित	1007.80 781.21
3	रिपोर्टिंग अवधि में समापन व बिक्री से प्राप्त संचयित लाभ (हानि) (01.04.2016 से 31.03.2017)	134.15
4	न उगाहे गए कुल लाभ (हानि)	0.00
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	0.00
6	टियर 1 व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि	0.00
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संकमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00

* कोट किए गए सभी इक्विटी शेयरों के नवीनतम बाजार मूल्य को सूचित करता है।

डीएफ तालिका 17 -

लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात मापदंड का तुलना सारांश

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	247067
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	289
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई फजी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	2237
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	8600
6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	19270
7	अन्य समायोजन	
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	276885



Quantitative Disclosure

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	566.67*
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: <ul style="list-style-type: none"> • Publicly traded • Privately held 	1007.80 781.21
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.04.2016 to 31.03.2017)	134.15
4	Total unrealised gains (losses)	0.00
5	Total latent revaluation gains (losses)	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

* Indicates the latest market value of all the quoted equity shares.

Table DF 17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	247067
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	289
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	2237
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	8600
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	19270
7	Other adjustments	
8	Leverage ratio exposure	276885



डीएफ तालिका -18: लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	लिवरेज अनुपात फ्रेमवर्क
1	तुलनपत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)	247067
2	(आस्ति राशियों को बेसल III टियर I पूंजी निर्धारण में कटौती)	289
3	तुलनपत्र में कुल एक्सपोजर (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (1 एवं 2 पंक्तियों का योग)	246778
डेरीवेटिव एक्सपोजर		
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध मूल्य की प्रतिस्थापना (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल)	753
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	1483
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्राँस-अप	---
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	---
8	(ग्राहक - निपटान कारोबार एक्सपोजर के सीसीपी लेग से छूट)	---
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन	---
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)	---
11	कुल डेरीवेटिव एक्सपोजर (4 से 10 पंक्तियों का योग)	2237
प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोजर		
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए अनभिज्ञ),	---
13	(सकल एसएफटी आस्तियों की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)	---
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	8600
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	---
16	कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोजर (12 से 15 पंक्तियों का योग)	8600
तुलनपत्र से परे अन्य मदें		
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्र से परे एक्सपोजर	44753
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	25483
19	तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)	19270
पूँजी एवं कुल एक्सपोजर		
20	टियर - I पूँजी	13892
21	कुल एक्सपोजर (3, 11, 16 तथा 19 पंक्तियों का योग)	276885
लिवरेज अनुपात		
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	5.02%



Table DF-18 LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Leverage ratio framework
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	247067
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	289
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	246778
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all <i>derivatives</i> transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	753
5	Add-on amounts for PFE associated with <i>all</i> derivatives transactions	1483
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	---
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	---
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	---
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	---
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	---
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	2237
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	---
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	---
14	CCR exposure for SFT assets	8600
15	Agent transaction exposures	---
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	8600
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	44753
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	25483
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	19270
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	13892
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	276885
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	5.02%



स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. सार्थक लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांशयुक्त 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक "बैंक" के तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा तथा संबंधित वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश व अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की हमने लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1657 शाखाओं (8 विदेशी शाखाओं सहित 14 क्षेत्रीय कार्यालय) की विवरणियां शामिल हैं। बैंक द्वारा हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण में उन 1773 शाखाओं (35 क्षेत्रीय कार्यालय व 7 अंचल कार्यालय को मिलाकर) की विवरणियां भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है। अ-लेखापरीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 8.40%, जमाओं में 20.29%, ब्याज आय में 7.22% और ब्याज संबंधी खर्चों में 16.61% का अंशदान है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949, समय - समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारत में सामान्यतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं जो वस्तुनिष्ठ दोषों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए गए लेखाकरण पर मानकों के अनुरूप अपनी लेखा परीक्षा की। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे कार्यान्वित करें ताकि इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण वस्तुगत विसंगति से मुक्त हैं।
4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों में प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी प्रयोग की गई प्रक्रियाएँ शामिल रहती हैं। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णयों पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुनिष्ठ गलत विवरणों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल रहता है, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों। लेखा परीक्षक इन जोखिम मूल्यांकन का आकलन करने में इकाई की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने हेतु वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति एवं बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त की गई लेखाकरण नीतियों के सम्युक्त मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखाकरण अनुमानों की विश्वसनीयता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।
5. हमें विश्वास है कि अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान हेतु हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

राय

6. हमारी राय में बैंक की बहियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार व हमारी उचित जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - (i) तुलन पत्र, जिसे उसमें दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाएगा, पूर्ण और उचित तुलनपत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं, भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2017 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;
 - (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए हानि के सही शेष दर्शाते हैं; और
 - (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

7. मामलों पर बल

हम नोट सं. 7.2 (अनुसूची 18) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो उपयुक्त मामलों और वर्ष के दौरान नए ऑपरेटिंग सिस्टम में माइग्रेशन से सम्बन्धित है।

उक्त के संबंध में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण में तैयार किया गया है।
9. अनुच्छेद 1 से 5 से अधिक में इंगित की गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के तहत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अनुसार भी हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि ;
 - क) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उत्कृष्ट हैं, हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषप्रद पाया गया है।
 - ख) बैंक के लेन-देन जो कि हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंदर किए गए हैं।
 - ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा के उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाई गई हैं।



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Indian Overseas Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank") as at 31stMarch 2017, which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch 2017, and Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1657 branches (including 8 overseas branches and 14 Regional Offices) audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 1773 branches (Including 35 Regional Offices and 7 Zonal Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.40% of advances, 20.29% of deposits, 7.22% of interest income and 16.61% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulations Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31stMarch, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

7. Emphasis of Matter

We draw attention to Note No.7.2 (Schedule 18) with regards to migration to new Operating System during the year and the relevant issues.

Our opinion is not qualified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.



10. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) इस रिपोर्ट में वर्णित सम्बन्धित तुलनपत्र एवं लाभ व हानि लेखे, लेखा बहियों एवं रिटर्न के अनुक्रम में हैं।
- ख) बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए हमने उस पर समुचित कार्रवाई की है।
- ग) हमारे मतानुसार, तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखे व नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं।

कृते वर्धमान एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 004522S

कृते एएसए एंड एशोशिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 009571N/ N500006

कृते ए वी देवन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 000726S

(आभा जैन)
साझेदार
एम.संख्या.015454

(एस सुंदरराजन)
साझेदार
एम.संख्या. 211414

(पी कण्णन)
साझेदार
एम.संख्या.024687

हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 103523डब्ल्यू/डब्ल्यू100048

तलाती एंड तलाती
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 110758डब्ल्यू

(जीएन रामास्वामी)
साझेदार
एम.संख्या. 202363

(उमेश एच तलाती)
साझेदार
एम.संख्या.034834

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 17.05.2017



10. We further report that:

- a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- c) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For **VARDHAMAN & CO**
Chartered Accountants
FRN 004522S

(ABHA JAIN)
Partner
M.No. 015454

For **HARIBHAKTI & CO LLP**
Chartered Accountants
FRN 103523W / W100048

(G. N. RAMASWAMI)
Partner
M.No. 202363

For **ASA & ASSOCIATES LLP**
Chartered Accountants
FRN 009571N / N500006

(S. SUNDAR RAJAN)
Partner
M.No.211414

For **TALATI & TALATI**
Chartered Accountants
FRN 110758W

(UMESH H. TALATI)
Partner
M.No.034834

For **A V DEVEN & CO**
Chartered Accountants
FRN 000726S

(P. KANNAN)
Partner
M.No.024687

Place : Chennai
Date : 17.05.2017



इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii) देखें)
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियो सं-.....

(यदि बेकागजीकृत न हो)

डीपी आइडी सं

ग्राहक आइडी सं :.....

मैं / हमनिवासीजिलाराज्य..... इण्डियन ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक / धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमतीनिवासीजिलाराज्य..... को , अथवा इनके न होने पर श्री /श्रीमतीनिवासीजिलाराज्य..... को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की बुधवार, दिनांक 28 जून, 2017 को सुबह 10.00 बजे सतगुरु ज्ञानंदा हॉल, 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली असाधारण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं ।

आज वर्ष 2017 केमाह केदिन हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

रु. 1/- का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

नाम :

पता :

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
- क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
- ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
- ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
2. किसी प्रॉक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ-साथ
- क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
- ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **शुक्रवार, 23 जून 2017** को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगा हो।
5. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
6. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
7. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
8. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

रु.1/- का
राजस्व टिकट
चिपकाएँ

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio
No. (If not Dematerialised)
D P ID No.
CL. ID No.

I/We,.....resident(s) of.....
in the district of.....in the
 State of,being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt
 resident ofin the district ofin the State of
 or failing him/her Shri/Smt resident ofin
 the district ofin the State of as my/our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at
 the Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Wednesday, 28th June 2017 at 10.00 a.m. at
 Sathguru Gnanananda Hall, 314, TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2017
 (Signature of the Proxy)

Name
 Address

Please affix
 ₹.1/-
 Revenue
 Stamp

Signature of the first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the *Central Office of Indian Overseas Bank* with the General Manager (Investor Relations Cell), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 5.00 p.m. on **Friday, 23rd June 2017**.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

Indian Overseas Bank's

Digital products and Services

to make your life simpler



MPOS (Mobile POS) -
Efficient POS collection
at doorstep for all types
of business payments.

IMPS
IMMEDIATE PAYMENT SERVICE

**IMPS (Immediate
Payment Systems)**



**IOB
Prepaid Card**



**24 X 7 Instant funds
transfer to other banks
through Internet
banking or mobile
banking.**



**IOB Connect -
A universal App.**

**IOB
Mobile**

**Mobile Banking -
Mobile application
which offers major
banking functions at
your ease.**



**IOB mPassbook -
Ur Passbook in
Ur Mobile.**

BBPS
BHARAT BILL PAYMENT SYSTEM

**BHARAT BILL
PAYMENT SYSTEM
ANYTIME ANYWHERE
BILL PAYMENT**



**Internet banking -
Anytime, anywhere
banking with a wide
range of banking
functionalities.**



**IOB Rewardz -
www.iobrewardz.com**



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)


आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles



Physical or Digital For us it's Instrumental



www.iob.in

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

Touching Hearts
Spreading Smiles



Toll free:
1800 425 4445
(24 X 7)

Website:
www.iob.in

E-mail:
info@iobnet.co.in

 /IOBIndia

Central Office Address:

763 Anna Salai, Chennai - 600002. Phone : +91-44-2852 4212